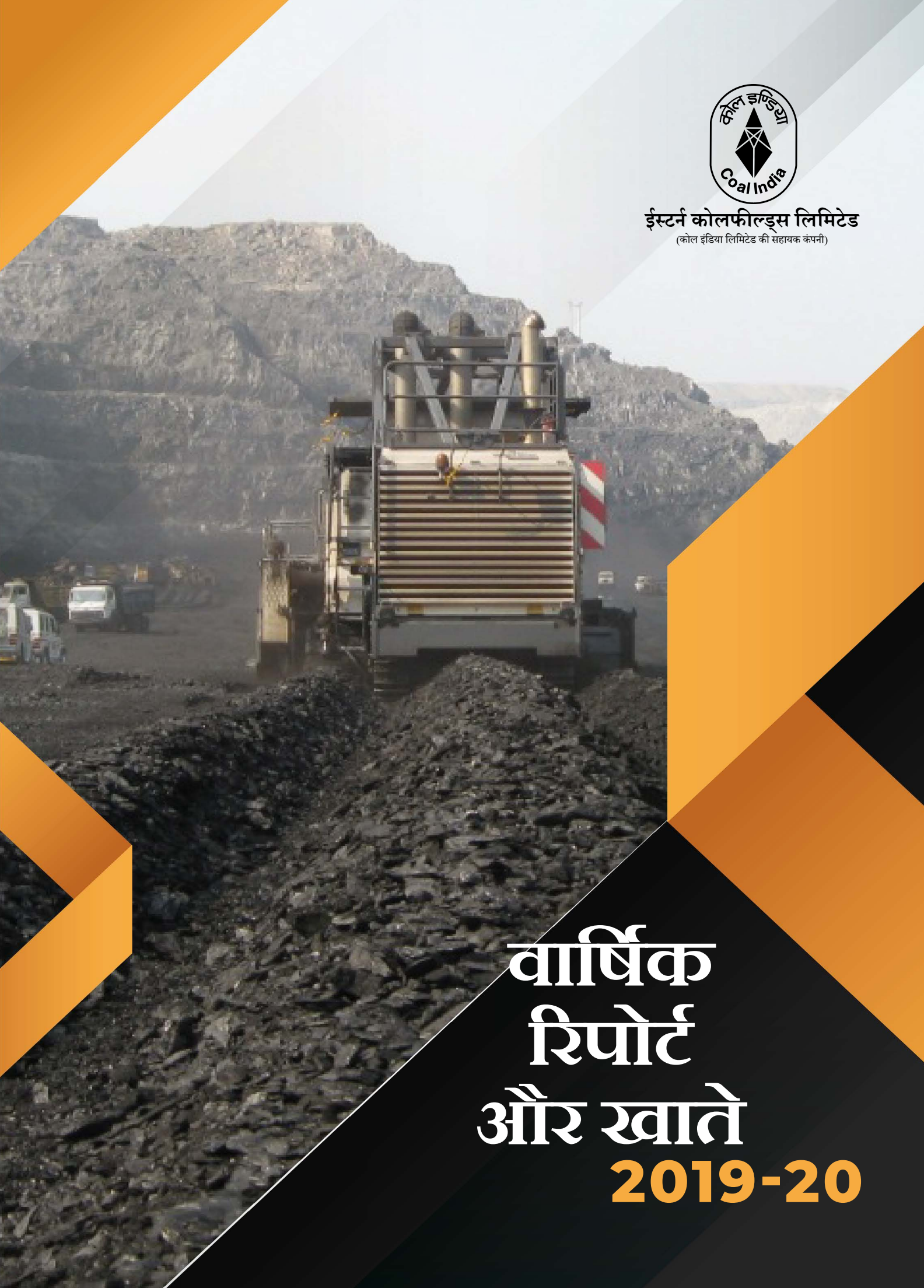

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी)

वार्षिक रिपोर्ट और खाते

2019-20

वार्षिक रिपोर्ट और लेखा

2019-20

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी)

CIN-U10101WB1975GOI030295

www.easterncoal.nic.in

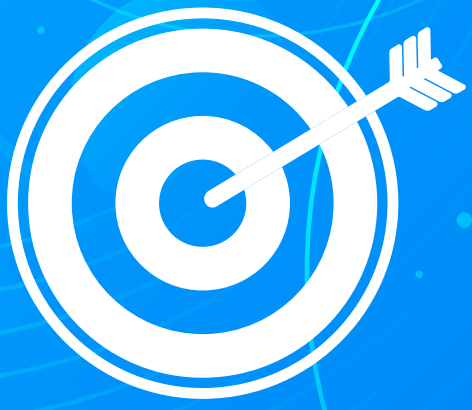

हमारा लक्ष्य

"सुरक्षा, संरक्षण और गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए कुशलता एवं मितव्ययिता पूर्वक पर्यावरण के अनुकूल तरीके से कोयला और कोयला उत्पादों की योजनाबद्ध मात्रा का उत्पादन और विपणन करना।"

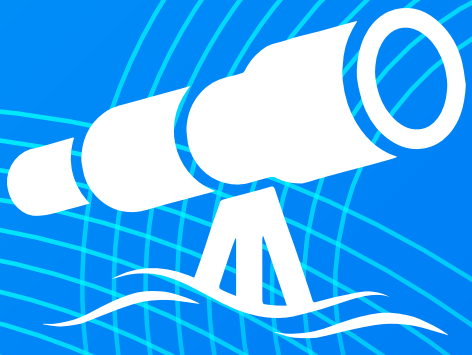

हमारी संकल्पना

"पर्यावरण और सामाजिक सतत विकास को ध्यान में रखते हुए खदान से बाजार तक सर्वोत्तम कार्य प्रणाली अपनाते हुए देश को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होकर प्राथमिक ऊर्जा क्षेत्र में एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभरना।"

विषय सूची

क्र.सं.	सामग्री	पृष्ठ संख्या
1.	प्रबंधन	04
2.	बैंकर / लेखा परीक्षक	06
3.	वार्षिक आम सभा की सूचना	08
4.	अध्यक्ष का वक्तव्य	11
5.	निदेशकों का परिचय	15
6.	बोर्ड की रिपोर्ट 2019-20	19
7.	भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	100
8.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और प्रबंधन के उत्तर	102
9.	31 मार्च, 2020 को तुलन-पत्र (बैलेंस शीट)	118
10.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण	120
11.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन विवरणी	122
12.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी	123
13.	कॉर्पोरेट जानकारी और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	125
14.	तुलन-पत्र के भाग के रूप में टिप्पणियां	143
15.	लाभ और हानि विवरणी भाग के रूप में टिप्पणियां	161
16.	खातों पर अतिरिक्त टिप्पणियां	168

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

बोर्ड के सदस्य

दिनांक 19 अगस्त, 2020 को

प्रकार्य निदेशकगण:

श्री प्रेम सागर मिश्र	:	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
श्री जयप्रकाश गुप्ता	:	निदेशक (तकनीकी) योजना एवं परियोजना
श्री विनय रंजन	:	निदेशक (कार्मिक)
श्री बी. वीरा रेड्डी	:	निदेशक (तकनीकी) संचालन
श्री गौतम चंद्र डे	:	निदेशक (वित्त)

अंशकालिक आधिकारिक निदेशकगण

श्री अनिमेष भारती	:	आर्थिक सलाहकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली
श्री संजीव सोनी	:	निदेशक (वित्त), कोल इंडिया लि., कोलकाता

स्वतंत्र निदेशकगण

श्री प्रवीण कांत

श्री अनिल कुमार गनेरीवाला

स्थायी आमंत्रित

श्री उत्पल कांति बल	:	प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक (पीसीओएम), पूर्वी रेलवे

कंपनी सचिव

श्री रामबाबू पाठक

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

वर्ष 2019-20 के दौरान प्रबंधन

श्री प्रेम सागर मिश्र	:	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (20.08.2018 से)

प्रकार्य निदेशकगण

श्री सुनील कुमार झा	:	निदेशक (तकनीकी) संचालन (31.12.2019 तक)
श्री जयप्रकाश गुप्ता	:	निदेशक (तकनीकी) योजना एवं परियोजना (18.06.2018 से)
श्री संजीव सोनी	:	निदेशक (वित्त) (10.07.2019 तक)
श्री विनय रंजन	:	निदेशक (कार्मिक) (16.08.2018 से)
श्री समीरन दत्ता	:	निदेशक (वित्त) (अतिकिक्त प्रभार) (16.08.2019 से 03.03.2020 तक)
श्री बी. वीरा रेड्डी	:	निदेशक (तकनीकी) संचालन (01.01.2020 से)
श्री गौतम चंद्र डे	:	निदेशक (वित्त) (03.03.2020 से)

अंशकालिक आधिकारिक निदेशकगण

श्री अनिमेष भारती	:	आर्थिक सलाहकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली (17.03.2020 से)
श्री भबानी प्रसाद पति	:	संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली (17.03.2020 तक)
श्री संजीव सोनी	:	निदेशक (वित्त), कोल इंडिया लि., कोलकाता (29.10.2019 से)
श्री श्याम नंदन प्रसाद	:	निदेशक (विपणन), कोल इंडिया लि., कोलकाता (29.10.2019 तक)

स्वतंत्र निदेशक

श्री प्रवीण कांत	:	13.12.2018 से
श्री अनिल कुमार गनेरीवाल	:	10.07.2019 से
प्रो (डॉ.) इंदिरा चक्रवर्ती	:	16.11.2019 तक

स्थायी आमंत्रित

श्री उत्पल कांति बल	:	पीसीओएम, पूर्वी रेलवे (28.02.2019 से)

कंपनी सचिव

श्री रामबाबू पाठक	:	02.07.2018 से

2019-20 के दौरान बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक	यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक	एक्सिस बैंक	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	इलाहाबाद बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा	पंजाब नेशनल बैंक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया
कॉर्पोरेशन बैंक	आईसीआईसीआई बैंक	केनरा बैंक	सिंडीकेट बैंक	

2019-20 के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षक

1. मैसर्स जीपी अग्रवाल एंड कंपनी, 7-ए, किरण शंकर रे रोड, दूसरी मंजिल, कोलकाता -700001

शाखा लेखा परीक्षक:

2. मैसर्स रे एंड कंपनी, 21 ए, शेक्सपियर सरानी, फ्लैट नंबर -8 सी, 8 वीं मंजिल, कोलकाता -700017
3. मैसर्स सराफ एंड चंद्रा, 501, अशोका हाउस, 3 ए हरे स्ट्रीट, 5 वीं मंजिल, कोलकाता -700001
4. मैसर्स ऐडीडी एंड एसोसिएट्स, पी-168, सेक्टर-बी, मेट्रोपॉलिटन को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि., कोलकाता -700105
5. मैसर्स माहेश्वरी एंड एसोसिएट्स, गीतांजलि अपार्टमेंट, फ्लैट संख्या-6ए, 6वीं मंजिल, 8बी मिडिलटोन स्ट्रीट, कोलकाता-700071
6. मैसर्स एस के बसु एंड कंपनी, टेम्पल चैम्बर्स, द्वितीय तल, 6 ओल्ड पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, कोलकाता -700001

2019-20 के दौरान लागत लेखा परीक्षक

1. मैसर्स एस जी एंड एसोसिएट्स, 8 ए सांती घोष स्ट्रीट, कोलकाता -700003
2. मैसर्स के जी गोयल एंड एसोसिएट्स, 4 ए, पॉकेट -2, मयूर विहार III, नई दिल्ली- 110096
3. मैसर्स बसु, बनर्जी, चक्रवर्ती, चट्टोपाध्याय एंड कंपनी, 42 / बी, शिबतला स्ट्रीट, उत्तरपारा, हुगली, पश्चिम बंगाल, पिन-712258
4. मैसर्स बी. जी. चौधरी एंड कंपनी, श्री एपार्टमेंट, 11/47 ए, पंडितिया रोड, कोलकाता-700029
5. मैसर्स एम. जी. एंड एसोसिएट्स, मिश्रा निवास, पंजाबी पाड़ा, चित्रा, राधानगर रोड, बर्नपुर, आसनसोल, पश्चिम बंगाल, पिन-713325
6. मैसर्स जे. पी. एंड कं, 60/9 ए, गौरी बारी लेन, कोलकाता - 700004

2019-20 के दौरान सचिवीय लेखा परीक्षक

1 मैसर्स जे.के. दास एंड एसोसिएट्स, दास विला, प्लॉट नंबर 883, बिजन कानन, ब्रह्मपुर, कोलकाता-700096

2019-20 के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षक

1 मैसर्स निरुपम एंड एसोसिएट्स, रसखोला पारा, खारदाह, जिला- 24परगना (एन), कोलकाता-700117
2 मैसर्स डी के छाजेड़ एंड कंपनी, नीलहट हाउस हाउस, 11, आर एन मुखर्जी रोड, ग्राउंड फ्लोर, कोलकाता -700001
3 मैसर्स दिनेश के. यादव एंड एसोसिएट्स, एम -4, नारायण प्लेस, फ्रेजर रोड, पटना - 1
4 मैसर्स एसएन मुखर्जी एंड कंपनी, एमराल्ड हाउस, 1 बी, ओल्ड पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, तीसरी मंजिल, कोलकाता -700001
5 मैसर्स पी के गुटगुटिया एंड कंपनी, जे जे कॉम्प्लेक्स (दूसरी मंजिल), बैंक रोड, धनबाद - 826001, झारखंड
6 मैसर्स सेन एंड कंपनी, 1/13, चित्तरंजन कॉलोनी, जादवपुर, कोलकाता-700032
7 मैसर्स आर एन गोयल एंड, कंपनी मंगतुराम रोड, सिलीगुड़ी -734005
8 मैसर्स आर के दीपक एंड कंपनी, 303-बी, अपरा प्लाजा, प्लॉट नंबर 28, रोड नंबर 44; पीतमपुरा, दिल्ली -110034
9 मैसर्स डी पी सेन एंड कंपनी, 22, आशुतोष चौधरी एवेन्यू, द्वितीय तल, फ्लैट नंबर 22, कोलकाता 700019
10 मैसर्स ए एन चटर्जी एंड कंपनी, 41 ए, टाउनशेंड रोड, कोलकाता-700025
11 मैसर्स चटर्जी एंड कंपनी, 21/2, गरियाहाट रोड (पश्चिम), कोलकाता - 700068
12 मैसर्स एस मल्लिक एंड कंपनी, 11, ओल्ड पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, ब्लॉक-बी, तीसरी मंजिल, कोलकाता -700001
13 मैसर्स चंदर खट्टर एंड एसोसिएट्स, 10 ए, ब्रिटिश इंडियन स्ट्रीट, कोलकाता - 700069
14 मैसर्स भट्टाचार्य दास एंड कंपनी, 2, गारस्टीन प्लेस (ग्राउंड फ्लोर), कोलकाता -700001
15 मैसर्स एन एन दास एंड कंपनी, पियाली अपार्टमेंट, 660, राजडांगा मेन रोड, कोलकाता -700107

पंजीकृत कार्यालय, सीआईएन और वेबसाइट

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सीएमडी कार्यालय, सांकतोड़िया, पोस्ट- दिशेरगढ़, जिला- पश्चिम बर्धमान,
पिन -713333, पश्चिम बंगाल
CIN-U10101WB1975GOI030295
www.easterncoal.nic.in

निदेशक मंडल

श्री प्रेम सागर मिश्र
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

श्री जे. पी. गुप्ता
निदेशक (तकनीकी)/
योजना एवं परियोजना

श्री विनय रंजन
निदेशक (कार्मिक)

श्री बी. वीरा रेड्डी
निदेशक (तकनीकी) संचालन

श्री गौतम चंद्र डे
निदेशक (वित्त)

श्री अनिमेष भारती
अंशकालिक आधिकारिक निदेशक,
ईसीएल, आर्थिक सलाहकार,
कोयला मंत्रालय

श्री संजीव सोनी
निदेशक (वित्त),
कोल इंडिया लिमिटेड,
अंशकालिक आधिकारिक निदेशक, ईसीएल

श्री प्रवीण कांत
अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

श्री अनिल कुमार गनेरीवाला
अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

श्री उत्पल कांति बाल
स्थायी आमंत्रित,
पीसीओएम, पूर्वी रेलवे

श्री रामबाबू पाठक
कंपनी सचिव

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यालय
सांकतोड़िया, पत्रालय- डिसेरगढ़,
जिला- पश्चिम बर्द्धमान, पश्चिम बंगाल-713333
कंपनी सचिवालय
सी.आइ.एन-U10101WB1975GOI030295
वेबसाइट – www.easterncoal.gov.in
टेलि-फैक्स: 0341-2520546
ई-मेल: companysecretary.ecl@coalindia.in

EASTERN COALFIELDS LIMITED
Office of the Chairman-cum-Managing Director
Sanctoria, P.O.: Dishergarh,
Dist.: Paschim Bardhaman, West Bengal-713333
Company Secretariat
CIN-U10101WB1975GOI030295
Website – www.easterncoal.gov.in
Telefax: 0341-2520546
E-Mail: companysecretary.ecl@coalindia.in

संदर्भ सं.: ईसीएल:सीएस:15(2020)/7748

17 अगस्त, 2020

45वीं वार्षिक आमसभा सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के शेयरधारकों की 45वीं वार्षिक आमसभा **बुधवार, दिनांक 19 अगस्त, 2020 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय - सीएमडी कार्यालय, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सांकतोड़िया, पोस्ट- दिशेरगढ़, जिला- पश्चिम बर्धमान, पश्चिम बंगाल, पिन- 713333 में अपराह्न 12:30 बजे** निम्नलिखित कारोबार के निष्पादन हेतु होगी। कॉरपोरेट मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी नियामक प्रावधानों और परिपत्रों के अनुरूप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

सामान्य कारोबार:

1. 31 मार्च, 2020 को अंकेक्षित तुलन-पत्र, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लाभ-हानि विवरणी, वर्ष 2019-20 के वित्तीय विवरणियों तथा महत्वपूर्ण लेखा नीति पर की गई सभी टिप्पणियों, अतिरिक्त टिप्पणियों सहित नकदी प्रवाह विवरण, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा बोर्ड-रिपोर्ट की प्राप्ति, विवेचन व ग्रहण करने हेतु।

2. श्री प्रेम सागर मिश्रा (डीआइएन-07379202), जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) के तहत पारी (रोटेशन) समाप्त के कारण सेवानिवृत्त होने वाले हैं, के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति हेतु और योग्य होने के कारण उनकी स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव है।

3. श्री विनय रंजन (डीआइएन-03636743), जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) के तहत पारी (रोटेशन) समाप्त के कारण सेवानिवृत्त होने वाले हैं, के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति हेतु और योग्य होने के कारण उनकी स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव है।

विशेष कारोबार:

4. वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की संपुष्टि करने तथा विचार करने और यदि उचित हो तो, निम्नलिखित संकल्प को संशोधनों सहित या बिना संशोधन के **एक साधारण संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु:

   वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के लागत लेखा-परीक्षा कार्य हेतु निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किए गए लेखा-परीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (3) के संदर्भ में एतद् द्वारा निम्नलिखित पारिश्रमिक के भुगतान का **संकल्प पारित किया गया:**

क्र. सं.	लागत लेखा-परीक्षक का नाम	वर्ष 2019-20 के लिए लागत लेखा-परीक्षकों की पारिश्रमिक (₹ में)
1	मैसर्स एस. जी. एंड एसोसिएट्स	6,00,000.00
2	मैसर्स के. जी. गोयल एंड एसोसिएट्स	3,44,000.00
3	मैसर्स बसु, बनर्जी, चक्रवर्ती, चट्टोपाध्याय एंड कंपनी	3,06,000.00
4	मैसर्स बी. जी. चौधरी एंड कंपनी	2,46,000.00
5	मैसर्स एम. जी. एंड एसोसिएट्स	2,28,000.00
6	मैसर्स जे. पी. एंड कंपनी	1,85,000.00
	कुल: उन्नीस लाख नौ हजार रुपये मात्र	**19,09,000.00**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लागत लेखा-परीक्षकों के रूप में उपर्युक्त फर्मों की नियुक्ति ''अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) में यथा वर्णित नियमों एवं शर्तों द्वारा निर्देशित होगी।"

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(रामबाबू पाठक)
प्रबंधक (वित्त)/कंपनी सचिव

दिनांक: 17 अगस्त, 2020
पंजीकृत कार्यालय:
सीआइएन-U10101WB1975GOI030295
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
सांकतोड़िया, पोस्ट- दिशेरगढ़
जिला- पश्चिम बर्धमान
पश्चिम बंगाल- 713333

टिप्पणियां:

1. देश में फैली कोविड-19 महामारी के कारण वर्तमान असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 18 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और कॉरपोरेट मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी क्रमशः सामान्य परिपत्र संख्या 14 /2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 एवं सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 5 मई 2020 (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके लागू होने के बाद फिर से लागू होने सहित) तथा अन्य लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार शेयरधारक, निदेशक और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सचिवीय लेखापरीक्षकों सहित लेखा परीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो-विज़ुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से बैठक में भाग लेने और / या वोट देने के हकदार हैं। वे बैठक में विचार किए जाने वाली मदों पर केवल अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए companysecretary.ecl@coalindia पर ई-मेल भेज सकते हैं। सदस्यों द्वारा अपने बदले में प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। हालाँकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 और 113 के अनुसरण में, सदस्यों के प्रतिनिधियों को वीसी या ओएवीएम के माध्यम से भागीदारी और मतदान के लिए नियुक्त किया जा सकता है। वीसी या ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए, कंपनी की अधिकृत मेल आईडी से पर्याप्त समय पूर्व एक लिंक प्रदान किया जाएगा और लिंक के माध्यम से बैठक में शामिल होने की सुविधा बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से कम से कम 15 मिनट पहले खोल दी जाएगी और ऐसे निर्धारित समय के 15 मिनट बाद तक बंद नहीं होगी।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के तहत, एक सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षकों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) द्वारा नियुक्त या पुनर्नियुक्त किया जाता है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 (1) के अनुसार, उनका पारिश्रमिक वार्षिक आमसभा में अथवा इस बैठक में निर्धारित प्रणाली के अनुसार कंपनी द्वारा तय किया जाता है। आपकी कंपनी के सदस्यों ने 30 जुलाई, 2001 को आयोजित अपनी 8वीं विशेष आमसभा में सांविधिक लेखा परीक्षकों की पारिश्रमिक को तय करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत किया है।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार विशेष कारोबार से संबंधित व्याख्यात्मक विवरण को इस रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है।
4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 (1) के प्रावधानों के अनुसार शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कम समय की सूचना अवधि में वार्षिक आमसभा बुलाने के लिए अपनी सहमति दें।

प्रतिलिपि:

1. मैसर्स जीपी अग्रवाल एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, स्टटूटोरी ऑडिटर्स 7-ए, किरण शंकर रे रोड, दूसरी मंजिल, कोलकाता -700001
2. मैसर्स जे.के. दास एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, सचिवीय लेखा परीक्षक दास विला, प्लॉट नंबर 883, बिजन कानन, ब्रह्मपुर, कोलकाता-700096
3. मैसर्स एस जी एंड एसोसिएट्स, लागत लेखा परीक्षकों, 8 ए सांती घोष स्ट्रीट, कोलकाता -700003
4. समस्त निदेशकगण, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (i) के अनुसार विवरण

बुधवार 19 अगस्त 2020 को आयोजित होने वाली पैंतालीस (45) वीं वार्षिक आमसभा के आयोजन की सूचना हेतु अनुलग्नक।

विशेष कारोबार: मद सं. 4

कंपनी (लेखा-परीक्षा एवं लेखा-परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 (a)(ii)के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) के अनुसार लागत लेखा-परीक्षकों के पारिश्रमिक को लेखा-परीक्षा समिति द्वारा यथा अनुशंसित और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद इसकी शेयरधारकों द्वारा भी इसकी संपुष्टि की जानी है।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की लेखा-परीक्षा समिति ने 6 नवंबर, 2019 को आयोजित अपनी 98वीं बैठक में इसकी अनुशंसा की थी और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक मंडल ने 6 नवंबर, 2019 को आयोजित अपनी 326वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लागत लेखा-परीक्षक के रूप में निम्नलिखित लागत लेखाकार फर्मों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक को अनुमोदित कर दिया, जिसकी संपुष्टि आगामी आमसभा में की जानी है:

क्र. सं.	लागत लेखा-परीक्षक का नाम	वर्ष 2019-20 के लिए लागत लेखा-परीक्षकों की पारिश्रमिक (₹ में)
1	मैसर्स एस. जी. एंड एसोसिएट्स	6,00,000.00
2	मैसर्स के. जी. गोयल एंड एसोसिएट्स	3,44,000.00
3	मैसर्स बसु, बनर्जी, चक्रवर्ती, चट्टोपाध्याय एंड कंपनी	3,06,000.00
4	मैसर्स बी. जी. चौधरी एंड कंपनी	2,46,000.00
5	मैसर्स एम. जी. एंड एसोसिएट्स	2,28,000.00
6	मैसर्स जे. पी. एंड कंपनी	1,85,000.00
	कुल: उन्नीस लाख नौ हजार रुपये मात्र	**19,09,000.00**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लागत लेखा परीक्षकों के रूप में उपरोक्त फर्मों की नियुक्ति अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) में उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा निर्देशित होगी। कंपनी (लेखा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के संदर्भ में, कंपनी के सदस्यों द्वारा लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की पुष्टि की जानी आवश्यक है। कंपनी के कोई भी निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक अथवा उनके रिश्तेदार इस संकल्प में हितार्थी नहीं हैं। बोर्ड आपके अनुमोदन के लिए इस संकल्प की अनुशंसा करता है।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते ईस्टर्न कोलफील्ड्स लमिटिड

(रामबाबू पाठक)
प्रबंधक (वित्त)/ कंपनी सचिव

दिनांक: 17 अगस्त, 2020

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का वक्तव्य

मित्रो,

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से, मैं कंपनी की 45 वीं वार्षिक आमसभा में आपका स्वागत करता हूं। बोर्ड की रिपोर्ट, वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा समीक्षा के साथ वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अंकेक्षित लेखा पहले से ही आपके पास हैं। आपकी कंपनी ने संचालन से ₹ 18,192.36 करोड़ के मजबूत शीर्षस्थ सकल राजस्व के साथ अपना प्रदर्शन बनाए रखा है और वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सर्वाधिक कोयला उत्पादन तथा ओवरबर्डन निष्कासन की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है।

किसी भी देश के आर्थिक प्रगति के लिए ऊर्जा एक प्रमुख घटक होता है। भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में कोयले का स्थान प्रमुख है, जिसका योगदान देश की कुल ऊर्जा आवश्यकताओं में 52% है। वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊर्जा की अत्यंत आवश्यकता है। हमारी कंपनी, उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले थर्मल ग्रेड कोयले का उत्पादन करती है, जो देश भर में फैले विभिन्न विद्युत संयंत्रों के साथ-साथ स्पंज आयरन, सीमेंट एवं सीपीपी इत्यादि जैसे अन्य क्षेत्रों की जरूरतों को भी पूरा करता है।

हमारी कंपनी की रणनीतिक दृष्टि, खदान से बाजार तक सर्वोत्तम प्रथाओं के माध्यम से पर्यावरण और सामाजिक रूप से टिकाऊ विकास को प्राप्त करते हुए देश को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता के साथ प्राथमिक ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक कंपनी के रूप में उभरना है।

व्यापारिक रणनीति

कारोबारी रणनीति के एक हिस्से के रूप में, कंपनी ने वैश्विक चुनौतियों की पहचान की है और इन चुनौतियों को पूरा करने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। कंपनी में विभिन्न पहलों को मिशन मोड में शुरू किया गया है जिनका उद्देश्य कंपनी के ध्येय, दृष्टि एवं उद्देश्यों को पुन: परिभाषित करना है। कंपनी ने मिशन मोड में निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनका यह भी उद्देश्य है कि कंपनी की छवि को नया रूप दिया जाय:

1. मिशन सुदेश: (SuDESHH - Sustainable Development, Environment, Safety, Health & Hygiene) को वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया है, जिसके लिए ईसीएल वैश्विक चुनौतियों को स्वीकार करता है और समझता है, इसके तहत सतत विकास, पर्यावरण, सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे मुद्दे आते हैं और इसलिए, एक जिम्मेदार संगठन होने के नाते, मिशन सुदेश (SuDESHH) का उद्देश्य ईसीएल के लिए एक स्थायी और बेहतर भविष्य का निर्माण करना है।
2. मिशन संजीवनी (SANJIBANI - Systemic Advancements, New Jobs, Integrated Business & New Initiatives) ईसीएल के कायाकल्प के लिए शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य व्यवस्थित उन्नति, नये रोजगार, एकीकृत व्यवसाय और नई पहलें है। .
3. मिशन सुमित (SUMIT - Systematic Upgradation of Mining & Information Technology) की शुरूआत की गयी है, जिसका उद्देश्य खनन और सूचना प्रौद्योगिकी का योजनाबद्ध रूप से उन्नयन करना है। चूंकि, लगभग सभी खदानों में बहुत पुराने एवं परंपरागत तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा था, इसलिए सुमित (SUMIT) परियोजना के माध्यम से सूचना-प्रौद्योगिकी के साथ खदानों एवं संबद्ध प्रक्रियाओं को एकीकृत करने की जरूरत महसूस की जा रही थी।
4. मिशन धरोहर (DHAROHAR) की शुरूआत की गयी है, जिसका उद्देश्य देश में कोयला खनन की विरासतों, प्राचीन भवनों, संयंत्रों, उपकरणों, मशीनों, यंत्रों, औजारों, धरोहर प्रकृति के मॉडलों की रक्षा एवं उनका संरक्षण करना है।
5. मिशन जटायु (JATAYU) की शुरूआत कंपनी की छवि को नया रूप देने के लिए कर्मचारियों के बीच फाइट (FITE- Fairness, Integrity, Transparency & Equality) अर्थात निष्पक्षता, अखंडता, पारदर्शिता एवं समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गयी है।
6. मिशन संबंध (SAMBANDH) की शुरूआत की गयी है, जिसका उद्देश्य समस्या निवारक एवं समाधान प्रदाता के रूप में व्यापक पैमाने पर सभी हितधारकों और समुदाय तक संपर्क स्थापित करना है, जो अंततः ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के सुचारु रूप से शुरू करने और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट को आसान बनाने में सहायक होगा।
7. मिशन इंद्रधनुष (INDRADHANUSH) की शुरूआत देश के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृतियों, त्योहारों, नृत्य, संगीत और जातीयता को आत्मसात करने के लिए किया गया है। इस पहल के माध्यम से, अलग-अलग क्षेत्रों के विभिन्न उत्सवों को अलग-अलग इकाइयों में आयोजित किया जाता है, जिससे ईसीएल कर्मचारियों तथा इनके पारिवारिक सदस्यों के बीच अपनेपन की भावना का विकास होता है और इससे ईसीएल के प्रसन्नता सूचकांक (हैप्पीनेस इंडेक्स) में भी वृद्धि हुई है।

8. मिशन सुदेश: (SuDESHH) के तहत सुदेश: "मितवा (SuDESHH-MITWA)" नामक एक और मिशन की शुरूआत की गयी है, जिसके माध्यम से असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
9. मिशन "मितवा (MITWA)" की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य उचित कार्य संस्कृति के विकास के साथ-साथ ओपनकास्ट और भूमिगत खदानों में सभी उपकरणों एवं मशीनरियों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करना है।
10. मिशन जागरण (JAGGRAN) शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को कम करके "हरित विकास व्यवस्था त्वरित प्रकृति को प्राप्त करना" है। यह मिशन 11 सितंबर 2019 से 2 अक्टूबर 2019 तक "स्वच्छता ही सेवा" अभियान के दौरान शुरू किया गया था।
11. ईसीएल में "10 R" नामक एक नयी संकल्पना की शुरूआत की गई है, जिसका उद्देश्य कंपनी के संसाधनों का पूर्ण उपयोग करने के लिए उसका "पुन: उपयोग (Reuse)", "अस्वीकार (Refuse)", पुनर्चक्रण (Recycle) "पुन: प्रयोजन (Repurpose)", "पुनर्भरण (Refill)", "पुनर्निवेश (Reinvent)", "मरम्मत (Repair)", "कम करना (Reduce)", "नया स्वरूप (Redesign)" और "नवीकरण (Refurbish)" करना है।
12. मिशन देशी (DESHI) की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य मांग का पता लगाना, कोयले का निर्यात, प्रणाली का सरलीकरण, गुणवत्ता बढ़ाना तथा आयात प्रतिस्थापन है।
13. वित्तीय वर्ष 2019-20 को "क्षमता संपन्न ईसीएल" के रूप में घोषित किया गया था और आंतरिक प्रतिभाओं के क्षमता विकास के लिए अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। कार्य स्थलों पर "अनुपालन की संस्कृति" और अनुशासन को सख्ती से लागू करने पर भी जोर दिया गया है।

परिचालन प्रदर्शन:

ईसीएल ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 50.401 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन किया है जो कंपनी की स्थापना के बाद से अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन था। कोल उत्पादन और वृद्धि में कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों में ईसीएल शीर्ष 3 कंपनियों में शामिल थी। OB निष्कासन में वृद्धि के मामले में CIL की सभी सहायक कंपनियों में ECL पहले स्थान पर है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, ईसीएल ने भूमिगत खनन से 9.206 मिलियन टन और खुले खनन से 41.195 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया गया। इस प्रकार, कुल कोयला उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 0.48% की सकारात्मक वृद्धि के साथ 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए 50.401 मिलियन हुआ। कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में मुकाबले 11.42% की वृद्धि के साथ 140.455 मिलियन घन मीटर की सीमा तक ओवरबर्डन हटाया गया, कोयला ऑफ-टेक (-) 2.16% की वृद्धि के साथ 49.316 मिलियन टन रहा और पिछले वर्ष के मुकाबले 3.97% की वृद्धि के साथ 3.72 टन की उत्पादकता हासिल की। भूमिगत कोयला उत्पादन में ईसीएल ने 1.60% की बढ़त के साथ लागातार सकारात्मक वृद्धि दर्ज की ।

ईसीएल की राजमहल ओसीपी अपनी स्थापना के बाद से पहली 17 मिलियन टन के लक्ष्य को पार करते हुए 17.38 मिलियन टन का उत्पादन करने में सफल रही। ईसीएल के सोनेपुर बाजारी ओसीपी ने अपनी स्थापना के बाद पहली बार 11.1 मिलियन टन का उत्पादन हासिल करके अपने लक्ष्य को पार कर लिया। ईसीएल की झांझरा भूमिगत खदान ने पहली बार 3.50 मिलियन टन का अपना लक्ष्य प्राप्त किया और भारत की सबसे अधिक उत्पादन वाली यंत्रीकृत भूमिगत कोयला खदान

वित्तीय प्रदर्शन:

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए सकल बिक्री कारोबार ₹ 18192.36 करोड़ था, जबकि पिछले वर्ष में ₹ 18385.03 करोड़ था, परिणामतः पिछले वर्ष की तुलना में 1.05% की कमी दर्ज हुई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी ने पिछले वर्ष की कर-पूर्व कुल व्यापक आय ₹ 1237.00 करोड़ की तुलना में ₹1283.15 करोड़ कर-पूर्व कुल व्यापक लाभ तथा गत वर्ष की कर-पश्चात कुल व्यापक आय ₹ 706.38 करोड़ की तुलना में कर-पश्चात ₹ 834.37 करोड़ का कुल व्यापक लाभ कमाया। वर्ष 2018-19 के दौरान कुल पूंजीगत व्यय ₹ 829.96 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कुल पूंजीगत व्यय ₹ 894.68 करोड़ (विनिमय में उतार-चढ़ाव को छोड़कर) था। 31.03.2020 तक कंपनी की कुल संपत्ति 1822.88 करोड़ थी ।

भूमिगत खानों का आधुनिकीकरण और यांत्रिकीकरण:

भूमिगत खदानों में आधुनिकीकरण तथा यांत्रिकीकरण के स्तर को ऊपर उठाने के क्रम में, 2019-20 तक ईसीएल के 57 खदानों में एलएचडी/एसडीएल के साथ मध्यवर्ती तकनीक को आरम्भ किया गया। 31.03.2020 को ईसीएल की विभिन्न भूमिगत खदानों में 244 एसडीएल, 40 एलएचडी एवं 134 यूडीएम कार्य कर रहे थे। झांझरा, सरपी तथा कुमारडीह-बी भूमिगत परियोजना में शटल कार (6 सीट) सहित कन्टीन्यूअस माइनर की स्थापना के साथ बृहत उत्पादन तकनीक लागू की गई है और यह सफलता पूर्वक चल रही है। इसके अलावा सतत खनन प्रौद्योगिकी शुरू करने के लिए ईसीएल की 8 खदानों की पहचान की गई है, जिनके कार्य की प्रक्रिया चल रही है। विदेशी सहयोग और प्रौद्योगिकी समामेलन भी किया जाता है जिसके तहत मेसेस जॉय ग्लोबल यूके के सहयोग के साथ मैसर्स जेएमएस माइनिंग प्रा. लि. द्वारा 2019-20 में एलएचसीएम का एक सेट आरंभ कर दिया गया है। इसके अलावा, एजेंसी मैसर्स CMATL-SXTD-CMML (चीन) कंसोर्टियम के साथ सितंबर 2018 में अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं, मार्च 2020 में खदान स्थल पर उपकरण आ चुके हैं और इसके जल्द ही इसके चालू होने की उम्मीद है।

कोयला उद्योग के विविधीकरण / आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

क. **कोल बेड मीथेन (सीबीएम):** परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट (PFR) तैयार की जा चुकी है और 22.09.2018 को एमडीओ अवधारणा के तहत सतग्राम , कुनुस्तोड़िया और श्रीपुर के पट्टाधारित क्षेत्र को शामिल करते हुए ईसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दी गयी है। सीएमपीडीआईएल ने

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सुझावों के तहत हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के विचार पर प्रस्ताव एवं मॉडल राजस्व साझा संपर्क को आमंत्रित करते हुए संशोधित नोटिस तैयार किया है और यह अनुमोदन की प्रक्रियाधीन है।

ख. **हाईवाल माइनिंग:** निमचा एवं श्रीपुर कोलियरी में हाईवाल माइनिंग प्रौद्योगिकी आरंभ किया जाना प्रस्तावित है। हाईवाल माइनिंग प्रौद्योगिकी की शुरुआत के लिए अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

ग. **मैन राइडिंग सिस्टम:** 2019-20 के दौरान बाँसरा भूमिगत खदान में मैन राइडिंग सिस्टम का एक सेट लगाया गया है। इस प्रकार कार्यशील मैन राइडिंग सिस्टम की कुल संख्या 10 हो गयी है।

घ. **भूतल कोयला गैसीकरण:** ईसीएल द्वारा भूतल कोयला गैसीकरण का विकास शुरू किया गया है। इस संबंध में मेसर्स पीडीआईएल को पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन और भूतल कोयला गैसीकरण परियोजना के लिए पीएफआर तैयार करने और डाउनस्ट्रीम उत्पादों के बाजार अनुसंधान के लिए ईसीएल के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है।

परियोजना निर्माण:

वर्ष 2019-20 में, ईसीएल बोर्ड द्वारा 2 (दो) परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया था और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की 1 (एक) परियोजना को सीआईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

पर्यावरणीय पहलें:

पर्यावरण विभाग ईसीएल के पर्यावरण और वन संबंधी मामलों की देखरेख से संबंधित है। पर्यावरण पर कोयला खनन गतिविधियों के प्रभाव की नियमित निगरानी की जा रही है और वैधानिक मानदंडों, अधिनियमों एवं नियमों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त पर्यावरण सुरक्षा उपाय किए जाते हैं। पर्यावरण मंजूरी (क्लीयरेंस) तथा वन मंजूरी के बेहतर अनुपालन के अलावा, कंपनी ने सतत विकास की दिशा में प्राकृतिक हरित पहल की है। इसी के परिणामस्वरूप कंपनी को ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 और OHSAS 18001: 2015 जैसे प्रमाणन प्राप्त हुए हैं।

ईसीएल ने अपनी कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति बनाई है और उसे लागू किया है, जो कोल इंडिया लिमिटेड की पर्यावरण नीति के अनुरूप है। ईसीएल की पर्यावरण नीति में कहा गया है कि "ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) 10R (रिड्यूस, रिसायकल, रियूज, रिडिजायन, रिपर्पस, रिफर्बिश, रिपेयर, रिकवर, रिडिप्लॉय एवं रिफ्यूज), प्रदूषण की रोकथाम/शमन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पारिस्थितिक तंत्र एवं जैव विविधता की पुनर्स्थापन, कचरे का उचित निपटान, जलवायु परिवर्तन की रोकथाम करना और मिशन सुदेश (SuDESHH - सतत विकास, पर्यावरण, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता)" के कंपनी-व्यापी कार्यान्वयन के माध्यम से एक मिशन मोड में समावेशी विकास की अवधारणा को लागू करते हुए एकीकृत परियोजना योजना एवं डिजाइन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण द्वारा सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।"

इसीएल में "सतत विकास प्रकोष्ठ" का गठन किया गया है, जो कंपनी द्वारा समग्र रूप से किए गए विभिन्न पर्यावरणीय शमन उपायों की योजना बनाने, दिशानिर्देश तैयार करने, समय-समय पर निगरानी एवं मूल्यांकन करने के लिए नए विचारों को सृजित करने की दिशा में काम करता है। पर्यावरणीय शमन उपायों को सही एवं टिकाऊ तरीके से करने से आस-पास के क्षेत्रों में काम करने वाले तथा निवास करने वाले लोगों को एक बेहतर वातावरण मिलेगा और देश में कोयला क्षेत्र की समग्र छवि में भी सुधार होगा।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व:

हमारी सीएसआर गतिविधियां हमारे व्यापार का एक अभिन्न अंग है। हम ईसीएल के 25 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों, विशेष रूप से वंचित, भू-वंचित (लैंड-लूजर) और परियोजना प्रभावित लोगों (पीएपी) लोगों के लिए कल्याणकारी उपाय करने के साथ-साथ कई सामाजिक योजनाएं भी चलाते हैं। सीआईएल-सीएसआर नीति के प्रावधान के अनुसार, निधि का 80% ईसीएल मुख्यालय/क्षेत्र/परियोजना के 25 किमी के दायरे में उपयोग किया जाता है और शेष 20% राज्य/ राज्य के परिचालन क्षेत्र के अंदर खर्च किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि समाज के गरीब और जरूरतमंद वर्ग अपने विकास एवं संधारणीयता के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। वर्ष के दौरान शिक्षा के प्रचार-प्रसार, सार्वजनिक स्वास्थ्य और दिव्यांगजनों के कल्याण, कौशल विकास तथा महिला सशक्तिकरण इत्यादि से संबंधित सीएसआर गतिविधियाँ की गईं। वर्ष के दौरान ₹ 11.48 करोड़ सीएसआर गतिविधियों पर खर्च किया गया था।

कल्याण:

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी ने अपने कर्मचारियों और उनके बच्चों के लिए जीवन स्तर, चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तथा शैक्षिक सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए ₹ 255.76 करोड़ का खर्च किया. ईसीएल ने 2019-20 से 'सीआईएल छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता के लिए ऑनलाइन पोर्टल' शुरू किया है, जो कोल इंडिया लिमिटेड में पहली बार है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कंपनी ने 435 छात्रों को 11,02,380.00 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की है।

सुरक्षा:

हमने हमेशा सुरक्षा की दिशा में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, जिसे ईसीएल में मुख्य उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है। सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए ईसीएल ने वर्ष के दौरान कई उपायों का सख्ती से पालन किया है। सभी कार्यस्थलों पर सुरक्षा वार्ता शुरू की गई है, जिसमें संबंधित जमीनी स्तर के कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा भूमिगत कार्य स्थाल शामिल हैं। जनवरी-फरवरी, 2020 में कंपनी की सभी खदानों में सुरक्षा सप्ताह मनाया गया था जिसमें हाउस कीपिंग में सुधार की दिशा में विशेष ध्यान देते हुए हर खदान की सुरक्षा की स्थिति का मूल्यांकन किया गया।

खानों में सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सड़क मार्च का आयोजन किया गया है। सभी विशिष्ट स्थानों पर सुरक्षा के आग्रह और वृद्धि से संबंधित बैनर और पोस्टर प्रदर्शित किए गए हैं। कई सुरक्षा अभियान (12 विशिष्ट विषयों पर) वार्षिक कैलेंडर के अनुसार आयोजित किए गए। हाल ही में ईसीएल की खदानों में हुई दुर्घटना के आधार पर एनिमेटेड फिल्म तैयार करने में ईसीएल सभी अनुषंगी कंपनियों में पहले स्थान पर रहा है। यह वीटी केंद्रों पर जागरूकता और एक प्रशिक्षण उपकरण के रूप में नियमित प्रदर्शित की जाती हैं।

10650 हल्के एलईडी कैप लैंप खरीदे गए हैं और भूमिगत खदानों में प्रदान किए गए हैं। अन्य 15,000 खरीद की प्रक्रिया में हैं। इसके साथ ही कंपनी के सभी भारी लेड-एसिड बैटरी वाले कैप लैंप को एलईडी कैप लैंप से बदल दिया जाएगा। ईसीएल तकनीकी रूप से सुरक्षित एलईडी कैप लैंप द्वारा सभी पुराने कैप लैंप को बदलने वाली पहली कंपनी है। एलईडी कैप लैंप 60% हल्का है और अधिक रोशनी देता है इसलिए खनिकों की दक्षता और सुरक्षा में सुधार करता है

ऊर्जा संरक्षण:

वर्ष के दौरान ईसीएल ने अधिकांश भूमिगत खदानों में विद्युत कारकों में सुधार के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया है। विभिन्न रेटिंग के कैपेसिटर बैंकों की खरीद की गई है और दोनों इकाइयों -कम पावर फैक्टर और मांग अनुबंध की मांग से अधिक में स्थापित किया गया है। ईसीएल का औसत पावर फैक्टर अब 0.95 है। इससे वास्तव में उन बिंदुओं की औसत ऊर्जा खपत घटी है और मांग में कमी हुई है।

औद्योगिक संबंध:

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान औद्योगिक संबंध कंपनी में शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण रहा है। ईसीएल में 'प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी' का अनुपालन कंपनी के विभिन्न स्तरों पर पूरी तरह से किया जाता है। कॉर्पोरेट, क्षेत्र और परियोजना/इकाई स्तर पर संयुक्त सलाहकार समितियां संचालित हैं। संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) की बैठकों में उत्पादन, उत्पादकता, आदि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इसके अलावा, अन्य समिति/ बोर्ड, कंपनी सुरक्षा बोर्ड, क्षेत्रीय सुरक्षा समिति और कोलियरी सुरक्षा समिति, कल्याण बोर्ड आदि भी हमारी कंपनी में कार्य कर रहे हैं। उक्त समितियों में प्रमुख ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि शामिल हैं, जिससे प्रबंधन एवं कर्मचारियों के बीच विश्वास और सद्भावना बढ़ती है और इसके अलावा कंपनी में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बहाल होती हैं।

कारपोरेट प्रशासन:

ईसीएल अपने संचालन के सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता, स्पष्टता एवं जवाबदेही और निष्पक्षता के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और अपने सभी हितधारकों को सभी प्रकार की भौतिक जानकारी संतुलित और समय पर देने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ अपने सभी हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करता है और उनके हितों का संरक्षण करता है। कंपनी में जोखिम को कम करने के लिए आंतरिक नियंत्रण की एक सक्षम प्रणाली मौजूद है और रणनीति के कार्यान्वयन में प्रबंधन को निरीक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सच्चे मन एवं भावना के साथ मौजूदा कानूनों, अधिनियमों एवं नियमों का पालन किया जाता है। भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिये गए दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक एक अलग अनुच्छेद बोर्ड की रिपोर्ट में जोड़ा गया है और सांविधिक लेखा परीक्षकों से एक अनुपालन प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है। वर्ष 2018-19 के लिए आपकी कंपनी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्षेत्र में डीपीई द्वारा उत्कृष्ट रेटिंग दी गई थी। स्व-मूल्यांकन के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भी, आपकी कंपनी को कॉरपोरेट गवर्नेंस अनुपालन में उत्कृष्ट रेटिंग पर रहेगी।

कोविड-19 और महाचक्रवात-अम्फान से निपटना:

आपकी कंपनी हमेशा समाज से जुड़ी रही है और हाशिए के तबके की मदद के लिए ऐसा करती रहती है। महामारी "कोविड-19" के प्रसार से उत्पन्न इस कठिन समय में, आपकी कंपनी इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रही है और हितधारकों को सहायता प्रदान कर रही है। महामारी से उत्पन्न स्थिति से संयुक्त रूप से लड़ने के लिए जरूरतमंदों को भोजन और खाद्यान्न उपलब्ध कराने से लेकर स्थानीय प्रशासन को आर्थिक मदद मुहैया कराने तक कई उपाय किए गए हैं। समाज के सभी वर्गों की जरूरतों का ध्यान रखा गया। एक अच्छा कॉर्पोरेट नागरिक होने के नाते ईसीएल ने कोयला खनन बिरादरी के तीन 'सी (Cs)' यानी सहकर्मी, कोलियरी और समुदाय की सुरक्षा पर लगातार ध्यान केंद्रित किया है। सीएसआर गतिविधि के एक भाग के रूप में, आसनसोल रेलवे स्टेशन पर तीन श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के यात्रियों के बीच लगभग 4800 भोजन के पैकेट और पानी की बोतलें वितरित की गई हैं।

सुपर साइक्लोन "अम्फान " 20.05.2020 और 21.05.2020 को आया था जिसके परिणामस्वरूप आंधी और तेज गति वाली हवाओं के साथ भारी वर्षा हुई और लंबे समय तक बिजली गुल हो गई। एक जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक के रूप में ईसीएल ने पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर अपनी मदद का हाथ बढ़ाया ताकि सुपर साइक्लोन "अम्फान " के कारण उत्पन्न संकट की स्थिति से छुटकारा पाया जा सके।.

मैं कोल इंडिया लिमिटेड, कोयला मंत्रालय, अन्य केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों, रेलवे, बैंकरों, सभी कर्मचारियों, ट्रेड यूनियनों, उपभोक्ताओं, आपूर्तिकर्ताओं को उनके सतत समर्थन एवं अथक सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

(प्रेम सागर मिश्रा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआइएन-07379202

सांकतोड़िया
दिनांक: 19 अगस्त, 2020

निदेशकों का परिचय

श्री प्रेम सागर मिश्रा (55) (डीआईएन-07379202), 20 अगस्त, 2018 से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक हैं।

उन्होंने वर्ष 1987 में धनबाद के इंडियन स्कूल ऑफ माइंस से अपनी बी. टेक (खनन) की डिग्री प्राप्त की और वर्ष 1990 में फर्स्ट क्लास सक्षमता प्रमाणपत्र प्राप्त किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुरिडिकल साइंसेज (एनयूजेएस) से बिजनेस लॉ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्राप्त किया है। वर्तमान में वे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी (सीएमए) कर रहे हैं। वे आईआईटी (आईएसएम) धनबाद से प्रबंधन अध्ययन में पीएच.डी भी कर रहे हैं। उनके शोध का विषय है - "इंपैक्ट असेसमेंट ऑफ कॉरपोरेट सोशल रेसपोंसिबिलिटी इनीसिएटिव्स – ए केस स्टडी ऑफ माइनिंग इंडस्ट्री इन इंडिया।"

उन्होंने वर्ष 1987 में एसईसीएल में नौकरी की शुरुआत की और सोलह वर्षों से अधिक समय तक एसईसीएल की कई खानों में विभिन्न प्रबंधकीय पदों पर कार्य किया। उन्होंने लगभग पांच वर्षों तक सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की विभिन्न खुली खदानों में उप मुख्य खनन अभियंता / परियोजना अधिकारी के रूप में भी काम किया। जून, 2008 में बीसीसीएल में स्थानांतरित होने पर, उन्होंने अन्य पदों के साथ-साथ महाप्रबंधक, ब्लॉक II क्षेत्र और महाप्रबंधक, बरोरा क्षेत्र के रूप में काम किया। उन्हें नवंबर, 2015 में उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के निदेशक (उत्पादन और योजना) के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्री मिश्रा ने आईआईएम, कलकत्ता, सेंट गैलेन विश्वविद्यालय, स्विट्जरलैंड और 2014 में एसेस बिजनेस स्कूल पेरिस, फ्रांस में आयोजित एडवांस प्रबंधन कार्यक्रम में भाग लिया है। श्री मिश्रा विश्व खनन कांग्रेस 2011 में भाग लेने के लिए इस्तांबुल (तुर्की) गए कोल इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधिमंडल का भी हिस्सा थे। उन्होंने प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद में प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा आईआईसीएम द्वारा एलबीएसएनएए, मसूरी में संचालित एडवांस प्रबंधन कार्यक्रमों में भी भाग लिया है । उन्होंने विभिन्न नेतृत्व विकास, निर्णय लेना, परियोजना प्रबंधन और अन्य प्रबंधकीय और तकनीकी विषयों से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं भाग लिया है।

श्री मिश्रा राष्ट्रीय कार्मिक प्रबंधन संस्थान (एनआईपीएम), भारतीय सामग्री प्रबंधन संस्थान (आईआईएमएम), भारतीय खान प्रबंधक संघ (आईएमएमए), भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), भारतीय खनन और इंजीनियरिंग फोरम के एक सक्रिय सदस्य तथा इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के फेलो (एफआईई) भी हैं। वह 2010 से 2014 तक आईएसएम एलुमनी एसोसिएशन के महासचिव तथा 2011 से 2015 तक एमजीएमआई, धनबाद शाखा के महासचिव रहे हैं। उन्होंने विभिन्न स्तरों पर कई सम्मेलन और सेमिनारों का संचालन एवं आयोजन किया है।

श्री मिश्रा एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उत्कृष्ट रहे हैं और उन्हें ओवर-ऑल परफॉर्मेंस, उत्पादन, सुरक्षा, लाभ, स्टॉक लिक्विडेशन, ओवरबर्डन निष्कासन तथा पारिस्थितिकी पुनरुद्धार के लिए कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बीसीसीएल के बरोरा क्षेत्र में कोल टूरिज्म की परिकल्पना की और उसका क्रियान्वयन भी किया। उन्हें विभिन्न शैक्षणिक और अन्य संस्थानों द्वारा व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाता रहा है।

श्री मिश्रा ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की कार्य प्रक्रिया में बदलाव लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व के तहत, ईसीएल में विभिन्न मिशन शुरू किए गए हैं, जिनका उद्देश्य कंपनी की छवि को नया रूप देना है।

श्री मिश्रा ने वाद-विवाद, आशु-भाषण, भाषण कला, निबंध लेखन, एथलेटिक्स और अन्य पाठ्येतर गतिविधियों में कई पुरस्कार जीते हैं। उन्हें फरवरी 2019 में वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस द्वारा प्रतिष्ठित " सीईओ विद एचआर ओरिएंटेशन" पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें जनवरी, 2020 में इंडियन माइन मैनेजर्स एसोसिएशन (आईएमएमए) "एक्सीलेंस अवार्ड" से सम्मानित किया गया है। पिछले दिनों, मार्च 2020 में , "इकोनॉमिक ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज" ने श्री मिश्रा को "लीडरशिप इनोवेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2020 और उद्योग रतन अवार्ड" जैसे सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया है।

श्री अनिमेष भारती (54) (डीआईएन-07260983), आर्थिक सलाहकार, कोयला मंत्रालय, दिनांक 17.03.2020 से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के बोर्ड में एक सरकारी नामित निदेशक है। वह 15.07.2015 से 17.03.2020 तक वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के बोर्ड में भी सरकारी नामित निदेशक थे। श्री भारती वर्ष 1993 में भारतीय आर्थिक सेवा में शामिल हुए। उन्होंने केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में वरिष्ठ प्रबंधकीय पदों पर काम किया है जैसे औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, लघु और मध्यम उद्योग, आवास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय भवन संगठन आदि।

श्री संजीव सोनी (59) (डीआईएन-08173548), निदेशक (वित्त), ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का जन्म 18 जून 1961 को हुआ था। श्री सोनी 10.07.2019 को कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक (वित्त) के रूप में शामिल हुए। श्री सोनी ने सेंट जेवियर्स कॉलेज, कोलकाता से स्नातक किया और वे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया तथा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। श्री सोनी के पास 32 से अधिक वर्षों का विस्तृत अनुभव है और उन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए कोयला उद्योग की सेवा की है।

श्री सोनी 27.05.1986 को सीएमपीडीआईएल में कार्यभार ग्रहण किया। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक (वित्त) के रूप में पदभार ग्रहण करने से पहले, उन्होंने डब्ल्यूसीएल मुख्यालय, नागपुर में महाप्रबंधक (वित्त), आईएडी के रूप में काम किया है। अपने पेशेवर कैरियर के दौरान श्री सोनी ने सीएमपीडीआई में विभिन्न पदों पर काम किया। वह यूएनडीपी / जीईएफ / जीओआई- कोल बेड मीथेन रिकवरी एंड यूटिलाइज़ेशन परियोजना के लिए सीएमपीडीआई /बीसीसीएल / जीओआई/ यूएनडीपी द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किए गए वित्त समारोह के प्रभारी थे। डब्ल्यूसीएल में आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के प्रमुख रहते हुए श्री सोनी ने सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में कई पहलें कीं।

उन्होंने साबीएम परियोजना कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2004 में वियना, ऑस्ट्रिया तथा पीडीएसी 2019 के लिए कोल इंडिया प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रुप में टोरंटो, कनाडा का दौरा किया है।

श्री प्रवीण कांत (66) (डीआईएन-00282716), ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक हैं। वे 1976 से मैसर्स पी. के. माहेश्वरी एंड कंपनी, नई दिल्ली में पार्टनर के रूप में एक सक्रिय लेखा परीक्षक हैं। उनके पास निजी कंपनियों के साथ-साथ एनटीपीसी, सेल, नेशनल हाउसिंग बैंक, बैंकों और बीमा कंपनियों जैसे सरकारी संगठनों के लेखा परीक्षण में 44 वर्षों से अधिक का अनुभव है।

वह एक वित्तीय सलाहकार के रूप में स्थापना से लेकर अंतिम रूप देने तक कई परियोजनाओं से जुड़े रहे हैं। उन्हें आंतरिक लेखा परीक्षा, कराधान और कंपनी मामलों के क्षेत्र में भी अनुभव है। वह वर्तमान में विभिन्न निजी कंपनियों में निदेशक हैं। उन्हें 13.12.2018 से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री अनिल गनेरीवाला (62) (DIN-06372875), का जन्म सिरसा, हरियाणा में वर्ष 1957 में हुआ था। अपनी बीएससी की डिग्री पूरी करने के बाद, उन्होंने वनस्पति विज्ञान और वानिकी में परास्नातक किया और बाद में उन्होंने लोक प्रशासन में एम. फिल भी किया। वह वर्ष 1986 में भारतीय वन सेवा (IFS) में शामिल हुए और 31 वर्षों की प्रतिष्ठित सेवा के बाद वर्ष 2017 में सिक्किम सरकार के संस्कृति विभाग के प्रधान सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए।

उन्होंने ग्रामीण विकास, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन और आयुष जैसे भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के तहत उप सलाहकार, उप सचिव, निदेशक और संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया है। उनके पास प्रशासन और सतर्कता मामलों में व्यापक अनुभव है।

उन्होंने 2006 से 2008 तक नई दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर, सिक्किम सरकार के रूप में काम किया है।

उन्होंने 2008-2012 के दौरान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, सिक्किम सरकार के रूप में भी कार्य किया। इस अवधि के दौरान उन्होंने सड़क, आवास, जल आपूर्ति, स्वच्छता और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों और योजनाओं जैसे विभिन्न बड़े पैमाने की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का पर्यवेक्षण और निगरानी की।

वर्ष 2012 में उन्हें भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने 2017 तक मंत्रालय में अपनी सेवाएं दी। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत और विदेश दोनों जगह भारतीय दवाओं की पारंपरिक प्रणालियों की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवधि के दौरान, उन्होंने भारतीय चिकित्सा औषधि निगम लिमिटेड (आईएमपीसीएल) के बोर्ड में भी कार्य किया। वर्तमान में वह 10.07.2019 से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं।

श्री जयप्रकाश गुप्ता (58) (डीआईएन-08174002), ने 18.06.2018 को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) परियोजना और योजना का कार्यभार संभाला।

श्री गुप्ता बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU / IIT) से 1983 में खनन इंजीनियरिंग में बी. टेक स्नातक किया और उन्होंने साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में जूनियर एक्जीक्यूटिव ट्रेनी के रूप अपने कैरियर की शुरुआत की। उन्होंने एसईसीएल में लगभग 23 वर्षों तक विभिन्न पदों पर कार्य किया और फिर वर्ष 2006 में मुख्य प्रबंधक (खनन) के रूप में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में स्थानांतरित हो गए। उन्होंने 12 वर्षों तक बीसीसीएल में परियोजना अधिकारी और विभिन्न क्षेत्रों में महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया।

उन्हें वर्ष 1998 में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की ओर से थिक सीम वर्किंग में केबल बोल्ट सपोर्ट सिस्टम विकसित करने के लिए इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस विकास के लिए उन्हें एसईसीएल में सम्मानित भी किया गया था। परियोजना पदाधिकारी के रूप में कार्यरत रहते हुए उन्होंने चिरमिरी, एसईसीएल की एनसीपीएच कोलियरी की आर. वी. वर्जिन सीम में निर्धारित समय में सभी प्रमुख विकास गतिविधियों को पूरा करके कंटीन्यूअस माइनर लगाया, जिससे खदान की क्षमता में भूमिगत खनन से 01 एमटी से अधिक तक की वृद्धि हुई। श्री गुप्ता के नेतृत्व में सिजुआ क्षेत्र, बीसीसीएल की परियोजना तेतुलमारी में पारिस्थितिक बहाली पर पहली पायलट परियोजना, देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान के तकनीकी मार्गदर्शन में आरंभ की गयी। इस परियोजना को 2014 में सीआईएल स्थापना दिवस के अवसर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। श्री गुप्ता की

सीएसआर गतिविधियों में गहरी रुचि है। उनके नेतृत्व में और झारखंड सरकार की तकनीकी मदद से गरेडिया, महुलीडीह गाँव की 50 से अधिक महिलाओं ने हथकरघा बुनाई और कपड़ा निर्माण का प्रशिक्षण प्राप्त किया है जो झारखंड सरकार की एक फर्म झारक्राफ्ट द्वारा कुछ पारिश्रमिक देकर लिया जाता है।

उनके सक्षम मार्गदर्शन में, 21.05.2019 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हुरा सी ओसीपी और चित्रा ईस्ट ओसीपी की चरण- II की वन मंजूरी प्रदान की गयी। साथ ही, 22.03.2020 को राजमहल, ईसीएल का विस्तार 17 मिलियन टन वार्षिक से 23.80 मिलियन टन वार्षिक तक हो गया। ये परियोजनाएं ईसीएल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भविष्य में योगदान देंगी।

उनके प्रगतिशील नेतृत्व में सोनपुर बाजारी ओसी और झांझरा यूजी जैसी परियोजनाओं में वर्ष 2019-20 के दौरान क्रमशः 10.70% और 3.70% की वृद्धि के साथ सबसे अधिक उत्पादन हुआ, जिसने सकारात्मक वृद्धि के साथ कंपनी के 50.401 मिलियन टन के उत्पादन को प्राप्त करने में मुख्य योगदान दिया।

उन्होंने एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए वर्ष 2011 में चीन का दौरा किया भी किया है। उनके पास भूमिगत खदान मशीनीकरण और ओपनकास्ट खनन दोनों में व्यापक अनुभव है।

श्री विनय रंजन (49) (डीआईएन-03636743), अगस्त 2018 में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक (कार्मिक) के रूप में शामिल हुए। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में पदभार ग्रहण करने से पहले, श्री विनय रंजन मुंबई स्थित दैनिक भास्कर समूह की एक कंपनी डीबी पावर लिमिटेड के कॉर्पोरेट उपाध्यक्ष और मानव संसाधन प्रमुख का पदभार संभाल रहे थे।

श्री विनय रंजन को सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में काम करने का व्यापक अनुभव है। नवरत्न पीएसयू विदेश संचार निगम लिमिटेड में शुरुआती वर्षों के बाद, उन्होंने वीएसएनएल के टाटा ग्रुप कंपनी में विनिवेश प्रक्रिया के परिणामस्वरूप संक्रमण देखा। उनके पास कॉर्पोरेट भूमिकाओं में रिलायंस और जेएसडब्ल्यू समूह के बड़े कॉरपोरेट घरानों में भी अच्छा कार्यानुभव है।

श्री रंजन के पास प्रतिभा अधिग्रहण, प्रतिभा प्रबंधन, प्रदर्शन प्रबंधन, नियोक्ता ब्रांडिंग, मुआवजा प्रबंधन, उद्यम संसाधन योजना, परिवर्तन प्रबंधन, कर्मचारियों को काम पर लगाए रखने, औद्योगिक संबंध और प्रशिक्षण एवं विकास में करीब 25 साल का व्यापक कार्य अनुभव है। उन्होंने विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विदेशी संस्थाओं के लिए एचआर सपोर्ट को सफलतापूर्वक बढ़ाया है। उन्होंने दो पूर्ण जीवन चक्र के सैप एचआर (SAP HR) कार्यान्वयन के लिए टीम का नेतृत्व किया, पहला टाटा कम्युनिकेशन, पूर्ववर्ती वीएसएनएल में कार्यान्वयन साझेदार टीसीएस के साथ और उसके बाद टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड में एक और चक्र के लिए उनकी विशेषज्ञता के कारण प्रतिनियुक्ति की गई।

वह एक ऐसे प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता हैं जिसके पास विकास करने की क्षमता है और उन्होंने कुशल और अत्यधिक उत्पादक कार्यबल का नेतृत्व किया है। उन्हें अपने उत्कृष्ट हितधारक प्रबंधन कौशल और उच्च गुणवत्ता के साथ सेवा वितरण तथा निष्पादन के उच्च स्तर के साथ सहानुभूति के लिए जाना जाता है।

श्री रंजन प्रतिष्ठित इनसीड (INSEAD) बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र हैं और उन्होंने फ्रांस के फॉनटेनब्लयू से सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम उत्तीर्ण किया है। वह भौतिकी में ऑनर्स स्नातक हैं और कार्मिक प्रबंधन और औद्योगिक संबंध में पूर्णकालिक पीजी डिप्लोमा धारक हैं।

श्री रंजन को विभिन्न मानव संसाधन मंचों तथा भारत भर के अधिकांश अग्रणी बी स्कूल कैम्पस में बोलने का गौरव प्राप्त है। वह वर्तमान में एनआईपीएम, आसनसोल चैप्टर के अध्यक्ष और नेशनल एचआरडी नेटवर्क, मुंबई चैप्टर के आजीवन सदस्य हैं। श्री रंजन को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए विभिन्न मंचों पर पहचान मिली है, जैसे कि डीबी पावर में उनके कार्यकाल के लिए एशिया का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता ब्रांडिंग अवार्ड, सीएचआरओ ऑफ़ द इयर और प्राइड ऑफ़ एचआर प्रोफेशनल्स (पीएसयू)।

निदेशक (कार्मिक) के रूप में, ईसीएल में लंबे समय से लंबित कानूनी मामलों को संभालने के लिए उनका योगदान उल्लेखनीय है और उनके नेतृत्व में कंपनी ने अदालती मामलों की संख्या में काफी महत्वपूर्ण कमी दर्ज की है। वह विधायी निकायों द्वारा जारी सांविधिक मानदंडों / दिशानिर्देशों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हैं। कर्मचारियों और समाज के कल्याण की ओर उनका ध्यान काफी सराहनीय है। उन्होंने सीएसआर गतिविधियों के उच्च प्रभाव को लागू करने पर जोर दिया और प्रत्येक हितधारक तक पहुंचने का प्रयास किया है।

श्री बी वीरा रेड्डी (55) (डीआईएन-08679590), दिनांक 01.01.2020 से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) संचालन के पद पर हैं। उन्होंने कोथागुडेम स्कूल ऑफ माइंस (केएसएम), उस्मानिया विश्वविद्यालय (ओयू) से विशिष्टता के साथ वर्ष 1986 में बी. टेक (खनन) तथा और 2000 में एम. टेक (खनन) की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने वर्ष 1990 में प्रथम श्रेणी का सक्षमता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया। वह आईआईटी (आइएसएम), धनबाद से "इंपैक्ट ऑफ जियोटेक्लीकल फैक्टर्स अफैक्टिंग दि स्ट्राटा बिहेवियर ऑफ लांगवाल पैनल्स ऑफ गोदावरी वैली कोलफील्ड्स - ए केस स्टडी" विषय पर पीएचडी भी कर रहे हैं।

उन्होंने वर्ष 1987 में सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) से जुड़कर प्रतिष्ठित यांत्रीकृत भूमिगत और खुली खदानों में विभिन्न पदों पर काम किया और एससीसीएल की परियोजना योजना को शामिल किया। उनके पास कोयला खनन, योजना, खरीद, संचालन और ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के ग्राउंडिंग में लगभग 32 वर्षों का अनुभव है। वह परियोजना अधिकारी थे जो बाद में प्रतिष्ठित एडरियाला लोंगवॉल परियोजना (स्वचालित उच्च क्षमता वाली लोंगवॉल), एससीसीएल के महाप्रबंधक बने और ईसीएल के निदेशक (तकनीकी) का पदभार संभालने से पहले यहीं

महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। इस परियोजना में 2014 में भारत में पहली बार कई प्रौद्योगिकियों की सफलतापूर्वक शुरूआत की गयी और वर्ष 2019-20 में लगभग 2.06 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया गया है।

श्री रेड्डी को वर्ष 2001 में सर्वश्रेष्ठ अधिकारी का पुरस्कार और एससीसीएल में वर्ष 2007 का सर्वश्रेष्ठ सिंगारेरियन पुरस्कार (सर्वोच्च क्रम) मिला। उन्होंने यूके और फ्रांस (1994), ऑस्ट्रेलिया (2005 और 2016), चीन (2009), पोलैंड (2010), चेक गणराज्य (2010), ऑस्ट्रिया (2010), स्पेन (2010), जर्मनी (2010, 2012 और 2013) और कनाडा पीडीएसी (2020) जैसे विभिन्न देशों में अत्यधिक उत्पादक खादानों के प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने आईआईएम-अहमदाबाद और अन्य प्रबंधन संस्थानों में आंतरिक प्रशिक्षण में भी भाग लिया है।

उन्होंने लगभग 30 तकनीकी पत्र भी लिखे हैं जिन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/ पत्रिकाओं/ सेमिनारों/ कार्यशालाओं (ऑस्ट्रेलिया-2005, यूएसए-2017, चीन-2018) में प्रकाशित/प्रस्तुत किया गया। श्री रेड्डी माइनिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एमईएआई), इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (आईई) और इंडियन सोसायटी फॉर रॉक मैकेनिक्स एंड टनलिंग (आईएसआरएमटी) जैसे विभिन्न पेशेवर निकायों के सदस्य भी हैं।

श्री गौतमचंद्र डे (58) (डीआईएन-08725907), ने 3 फरवरी 2020 को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक (वित्त) का कार्यभार संभाला है। इससे पहले उन्होंने 02.03.2019 से भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के महाप्रबंधक (वित्त) के रूप में काम किया। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य भी हैं। श्री गौतम चंद्र डे के पास 31 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है और उन्होंने विभिन्न पदों पर कोयला उद्योग की सेवा की है।

श्री डे जनवरी 1989 में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में शामिल हुए। अपने पेशेवर करियर के दौरान, श्री डे ने सिस्टम विभाग के साथ मिलकर काम किया और रेल एवं सड़क बिक्री, ठेका परिवहन, कर्मचारियों की आयकर गणना आदि से संबंधित विभिन्न वित्तीय आउटपुट सृजन में प्रणाली के माध्यम से समय और लागत बचाने के लिए परेशानी मुक्त प्रभावी नियंत्रण उपायों की शुरुआत की। नवंबर 2010 में आईपीओ/लिस्टिंग के समय कोल इंडिया लिमिटेड के रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस में वित्तीय विवरण में शामिल करने के लिए बीसीसीएल के पांच वर्षों के खातों को पुनः दर्ज करने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। श्री डी ने झारखंड और बिहार में चार नए कोयला ब्लॉक वाले क्षेत्र विक्रमशिला के वित्त-प्रभारी का भी कार्य किया है। वह कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सीएमपीडीआईएल के साथ गहन समन्वय में जारी किए गए खदान संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में खदान बंद करने की योजना की वित्तीय जांच में भी शामिल रहे हैं और उन्होने बीसीसीएल में एमसीपी के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

श्री उत्पल कांति बल (57), 1988 बैच के एक आईआरटीएस अधिकारी हैं। वह आईआईटी खड़गपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरिंग में बी. टेक हैं। रेलवे में शामिल होने से पहले, उन्होंने ओएनजीसी में भी काम किया है।

रेलवे में, उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है और रेलवे परिचालन में व्यापक अनुभव हासिल किया है। उन्होंने मुख्य माल परिवहन प्रबंधक / नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे / मालीगांव, मुख्य परिवहन योजना प्रबंधक /पू. रे., अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक / सियालदह / पू. रे., वरिष्ठ उप महाप्रबंधक / पू. रे. के रूप में काम किया है। प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक (PCOM) / पू. रे. के रूप में पदभार ग्रहण करने से पहले उन्हें प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक / द. पू. म. रे / बिलासपुर के रूप में तैनात किया गया था, जो भारतीय रेलवे का उच्चतम माल लदान क्षेत्र है। उन्होंने सिंगापुर और मलेशिया में प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में
सदस्य
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
देवियों और सज्जनों,

मैं निदेशक मंडल की ओर से, अत्यन्त प्रसन्नता के साथ आपकी कंपनी के कारोबार पर 45वीं वार्षिक रिपोर्ट 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अंकेक्षित लेखाबही, वैधानिक लेखा परीक्षकों व सचिवीय लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उन पर प्रबंधन के जवाब के साथ ही साथ अंकेक्षित लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ प्रस्तुत करता है।

विशेष उपलब्धियाँ :

क. 50.401 मि. ट. की उपलब्धि के साथ कंपनी की स्थापना के बाद से एक वर्ष में सबसे अधिक कोयला उत्पादन।

ख. एक दिन में सबसे अधिक उत्पादन का रिकॉर्ड 2.54 लाख टन था, जिसे 31 मार्च 2019 को प्राप्त किया गया था। 31 मार्च 2020 को 2.63 लाख टन के उत्पादन के साथ ईसीएल ने पहले के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जो कंपनी की स्थापना के बाद से एक दिन में सबसे अधिक उत्पादन है।

ग. 140.455 मि. घन मीटर की उपलब्धि के साथ कंपनी की स्थापना के बाद से एक साल में सबसे अधिक मलवा (ओबी) निष्कासन।

घ. 14.54 मि. घन मीटर की उपलब्धि के साथ दिसंबर 2019 में कंपनी की स्थापना के बाद से एक महीने में सबसे अधिक मलवा (ओबी) निष्कासन।

ङ. पिछले 8 वर्षों से भूमिगत खदानों से कोयला उत्पादन में निरंतर सकारात्मक वृद्धि हासिल करना।

च. स्थापना के बाद पहली बार राजमहल खुली खदान परियोजना से 17 मि.टन वार्षिक के लक्ष्य से अधिक 17.38 मि.टन उत्पादन की उपलब्धि हांसिल की।

छ. स्थापना के बाद पहली बार सोनेपुर बाजारी खुली खदान परियोजना से 11.1 मि.टन के उत्पादन के साथ लक्ष्य से अधिक उत्पादन हुआ।

ज. झांझरा भूमिगत खदान ने पहली बार 3.5 मि.टन का उत्पादन लक्ष्य हासिल किया और इसके साथ ही भारत की सबसे अधिक उत्पादन वाली यंत्रीकृत भूमिगत कोयला खदान बनी रही।

झ. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने सार्वजनिक उपक्रम विभाग, भारत सरकार द्वारा 25 अगस्त 2019 को यथा-प्रकाशित 2018-19 के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन में "उत्कृष्ट" ग्रेडिंग प्राप्त की है।

1.0 उत्पादन:

1.1 गत वर्ष की तुलना के साथ ही लक्ष्य के मुकाबले वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी का उत्पादन निष्पादन निम्नलिखित है:

विवरण	इकाई	2019-20			2018-19	पिछले साल से अधिक विकास	
		लक्ष्य	वास्तविक	प्राप्ति (%)	वास्तविक	शुद्ध	%
1. उत्पादन :							
i) कच्चा कोयला -भूमिगत		9.250	9.206	99.52	9.061	0.145	1.60
-खुली खदान		44.250	41.195	93.10	41.099	0.096	0.23
कुल		53.500	50.401	94.21	50.160	0.241	0.48
ii) कोकिंग कोल	मि. टन						
- मिश्रित		0.000	0.000	-	0.000	0.000	-
- अन्य		0.026	0.026	100.00	0.029	-0.003	-10.34
iii) गैर-कोकिंग		53.474	50.376	94.21	50.131	0.245	0.49
2. मलवा (ओबी) निकासी	घन मी.	155.00	140.455	90.62	126.056	14.399	11.42
3. उत्पादकता (ओएमएस)							
- भूमिगत		0.814	0.824	101.23	0.781	0.043	5.51
- खुली खदान	टन	19.428	17.358	89.35	17.019	0.339	2.00
- समग्र		3.924	3.722	94.85	3.580	0.142	3.97

1.2 कोयला उत्पादन में आयी बाधाएँ:

क्र. सं.	उत्पादन में कमी का कारण	मात्रा (मि. टन)
1	भूमि अधिग्रहण	2.020
2	वर्षा के कारण जल जमाव	0.923
3	औद्योगिक संबंध की समस्या	0.080
4	मशीन ख़राब होना	0.040
5	अन्य	0.030
	कुल	**3.093**

1.3 पद्धति (सिस्टम) क्षमता का उपयोग:

(आंकड़े प्रतिशत में)

विवरण	2019-20			2018-19
	लक्ष्य	वास्तविक	प्राप्ति (%)	वास्तविक
क) भूमिगत	92.463	92.013	99.51	91.764
ख) खुली खदान (विभागीय) उत्खनन	75.058	64.568	86.02	69.272
ग) खुली खदान (भाड़े का) उत्खनन	103.114	93.658	90.83	91.531
घ) खुली खदान (विभागीय +भाड़े का) उत्खनन	96.444	86.760	89.96	85.845
ङ) कुल भूमिगत + खुली खदान (विभागीय)	77.217	67.973	88.03	72.106
च) समग्र (भूमिगत + खुली खदान) (भाड़े+ विभागीय)	96.315	87.891	91.25	86.151

1.4 वर्ष 2019-20 के लिए एमओयू लक्ष्य प्राप्ति की स्थिति:

क्र. सं.	प्रदर्शन मापदंड	मापन इकाई	वर्ष के लिए लक्ष्य	प्राप्ति
1.	पिछले वर्ष की तुलना में भूमिगत खदानों (विभागीय) की उपकरण क्षमता उपयोगिता में % सुधार।	%	0.60	0.271%
2.	पिछले वर्ष की तुलना में खुली खदानों (विभागीय) की उपकरण क्षमता उपयोगिता में % सुधार।	%	19.00	-5.63%

2.0 वित्तीय परिणाम:

2.1 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए सकल बिक्री कारोबार गत वर्ष के ₹ 18385.03 करोड़ की तुलना में ₹ 18192.36 करोड़ रहा, परिणामतः पिछले वर्ष की तुलना में 1.05% की कमी दर्ज हुई। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी ने पिछले वर्ष की कर-पूर्व कुल व्यापक आय ₹ 1237.00 और कर-पश्चात कुल व्यापक आय ₹ 706.38 करोड़ की तुलना में कर-पूर्व कुल व्यापक लाभ ₹1283.15 करोड़ तथा कर-पश्चात ₹ 834.37 करोड़ का कुल व्यापक लाभ कमाया था। विवरण इस प्रकार है:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2018-19
लाभ (+) / हानि (-) सभी खर्चों को प्रभारित करने के बाद, लेकिन पीआरपी/अधिकारी अधिवर्षता लाभ ब्याज, मूल्यह्रास, हानि, ओबीआर, पूर्वावधि समायोजन से पूर्व	2643.43	2706.65
घटाएं: पीआरपी / अधिकारी अधिवर्षता लाभ का प्रभाव	125.91	120.91
घटाएं: बीमांकिक प्रावधान	334.89	234.42
घटाएं: वित्तीय लागत	178.21	163.10
घटाएं: मूल्यह्रास / हानि	434.35	494.98
घटाएं: ओबीआर समायोजन	286.92	456.24
ब्याज, मूल्यह्रास, हानि और ओबीआर समायोजन के बाद वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		
नकद लाभ	1283.15	1237.00
कर के बाद कुल व्यापक आय	2572.42	2712.13
	834.17	706.38

2.2 पूंजीगत व्यय:

वर्ष 2019-20 के दौरान कुल पूँजीगत व्यय (विनिमय उतार चढ़ाव छोड़कर) गत वर्ष 2018-19 के ₹ 829.96 करोड़ की तुलना में ₹ 894.68 करोड़ रहा।

2.3 पूँजीगत संरचना:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019–20	2018–19
क. शेयर पूंजी		
i) अधिकृत शेयर पूंजी (प्रत्येक ₹ 1000 के 2,50,00,000 इक्विटी शेयर औरप्रत्येक ₹ 1000 के 2,10,00,000 वरीयता शेयर)।	4600.00	4600.00
ii) प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक ₹ 1000 के 2,21,84,500 शेयर)	2218.45	2218.45
iii) अन्य इक्विटी (प्रदत्त 6% गैर-परिवर्तनीय, संचयी, प्रतिदेय वरीयता शेयर, पूर्ण प्रदत्त (प्रत्येक ₹ 1000 के 20509700 शेयर)	855.61	855.61
ख. ऋण निधियां:		
i. निर्यात विकास निगम, कनाडा	171.98	165.55
ii. कम्पाउंड वित्तीय प्रपत्र (वरीयता शेयर) का देयता घटक	1794.99	1662.03

2.4 विदेशी ऋण की चुकौती:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019–20	2018–19
सीआईएल के माध्यम से विदेशी ऋण की चुकौती।	6.61	6.58

2.5 भुगतान / रॉयल्टी, उपकर, वर्ष के दौरान उत्पाद शुल्क और बिक्री कर का समायोजन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20				2018-19			
	पश्चिम बंगाल	झारखंड	केंद्रीय	कुल	पश्चिम बंगाल	झारखंड	केंद्रीय	कुल
i) प. बं. के संबंध में जीएसटी								
क. आईजीएसटी	-	-	161.66	161.66	-	-	166.77	166.77
ख. सीजीएसटी	-	-	26.48	26.48	-	-	32.43	32.43
ग. एसजीएसटी	23.06	-	-	23.06	32.43	-	-	32.43
घ. क्षतिपूर्ति उपकर	-	-	1157.69	1157.69	-	-	1160.54	1160.54
ii) झारखंड के संबंध में								
क. आईजीएसटी	-	-	0.03	0.03	-	-	0.17	0.17
ख. सीजीएसटी	-	-	72.37	72.37	-	-	53.21	53.21
ग. एसजीएसटी	72.37	-	-	72.37	-	53.21	-	53.21
घ. क्षतिपूर्ति उपकर	-	-	835.68	835.68	-	-	813.69	813.69
iii) कोयले पर रॉयल्टी	23.03	644.81	-	667.84	17.67	525.04	-	542.71
iv) आरई और पीई उपकर	1767.72	-	-	1767.72	1587.50	-	-	1587.50
v) एएमबीएच सेस	2.23	-	-	2.23	2.34	-	-	2.34
vi) पी डब्ल्यू और सड़क सेस	-	-	-	-	2.34	-	-	2.34
vii) बिक्री कर (वैट / सीएसटी)	0.29	4.83	-	5.12	-	0.32	-	0.32
viii) स्टोइंग एक्साइज ड्यूटी	-	-	-	-	-	-	-	-
ix) स्वच्छ ऊर्जा उपकर	-	-	-	-	-	-	-	-
x) कोयला पर उत्पाद शुल्क	-	-	10.41	10.41	-	-	0.03	0.03
xi) प्रवेश कर	-	-	-	-	-	-	-	-
xii) प्रबंधन शुल्क	-	1.57	-	1.57	-	2.16	-	2.16
xiii) बाजार शुल्क	-	36.67	-	36.67	-	-	-	-
कुल	**1888.70**	**687.88**	**2264.32**	**4840.90**	**1642.28**	**580.73**	**2226.84**	**4449.85**

2.6 निदेशकों का दायित्व संबंधी अभिकथन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उपधारा (5) के तहत कंपनी के निदेशक मंडल यह पुष्टि करते हैं कि :-

क. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खातों को तैयार करते समय, तथ्यात्मक विसंगतियों से संबंधित समुचित स्पष्टीकरण सहित सभी लागू भारतीय लेखा मानकों का पूर्णतः अनुपालन किया गया है;

ख. निदेशकों ने इस तरह की लेखांकन नीतियों का चयन किया तथा उन्हें लगातार लागू किया और निर्णय लिए एवं अनुमान लगाए जो उचित और विवेकपूर्ण हों ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति तथा उस अवधि के लिए लाभ/ हानि के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके।

ग. निदेशकों ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार समुचित लेखांकन अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी रखी है;

घ. निदेशकों ने वार्षिक खातों को एक लाभकारी कारोबार वाली संस्था के आधार पर तैयार किया है;

ङ. निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जा रहे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का उल्लेख किया तथा ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त थे और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे ; तथा

च. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियों को तैयार किया और इस तरह की प्रणालियां प्रभावी रूप से संचालन के लिए पर्याप्त थीं।

3.0 योजना:

3.1 संचालन के कमान-क्षेत्र:

ईसीएल में कुल 14 संचालित क्षेत्रों में 78 कार्यरत खदानें है जिसमें 49 भूमिगत खदानें, 20 खुली खदानें तथा 9 मिश्रित खदानें हैं।

3.2 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं:

कोल इंडिया लिमिटेड के अनुसंधान एवं विकास अनुदान के तहत वित्तपोषित चल रहे अनुसंधान एवं विकास अनुदान परियोजना के कार्यान्वयन का विस्तृत विवरण **अनुलग्नक- I** में दिया गया है।

3.3 एस एण्ड टी परियोजनाएँ:

कोयला मंत्रालय के एस एण्ड टी अनुदान के अंतर्गत वित्तपोषित चालू एस एण्ड टी अनुसंधान परियोजनाओं के कार्यान्वयन का विस्तृत विवरण **अनुलग्नक- II** में दिया गया है।

3.4 भूमिगत खदानों का आधुनिकीकरण:

भूमिगत खदानों में आधुनिकीकरण तथा यांत्रिकीकरण के स्तर को ऊपर उठाने के क्रम में, 2019-20 तक ईसीएल के 57 खदानों में एलएचडी/ एसडीएल के साथ मध्यवर्ती तकनीक को आरम्भ किया गया। 31.03.2020 को ईसीएल की विभिन्न भूमिगत खदानों में 244 एसडीएल, 40 एलएचडी एवं 134 यूडीएम (प्रारंभिक सर्वे-ऑफ उपकरणों सहित) कार्य कर रहे थे। 2019-20 के दौरान, एसडीएल से 4.17 मिलियन टन, एलएचडी से 1.02 मिलियन टन तथा 02 रोड हेडर (लाँगवाल पैकेज का हिस्सा) से 0.11 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया गया।

झांझरा, सरपी तथा कुमारडीह-बी भूमिगत परियोजना में शटल कार (6 सीट) सहित कन्टीन्यूअस माइनर की स्थापना के साथ "बृहत उत्पादन तकनीक" लागू की गई है और यह सफलता पूर्वक चल रही है। वर्ष 2019-20 में 3 मानक ऊँचाई के कन्टीन्यूअस माइनरों तथा 3 कम ऊँचाई वाले कन्टीन्यूअस माइनरों से 2.43 मिलियन टन उत्पादन किया गया। झांझरा में अगस्त 2016 से लाँगवाल प्रौद्योगिकी सफलता पूर्वक कार्यशील है और वर्ष 2019-20 के दौरान 1.43 मिलियन टन (रोड हेडर छोड़कर) उत्पादन किया गया। कुल मिलाकर भूमिगत कोयला उत्पादन 2018-19 के 9.06 मि. टन से बढ़कर 2019-20 में 1.60% की वृद्धि के साथ 9.21 मि. टन हो गया।

उपरोक्त के अलावा कोयला उद्योग के विविधीकरण / आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

क. कोल बेड मीथेन (सीबीएम): परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट (PFR) तैयार की जा चुकी है और 22.09.2018 को एमडीओ अवधारणा के तहत सतग्राम , कुनुस्तोड़िया और श्रीपुर के पट्टाधारित क्षेत्र को शामिल करते हुए ईसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दी गयी है। सीएमपीडीआईएल ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सुझावों के तहत हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के विचार पर प्रस्ताव एवं मॉडल राजस्व साझा संपर्क को आमंत्रित करते हुए संशोधित नोटिस तैयार किया और ईसीएल को इसकी एक प्रति के साथ ही कोल इंडिया को अनुमोदन हेतु भेजा।

ख. हाईवाल माइनिंग: निमचा एवं श्रीपुर कोलियरी में हाईवाल माइनिंग प्रौद्योगिकी आरंभ किया जाना प्रस्तावित है। हाईवाल माइनिंग प्रौद्योगिकी की शुरुआत के लिए 25.07.2018 को अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

ग. मैन राइडिंग सिस्टम: 2019-20 के दौरान बाँसरा भूमिगत खदान में मैन राइडिंग सिस्टम का एक सेट लगाया गया है। इस प्रकार झांझरा (3 फ्री स्टीयर्ड व्हीकल), परसिया, निमचा, बांसरा, श्यामसुंदरपुर और चिनकुरी माइन III (प्रत्येक खदान में चेयरलिफ्ट सिस्टम) तथा चिनकुरी माइन I (2 बैटरी लोकोमोटिव) खदानों सहित कार्यशील मैन राइडिंग सिस्टम की कुल संख्या 10 हो गयी है।.

3.5 भूमिगत कोयला उत्पादन में सुधार के लिए उठाया गया कदम

विभिन्न परिचालन बाधाओं, ऊपरी सीम का परिसमापन, कैविंग के लिए भूमि की उपलब्धता में देरी आदि को ध्यान में रखते हुए मध्यवर्ती तकनीक के साथ धीरे-धीरे चरणबद्ध मैनुअल संचालन के अलावा आने वाले वर्षों में अधिक खदानों जैसे; खोट्टाडीह, तिलाबनी, सिदौली, परसिया-बेलबैद में मुख्य रूप से शटल कार के साथ कन्टीन्यूअस माइनर की स्थापना से "बृहत उत्पादन तकनीक" आरंभ करके भूमिगत उत्पादन में सुधार लाने की दिशा में कार्रवाई की गई है। ड्रिलिंग गैंग की सेवानिवृत्ति के कारण कमी एवं फेस तथा सपोर्टिंग पर अधिक कोयले की उपलब्धता के दोहरे उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अधिक यूडीएम की स्थापना के लिए भी कार्रवाई की गई है।

3.6 वर्ष 2019-20 के दौरान परियोजना निरूपण का विवरण:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मि. टन प्रति वर्ष)	अनुमानित पूंजी (₹ करोड़ में)
1.	पांडवेश्वर दालुरबांध (यूजी और ओसी)	ओसी: 1.00 यूजी: 0.54	विभागीय: 871.28 आंशिक आउटसोर्सिंग: 504.11
2.	ईटापाड़ा ओसीपी	3.50	विभागीय: 1839.70 आंशिक आउटसोर्सिंग: 1202.00 आउटसोर्सिंग: 1036.59

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मि. टन प्रति वर्ष)	अनुमानित पूंजी (₹ करोड़ में)
3.	चुपेरभीटा ओसीपी	4.00	विभागीय: 3403.87 आउटसोर्सिंग: 2634.70
4.	सोनेपुर बाजारी विस्तार ओसीपी	12.00	विभागीय: 5923.72 आउटसोर्सिंग: 3430.00
5.	नबकजोड़ा-माधबपुर खदान (यूजी एवं ओसी)	यूजी: 1.32 ओसी: 0.80	विभागीय: 984.11 आउटसोर्सिंग: 636.27
6.	ढांगाजोर यूजी	1.08	विभागीय: 641.39 आउटसोर्सिंग: 363.56
7.	मोहनपुर	2.50	विभागीय: 1158.78 आउटसोर्सिंग: 910.71
8.	खंद्रा एनकेजी यूजी	0.70	विभागीय: 526.32 आउटसोर्सिंग: 229.90

3.7 वर्ष 2019-20 के दौरान कोल इंडिया बोर्ड की स्वीकृति के लिए ईसीएल के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित और अनुशंसित परियोजनाओं का विवरण:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मि. टन प्रति वर्ष)	स्वीकृत पूंजी निवेश (₹ करोड़)	अनुमोदन की तारीख
1.	श्यामसुंदर पुर यूजी (सरपी इकाई सहित)	1.59	483.65	16.01.2020
2.	झांझरा युजीपी की विस्तार परियोजना रिपोर्ट	सामान्य क्षमता- 5.0 एमटीवाई उच्चतम क्षमता -5.80 एमटीवाई	1210.12	16.01.2020

3.8 वर्ष 2019-20 के दौरान कोल इंडिया बोर्ड द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृत परियोजनाएं:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मि. टन प्रति वर्ष)	स्वीकृत पूंजी निवेश (₹ करोड़)	अनुमोदन की तारीख
1.	परसिया-बेलबैद पुनर्गठित यूजी	2.07	826.42	22.07.2019

3.9 वर्ष 2019-20 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड बोर्ड की स्वीकृति के लिए सीआईएल बोर्ड की अधिकार प्राप्त उप-समिति की स्वीकृति और अनुशंसित परियोजनाओं का विवरण:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मि. टन प्रति वर्ष)	स्वीकृत पूंजी निवेश (₹ करोड़)	अनुमोदन की तारीख
1.	परसिया-बेलबैद पुनर्गठित यूजी	2.07	826.42	09.05.2019
2.	श्यामसुंदर पुर यूजी (सरपी इकाई सहित)	1.59	483.65	18.03.2020
3.	झांझरा यीजीपी की विस्तार परियोजना रिपोर्ट	सामान्य क्षमता- 5.0 एमटीवाई उच्चतम क्षमता -5.80 एमटीवाई	1210.12	18.03.2020

3.10 पूँजीगत परियोजनाएँ / योजनाएँ:

i) नई परियोजनाओं (ग्रीनफील्ड) की संख्या : 1 (हुरा- सी ओसीपी)

ii) परियोजनाओं का विस्तार / संशोधन / बंदी : 12 (झांझरा संयुक्त परियोजना रिपोर्ट, खोट्टाडीह विस्तार ओसीपी, खोट्टाडीह – सीएम, कुमारडीह-बी सीएम, मोहनपुर विस्तार, न्यू केंदा ओसी, सोनेपुर बजरी संयुक्त ओसीपी, चित्रा पूर्व ओसीपी, सिदौली मिश्रित, नकरकोंडा – कुमारडीह बी ओसीपी, तिलबनी यूजी और परसिया-बेलबैद यूजी)

iii) अन्य : 4 (नबकजोड़ा-माधबपुर खदान (यूजी, नारायन कुरी यूजी, बांकोला आर-VI, खांद्रा एनकेजे जिसका पुनर्निर्माण। हो रहा है)

iv) कुल: 17.

3.11 नयी पहल एवं भविष्य के कार्यक्रम:

भूमिगत खदानों से उत्पादन बढ़ाने के लिए 2019-20 में निम्नलिखित पहलें की गई हैं:

क. मौजूदा भूमिगत खदानों का तकनीकी उन्नयन और आधुनिकीकरण: 23 भूमिगत परियोजनाओं में मैसर्स आईएसएम, मैसर्स एससीसीएल तथा मैसर्स पीडब्लूसी के संयुक्त दल द्वारा उत्पादन वृद्धि संबंधी अध्ययन किया गया। यह कार्य कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड के निर्देशानुसार किया गया है। रिपोर्ट जनवरी, 2018 में प्रस्तुत की गई। उसी रिपोर्ट को कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इन 23 परियोजनओं में से, 3 की रिपोर्ट (सिदुली मिश्रित, तिलबनी भूमिगत और परसिया-बैलबैद यूजी) को मंजूरी दे दी गई है, पांच अन्य परियोजना रिपोर्टें तैयार करने / अनुमोदन की प्रक्रिया में हैं।

ख. वृहत उत्पादन तकनीक का आरंभ कंटीन्यूअस माइनर (सीएम): कंटीन्यूअस माइनर की संस्थापना हेतु निम्नलिखित खदानों को चिन्हित किया गया है :

क्र. स.	खदान / परियोजना का नाम	क्षमता (मि. टन प्रति वर्ष)	अनुमानित पूंजी (₹ करोड़ में)	स्थिति
1.	खोट्टाडीह सी.एम.	0.60	जोखिम-लाभ - 127.17	2020-21 में आरंभ होने की उम्मीद है
2.	कुमारडीह -बी सी.एम. यूजी	1.02	उपकरण भाड़े पर लेना - 117.90	एक एलएचसीएम दिसंबर, 2019 में आरंभ हो गया। एसएचसीएम (1 नग) के लिए निविदा समिति की सिफारिशें अनुमोदन की प्रक्रिया के तहत है।
3.	सिदुली मिश्रित	खुली: 1.20 भूमिगत: 1.63	उपकरण भाड़े पर लेना - 535.18	मई -2018 में परियोजना रिपोर्ट अनुमोदित की गयी
4.	तिलबनी भूमिगत	1.86	उपकरण भाड़े पर लेना - 916.62	फरवरी - 2019 में परियोजना रिपोर्ट अनुमोदित की गयी
5.	परसिया-बेलबैद भूमिगत	2.07	उपकरण भाड़े पर लेना - 826.42	जुलाई -2019 में परियोजना रिपोर्ट अनुमोदित की गयी
6.	श्यामसुंदरपुर यूजी (सरपी इकाई सहित): 2 एलएच सीएम (अतिरिक्त)	1.59	उपकरण भाड़े पर लेना - 483.65	16.01.2020 को ईसीएल बोर्ड द्वारा परियोजना रिपोर्ट (नवंबर, 2019) की सिफारिश की गई थी। 18.03.2020 को सीआईएल बोर्ड के ईसीएस द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी।
7.	झांझरा यूजीपी की परियोजना विस्तार रिपोर्ट: 2 एलएच सीएम (अतिरिक्त)	5.00	उपकरण भाड़े पर लेना – 1210.12	16.01.2020 को ईसीएल बोर्ड द्वारा परियोजना रिपोर्ट (अक्टूबर, 2019) की सिफारिश की गई थी। 18.03.2020 को सीआईएल बोर्ड के ईसीएस द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी।
8.	नबकजोरा-माधबपुर मिश्रित	यूजी: 1.32 खुली: 0.80	जोखिम-लाभ - 984.11 उपकरण भाड़े पर लेना - 636.27	खदान बंदी योजना के नए दिशा-निर्देशों को शामिल करने के लिए परियोजना रिपोर्ट फिर से तैयार की जा रही है।

ग. विदेशी सहयोग / प्रौद्योगिकी समामेलन-अनुकूलन और नवाचार :

i) कुमारडीह-बी भूमिगत खदान में एक कम ऊँचाई वाले कन्टीन्यूअस माइनर (एलएचसीएम) की शुरुआत: जॉय ग्लोबल यूके के सहयोग के साथ मैसर्स जेएमएस माइनिंग प्रा. लि. द्वारा 2019-20 में एलएचसीएम का एक सेट आरंभ कर दिया गया है।

ii) खोट्टाडीह यूजी खदान में 1 कंटीन्यूअस माइनर की शुरुआत: एजेंसी मैसर्स CMATL-SXTD-CMML (चीन) कंसोर्टियम के साथ 14.09.2018 को अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। मार्च 2020 में खदान स्थल पर उपकरण आ गये हैं। इसके 2020-21 में चालू होने की उम्मीद है।

iii) झांझरा आर -VI सीम में विद्युत समर्थित लाँगवाल पैनल सफलता पूर्वक परिचालन जिससे वर्ष 2018-19 और 2019-20 में लगातार 1.45 मिलियन टन उत्पादन प्राप्त हुआ।

3.12 वर्ष 2019-20 के लिए चालू परियोजनाओं की प्रमुख मील का पत्थर गतिविधियों के संबंध में उपलब्धि की स्थिति:

MoSPI विवरण नजर रखी लागत की तुलना में अधिक ₹ 150 करोड़ के ऑन-जा रहा परियोजनाओं				
क्र. सं.	परियोजना का नाम	मील का पत्थर	पूर्ण होने का समय	उपलब्धि की स्थिति
1.	सोनेपुर-बजारी संयुक्त ओसीपी (क्षमता: 8.00 एमटीवाई, स्वीकृत पूंजी: ₹ 1055.05 करोड़)	पुनर्वास चरण- III -150 पीएएफ (सोनपुर गांव के भाग का स्थानांतरण)	मार्च, 2020	विभिन्न पीएएफ द्वारा घरों का निर्माण प्रगति पर है। 745 पीएएफ को तीसरी किस्त का भुगतान कर दिया गया है। सोनेपुर गाँव के 12 पीएपी की शिफ्टिंग के लिए चौथी / अंतिम किस्त दे दी गयी है।
2.	हुरा-सी ओसीपी (क्षमता: 3.00 एमटीवाई, स्वीकृत पूंजी: ₹ 359.69 करोड़)	सीएचपी के निर्माण के लिए टीसीआर की स्वीकृति और एलओए जारी करना	मार्च, 2020	प्रक्रियाधीन
3.	सिदुली ओशी एवं यूजी (क्षमता: ओसी : 1.20 एमटीवाई एवं यूजी: 1.63 एमटीवाई स्वीकृत पूंजी: ₹ 535.18 करोड़)	15 हैक्टे. किरायेदारी भूमि पर कब्जे / खरीद	मार्च, 2020	प्रक्रियाधीन
4.	झांझरा संयुक्त यूजी (क्षमता: 3.50 एमटीवाई, स्वीकृत पूंजी: ₹ 602.86 करोड़)	एलएचसीएम डिस्ट्रिक्ट हेतु एयूवी के लिए आपूर्ति / खरीद आदेश जारी करना	मार्च, 2020	एमयूवी के विनिर्देश की समीक्षा के लिए कार्रवाई की जा रही है

3.13 मार्च 2019-20 के लिए एमओयू लक्ष्य की प्राप्ति की स्थिति:

क्र. सं.	प्रदर्शन मापदंड	मापन इकाई	वर्ष के लिए लक्ष्य	प्राप्ति
1.	कोयला उत्पादन	मिलियन टन	53.50	50.401
2.	सीएपीईएक्स(₹ करोड़ में)	₹ करोड़ में	1100.00	894.68
3.	वर्ष के दौरान पूर्ण हो रहे सीएपीईएक्स अनुबंधों के कुल मूल्य से अधिक समय/ लागत के बिना वर्ष के दौरान पूर्ण/ चल रहे सीएपीईएक्स अनुबंधों / परियोजनाओं का प्रतिशत मान (%)	%	100	प्राप्त नहीं हुआ

3.14 वर्ष 2019-20 के दौरान अन्य प्रमुख गतिविधियाँ:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्रियाएँ / मील के पत्थर	वर्ष के लिए लक्ष्य	उपलब्धि
1.	सोनेपुर-बाजारी विस्तार ओसीपी.	80 हैक्टे. जमीन का कब्जा	मार्च -2020	2019-20 के दौरान 25.42 हैक्टे. पर कब्जा
		सीएचपी का निर्माण	दिसंबर -2020	सिविल निर्माण कार्य प्रगति पर है। विद्युत एवं यांत्रिक संबंधी कार्य नवंबर, 2020 में पूरा हो जाएगा। दिसंबर, 2020 में पूरी तरह आरंभ होने की उम्मीद है।
2.	झांझरा संयुक्त यूजीपी	20 हैक्टे. किरायेदारी भूमि का कब्जा	मार्च -2020	2019-20 के दौरान अब तक 10.84 हैक्टे. पर कब्जा
		नई रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए कार्य-आदेश जारी	जनवरी -2020	मै. राइट्स (RITES) को नई रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए 08.01.2020 को कार्य-आदेश जारी किया गया।
3.	कुमारडीह -बी सीएम भूमिगत खदान	एलएचसीएम के प्रथम सेट की शुरुआत	दिसंबर -2019	एलएचसीएम के प्रथम सेट की शुरुआत 11.12.2019 को हो चुकी है।
4.	हुरा- सी ओ सी	किरायेदारी भूमि का कब्ज़ा	25 हैक्टे.	38.69 हैक्टे. भूमि पर कब्जा।
		वन भूमि (260 हैक्टे.) का वन मंजूरी-II	मई -2019	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 21.05.2019 को द्वतीय चरण की वन मंजूरी प्रदान कर दी गयी है।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्रियाएँ / मील के पत्थर	वर्ष के लिए लक्ष्य	उपलब्धि
5.	चित्रा पूर्व ओ सी	द्वतीय चरण की वन मंजूरी (124.28 हैक्टे. भूमि के लिए)	जुलाई -2019	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 10.07.2019 को द्वतीय चरण की वन मंजूरी प्रदान कर दी गयी है।
6.	खोट्टाडीह विस्तार, ओसी.	पी ए एफ की शिफ्टिंग (बौरी पाड़ा) (417 नग)	मार्च -2020	324 पी ए एफ की शिफ्टिंग की जा चुकी है। बाकी के पी ए एफ बौरी पाड़ा शिफ्टिंग का कार्य प्रगति पर है।

3.15 परियोजना की निगरानी और कार्यान्वयन की स्थिति अनुलग्नक - III में दी गई है।

4.0 प्रबंधन की परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट:

प्रबंधन की चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट को निदेशकों की रिपोर्ट के एक अलग भाग **(अनुलग्नक -IV)** के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

5.0 कोयला विपणन:

5.1 मांग की तुलना में निकासी (ऑफ-टेक):

2019-20 में 53.50 मिलियन टन की मांग के मुकाबले में कोयले का वास्तविक ऑफ-टेक 49.316 मिलियन टन था, यानी 92% की संतुष्टि। 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान क्षेत्रवार मांग और ऑफ-टेक इस प्रकार है:

(मिलियन टन में आंकड़े)

क्षेत्र/ सेक्टर	ऑफ-टेक 2019-20			ऑफ-टेक 2018-19		
	मांग	वास्तविक	% संतुष्टि	मांग	वास्तविक	% संतुष्टि
विद्युत शक्ति	45.885	45.334	99	43.505	46.886	108
सीमेंट	0.100	0.076	76	0.082	0.046	56
सीपीपी (ओआरएस)	0.610	0.296	49	0.700	0.286	41
सीपीपी (इस्पात)	0.490	0.368	75	0.490	0.302	62
इस्पात (ब्लेंड)	-	-	-	-	0.003	-
स्पंज लोहा	0.472	0.282	60	1.028	0.381	37
निर्यात	-	-	-	-	-	-
लोको	-	0.001	-	-	-	-
रक्षा	-	-	-	-	-	-
कोलियरी खपत	0.180	0.181	101	0.200	0.184	92
अन्य	5.763	2.778	48	4.995	2.319	46
कुल	**53.500**	**49.316**	**92**	**51.000**	**50.407**	**99**

5.2 प्रति दिन वैगनों की औसत लोडिंग:

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20 के लिए वैगनों का क्षेत्र-वार औसत लदान निम्नानुसार है:

(आंकड़े बॉक्स / दिन)

क्षेत्र	वैगनों का लोडिंग			
	2019-20		2018-19	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
रानीगंज	1106	984	1032	1030
मुग्मा / सालनपुर	348	281	262	289
आद्रा	12	14	11	14
पिरपैंती	-	-	-	-
राजमहल (वार्फ वाल)	171	163	193	139
कुल	**1637**	**1442**	**1498**	**1472**

5.3 साधन / मोड-वार प्रेषण:

पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 में कोयले का साधन मोड-वार प्रेषण इस प्रकार है:

(मिलियन टन में आंकड़े)

प्रेषण की विधि	2019-20	2018-19
रेल	32.980	34.171
सड़क	2.535	2.409
हिंडोला (एमजीआर)	13.620	13.644
कुल	**49.135**	**50.224**

5.4 31 मार्च 2020 को बिक्री योग्य/ वेंडेबल कोयले का भंडार निम्नानुसार है:

(लाख टन में आंकड़े)

क्षेत्र	As on 31.03.2020
रानीगंज	11.862
मुग्मा / सालनपुर	1.617
एसपी खदान	2.990
राजमहल	16.890
कुल	**33.359**

5.5 हाजिर (स्पॉट) 'ई' नीलामी अग्रसारण ई-नीलामी:

विधि	2019-20			2018-19		
	प्रेषित मात्रा (लाख टन में)	अधिसूचित मूल्य पर प्राप्ति (₹ करोड़ में)	प्राप्ति प्रतिशत (%)	प्रेषित मात्रा (लाख टन में)	अधिसूचित मूल्य पर प्राप्ति (₹ करोड़ में)	प्राप्ति प्रतिशत (%)
हाजिर (स्पॉट) 'ई' नीलामी						
रेल	8.127	135.740	51.115	6.634	94.590	44.526
सड़क	17.171	412.080	73.871	18.170	504.100	85.224
कुल	**25.298**	**547.820**	**66.531**	**24.804**	**598.690**	**74.469**
अग्रसारण ई-नीलामी						
सड़क	25.595	193.951	24.547	10.584	314.410	96.244
कुल	**25.595**	**193.951**	**24.547**	**10.584**	**314.410**	**96.244**
सकल योग	**50.893**	**741.771**	**45.972**	**35.388**	**913.100**	**80.761**

5.6 बिक्री वसूली:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2018-19
बिक्री की वसूली	17009.20	18527.72

6.0 उपकरणों (एचईएमएम) की संख्या:

6.1 31 मार्च, 2019 की तुलना में 31 मार्च, 2020 तक उपकरणों की संख्या:

उपकरण	उपकरणों की संख्या	
	31.03.2020	31.03.2019
ड्रैगलाइन	1	1
डम्पर	225	262
डोजर	81	84
शॉवेल	61	57
ड्रिल	50	52

6.2 पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान सीएमपीडीआईएल मानकों के तहत प्रत्येक प्रकार के उपकरणों की उपलब्धता और उपयोग निम्नानुसार है:

उपकरण	प्रतिशत की उपलब्धता				प्रतिशत उपयोग			
	सीएमपीडी आईएल मानक	2019-20	2018-19	गत वर्ष की तुलना में परिवर्तन	सीएमपीडी आईएल मानक	2019-20	2018-19	सीएमपीडी आईएल मानक
ड्रैगलाइन	85	82.92	89.32	-6.40	73	77.22	82.21	-4.99
डम्पर	67	75.71	80.26	-4.55	50	34.54	33.09	1.45
डोजर	70	77.52	75.20	2.32	45	21.56	21.62	-0.06
शॉवेल	80	81.16	80.30	0.86	58	44.40	46.48	-2.08
ड्रिल	78	85.51	85.08	0.43	40	18.98	20.36	-1.38

6.3 उपकरणों की उपयोगिता मुख्य रूप से निम्नलिखित बाधाओं से प्रभावित हुई:

वर्ष 2019-20 की अवधि के दौरान एचईएमएम जैसे शॉवेल, डंपर, डोजर और ड्रिल की उपलब्धता प्रतिशत सीएमपीडीआईएल के मानकों से भी अधिक थी। शॉवेल, डोजर और ड्रिल की उपलब्धता प्रतिशत पिछले वर्ष की समान अवधि से भी ज्यादा थी। पिनियन बियरिंग और आर्मेचर की विफलता और होइस्ट मोटर-2 के पिनियन टीथ के बार-बार टूट जाने के कारण ड्रैगलाइन का उपलब्धता प्रतिशत कम रहा। ड्रैग-1 का ग्रिड और ग्रिड कवर टूट गया। डंपर की प्रतिशत उपलब्धता पुराने हो जाने के कारण पिछले वर्ष की तुलना में कम रही है। 35टन क्षमता के 15 और 40 टन क्षमता के 2 डंपरों को सर्वे ऑफ कर दिया गया क्योंकि उनकी समयावधि वर्ष और घंटों दोनों में ही पूरी हो चुकी है।

6.4 सीएमपीडीआईएल मानकों को हासिल करने के लिए किए गए उपचारात्मक कार्रवाई:

पूरी दुनिया में इस प्रकार के ड्रैगलाइनर केवल 6/7 हैं और भारत में केवल 2 ही उपलब्ध हैं (अर्थात, ईसीएल में 1 और एससीसीएल में 1)। चूंकि इसकी संख्या बहुत कम है और साथ ही ओईएम भी बदल गया है, अतः पुर्जों का स्टॉक वर्तमान OEM द्वारा नहीं अनुरक्षित हो रहा है। आदेश मिलने के बाद ही पुर्जों का निर्माण / व्यवस्था की जा रही है। इस प्रकार इंडेंटिंग और पुर्जों की प्राप्ति के बीच का मुख्य समय लगभग 1.5 वर्ष है। हालांकि, पिछले अनुभव और उपकरणों के जीवन के आधार पर अग्रिम रूप से स्पेयर पार्ट्स की व्यवस्था करने की योजना बनाई जा रही है।

सर्वे ऑफ किए गए डंपर के स्थान पर 60 टन के 18 डंपर और 35 टन के 13 डंपर के लिए खरीद की कार्रवाई की गई है। वर्ष 2019-20 के दौरान इनमें से 35 टन के 10 डंपर और 60 टन के 4 डंपर को चालू कर दिया गया है। बाकी डंपरों को वर्ष 2020-21 में चालू किया जाएगा। इन नए डंपरों से उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

6.5 उपकरणों के कम उपयोग निम्नलिखित कारणों से हुआ:

परियोजना	कम उपयोग का कारण	उपचारात्मक कार्रवाई
शंकरपुर	1. भूमिगत गैलरी, फायरी फेस 2. कीचड़दार सतह 3. कठिन खनन स्थितियां	आग बुझाने के लिए 28 हजार लीटर जल छिड़काव मशीन और रसायन द्वारा नियमित तौर पर पानी का छिड़काव हो रहा है।
नार्थ सियरसोल	35 टन के 11 डंपर और 40 टन के 2 डंपर में से 35 टन के 6 और 40 टन के 1 डंपर को उनकी समयावधि वर्ष और घंटों दोनों में ही पूरा हो जाने के कारण सर्वे ऑफ कर दिया गया।	जनवरी-2020 से मार्च-2020 के दौरान 35 टन के 7 डंपर चालू किए गए।
बोनजेमेहारी	ओबी हटाने का काम आउटसोर्स है केवल केवल कोयला निकालने का काम विभागीय हो रहा है। कोयला-फेस पर जल संचयन के कारण कोयले का निष्कर्षण कम हुआ।	500 जीपीएम क्षमता के 2 पंपों से जल निकासी की जा रही है।
गौरानगदी	बेगुनिया से उपकरणों के हस्तांतरण के बाद गौरनगदी ओसीपी में उत्पादन प्रारंभिक स्तर पर है, जो कि डीजीएमएस द्वारा धारा 22 लगाए जाने के कारण 07 अगस्त, 2019 से 10 अक्टूबर, 2019 तक बंद रहा। भू अधिग्रहण की समस्या।	इस भूमि का जनसांख्यकीय सर्वे पहले ही किया जा चुका है। भू अधिग्रहण प्रक्रियाधीन है।
बरमूरी	सीमित कार्य स्थान, केवल एक डंपर चलने के लिए संकीर्ण ढलान वाली सड़क	हाल ही में बीसीसीएल से ईसीएल को खनन पट्टे के स्थानांतरण के लिए कार्रवाई की गई है। पहले से ही अनुषंगी कंपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित और वर्तमान में सीआईएल बोर्ड में अनुमोदन के अधीन।

परियोजना	कम उपयोग का कारण	उपचारात्मक कार्रवाई
गोपीनाथपुर	खदान बंद है	-
चित्रा	खदान के सबसे गहरे हिस्से में काम करते समय, वहाँ लेड और लिफ्ट की वृद्धि हो जाती है। लंबे समय से वन मंजूरी के लंबित चरण II के कारण, खदान का क्षैतिज विस्तार रुक गया जिस कारण फेस की गहराई हाई ग्रेडिएंट के परिणामस्वरूप कम क्षमता का उपयोग हुआ। 35 टन के 9 और 40 टन के 1 डंपर का सर्वे ऑफ इसकी समयावधि पूरा करने के कारण किया गया (वर्ष और घंटों दोनों मे ही जीवन पूरा कर चुका)	मार्च, 2020 में 60 टन के 4 डंपरों को चालू किया गया और 1 डंपर को चालू करने की प्रक्रिया चल रही है।
खोट्टाडीह	ग्रामीणों के प्रतिरोध के कारण भू अधिग्रहण की समस्या हुई। भू अधिग्रहण समस्या और हड़ताल के कारण एचईएमएम का संचालन बाधित हुआ।	मार्च, 19 से शीर्ष कोर आवागमन पूरी तरह से बंद है। बातचीत के बाद, 6 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया और पिछले तीन महीनों से उत्पादन शुरू हुआ है। लेकिन, यहाँ पर संचालन और ब्लास्टिंग के समय ग्रामीणों द्वारा बारंबार बाधा उत्पन्न की जाती है, अत: उत्पादन बाधित होता है।
सोनपुर बजारी	6 फीडरों की ओवरहेड लाइन की शिफ्टिंग में देरी के कारण डंपिंग स्थान में कमी और डंपिंग यार्ड के लेड में वृद्धि हुई। ड्रैगलाइन ऑपरेटर की भी कमी है। वर्तमान में केवल 3 ड्रैगलाइन ऑपरेटर हैं।	शिफ्टिंग का कार्य प्रगति पर है और जून, 2020 में पूरा हो जाएगा। नये ड्रैगलाइन ऑपरेटर प्रशिक्षु की भर्ती की गयी है और उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है।
राजमहल	केंद्रीयकृत कार्य स्थल के कारण, उपकरणों की भीड़ और भूमि अधिग्रहण समस्या है।	आंशिक रूप से भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

6.6 वर्ष 2019-20 में ओसीपी को उपलब्ध कराये गए नए/प्रतिस्थापित उपकरण निम्नलिखित है-

उपकरण	2019-20 में आर्डर किए गए एचईएमएम की संख्या	2019-20 में आपूर्त और चालू किए गए	परियोजना	वर्ष 2020-21 में संभावित
डंपर	60 टन - 18	60 टन -4	चित्रा-4	14
	35 टन-13	35 टन -10	उत्तरी सियरसोल-7, बारामुरी-3	3
डोजर	7	6	सोनपुर-3, राजमहल-1, बारामुरी-1, खोट्टाडीह-1	1
शॉवेल	5	5	Sonepur-1, Khottadih-1, Jambad-1, Shankarpur-1, Chitra-1	0

7.0 ऊर्जा संरक्षण:

7.1 बिजली और ईंधन की खपत:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2019-20	2018-19
I.	**बिजली की आपूर्ति**			
	1. खरीदी गई यूनिट	एम. किलोवाट-घंटा	824.97	846.30
	2. आपूर्ति कर्ता एजेंसियों को दी गई कुल राशि (लगभग)	₹ करोड़ में	599.60	611.07
	3. प्रति यूनिट दर (औसत)	₹ / किलोवाट-घंटा	7.27	7.22
	4. बिजली की विशिष्ट खपत (लगभग)	किलोवाट-घंटा / सीयूएम	14.86	14.99
II.	**कंपनी द्वारा स्वयं उत्पादन (डीजी सेट के माध्यम से)**			
	1. उत्पादित यूनिट	लाख किलोवाट-घंटा	7.17	6.98
	2. प्रति लीटर डीजल तेल से उत्पादित यूनिट	किलोवाट-घंटा / लीटर	8.10	7.63
	3. उत्पादन की लागत	₹ / किलोवाट-घंटा	8.23	8.83
III.	**बिजली की मांग**			
	1. बिजली की औसत मांग	एमवीए	162.35	172.34
	2. अनुबंध की मांग	एमवीए	185.50	183.22
	3. % उपयोग	%	87.52	94.06

7.2 1.571 मेगावाट के रूफ-टॉप सोलर की संस्थापना:

एसईसीआई द्वारा भारत भर में 97.5 मेगावाट क्षमता के रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट की संस्थापना के लिए आरएफएस निविदा जारी की थी। इसमें ईसीएल का 1.571 मेगावाट रूफ़ टॉप सौर संयंत्र सम्मिलित है। एससीसीआई के इस आरएफएस निविदा के अनुसार, रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र के कार्यान्वयन के लिए निविदाकर्ताओं से अलग कोटेशन मांगे गए थे, चाहे ये कैपेक्स मॉड (ग्राहक की लागत पर 5 वर्ष के लिए अभिकल्प, अभियांत्रिकी, आपूर्ति, संस्थापना, चालू करना, परीक्षण और ओएंडएम) में हो या आरईएससीओ मोड (निविदाकर्ता की लागत पर 25 वर्ष के लिए अभिकल्प, अभियांत्रिकी, आपूर्ति, संस्थापना, चालू करना, परीक्षण और ओएंडएम) में हो। ग्राहक को बोलीदाता को प्रति यूनिट लागत का भुगतान करना पड़ेगा। एसईसीआई द्वारा निविदा को अंतिम रूप दे दिया गया है और सफल बोलीदाताओं को सूचित कर दिया गया है। ईसीएल ने जोन-3 के चयनित बोलीदाताओं को सूचित कर दिया है (दोनों - ₹ 26,000/ केडब्ल्युपी की दर पर कैपेक्स मोड और रेस्को मोड @ 3.33/ केडब्ल्युपी) और प्रतिक्रिया और सफल बोलीदाताओं की आबंटित क्षमता के अनुसार कैपेक्स/रेस्को मोड में रूफ टॉप सोलर प्लांट के निष्पादन के लिए समझौते को निष्पादित किया जाएगा।

7.3 ऊर्जा संरक्षण और लेखापरीक्षा:

2019-20 में, ईसीएल ने अधिकांश भूमिगत खानों में विद्युत कारकों में सुधार के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया है। विभिन्न रेटिंग के कैपेसिटर बैंकों की खरीद की गई है और दोनों इकाइयों -कम पावर फैक्टर और मांग अनुबंध की मांग से अधिक में स्थापित किया गया है। ईसीएल का औसत पावर फैक्टर अब 0.95 है। इससे वास्तव में उन बिंदुओं की औसत ऊर्जा खपत कम हुई है और मांग कम हुई है। पावर फैक्टर से शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2018-19 में 10.77 करोड़ रुपये की छूट से बढ़कर वित्त वर्ष 2019-20 में 11.36 करोड़ रुपये तक बढ़ गया है, जो 5.41%.की वृद्धि है। ईसीएल की ऊर्जा खपत वित्त वर्ष 2018-19 में 8463.04 एलकेडब्ल्यूएच से घटकर वित्त वर्ष 2019-20 में 8249.70 एल.केडब्ल्यूएच हो गई है, यानी 213.36 एल.केडब्ल्यूएच (2.52%) की कमी आई।

औद्योगिक भार से घरेलू भार को अलग करने की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं। परबेलिया, सोदेपुर क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना के माध्यम से, ईसीएल नेटवर्क के माध्यम से सभी घरेलू लोड को WBSEDCL में स्थानांतरित कर दिया गया है। ईसीएल मीटर रीडिंग के अनुसार ईसीएल की सेवा में कर्मचारियों के लिए ही डब्ल्यूबीएसईईसीएल को भुगतान कर रहा है। वित्त वर्ष 2018-19 की तुलना में वित्त वर्ष 2019-20 में परबेलिया की कुल ऊर्जा खपत घटकर 43.41% रह गई है। इसके परिणामस्वरूप 3.25 करोड़ रुपये की वित्तीय बचत हुई है।

7.4 भूमिगत मशीनरी प्रदर्शन:

उत्पादकता के साथ भूमिगत मशीनरी का विवरण नीचे दिया गया है:

उपकरण	2019-20		2018-19	
	रोल पर	उत्पादकता (टीपीडी)	रोल पर	उत्पादकता (टीपीडी)
एसडीएल	244	62	254	56
एलएचडी	40	109	40	88
कंटीन्यूअस माइनर	6	1361	5	1354
रोड हैडर	2	333	2	458
लॉंगवॉल	1	5133	1	4430

7.5 सीएचपी का प्रदर्शन:

31 मार्च 2020 तक, सोनपुर बजारी और राजमहल में दो बड़े सीएचपी ने 15.60 मीट्रिक टन और श्यामसुंदरपुर और केंदा में 2 छोटे सीएचपी ने 1.00 मीट्रिक टन कोयला हैंडल किया गया।

7.6 2019-20 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां:

1) वित्त वर्ष 2019-20 में ईसीएल की कुल बिजली खपत पिछले वर्ष की 8463.04 लाख किलोवाट-घंटा से घटकर 8249.70 लाख किलोवाट-घंटा रह गई है अर्थात 2.52% की कमी हुई है।

2) वित्त वर्ष 2019-20 में ईसीएल की कुल विद्युत लागत पिछले वर्ष की लागत ₹ 611.07 करोड़ से घटकर ₹ 599.60 करोड़ रह गई है अर्थात इसमें 1.877 % की कमी हुई है।

3) पावर फैक्टर रिबेट से कुल प्राप्ति वित्तीय वर्ष 2018-19 में 10.77 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2019-20 में 11.36 करोड़ रुपए हो गयी अर्थात 5.41 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

4) यांत्रिक उत्पादन में 2.54 Te की वृद्धि हुई।

5) एसडीएल की उत्पादकता में 12% की वृद्धि हुई।

6) एलएचडी की उत्पादकता में 20% की वृद्धि हुई।

7) विभिन्न क्षेत्रों में एकरूपता लाने के लिए, लाइव फीड के साथ सीसीटीवी कैमरा नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के लिए सीसीटीवी कैमरा की खरीद के लिए एक सामान्य एनआईटी तैयार कर अनुमोदित की गयी और इसका कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है।

8) बांसरा कोलियरी, कुनुस्टोरिया में चेयर लिफ्ट प्रकार की मैन-राइडिंग प्रणाली चालू की गयी है।

8.1 कल्याण सुविधाएं:

क्र. सं.	मद	31.03.2019 को संचयी स्थिति	2019-20 के दौरान उपलब्धि	31.03.2020 को संचयी स्थिति
1.	**शिक्षण सुविधाएं**			
	क. डीएवी स्कूल	6	0	6
	ख. i) आवर्ती अनुदान सहायता प्राप्त करने वाले स्कूलों की संख्या	162	0	162
	ii) आवर्ती अनुदान सहायता की राशि - (₹ लाख में)	5878.13	315.88	6194.01
	ग. i) गैर-आवर्ती अनुदान सहायता प्राप्त करने वाले स्कूलों की संख्या	388	0	388
	ii) गैर-आवर्ती-अनुदान सहायता की राशि (₹ लाख में)	312.04	0	312.04
	घ. i) तदर्थ अनुदान स्वीकृत स्कूलों की संख्या	79	0	79
	ii) स्वीकृत तदर्थ अनुदान राशि (₹ लाख में)	69.60	0	69.60
	ङ. स्कूल बसों की संख्या	156	0	156
	च. i) सीआईएल छात्रवृत्ति छात्रवृत्तियों और नकद अवार्ड की संख्या	18968	435	19403
	ii) स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	268.97	11.02	279.99
	छ. चयनित इंजीनियरिंग और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अध्ययन कर रहे वेज बोर्ड कर्मचारियों के बच्चों के ट्यूशन फीस और हॉस्टल शुल्क के लिए वित्तीय सहायता हेतु सीआईएल योजना।			
	ii) स्वीकृत वेज बोर्ड कर्मचारियों के बच्चों की संख्या	711	74	785
	iii) स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	194.65	52.93	247.58
2	खेल और खेल राशि पर खर्च (₹ लाख में)	595.43	39.99	635.42
3	सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर राशि (₹ लाख में)	87.14	3.32	90.46
4	जलपान गृह	82	0	82
5	**बैंकिंग सुविधाएं** - कार्यरत शाखाओं की संख्या	27	0	27
6	**सहकारी समिति**			
	क) सहकारी साख समितियां	74	0	74
	ख) प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी स्टोर	30	0	30
	ग) केंद्रीय सहकारी समिति	4	0	4
	घ) सहकारी समितियों को ऋण और निवेश (₹ लाख में)	63.80	0	63.80

8.2 अन्य कल्याणकारी गतिविधियां

क. ईसीएल ने 2019-20 से सीआईएल छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है, जो कोल इंडिया लिमिटेड में पहली बार है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कंपनी ने 435 छात्रों को 11,02,380.00 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2019-20 में वित्तीय सहायता के रूप में (ट्यूशन फीस और छात्रावास शुल्क की प्रतिपूर्ति) 74 छात्रों को ₹ 52,93,969.00 की राशि दी गई है।

ख. कंपनी ने 08 से 14 जनवरी, 2019 के दौरान सीआईएल इंटर कंपनी फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया और इंटर कंपनी बैडमिंटन टूर्नामेंट 30 जनवरी से 1 फरवरी, 2020 के दौरान आयोजित किया। ईसीएल ने डब्ल्यूसीएल में आयोजित सीआईएल इंटर कंपनी बॉडी बिल्डिंग टूर्नामेंट 2019-20 में ने 8 पदक जीते। कंपनी ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता दी।

ग. ईसीएल ने कोलफील्ड क्षेत्र के आसपास प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए कोल इंडिया स्पोर्ट्स प्रमोशन एसोसिएशन के परामर्श से ईसीएल हेड क्वार्टर में एक फुटबॉल अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया है।।

8.3 वर्ष 2019-20 के दौरान महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ

क. मिशन संबंध (SAMBANDH) के तहत एक नई पहल के रूप में स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रेरणादायक अपील के अनुसार ईसीएल ने पहली बार स्थानीय पर्यटन स्थल आउटस्टेशन में अपनी कल्याण बोर्ड की बैठक का आयोजन किया है। इसकी प्रतिक्रिया बहुत उत्साहजनक रही और यह सीधे यूनियनों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों में परिलक्षित हुआ है।

ख. डिजिटल इंडिया भारत सरकार का राष्ट्रीय प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। मिशन संबंध के तहत एक नई पहल के रूप में एक "सीआईएल छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता के लिए ऑनलाइन पोर्टल" को ईसीएल द्वारा विकसित कर सफलतापूर्वक लागू किया गया। इसमें कुल 509 छात्रों (कर्मचारियों के वार्ड) को 63,96,349.00 रुपये की छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

ग. मानव संसाधन विकास मंत्रालय और सीबीएसई की गाइडलाइन के अनुसार, छात्राओं की समग्र सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, ईसीएल ने अपने प्रोजेक्ट स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम शुरू किया। सीसीटीवी कैमरों की स्थापना के लिए कुल ₹ 30,00,000.00 डीएवी, पांडवेश्वर क्षेत्र और डीएवी, झांझरा क्षेत्र के लिए निर्धारित किए गए।

8.4 मिशन संबंध के अंतर्गत गतिविधियाँ

कंपनी ने मिशन संबंध की शुरुआत सभी हितधारकों और समुदाय तक व्यापक तौर पर पहुंचने के लिए की थी, जो कि एक समस्या हल करने और समाधान प्रदाता के रूप में जो अंततः आगामी ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को आसानी से आने और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं की कमी का उद्देश्य पूरा करेगी। इस मिशन के तहत निम्नलिखित पहल की गई:

क. 23.05.2019 को ईसीएल के सैंक्टोरिया अस्पताल ने कर्मचारियों और स्थानीय लोगों के लिए मानसिक स्वास्थ्य पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मई-2019 का महीना मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता माह के रूप में मनाया गया।.

ख. 26.06.2019 को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस द्वारा आयोजित नशा विरोधी रैली में निदेशक (कार्मिक) ईसीएल, सीईओ सेल के साथ पुलिस आयुक्त, एडीपीसी ने भाग लिया।

ग. झांझरा क्षेत्र में 14.06.2019 को पारिजात क्लब में परिवार परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लगभग 55 परिवार कार्यक्रम में भाग लिया। परिजनों में सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए झांझरा परियोजना की 3 और 4 इकाई के कर्मचारियों द्वारा एक नाटक प्रस्तुत किया गया।

घ. 30.07.2019 को कुंसटोरिया क्षेत्र में कर्मचारियों, ठेकेदार के कामगारों और उनके परिवार तक पहुंचने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

ङ. मिशन संबंध के तहत कार्यक्रम के दौरान कुनसोरिया क्षेत्र में संचालित संविदा कर्मियों के साथ संविदा कर्मियों ने यह शिकायत की थी कि उन्हें न्यूनतम मजदूरी के एवज में कम भुगतान किया जा रहा है। बाद में, इसकी पूरी जांच की गई और उन्हें मतभेदों का भुगतान किया गया, इस प्रकार शिकायत का समाधान किया गया।

8.5 मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत गतिविधियाँ

मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत विभिन्न त्योहारों और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के दिनों को मनाकर और घर से दूर हमारे कर्मचारियों के लिए घर जैसी भावना पैदा करने और विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति और विरासत को आत्मसात करने के उद्देश्य से की गई थी, इससे कर्मियों की उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि हुई है।

बहुत से कर्मचारियों ने अपनी प्रतिभा और रुचि के अनुसार संगीत, गीत, नृत्य, कविता, चित्रकला आदि के क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया। इस अभियान ने सफलतापूर्वक कर्मचारियों की संलग्नता, खुशी सूचकांक, कंपनी के प्रति अपनत्व की भावना को बढ़ाया है, जिससे कार्यालय के नीरस वातावरण को ताजगी भरा वातावरण बनाने में मदद मिली है। मिशन इंद्रधनुष का आयोजन सभी क्षेत्रों और इकाइयों में किया गया समग्र ईसीएल पर स्वस्थ प्रभाव पड़ा है और कोल इंडिया में ऐसा पहल करने वाली कंपनी के रूप में अपनी पहचान बनायी है। वर्ष के दौरान पोइला बैशाख, रवीन्द्र जयंती, मातृ दिवस, विश्व आतंकवाद विरोधी दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, ईद-उल-फितर, फादर्स डे, गुरु पूर्णिमा, मुंशी प्रेमचंद जयंती, फोटोग्राफी प्रतियोगिता, गुरुनानक जयंती, विश्व दयालुता दिवस, विजय दिवस, लोहड़ी, पोंगल, बिहू, मकर संक्रांति, विश्व कैंसर दिवस, विश्व रेडियो दिवस आदि दिवस मनाए गए।

9.1 चिकित्सा सुविधाएं:

2 केंद्रीय अस्पताल, 7 क्षेत्रीय अस्पताल जिनमें 822 की कुल बेड क्षमता है तथा 112 डिस्पेंसरियों में कर्मचारियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सेवाएं दी जाती हैं। इन अस्पतालों में 110 एम्बुलेंस वाहन सेवा में हैं।

9.2 उपचार के लिए बाहर भेजे गए व्यक्तियों की संख्या और उनके इलाज पर हुआ खर्च तथा मोबाइल डिस्पेंसरी द्वारा कवर किए गए ग्रामीण:

विवरण	2019-20	2018-19
बाहर भेजे गए रोगियों की संख्या:	2,856	2,828
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम :		
- शिविरों की संख्या	286	397
- लाभार्थियों की संख्या	15,461	17,546
मोबाइल डिस्पेंसरी द्वारा कवर किए गए ग्रामीण:		
- शिविरों की संख्या	3,666	1519
- लाभार्थियों की संख्या	83,082	62,756
कंपनी कर्मचारियों की आवधिक चिकित्सा परीक्षा (पी.एम.ई.)	11,647	9,550
संविदा कर्मियों की आवधिक चिकित्सा परीक्षा (पी.एम.ई.)	737	922
कंपनी कर्मचारियों की आई.एम.ई.)	436	657
संविदा कर्मियों की आई.एम.ई.)	801	1,254

कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष में ₹ 56.92 करोड़ की तुलना में इस वित्त वर्ष के दौरान कंपनी के अस्पताल के बाहर मेडिकल रेफरल के लिए ₹ 51.99 करोड़ की राशि खर्च की।

10.1 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (2) के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट के एक अलग भाग **(अनुलग्नक-V)** में प्रस्तुत की गई है।

10.2 सामाजिक गतिविधियाँ:

स्थापना के बाद से, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने अपने श्रमिकों के कल्याण के साथ-साथ खदानों के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों / समुदायों के विकास के लिए भी विभिन्न गतिविधियां शुरू की हैं। इसके अतिरिक्त, बुनियादी ढाँचे के विकास, औद्योगिक संरचना, सड़कों और रेलवे साइडिंग, आवासीय भवन, जल आपूर्ति और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों आदि के लिए भी सी गतिविधियों की गयी हैं। संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है: -

10.3 श्रेष्ठ मकान कार्यक्रम के अंतर्गत आवासीय भवन (बिल्डिंग):

कालोनियों में रहने वाले लोगों की रहन-सहन की स्थिति को सुधारने के लिए, मकानों की सघन मरम्मत और उन्नयन का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2019-20 के दौरान श्रेष्ठ मकान कार्यक्रम के अंतर्गत ईसीएल के विभिन्न क्षेत्रों कुल 6102 मकानों की मरम्मति और उन्नयन का कार्य पूर्ण किया गया है। वर्ष 2019-20 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 107.34 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। सघन मरम्मति के साथ ही उन्नयन के अंतर्गत शौचालय, स्नानगार और रसोईघर में टाइल्स लगाने, सिंक लगाने, रसोई घर में संगमरमर का पत्थर व एग्जास्ट फैन लगाने, दरवाजों व खिड़कियों में मच्छर रोधी जाली लगाने का काम किया गया। सोनपुर बजारी क्षेत्र के अंतर्गत वी एन कॉलोनी के पास 36 सी-टाइप मकान (3 ब्लॉकों में) और यहीं पर नई कॉलोनी के लिए विकास कार्य किये गए।

10.4 सर्विस बिल्डिंग

सोनपुर बाजारी परियोजना के अंतर्गत सबस्टेशन निर्माण और विद्यमान प्रतिष्ठान के बड़े पुनरुद्धार का 127.24 लाख रुपए का कार्य और एस पी माइंस एरिया में मॉडल कैंटीन के लिए निर्माण और विकास का 53.07 लाख रुपए का कार्य पूर्ण किया गया है।

10.5 सामुदायिक भवन

पांडेश्वर क्षेत्र में डीएवी स्कूल में 6 कक्षाओं और कॉरीडोर के निर्माण का 106.10 लाख रुपए का कार्य और केंदा क्षेत्र में शताब्दी क्लब के बड़े पुनरुद्धार का 61.29 लाख रुपए का कार्य पूर्ण किया गया।

10.6 पानी की आपूर्ति:

ईसीएल ने हमेशा हमारे आवासीय घरों के रहने वालों के साथ-साथ आसपास के समुदायों के लोगों के लिए पीने योग्य पानी की आपूर्ति में सुधार के लिए विशेष ध्यान दिया है। वर्ष 2019-20 में, 5000 लीटर प्रति घंटे की क्षमता वाले 07 आरओ फिल्टर प्लांट बंकोला (01), मुग्मा (02), सलानपुर (01), राजमहल (02) और सतग्राम (01) में लगाए गए हैं। उपचारित पानी आसपास की ईसीएल कॉलोनियों के निवासियों और आसपास के ग्रामीणों की पेयजल मांगों को भी पूरा करता है।

11.1 बुनियादी ढांचा विकास:

कोयले का प्रेषण ईसीएल की प्रमुख गतिविधियों में से एक है और यह प्रभावी ढंग से तथा कुशलता पूर्वक किया जा रहा है। मुख्य रूप से सड़कों और रेलवे के माध्यम से कोयला भेजा जा रहा है। ईसीएल ने इस संबंध में उचित कदम उठाए हैं। कुछ कार्यों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है: -

क. सड़कें - वर्ष 2019-20 के दौरान पूर्ण किए गए कुछ प्रमुख कोयला परिवहन सड़क कार्य निम्नानुसार हैं: -

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य का मूल्य (₹ लाख में)
1.	3 व 4 इंक्लाइन प्रवेश गेट से कालीपुर मोड़, झांझरा क्षेत्र तक कोयला प्रेषण सड़क को मजबूत बनाना व चौड़ा करना (लंबाई-810 मीटर)	96.65
2.	केंद्रा क्षेत्र, ईसीएल में बहुला साइडिंग में लोडिंग अधीक्षक के कार्यालय से न्यु क्रशर के रैम्प बॉटम तक पीसीसी सड़क का निर्माण (लंबाई- 324 मीटर)	89.93
3.	केंदा क्षेत्र ईसीएल में चिनचुरिया मोड़ से बहुला साइडिंग और साइडिंग प्रवेश से चोरा 7 व 9 सैंड बंकर तक कोयला परिवहन सड़क को मजबूत करना (लंबाई - 1800 मीटर)।	159.81
4.	कुनुस्तोरिया क्षेत्र में अमृतनगर ग्रुप ऑफ माइंस के अंतर्गत बादामबगान मोड़ से नार्याकुरी ओसी पैच तक ब्लैक टोप्ड सड़क का निर्माण (लंबाई-1800 मीटर)	115.11
5.	कोयला परिवहन के लिए पांडेश्वर क्षेत्र में खोटाडीह कोलियरी में एस एस साइडिंग रेल क्रासिंग गेट से लोथानिस्थान बस स्टॉप तक ब्लैक टॉप्ड सड़क का निर्माण (950 मीटर)	87.90
6.	मांदेरबोनी साउथ सामला (ए) खदान में मांदेरबोनी कोलियरी के मुख्य गेट के पास डीबी रोड से 5/6 पिट मांदेरबानी कोलियरी तक पक्का रोड को मजबूत करना (लंबाई-3000 मीटर)	68.43
7.	पांडेश्वर क्षेत्र में खोटाडीह ओसीपी में खोटाडीह ओसीपी वेब्रिज से सीटाइप क्वार्टर तक कोयला प्रेषण रोड की ब्लैक टोपिंग और मजबूत करना (लंबाई-1320 मीटर)	82.04

ख. रेलवे साइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर: वर्ष 2019-20 के दौरान पूरे किए गए कुछ प्रमुख रेलवे साइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कार्य इस प्रकार हैं: -

क्र. सं.	काम का नाम	कार्य आदेश मूल्य (₹ लाख में)
1.	कुनसोरिया क्षेत्र में बांसरा रेलवे साइडिंग में आरसीसी चारदीवारी (लंबाई 1165 मीटर) का निर्माण।	126.44
2.	केंदा क्षेत्र, ईसीएल में बहुला साइडिंग के साथ आरसीसी चारदीवारी का निर्माण	61.69
3.	पांडवेश्वर क्षेत्र, ईसीएल में एसएस साइडिंग के कंसर्टिना क्वाइल के साथ आरसीसी चारदीवारी का निर्माण	167.69

ग. पर्यावरणीय उपाय: कॉलोनी और कर्मशाला दोनों में ही प्रवाही उपचार संयंत्र की स्थापना के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। वर्ष 2019-20 के दौरान पूरे किए गए बड़े कार्य निम्नलिखित हैं-

क्र. सं.	काम का नाम	कार्य आदेश मूल्य (₹ लाख में)
1.	टर्न की आधार पर सोनपुर बजारी कंबाइंड ओसीपी की आर एन कॉलोनी के सीवर नेटवर्क और मल निस्तारण संयंत्र का निर्माण।	268.32
2.	टर्न की आधार पर सोनपुर बजारी कंबाइंड ओसीपी में एकीकृत प्रवाही उपचार संयंत्रका निर्माण।	196.55

घ. खदान संबंधित बुनियादी ढांचा कार्य: वर्ष 2019-20 के दौरान पूर्ण किए गए खदानों से संबंधित कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कार्य निम्नानुसार हैं: -

क्र. सं.	काम का नाम	कार्य आदेश मूल्य (₹ लाख में)
1.	खोटाडीह कोलियरी, पांडवेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत द्वितीय इंक्लाइन के पास एसेम्बली के के भंडारण और भारी मशीनरी की हैंडलिंग के लिए आरसीसी पेवमेंट का निर्माण	69.41

क्र. सं.	काम का नाम	कार्य आदेश मूल्य (₹ लाख में)
2.	खोटाडीह ओसीपी, पांडवेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत 02 सामुदायिक भवन का निर्माण ऊपरी पारा में एक और नीचे पारा में एक, दो क्लब का निर्माण ऊपरी पारा में एक और नीचे पारा में एक, 02 आईसीडीएस केंद्रों का निर्माण ऊपरी पारा में एक और नीचे पारा में एक और बौरी पारा रिहैबिलेशन स्थल में एक मेडिकल हेल्थ सेंटर का निर्माण।	139.56
3.	राजमहल क्षेत्र में ललघुआ से लोहांडिया पंचायत भवन तक पीसीसी मुख्य सड़क का निर्माण।	362.30
4.	कजोरा क्षेत्र के अंतर्गत जामबड़ ओसीपी में डायवर्जन रोड का निर्माण।	144.21
5.	राजमहल क्षेत्र के बारा सिमरा पुनर्वसन स्थल पर1 से 4, 4 से 12, 111 से 115 और 106 से 110 तक कंक्रीट ब्रांच रोड का निर्माण	50.65
6.	राजमहल क्षेत्र के तहत दकौता पुनर्वसन स्थल (नया भोराई) में सीमेंट कांक्रीट मुख्य सड़क का निर्माण।	62.24
7.	कोयला परिवहन सड़क के किनारे पर रिटेनिंग वॉल/गार्ड वॉल का निर्माण हुरा 'सी' में पृथ्वी को बनाए रखना	50.86

12.0 सुरक्षा एवं बचाव :

ईसीएल में, सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और इसे मुख्य उत्पादन प्रक्रिया का एक हिस्सा माना जाता है। ईसीएल का लक्ष्य शून्य हानि नीति को प्राप्त करना है। सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए, ईसीएल ने वर्ष 2019-20 के दौरान कई उपायों का सख्ती से पालन किया है।

12.1 2019-20 में दुर्घटना के आँकड़े:

विवरण	2019-20*	2018-19*
i) घातक दुर्घटनाएँ (संख्या)	08	05
ii) विपत्तियाँ (संख्या)	08	05
iii) गंभीर चोटें (संख्या)	20	21
iv) घातकता / मिलियन टन उत्पादन	0.158	0.099
v) घातकता / 3 लाख मैन-शिफ्ट	0.178	0.107
vi) गंभीर चोट / मिलियन टन आउटपुट	0.396	0.418
vii) गंभीर / 3 लाख मैन-शिफ्ट	0.447	0.450

(* डीजीएमएस के साथ मिलान के अधीन)

12.2 सुरक्षा जागरूकता गतिविधियाँ:

क. खानों में सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सड़क मार्च का आयोजन किया गया है.

ख. सभी विशिष्ट स्थानों पर सुरक्षा के आग्रह और वृद्धि से संबंधित बैनर और पोस्टर प्रदर्शित किए गए हैं।

ग. कई सुरक्षा अभियान (12 विशिष्ट विषयों पर) वार्षिक कैलेंडर के अनुसार आयोजित किए गए।

घ. ईसीएल के सभी क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिसमें सिमटार्स प्रशिक्षित सीआईएल के अधिकारियों के साथ-साथ प्रख्यात खनन हस्तियों ने भाग लिया।

ङ. सभी कार्य स्थलों पर सुरक्षा वार्ता शुरू की गई है, जिसमें भूमिगत कार्य स्थानों पर ग्रास रूट लेवल पर काम करने वाले संबंधित व्यक्ति शामिल हैं।

च. जनवरी-फरवरी, 2020 में कंपनी की सभी खदानों में सुरक्षा सप्ताह मनाया गया जिसमें सुरक्षा की स्थिति हर खदान का मूल्यांकन 'हाउस कीपिंग' में सुधार की दिशा में विशेष ध्यान देने के साथ किया गया था।.

छ. कार्य में सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए आईएलओ दिवस 28 अप्रैल, 2019 को मनाया गया था।

ज. वर्ष के दौरान विभिन्न खानों में विभिन्न प्रत्याशित खतरों पर मॉक रिहर्सल का आयोजन किया गया है।.

12.3 वर्ष 2019-20 में विशेष उपलब्धियां:

क. 10650 हल्के एलईडी कैप लैंप खरीदे गए हैं और यूजी खानों को प्रदान किए गए हैं। अतिरिक्त 15,000 के लिए आर्डर हो गया है जो 2020-21 की पहली तिमाही तक उपलब्ध होगा और इसके साथ ही कंपनी के सभी भारी लेड-एसिड बैटरी टाइप कैप लैंप को एलईडी कैप लैंप से बदल दिया जाएगा। ईसीएल तकनीकी रूप से सुरक्षित एलईडी कैप लैंप द्वारा सभी पुराने कैप लैंप को बदलने वाली पहली कंपनी है। एलईडी कैप लैंप 60% हल्का है और अधिक रोशनी देता है इसलिए दक्षता और सुरक्षा में सुधार करती है।

ख. 3,006 स्व-नियंत्रित स्व-बचाव उपकरणों (SCSR) की खरीद कर इन्हें खानों को प्रदान किया गया है।

ग. दो खानों में मैन-राइडिंग सिस्टम लगाया गया है। अब मैन-राइडिंग सिस्टम वाली खानों की कुल संख्या सात (07) हो गयी है।

घ. क्रॉलर माउंटेड युनिवर्सल ड्रिलिंग मशीन प्रदान करके छत-ड्रिलिंग उद्देश्य के लिए कठिन और दुष्कर मैनुअल ड्रिलिंग को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। ईसीएल की खानों में ऐसी 137 मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। यह सुरक्षा के सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

ङ. हाल ही में ईसीएल की खदानों में हुई दुर्घटना के आधार पर एनिमेटेड फिल्म तैयार करने में ईसीएल सभी अनुषंगी कंपनियों में पहले स्थान पर रहा है। यह वीटी केंद्रों पर जागरूकता और एक प्रशिक्षण उपकरण के रूप में नियमित प्रदर्शित की जाती हैं।

च. सभी 27 ओपन कास्ट माइन्स का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है।

छ. सभी खानों की सुरक्षा प्रबंधन योजना तैयार और डीजीएमएस में प्रस्तुत की गई है।

ज. सितंबर, 2019 में सभी खानों का इंटर एरिया सेफ्टी ऑडिट पूरा हो चुका है और इसके उल्लंघन का अनुपालन जनवरी, 2020 तक पूरा हो गया। 424 उल्लंघन के कुल उल्लंघन के खिलाफ 100% अनुपालन किया गया।

झ. ईसीएल, मुख्यालय के आईएसओ अधिकारियों ने खदानों की सुरक्षा स्थिति पर चर्चा और इसके अनुपालन के लिए वर्ष के दौरान ईसीएल की विभिन्न खानों में 512 निरीक्षण किए हैं।

ञ. सभी आउटसोर्स ओसीपी और अनुबंध प्रतिष्ठानों में ठेकेदारों के कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की जांच करने के लिए फरवरी और मार्च, 2020 में विशेष सुरक्षा अभियान आयोजित किया गया था।

ट. वर्ष के दौरान आईएसओ पूछताछ के आधार पर नौ (09) सुरक्षा परिपत्र / सिफारिशें जारी की गईं।

ठ. वर्ष के दौरान नियमित आधार पर क्षेत्रों द्वारा निकट मिस दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग शुरू कर दी गई है।

ड. कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) के लिए मॉनिटर / लाइट इंडिकेशन के साथ एक सीपीआर माणिकिन को क्रय किया गया है।

12.4 सुरक्षा में कामगारों की भागीदारी

क. कॉर्पोरेट स्तर की त्रिपक्षीय सुरक्षा बोर्ड की 59 वीं बैठक 8 नवंबर 2019 को आयोजित की गयी, जो कंपनी की सुरक्षा पर उच्चतम स्तर की बैठक थी।

ख. ऑपरेटिंग ट्रेड यूनियनों का प्रतिनिधित्व करने वाले कंपनी स्तर के सुरक्षा बोर्ड के सदस्यों ने आईएसओ अधिकारियों के साथ वित्तीय वर्ष के दौरान एक बार सभी खानों का निरीक्षण किया।

ग. खदानों की सुरक्षा समिति में ठेकेदारों के श्रमिकों के प्रतिनिधि को शामिल किया गया है।

12.5 मानसून की निगरानी:

वर्ष 2019-20 के दौरान मानसून की तैयारी के लिए कोलियरी प्रबंधन सहित नोडल अधिकारी/ सुरक्षा विभाग के क्षेत्रीय प्रभारी द्वारा फरवरी 2020 माह में विशेष अभियान चलाया गया और इसके कार्यान्वयन की स्थिति की निगरानी नियमित अंतराल पर की गई। ईसीएल मुख्यालय में दिनांक 10.06.2019 से 15.10.2019 तक 24x7 के आधार पर एक नियंत्रण कक्ष खोला गया था,जिसमें सक्षम अधिकारियों को तैनात किया गया था और उन्हें टेलीफोन एवं वाहन भी उपलब्ध कराये गए थे, ताकि वे आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्रों में संचालित नियंत्रण कक्ष से अविलंब संपर्क कर सकें। कंपनी के अधिकारी 'बाढ़-चेतावनी संदेश' प्राप्त करने हेतु डीवीसी, मैथन के मुख्य अभियंता (हाईड्रल) के साथ सीधे संपर्क में रहते थे, ताकि नदी का एचएफएल बढ़ने के कारण जब कभी पंचेत एवं मैथन बांध से पानी छोड़ा जाये तो उसकी सूचना समय पर प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त,वे मौसम का पूर्वानुमान-रिपोर्ट टेलीफोन एवं फैक्स के माध्यम से प्राप्त करने के लिए निदेशक मौसम विभाग, अलीपुर, कोलकाता तथा निदेशक, क्षेत्रीय चक्रवात चेतावनी केन्द्र, अलीपुर,कोलकाता के साथ सीधे संपर्क में रहते थे, ताकि भारी वर्षा/गर्जन/मूसलाधार बारिश आदि की चेतावनी क्षेत्रों को समय पर उपलब्ध कराया जा सके।

12.6 वर्ष 2019-20 के दौरान प्रदान किए गए सुरक्षा-प्रशिक्षण

क्र. सं.	प्रशिक्षण का प्रकार/शीर्षक	कार्यक्रमों की सं.	प्रतिभागियों की कुल सं.	संस्थान
1.	फ्रंटलाइन पर्यवेक्षकों के लिए दो सप्ताह का संरचित प्रशिक्षण	2	52	एमटीसए, धाडका
2.	माइनिंग सरदारशिप परीक्षा के लिए कोचिंग	1	09	
3.	माइनिंग सरदार के लिए रिफ्रेशर प्रशिक्षण	2	40	
4.	द्वितीय श्रेणी परीक्षा के लिए कोचिंग	1	18	
5.	प्रथम श्रेणी परीक्षा के लिए कोचिंग	1	13	
6.	सर्वेयरशिप के लिए कोचिंग	1	10	
7.	विद्युत पर्यवेक्षकों के लिए कोचिंग	2	19	
8.	वर्कमैन निरीक्षकों के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम	3	63	एम.टी.आई., रतिबाती
9.	कार्मिकों के सहयोग के लिए सुरक्षा	1	32	
10.	ओवरमैन रिफ्रेशर पाठ्यक्रम	1	24	
11.	दुर्घटना से बचाव के लिए सुरक्षा जागरूकता	1	06	
12.	कामगारों के लिए पिट सुरक्षा समिति बैठक	1	32	
13.	पर्यवेक्षकों के लिए पिट सुरक्षा समिति की बैठक	2	32	
14.	खनन/वि. एवं यां./उत्खनन पर्यवेक्षकों के लिए सुरक्षा अभियांत्रिकी	3	29	
15.	फ्रंटलाइन पर्यवेक्षकों के लिए संरचित प्रशिक्षण	3	27	
16.	स्टोइंग का सुरक्षित संचालन और अनुरक्षण	2	8	
17.	फेस वर्करों के लिए सुरक्षा एवं उत्पादकता प्रशिक्षण	2	18	
18.	एसडीएल/एलएचडी के सुरक्षित परिचालन एवं रखरखाव का प्रशिक्षण	2	28	

12.7 ईसीएल में बचाव (रेस्क्यू) सेवाएँ:

बचाव सेवाएँ ईसीएल की सभी कोलियरियों, बीसीसीएल के चांच विक्टोरिया क्षेत्र, इस्को के रामनगर कोलियरी के साथ-साथ नगर प्रशासन एवं लोक प्राधिकरणों को (आवश्यक होने पर) को माइंस रेस्क्यू स्टेशन, सीतारामपुर, झांझरा और मुगमा में परिचालित **रेस्क्यू रूम विद रिफ्रेशर ट्रेनिंग** (आरआरआरटी) केंद्र एवं रेस्क्यू कक्षों द्वारा प्रदान की जाती है।

12.8 वर्ष के दौरान रेस्क्यू सेवाओं के माध्यम से आग/ स्वत:: तापन जैसी घटनाओं का सफलता पूर्वक निपटान निम्नलिखित खदानों में किया गया:

क्र. सं.	कोलियरी/घटनास्थल	क्षेत्र	दिनांक	घटना की प्रकृति/कार्य की प्रकृति
1	एमआईसी झांझरा	झांझरा	23.07.2019 से 31.07.2019 तक	आइसोलेशन स्टॉपिंग की शिफ्टिंग
2	मिलेनियम इंक्लान	बंकोला	15.08.2019 से 15.08.2019	स्वत: तापन से निपटना
3	मधुसूदन पुर 7 पिट	कजोरा	25.12.2019 से 27.12.2019	स्वत: तापन से निपटना

12.9 बचाव प्रशिक्षण:

माइंस रेस्क्यू स्टेशन में प्रारंभिक के साथ-साथ पुनश्चर्या (रिफ्रेशर) प्रशिक्षण भी नियमित रूप से प्रदान किया जाता है, जिसका विवरण निम्नलिखित है:

विवरण	2019-20	2018-19
सक्रिय रेस्क्यू प्रशिक्षित कर्मियों की संख्या	523	544
नये प्रशिक्षित कर्मियों की संख्या	30	59
पुनश्चर्या (रिफ्रेशर) अभ्यासों की संख्या	4730	4988
आपातकाल की संख्या	03	09

12.10 क्षेत्रीय माइंस रेस्क्यू प्रतियोगिता और अखिल भारतीय माइंस रेस्क्यू प्रतियोगिता (कोयला तथा धातु):

वर्ष 2019-20 का क्षेत्रीय माइंस रेस्क्यू प्रतियोगिता, पूर्वी अंचल का आयोजन दिनांक 17 एवं 18 अक्टूबर, 2019 को किया गया,जिसमें ईसीएल

के विभिन्न क्षेत्रों से 10 रेस्क्यू टीमों ने भाग लिया। 50वीं अखिल भारतीय माइंस रेस्क्यू प्रतियोगिता (कोयला तथा धातु) का आयोजन मैसर्स एमसीएल के माइंस रेस्क्यू स्टेशन, ब्रजनगर, ओरिएंट क्षेत्र में दिनांक 19 से 22 नवम्बर, 2019 तक किया गया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न कोयला एवं धातु कंपनियों से कुल 23 रेस्क्यू टीमों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में ईसीएल की दो टीमों ने भी भाग लिया और इन्हें एफएबी में प्रथम, सांविधिक में प्रथम और ईसीएल को संपूर्ण रूप से छठा पुरस्कार प्राप्त हुआ।

12.11 माइंस रेस्क्यू स्टेशन के लिए बजट प्रावधान:-

विवरण	पूंजीगत बजट (₹ लाख में)		राजस्व बजट (₹ लाख में)	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
स्वीकृत	103.50	511.68	2,502.26	2,051.30
व्यय	28.46	176.58	2,394.90	2,016.19

12.12 वर्ष 2019-20 के लिए एमओयू लक्ष्य के अनुसार उपलब्धियों की स्थिति

क्र. सं.	निष्पादन मानदंड	मापन में इकाई	वर्ष के लिए लक्ष्य	उपलब्धि
1.	सभी खदानों का सुरक्षा आडिट और सुरक्षा आडिट की सिफारिशों का अनुपालन, यदि कोई हो	दिनांक	31.01.2020	31.01.2020 में पूर्ण
2.	पिछले वर्ष की तुलना में घातक दुर्घटना दर में कमी % (प्रति मिलियन टन)	%	5	-41.18
3.	पिछले वर्ष की तुलना में गम्भीर दुर्घटना दर में कमी % (प्रति मिलियन टन)	%	5	25

13.0 गुणवत्ता नियंत्रण:

13.1 वजन स्थिति:

विगत वर्ष की तुलना में 2019-20 में बिजली घरों एवं अन्य के आपूर्ति खाते के लिए ईपीएस की मात्रा निम्नलिखित है:

(सभी आंकड़ें मिलियन टन में)

विवरण	2019-20			2018-19		
	विद्युत	अन्य उपभोक्ता	कुल	विद्युत	अन्य उपभोक्ता	कुल
प्रेषित मात्रा	45.33	3.80	49.13	46.886	3.337	50.224
ईपीएस के तहत मात्रा तौल	45.23	3.80	49.03	46.199	3.337	49.536
ईपीएस के तहत तौल %	99.78	100	99.79	98.53	100	98.63

13.2 कोयले के साइजिंग की स्थिति:

वर्ष 2019-20 के दौरान कोयला का कुल प्रेषण 49.135 मिलियन टन था,जिसमें से पावर सेक्टर को 45.33 मिलियन टन प्रेषित किया गया। ईसीएल से 100 एमएम आकार के 100 % क्रश कोयले की आपूर्ति की जा रही है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(सभी आंकड़ें मिलियन टन में)

कोयला साइजिंग	2019-20			2018-19		
	विद्युत	अन्य	कुल	विद्युत	अन्य	कुल
सीएचपी/एफबी में आकार किए गए कोयले की मात्रा (एल/टी)	45.33	3.80	49.13	46.886	3.337	50.224
%	100	100	100	100	100	100
आकार किए गए कोयले का कुल %	100	100	100	100	100	100

14.0 सतर्कता गतिविधियाँ:

ईसीएल में प्रबंधन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता, दायित्व बोध तथा दक्षता सुनिश्चित करने में सतर्कता विभाग सहायता करता है। संस्थान की कार्यप्रणाली की छवि को 'पारदर्शी तथा उचित' दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार की सतर्कता गतिविधियाँ वर्ष भर जारी रही। ईसीएल के विभिन्न हितधारकों के बीच विश्वास बहाली के लिए पिछले वर्ष कुछ कठोर एवं अभिनव कदम उठाए गए थे। वर्ष के दौरान ईसीएल के सतर्कता विभाग द्वारा प्राप्त शिकायतों पर बड़ी संख्या में जांच की गई, जिसके फलस्वरूप विभिन्न कमियों / अनियमितताओं को उजागर किया

गया। इन कमियों/ अनियमितताओं को दूर करने के लिए प्रचलित कार्य प्रणाली में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए। इसके अतिरिक्त, कंपनी के संचालन में और अधिक जवाबदेही, पारदर्शिता तथा निष्पक्षता लाने के लिए उन मामलों को गंभीरता से लिया गया, जिनमें जानबूझकर कर गलत नीयत से अनियमितता बरती गई थी। कई मामले का निपटान संबंधित अधिकारियों को सजा देकर किया गया। कमियों को दूर करने के लिए कई विभागों में गहन जांच की गई और कई मामलों का निपटान "प्रणाली सुधार" के रूप में किया गया। सतर्कता विभाग के नियमित देखरेख एवं निगरानी में ईसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक आईटी एवं ई-गवर्नेन्स प्रणाली को लागू किया गया है।

14.1 निवारक सतर्कता:

वर्ष 2019-20 के दौरान, सतर्कता विभाग द्वारा ईसीएल की विभिन्न इकाइयों तथा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर औचक निरीक्षण किया गया ताकि कंपनी की कार्य पद्धति पर संपूर्ण रूप से नजर रखी जा सके। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण संख्या में लाभार्थियों को शामिल करते हुए विभिन्न स्टेक होल्डरों के लिए सतर्कता जागरूकता-सह- प्रेरणात्मक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कई मामलों में प्रचलित प्रणाली का गहराई से अध्ययन किया गया और आवश्यकतानुसार 'प्रणाली में सुधार' के लिए कई कदम उठाए गए, ताकि 'निवारक सतर्कता'के रूप वर्तमान प्रणाली में सुधार हो तथा इसकी कमी को दूर किया जा सके। इन प्रयासों से कंपनी की कार्यप्रणाली पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

क्र. सं.	विषय	2019-20	2018-19
i	नियमित जांच सहित औचक जांच/निरीक्षण की संख्या	77	58
ii.	**सतर्कता जागरूकता सह प्रेरक कार्यक्रम**		
	क. आंतरिक संकायों के साथ जागरूकता कार्यक्रम	18	18
	ख. प्रतियोगिता, निबंध/वाद-विवाद/नुक्कड नाटक/सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि	40	23
	ग. बाहरी या आंतरिक संकायों के साथ सेमिनार/कार्यशाला	02	03
	घ. ग्राम सभाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम	02	01
	ड. मोटर साइकिल रैली	01	01
iii.	गहन जाँच	09	08

14.2 सुधार के लिए उठाये गए कदम:

वर्ष 2019-20 के दौरान प्रणाली सुधार की दिशा में निम्नलिखित उपाय किए गए:

1. सीआईएल क्रय नियमावली के अनुबंध 6.5.3 के अनुसार प्रतिबंधित/असूचीकृत का अर्थ देने वाले शब्द "पुट ऑन होलिडे" या अन्य समान अभिव्यक्तियों को सम्मिलित करने के सुझाव से संबंधित प्रणालीगत सुधार ।
2. सिविल कार्यों से संबंधित संक्षिप्त सूचना के प्रकाशन/प्रक्रिया, एनआईटी का प्रसार और बयाना राशि की गणना की प्रक्रिया में प्रणालीगत सुधार।
3. ईसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में डिस्पेंसरियों के संचालन में प्रणालीगत सुधार।
4. किसी भी संविदा कार्य के एनआईटी व बीओक्यु तैयार करने से संबंधित प्रणालीगत सुधार ।
5. उच्च मूल्य दर इंवेंट्री नियंत्रण की खरीद में प्रणालीगत सुधार ।
6. ईसीएल वेबसाइट पर निविदा/संविदा अवार्ड के विवरण की पोस्टिंग से संबंधित प्रणालीगत सुधार ।

14.3 दंडात्मक सतर्कता:

कंपनी की स्वच्छ एवं पारदर्शी छवि को बनाये रखने के लिए जानबूझकर एवं कपटपूर्ण इरादे से की गयी अनियमितताओं से सख्ती से निपटा गया और संबंधित आचरण नियमावली के अनुसार अनुकरणीय दंडात्मक उपाय किए गए। इसके परिणामस्वरूप, कुल 15 (पंद्रह) अधिकारीयों को विभिन्न प्रावधानों के तहत दंडित किया गया।

14.4 तकनीकी लाभ:

कंपनी की पारदर्शिता एवं कार्य क्षमता में सुधार के लिए सतर्कता विभाग द्वारा तकनीकी इस्तेमाल के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:

क्र. सं.	आईटी क्षेत्र में की गयी पहल	स्थिति/टिप्पणी
1.	जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली	उपलब्ध कोयला ट्रकों में कुल 1479 जीपीएस उपकरण लगा दिए गए हैं। मुख्यालय तथा सभी 14 क्षेत्रों में नियंत्रण कक्ष संचालित हैं। वाहनों की ट्रेकिंग जारी है।
2.	सीसीटीवी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक निगरानी	ईसीएल में कुल 1287 सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं। कोयले के 113 डिपो में से 111 डिपो में सीसीटीवी कैमरा स्थापित किया जा चुका है। कोयले के डिपो में कुल 326 सीसीटीवी कैमरा स्थापित किया जा चुका है।
3.	आरएफआईडी आधारित बूम बैरियर एवं रीडर्स	स्थापित (यांत्रिक भाग): 51
4.	तुलाचौकी स्थिति	सड़क-104 एवं रेल-12 स्थापन कार्य पूर्ण
5.	वाइड एरिया नेटवर्किंग (डब्ल्यू ए एन)	146 स्थानों में लिंक स्थापित
6.	कोलनेट एप्लीकेशन	ऑनलाइन मैटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम-राजमहल,जहां पुराना ओएमएमएस ओरेकल आधारित सिस्टम पर चल रहा है को छोड़कर सभी क्षेत्रीय भंडार गृहों में लागू किया गया है।
		वित्तीय लेखा प्रणाली ईसीएल के सभी क्षेत्रों/इकाइयों में लागू किया गया है। एफएएस में लागत शीट उप-मॉड्यूल सभी क्षेत्रों में लागू किया गया है।
		कार्मिक सूचना प्रणाली: ईसीएल मुख्यालय में लागू किया गया है।
		राजमहल क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों में गैर अधिकारी पेरोल क्रियान्वित किया गया है। राजमहल के गैर अधिकारियों के लिए कोलनेंट में डाटंआ पोर्टिंग का कार्य चल रहा है। सभी क्षेत्रों में अधिकारियों के लिए पेरोल को क्रियान्वित कर दिया गया है।
		सभी क्षेत्रों में रेल विक्रय माड्यूल लागू। रोड विक्रय जीएसटी अनुवर्ती कर चालान कोलनेट से सभी क्षेत्रों से निकाला जा रहा है।
		वीवीआइपी संदर्भ: ईसीएल मुख्यालय में लागू किया गया।
7.	ऑनलाइन लीव मैनेजमेंट प्रणाली	अधिकारियों के लिए सभी क्षेत्रों में लागू
8.	मोबाइल एप्लीकेशन 1. बिल ट्रेकिंग प्रणाली 2. ऑनलाइन शिकायत निवारण (निदान) 3. स्वच्छ विद्यालय 4. रोड एंड रेल सेल्स (कोयला ग्राहक सेवा) 5. पर्यावरण 6. ई-स्वास्थ्य	लागू
9.	खानों की चहारदीवारी की जियो फेसिंग	ईसीएल के सभी क्षेत्रों में लागू
10.	इंटर एरिया नेटवर्क (एलएएन/डब्ल्यूएएन)	ईसीएल के सभी क्षेत्र मुख्यालय एवं कोलकाता विक्रय कार्यालय से जुड़ चुके हैं।
11.	बॉयोमेट्रीक उपस्थिति	कंपनी के कर्मचारियों के लिए पे-रोल डाटा को बॉयोमेट्रीक उपस्थिति से जोड़ दिया गया है।
12.	ईएमडी की स्वतः: वापसी	लागू
13.	रिवर्स ऑक्शन	₹ 1 करोड़ से अधिक के अनुमानित संविदा मूल्य के लिए लागू।
14.	3डी टीएलएस	राजमहल एवं सोनपुर बाजारी में स्थापित

14.5 एकीकरण करार कार्यक्रम का कार्यान्वयन:

ईसीएल में एकीकरण करार विधिवत कार्यान्वित किया जा चुका है और यह प्रचलन में है।

14.6 सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन:

केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार ईसीएल में दिनांक 28.10.2019 से 02.11.2019 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का

आयोजन किया गया। इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह के आयोजन का विषय “सत्यनिष्ठा - एक जीवन शैली" था। संपूर्ण कंपनी में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे नुक्कड़ नाटक, मोटर साइक्लोथान आदि का आयोजन किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की144वीं जयंती के अवसर पर दिनांक 31.10.2019 को एक समारोह आयोजित किया गया था। दिनांक 01.11.2019 को, सोनेपुर बज़ारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों के प्रति संवेदित करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों में जागरूकता के प्रसार के लिए ग्राम सभा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिनांक 02.11.2019 को 15 मिनट की एक एनिमेशन फिल्म का प्रसारण किया गया जिसमें बिल ट्रैकिंग प्रणाली के लाभ के बारे में बताया गया। सप्ताह भर चलने वाले इस आयोजन में ईसीएल मुख्यालय और सभी क्षेत्रों/इकाइयों/प्रतिष्ठानों के महत्त्वपूर्ण स्थानों पर भ्रष्टाचार विरोधी नारों के बैनरों और पोस्टरों को प्रदर्शित किया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2019 में लोगों की बड़ी संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ईसीएल के सीयूजी नंबरों की कॉलर ट्युन को दिनांक 21.10.2019 सेट किया गया ताकि सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2019 और इसकी मुख्य विषयवस्तु से लोगों को संवेदित किया जा सके।

14.7 महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ:

क) सामान्य प्रबंधन कार्यप्रणाली के साथ सतर्कता गतिविधियों को एकीकृत करके, जागरूकता-सह प्रेरणा कार्यक्रम में नियमित संवाद के माध्यम से कंपनी को कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के बढ़े हुए मनोबल के रूप में लाभ हुआ है । यह उत्पादन और उत्पादकता में उल्लेखनीय रूप से परिलक्षित हुआ है।

ख) नियमित निगरानी ने उत्पादन की ओवर-रिपोर्टिंग को रोकने में मदद की है और वसूली के कई प्रस्तावों से चूककर्ताओं से दंड के रूप में बड़ी मात्रा में आर्थिक लाभ हुआ है।

ग) पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ दक्षता बढ़ाने में कई आईटी- पहलों का इस्तेमाल बहुत सहायक रहा है । इसके अलावा, अधिक प्रतिस्पर्धी बिडिंग के माध्यम से लागत में कमी आयी है और समग्र रूप से काम का माहौल अच्छा हुआ है।

घ) जांच और रिपोर्ट के लिए सीवीसी और एमओसी संदर्भित मामलों के अनुपालन उल्लेखनीय रूप से किया गया है।

ङ) विभिन्न औचक निरीक्षणों और सीटीई निरीक्षण के परिणामस्वरुप 1,98,61,692.63 रुपए की वसूली / बचत हुई।

14.8 मिशन जटायु के अंतर्गत गतिविधियाँ

दुर्भावनाएँ, अनियमितता और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए सतर्कता विभाग, ईसीएल द्वारा मिशन "JATAYU" के तहत कर्मचारियों और हितधारकों के बीच "FITE" (F - फेयरनेस; I - सत्यनिष्ठा; T - पारदर्शिता; E- समानता) को समाहित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। सामान्य सतर्कता, विभिन्न विषयों पर सीवीसी दिशानिर्देश, विभागीय जांच और प्राकृतिक न्याय, सिविल इंजीनियरिंग, स्टोर और प्रोक्योरमेंट, सामान्य वित्त जागरूकता, और सर्वेक्षण संबंधी मामलों और सावधानियों, केस स्टडीज, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट आदि जैसे विषय इसके अंतर्गत विस्तृत किए गए। मिशन JATAYU के तहत वर्ष के दौरान लगभग 23 जागरूकता कार्यक्रमों को ECL के लगभग सभी क्षेत्रों में आयोजित किया गया।

15.0 कर्मियों का विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XIII के अंतर्गत कंपनी नियमावली, 2014 के नियम 5 (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) में निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक किसी भी कर्मी ने प्राप्त नहीं किया है।

16.0 राजभाषा कार्यान्वयन:

वर्ष 2019-20 के दौरान हिंदी पत्राचार का प्रतिशत,‘क’क्षेत्र में 57.15%,‘ख’क्षेत्र में 87.50% और ‘ग’क्षेत्र में 56.62% दर्ज किया गया। मुख्यालय एवं क्षेत्रों के सभी कंप्यूटरों में यूनिकोड सक्रिय कर दिया गया है, जिससे इन कंप्यूटरों पर हिंदी में काम किया जा सकता है। प्रत्येक विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, ताकि हिंदी पत्राचार में वृद्धि हो सके। गृह मंत्रालय, भारत सरकार को राजभाषा संबंधित त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन भेजी जा रही है। वर्ष 2019-20 के दौरान, मुख्यालय में 1 से 14 सितंबर, 2019 तक हिंदी पखवारे का आयोजन किया गया था और साथ ही हिंदी भाषी और गैर-हिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए अलग-अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया था। हिंदी पखवाड़ा के अवसर पर मुख्यालय परिसर में राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित प्रावधानों को डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित किया गया।

वर्ष के दौरान, 22 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था। दिनांक 07.12.2019 को अखिल भारतीय हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन को किया गया, जिसमें अखिल भारतीय स्तर के कवियों को आमंत्रित किया गया। ‘विश्व हिंदी दिवस’ के अवसर पर दिनांक 10 जनवरी, 2020 को काजी नजरूल विश्वविद्यालय आसनसोल में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया और विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। वर्ष 2019-20 के दौरान ‘ज्योत्सना’ (कंपनी की गृह पत्रिका) के दो अंक प्रकाशित हुए। इसके अलावा, ईसीएल के सालनपुर क्षेत्र से एक वार्षिक हिंदी पत्रिका ‘ऊर्जा स्रोत’ प्रकाशित की गई। ईसीएल दर्पण (द्वैमासिक

पत्रिका, द्विभाषी-हिंदी एवं बांग्ला) को नियमित रूप से प्रकाशित किया जा रहा है और वर्ष के दौरान इसके 06 अंक प्रकाशित किए गए हैं। नराकास मुख्यालय द्वारा अपने सदस्यों के लिए आयोजित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में ईसीएल को 48 टीमों के बीच प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ।

17.0 कंप्यूटरीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी युक्त सेवाएँ:

17.1 ईसीएल में ई-निविदा प्रकोष्ठ की गतिविधियाँ:

क. वर्ष 2019-20 के दौरान, कुल 3959 निविदाएँ सीआईएल ई-टेंडरिंग पोर्टल: http://coalindiatenders.nic.in पर प्रकाशित किए गए,जिनमें से 2117 निविदाओं को पूरा किया गया, 288 को निरस्त किया गया और शेष निर्णय के विभिन्न स्तरों में है।

ख. ई-टेंडरिंग में शामिल हैंग आउट/ टीम व्यूअर, एम्मी एडमिन, एनी डेस्क इत्यादि आधुनिक सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके सभी क्षेत्रों कर्मशालाओं में संस्थानिक तथा रिमोट माध्यम से प्रशिक्षण/सहायता उपलब्ध करायी गयी।

ग. मा .सं .वि. में 47 नव नियुक्त प्रबंधन प्रशिक्षुओं (एमटी) और मौजूदा अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ ई-खरीद के संबंध में विचार-विमर्श एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजित किया गया।

घ. मुख्यालय सहित विभिन्न क्षेत्रों एवं कर्मशालाओं के 98 अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) की व्यवस्था की गई।

ड. वर्ष 2019-20 के दौरान ई-निविदा पोर्टल के माध्यम से टेंडर पूरा होने की औसत चक्र अवधि 113 रही। ई-निविदा पोर्टल के माध्यम से निविदा पूर्ण होने की न्यूनतम चक्र अवधि 11 दिन है।

17.2 विशेष उपलब्धियाँ:

क. कोलनेट: ईसीएल मुख्यालय के केंद्रीय सर्वर में कोलनेट एप्लीकेशन को सक्रिय कर दिया गया है।

कोलनेट मॉड्यूल	क्रियान्वयन की स्थिति
वित्त	सभी क्षेत्रों, स्टोर, वर्कशाप और अन्य प्रतिष्ठानों जैसे माइंस रेस्क्यू स्टेशन और कल्ला सेंट्रल अस्पताल में कार्यान्विता।
सामग्री प्रबंधन	सभी क्षेत्रीय भंडार और कार्यशालाओं में लागू
बिक्री मॉड्यूल (रोड एवं रेल)	सभी क्षेत्रों और तौल सेतुओं (वे ब्रिजों) में लागू
पीआईएस मॉड्यूल	ईसीएल मुख्यालय में केंद्रीकृत रूप से लागू
अधिकारी भुगतान रजिस्टर (पे-रोल)	ईसीएल के सभी क्षेत्रों में लागू
कर्मचारी रजिस्टर (पे-रोल)	राजमहल क्षेत्र को छोड़कर पीस रेटेड कर्मचारियों समेत ईसीएल के सभी सभी क्षेत्रों में कार्यान्वित
फाइनेंस मॉड्युल में नया परिवर्धन	1. कैपिटल और रेवन्यु बजट के लिए बजट कंट्रोल सिस्टम 2. मेडिकल रिफरल मोड्युल को फाइनेंस में समाहित किया गया है।

ख. मोबाइल एप्लीकेशन विकास:

एप्लीकेशन का नाम	विवरण
कॉन्ट्रैक्ट सूचना प्रणाली	विभिन्न क्षेत्र और विभाग सतर्कता विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये एक निश्चित प्रारूप में इस पोर्टल में कॉन्ट्रैक्ट/ कार्यादेश विवरण को अपलोड किया गया है।
ई-आवास पोर्टल	ईसीएल में क्वार्टरों के अनुरक्षण और कब्जा रिपोर्ट इस पोर्टल के माध्यम से अनुवीक्षित की जाती है। क्वार्टरों के 20,000 से अधिक फोटोग्राफ अपलोड किए गए हैं।

17.3 मिशन सुमित (SUMIT) के अंतर्गत गतिविधियां

खदान एवं सूचना प्रौद्योगिकी के सुव्यवस्थित अद्यतनीकरण के लिए मिशन सुमित को प्रारंभ किया गया है। चुंकि सभी खदानों में बहुत पुरानी प्रौद्योगिकी प्रयोग की जा रही थी, इसलिए परियोजना सुमित के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के साथ खदान व सहायक गतिविधियों को समाहित करने की जरूरत महसूस की गयी। वर्ष के दौरान मिशन सुमित के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए गए:-

1. **ईसीएल सीएसआर फोटो एप-** कंपनी में आयोजित विभिन्न सीएसआर गतिविधियों के फोटोग्राफ खींचने और फिर अपलोड करने के लिए एंड्रोयड एप बनाया गया है। इस एप के प्रयोग से क्षेत्रों और मुख्यालय के नोडल अधिकारी फोटोग्राफ खींचकर अपलोड कर सकते हैं। फोटो का अक्षांश, देशांतर, दिनांक व समय भी मेटाडाटा के रूप में दर्ज हो जाता है।
2. **ईसीएल ई-स्वास्थ्य एप- इसमें** ईसीएल में मौजूदा चिकित्सा सुविधाओं के बारे में विवरण है । सेवानिवृत्त कर्मचारी सीपीआरएमएसई/ सीपीआरएमएसएनई के अनुसार प्रस्तुत बिल और बकाया शेष की जांच कर सकते हैं।
3. **रोड वेब्रिज से स्वचालित डेटा पोस्टिंग:** सड़क के माध्यम से प्रेषण में लगे रोड वेब्रिजों से स्वचालित डेटा पोस्टिंग के कार्यान्वयन

की प्रक्रिया वित्त वर्ष 2019-2020 में शुरू की गई थी और इसे हाल ही में पूरा किया गया है। इस सॉफ्टवेयर को रोड डिस्पैच में लगे 50 रोड वेब्रिजों में सफलतापूर्वक शामिल किया गया है और इसका डेटा स्वचालित रूप से बिलिंग उद्देश्य के लिए ईसीएल मुख्यालय में स्थित सेंट्रल सर्वर पर आ जाएगा।

18.0 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार:

संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी को और अधिक उन्नत करने के लिए एमपीएलएस क्लाउड में वाइड एरिया नेटवर्क को मुख्यालय (बैंडविड्थ-100 एमबीपीएस), सभी क्षेत्रों (बैंडविड्थ-10 एमबीपीएस), कोलकाता विक्रय कार्यालय (बैंडविड्थ-10 एमबीपीएस) और सभी तौल सेतुओं (बैंडविड्थ-2 एमबीपीएस), केंद्रीय एवं क्षेत्रीय भंडारों (बैंडविड्थ-2 एमबीपीएस), केंद्रीय कार्यशालाओं (बैंडविड्थ-2 एमबीपीएस) और केंद्रीय चिकित्सालय (बैंडविड्थ-2 एमबीपीएस) कुल 146 स्थलों में उपलब्ध कराया गया है। लीज आधारित इंटरनेट लाइन मुख्यालय, और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में क्रमशः 55 एमबीपीएस एवं 4 एमबीपीएस बैंडविड्थ के साथ उपलब्ध हैं। ऑटो-सह-मैनुअल डायल संचार प्रणाली द्वारा भूमिगत खदानों की संचार प्रणाली को बढ़ाकर कुल 36 खदानों में चालू है। रोड वे-ब्रिज, सेंट्रल एंड एरिया स्टोर, सेंट्रल वर्कशाप और केंद्रीय अस्पताल में 11 नए अतिरिक्त वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्शन उपलब्ध कराया गया हैं।

19.0 भूमि अधिग्रहण एवं भूमि सूचना की स्थिति:

19.1 भूमि अधिग्रहण की स्थिति:

वर्ष 2019-20 के दौरान विभिन्न विधियों के तहत भूमि अधिग्रहण/कब्जा की स्थिति का विवरण निम्नलिखित है:

अधिग्रहण की विधि	अधिग्रहीत (हे.में)	कब्जा (हे.में)
काश्तकारी भूमि की सीधी खरीद	52.60	52.60
एल. ए. अधिनियम/ आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम	-	-
सीबीए अधिनियम	-	111.11
सरकारी भूमि का हस्तांतरण	2.89	2.89
वन भूमि का अंतरण	124.28	-
कुल	179.77	166.60

19.2 सरकारी भूमि का स्थानांतरण:

पश्चिम बंगाल:

वर्तमान वर्ष में राज्य सरकार ने 7.14 एकड़ सरकारी भूमि के हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है, जो कुनुस्तोरिया क्षेत्र के इगारा मौजा से संबंधित है। केंदा मौजा (केंदा क्षेत्र) में 2.81 एकड़ भूमि और पारसकोले मौजा (कजोरा क्षेत्र) में 21.04 एकड़ भूमि का हस्तांतरण राज्य सरकार से अनुमोदन के लिए लंबित है।

झारखंड:

चित्रा, एसपी माइंस, 137.02 एकड़: ईसीएल ने चित्रा ईस्ट ओसीपी के लिए 30 साल की लीज पर सरकारी और गोचर भूमि के 137.02 एकड़ जमीन के हस्तांतरण के लिए पहले से ही मांगी गयी राशि जमा कर दी है। उक्त जमीन का हैंडओवर राज्य सरकार से नहीं मिला है। 5 मार्च, 2020 को मुख्यमंत्री के साथ बैठक में राज्य प्राधिकरणों द्वारा निर्मित स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार, ईसीएल को भूमि का अधिकार सौंपने के लिए राज्य प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तावों की प्रक्रिया के संबंध में निम्नानुसार है:

भूमि क्षेत्रफल (एकड़ में)	स्थिति
13.50	संदर्भ पत्र संख्या 4123 दिनांक 30.10.2019 द्वारा कैबिनेट से अनुमोदित, लेकिंग 31.03.2020 तक कब्जा नही मिला।
64.64	संदर्भ पत्र संख्या 171 व 179 दिनांक 22 जनवरी, 2020 द्वारा विभागीय अनुमोदन के लिए संसाधित
33.44	संदर्भ पत्र संख्या 397 व 399 दिनांक 18 फरवरी, 2020 द्वारा विभागीय अनुमोदन के लिए संसाधित
6.22	6.22 एकड़ का प्रस्ताव पुनर्परीक्षा के लिए वापस
19.22	अमान्य भूमि, डीसी देवघर ने कहा ग्राम सभा 15 मार्च, 2020 को होगी

19.3 सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत प्रगति:

परियोजना का नाम	जिला/राज्य	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	आवेदन की तारीख	स्थिति
अमरकोंदा-मुरगादंगल	दुमका झारखंड	767.77	22.02.2019	भारत के राजपत्र में एस.ओ. संख्या 495 दिनांक 28 मार्च, 2019 द्वारा धारा 4(i) के अंतर्गत अधिसूचना प्रकाशित
चिचरो पटसीमल समेत ब्रह्मिनी नार्थ	दुमका झारखंड	1703.137	09.05.2019	भारत के राजपत्र में एस.ओ. संख्या 918 दिनांक 03 जून, 2019 द्वारा धारा 4(i) के अंतर्गत अधिसूचना प्रकाशित
ब्रहमिनी सेंट्रल	दुमका झारखंड	3731.985	29.05.2019	भारत के राजपत्र में एस.ओ. संख्या 1257 दिनांक 16 जुलाई, 2019 द्वारा धारा 4(i) के अंतर्गत अधिसूचना प्रकाशित
ब्रहमिनी साउथ	दुमका झारखंड	1305.248	29.05.2019	भारत के राजपत्र में एस.ओ. संख्या 1256 दिनांक 08 जुलाई, 2019 द्वारा धारा 4(i) के अंतर्गत अधिसूचना प्रकाशित

19.4 पुनर्वास की स्थिति

वर्ष 2019-20 के दौरान पुनर्वास लाभ प्राप्त करने वाले परियोजना प्रभावित परिवारों की स्थिति-

क्षेत्र का नाम	नौकरी के बदले आर्थिक लाभ	भूमि के बदले आर्थिक लाभ	भूमि दी गयी	वास्तविक रूप से शिफ्ट परियोजना प्रभावित परिवार
सोनपुर बजारी	-	-	-	-
एस पी माइंस	-	-	-	-
पांडवेश्वर	-	149	-	324
राजमहल	35	-	-	-
सलानपुर	-	-	-	211
सोदपुर	39	35	-	-
कुल	**74**	**184**	**-**	**535**

19.5 केंद्र/राज्य सरकार से प्राप्त अनुमोदन

कोयला मंत्रालय:

क. 2/3 जनवरी, 2020 को प्राप्त सीबीए अधिनियम, 1957 के तहत हासिल की गई डकैता मौजा में 34.05 एकड़ भूमि के अधिग्रहण पर मौजा तालझरी के परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के प्रस्ताव को मंजूरी।.

ख. 21 अक्टूबर, 2019 को प्राप्त 47.83 एकड़ जमीन पर हयुकिता और सुरमरी मौजा में पुनर्वास स्थल विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी।

ग. परियोजना प्रभावित लोगों के लिए 16/19 अगस्त, 2019 को प्राप्त 27.266 हेक्टेयर भूमि पर डुमरिया और राबडीह संथाली मौजा में पुनर्वास स्थल को विकसित करने की स्वीकृति।

राज्य सरकार:

ईसीएल के पक्ष में ए 1 भूमि की रिकॉर्डिंग और निजी डेबोटेर भूमि के हस्तांतरण और म्यूटेशन जैसे लंबे समय से लंबित मुद्दों को पश्चिम बंगाल के राज्य प्राधिकरणों के विभिन्न स्तरों पर निपटाया गया था। कई बैठकें जिला और साथ ही राज्य के मुख्यालय स्तर पर आयोजित की गईं। अंत में, 26 फरवरी, 2020 को पश्चिम बंगाल के प्रधान सचिव और एलआरसी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में कुछ निर्देश जारी किए गए, जिनका पालन राज्य के पदानुक्रम के निचले स्तरों पर किया जाना है। ईसीएल अब इस मामले को जल्द सुलझाने के लिए कार्य कर रहा है।

19.6 वर्ष 2019-20 के दौरान विशेष उपलब्धियाँ:

1. 7 जिलों में जिला भूमि प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जहां वर्तमान में ईसीएल संबंधित जिलों में भूमि संबंधी मुद्दों के समाधान और समाधान के लिए चल रही है।s.
2. एसओपी: एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की गई है और एएससीआई, हैदराबाद द्वारा इसकी जांच की जा रही है।
3. ईसीएल ने भूमि अधिग्रहण के वास्तविक रिकॉर्ड रखने के लिए वेब-आधारित सॉफ्टवेयर लॉन्च करने और भूमि अधिग्रहण / कब्जे / मुआवजे/ रोजगार आदि के भुगतान के प्रसंस्करण प्रस्तावों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए एक पहल की है। इसे एनआईसी पश्चिम बंगाल के माध्यम से लागू किए जाने की संभावना है।

4. ईसीएल की जमीनों के संबंध में दस्तावेज खोजने के लिए पूर्व बर्धमान, पश्चिम बर्धमान, बांकुरा और पुरुलिया जिलों के डीएसआर और एडीएसआर कार्यालयों में भूमि रिकॉर्ड की खोज की गई है। उक्त खोज के परिणाम दो खंडों में प्रकाशित किए गए हैं (जिन्हें बुकलेट ऑफ डीड्स वॉल्यूम I और II के नाम से जाना जाता है) और सभी क्षेत्रों में परिचालित किया गया। उक्त पुस्तिका के वॉल्यूम (III) की तैयारी चल रही है। खोज की प्रक्रिया अभी भी उन कार्यालयों के साथ-साथ 'रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस', कोलकाता के कार्यालय में चल रहा है।

20.0 सुरक्षा प्रबंधन:

सुरक्षा विभाग का लक्ष्य कंपनी की सामग्री एवं परियोजनाओं की सुरक्षा है तथा कोयला चोरी एवं अवैध खनन गतिविधियों को रोकना है। कंपनी में चार प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है।

1.	ईसीएल सुरक्षा	-	2071 कर्मचारी
2.	सीआईएसएफ	-	862 कर्मचारी
3.	संविदा सुरक्षा	-	1500 कर्मचारी
4.	होम गार्ड	-	170 कर्मचारी

ईसीएल सुरक्षा :

ईसीएल सुरक्षा कर्मियों का मुख्य कर्तव्य कंपनी की संपत्ति यानि भंडार, कार्यालय, बारूद घर, कोल डिपो/ साईडिंग्स, कॉलोनियों की सुरक्षा करना और प्रबंधन के आवश्यकतानुसार वीआईपी की एस्कॉर्टिंग करना है। लोडिंग होने तक लोडेड रेलवे रेक, टिपिंग ट्रकों/कोल डिपो से डंपरों/साइडिंग से रेलवे वे-ब्रिजों की एस्कॉर्टिंग करना है। कोई संदिग्ध सूचना एवं खुफिया जानकारी प्राप्त होने पर हमारे सुरक्षा कर्मियों, स्थानीय पुलिस और के.औ.सु.ब. द्वारा संयुक्त रूप से छापामारी भी किया जाता है और कोयला चोरी में शामिल ट्रकों/वाहनों को जब्त किया जाता है तथा अपराधियों को गिरफ्तार कर उन्हें स्थानीय पुलिस थाने को सौंप दिया जाता है और तदनुसार उसके विरूद्ध एफआईआर दर्ज की जाती है। ईसीएल में हड़ताल/घेराव/प्रदर्शन/भूख हड़ताल प्रदर्शन के समय और ईसीएल के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने पर कंपनी के सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया जाता है।

संविदा सुरक्षा:

सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए ईसीएल सुरक्षा कर्मियों के साथ संविदा सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया जाता है।

सीआईएसएफ:

सीआईएसएफ को ईसीएल की राजमहल, सोनपुर बज़ारी एवं एसपी माइन्स में स्थायी तौर पर तैनात किया गया है। इसके अलावा,मुगमा, सलानपुर, श्रीपुर, कुनुस्टोरिया, पांडवार, कालीदासपुर और सतग्राम क्षेत्र में भी इनके लिए कैंप बनाये गए हैं। वे अवैध खनन, कोयले की अवैध तस्करी और अवैध कोयला डिपो के विरूद्ध छापामारी करने के लिए मोबाइल ड्यूटी पर तैनात रहते हैं और कोलियरी/क्षेत्र में हड़ताल/घेराव के दौरान भी तैनात किए जाते हैं।

होमगार्ड:

मुगमा, एसपी माइंस एवं राजमहल क्षेत्र में ईसीएल सुरक्षा कर्मियों के साथ 170 होमगार्ड तैनात किए गए हैं।

ईसीएल में सुरक्षा विभाग के पुनर्गठन के लिए उठाए गए कदम:

क. सीआईएसएफ मुख्यालय को 700 के.औ.सु.बलों का अनुरोध भेजा गया है। इन्हें विशेष रूप से ईसीएल के बारूद घरों में तैनात करने की योजना है, जिनमें से 210 के.औ.सु.ब. जवानों का अनुमोदन गृह मंत्रालय द्वारा दिया गया है।

ख. रेलवे साइडिंग में सीसीटीवी आरएफआईडी एवं बूम बैरियर जैसी अन्य मशीनों की स्थापना के लिए एजेंसियों से संपर्क किया गया है।

ग. ईसीएल मुख्यालय में बायो-मीट्रिक उपस्थिति प्रणाली को स्थापित किया गया है।

घ. स्थानीय पुलिस थानों से जब्त कोयले को इकट्ठा करने के लिए एक तंत्र तैयार किया गया है। ईसीएल ने विभिन्न पुलिस थानों से जब्त कोयले को प्राप्त किया है।

ङ. झारखंड पुलिस के पर्यवेक्षण में आईआरबी, जामताड़ा में 649 प्रशिक्षु सुरक्षा गार्डों को मूलभूत प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। सभी प्रशिक्षु सुरक्षा गार्डों को नियमित कर दिया गया है।

च. वर्ष के दौरान विभिन्न ग्रेडों के 1048 सुरक्षा कार्मिकों को पदोन्नति दी गयी।

कोयले के अवैध खनन/परिवहन की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदम:

1. खुफिया जानकारी इकट्ठा करना।
2. विभागीय पे-लोडर/ डोजर और कभी-कभी अनुबंधित माध्यम से अवैध कोयला खनन स्थलों तथा भू-धंसान क्षेत्र को डोजिंग करना/भरना/सील करना।
3. सीआईएसएफ,पुलिस एवं ईसीएल सुरक्षा कर्मियों द्वारा संयुक्त रूप से औचक जाँच/ छापामारी करना और चोरी में शामिल वाहनों के साथ अवैध कोयला/तस्करी-कोयले को जब्त करना और अपराधियों को पकड़कर उन्हें स्थानीय पुलिस थानों को सौंपना।

4. अवैध खनन और कोयला चोरी पर अंकुश लगाने के लिए पश्चिम बंगाल एवं झारखंड राज्य के जिला प्राधिकारियों के साथ राज्य एवं जिला स्तरीय बैठक (पश्चिम बंगाल के बर्धमान, बांकुरा, पुरुलिया एवं बीरभूम और झारखंड के साथ संयुक्त जिला स्तरीय बैठक) की गई है।
5. कोयला चोरी और अवैध खनन के मुद्दों से निपटने के लिए एक समर्पित टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अवैध खनन गतिविधियों का पता लगाने के लिए क्षेत्रीय महाप्रबंधकों, एजेंटों और प्रबंधकों द्वारा लीजहोल्ड क्षेत्रों के साप्ताहिक निरीक्षण से प्रणाली में सुधार लाया गया है
6. जिला प्राधिकारी एवं सब-डिविजन प्राधिकारी द्वारा संबंधित पुलिस थानों को अपनी सतर्कता बढ़ाने का सलाह दिया गया है, ताकि डोजिंग किए गए अवैध खनन स्थलों को फिर से खोलने से रोका जा सके।
7. क्षेत्रीय दल द्वारा प्रभावित स्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है, जिसमें सीआईएसएफ अधिकारियों के साथ महाप्रबंधक, क्षेत्रीय सर्वे अधिकारी, क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी संयुक्त रूप से शामिल होते हैं और तदनुसार उचित रणनीति बनाने के लिए कमांडेंट, सीआईएसएफ कार्यालय में नियमित रूप से बैठकें की जाती हैं.
8. न्यायालय में लंबित मामलों के तार्किक निष्पादन के लिए ईसीएल ने वकील की प्रतिनियुक्ति की है।
9. निचली अदालत और आसनसोल के सत्र न्यायालय में लोक अभियोजक के साथ भी चर्चा की गई है ताकि अदालत में लंबित मामले की त्वरित सुनवाई के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें।
10. कोयले की चोरी को रोकने के लिए सीआईएसएफ,निजी सुरक्षा कर्मियों एवं ईसीएल सुरक्षा कर्मियों द्वारा संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण/ छापामारी की जाती है। औचक निरीक्षण/ छापामारी के दौरान अवैध कोयले की जब्त किया जाता है और अपराधियों को पकड़कर उनके विरूद्ध स्थानीय पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की जाती है। करने के बाद उन्हें पुलिस को सौंप दिया जाता है।
11. सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों द्वारा साइडिंग से रेलवे तौल सेतु (वे-ब्रिज)तक कोयले से लदी रेक की एस्कॉटिंग की जाती है।

कोयला चोरी रोकने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप

क. खनन प्रहरी ऐप- आम लोगों को शिकायतकर्ता की पहचान को छिपाते हुए अवैध खनन की किसी भी घटना की सूचना देने के लिए शुरू किया गया।

ख. सभी क्षेत्रों में कोयले की चोरी को रोकने के लिए जीपीएस आधारित वाहन निगरानी प्रणाली का आरंभ कर कदम उठाया गया है।

ग. निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए प्रत्येक रेलवे साइडिंग और अन्य संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

घ. जीपीएस सक्षम वीटीएमएस प्रणाली को लाइव ट्रैकिंग के लिए कोयला परिवहन वाहन में लगाया गया है।

20.1 सीआईएसएफ, ईसीएल सुरक्षा कर्मियों, डीजीआर प्रायोजित सुरक्षा कर्मियों और स्थानीय पुलिस द्वारा जब्त किए गए अवैध तस्करी-कोयले एवं अवैध खनन कोयले का विवरण:

वर्ष	राज्य	छापामारी की संख्या	जब्त कोयला (टन)	जब्त वाहन	पकड़े गए अपराधियों की संख्या	दर्ज एफआईआर की संख्या
अवैध तस्करी-कोयले की जब्ती						
2019-20	पश्चिम बंगाल	1268	13675.06	47	25	228
	झारखण्ड	659	6877.28	06	03	82
	कुल	1927	20552.34	53	28	310
2018-19	कुल	1772	15948.62	65	30	359
	अंतर	155	4603.72	-12	-2	-49
ईसीएल सुरक्षा कर्मियों, सीआईएसएफ तथा स्थानीय पुलिस द्वारा अवैध खनित कोयला की जब्ती						
2019-20	पश्चिम बंगाल	224	1397.54	07	03	224
	झारखण्ड	18	17.11	-	-	18
	कुल	242	1414.65	07	03	242
2018-19	कुल	915	1451.63	27	-	248
	अंतर	-673	-36.98	-20	03	-6

उपर्युक्त आंकड़े सीआईएसएफ, ईसीएल सुरक्षा कर्मियों तथा पुलिस द्वारा कोलियरी परिसर के बाहर की गई जब्ती से संबंधित है। यह कोयला अवैध खनन स्थलों अथवा अवैध तरीकों/अवैध कोयला भंडारों से ट्रकों द्वारा परिवहन किया जा रहा था।

डोजिंग/सीलिंग/अवैध खनन स्थलों की भराई के दौरान ईसीएल के पट्टाधारित एवं गैर-पट्टाधारित क्षेत्र के बाहर डोजिंग स्थल पर ईसीएल के

सुरक्षाकर्मियों सहित सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस को भी तैनात किया जाता है। वर्ष के दौरान अवैध कोयला खनन को रोकने के लिए 1765 स्थलों की डोजिंग/भराई की गई। कोयला चोरी तथा अवैध कोयला खनन की हानिकारक गतिविधि के नियंत्रण के लिए राज्य प्रशासन भी सक्रिय है।

20.2 अवैध रूप से ले जाये जा रहे कोयले की जब्ती:

वर्ष	2019-20	2018-19	अंतर (वृद्धि/कमी)
छापा की सं.	1927	1772	155
एफआईआर/सूचना की सं.	310	359	-49
जब्त कोयले की मात्रा (मीट्रिक टन में)	20,552.34	15,948.62	4603.72
जब्त वाहन की संख्या	53	65	-12
पकड़े गए अपराधियों की सं.	28	30	-02

20.3 अवैध खनन स्थलों से जब्ती

वर्ष	2019-20	2018-19	अंतर (वृद्धि/कमी)
छापा की सं.	242	915	-673
एफआईआर/सूचना की सं.	242	248	-06
जब्त कोयले की मात्रा (मीट्रिक टन में)	1414.65	1451.63	-36.98
जब्त वाहन की संख्या	07	27	-20
पकड़े गए अपराधियों की सं.	03	-	03

20.4 अन्य सामग्रियों की चोरी/ वसूली

वर्ष	2019-20	2018-19	अंतर (वृद्धि/कमी)
छापा की सं.	99	117	-18
एफआईआर/सूचना की सं.	74	76	-2
चोरी गयी संपत्ति (रुपए में)	30,63,022.10	27,38,418.34	3,24,603.76
वसूल संपत्ति (रुपए में)	4,61,392.50	3,66,622.50	94,770.00
पकड़े गए अपराधियों की सं.	01	08	-07

21.0 आउटसोर्सिंग ओसी पैच:

वर्ष 2019-20 में कंपनी ने 33 आउटसोर्सिंग ओसी पैचों से 309.93 लाख टन कोयले का उत्पादन किया तथा 1162.70 लाख घनमीटर मलवा हटाया, जिससे गत वर्ष के 33आउटसोर्सिंग पैचों से 310.08 लाख टन कोयले का उत्पादन तथा 1015.14 लाख घनमीटर मलवा हटाई की तुलना में इस वर्ष कोयला उत्पादन में 0.48% की कमी तथा मलवा हटाई में 14.53% की वृद्धि दर्ज की गई।

21.1 किराए पर एचईएमएम के माध्यम से वर्ष 2019-20 में दिए गए ओपेनकास्ट पैच

क्र.सं.	पैच/क्षेत्र का नाम	अवार्ड की गयी मात्रा		अवार्ड राशि (करोड़ रुपए में)
		कोयला (लाख टन में)	ओवरबर्डेन (लाख क्युबिक मीटर)	
1.	जाम्बाड ओसी पैच, कजोरा क्षेत्र	---	40.00	27.18
2.	खोटाडीह III व IV पैच, पांडवेशवर क्षेत्र	---	86.21	44.42
3.	उत्तरी सियरसोल फेज-IV, कुनुस्तोरिया क्षेत्र	41.00	406.80	280.74

4.	माधवपुर फेज-II ओसी पैच कजोरा क्षेत्र	5.25	27.00	16.58
5.	हुरा सी ओसी पैच, राजमहल क्षेत्र	59.52	120.55	116.09
6.	सोनपुर बजारी क्षेत्र का ड्रैगलाइन पैच	32.20	227.00	238.15
7.	सोनपुर बजारी क्षेत्र क्वारी 2-बी	128.10	841.60	896.66
	कुल			**1619.82**

21.2 वर्ष 2019-20 में अवार्ड की गयी परिवहन संविदा

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम व कार्य	अवार्ड की मात्रा (लाख टन में)	अवार्ड राशि (लाख रुपए में)
1.	झांझरा क्षेत्र (एमआईसी से पीओसीपी साइडिंग तक परिवहन)	26.00	1789.96
2.	झांझरा क्षेत्र (3 और 4 इंक्लाइन से पीओसीपी साइडिंग तक परिवहन)	8.64	650.99
3.	झांझरा क्षेत्र (पीओसीपी-1 और 2 साइडिंग में अनुबंधित वैगन लोडिंग)	40.11	395.26
4.	पांडवेश्वर क्षेत्र (खोटाडीह यूजी स्टॉक से एसएस साइडिंग तक कोयले का परिवहन)	6.35	352.84
5.	सालनपुर क्षेत्र (बोंजहेमरी साइडिंग में वैगन लोडिंग	43.00	376.97
6.	केंडा क्षेत्र (शंकरपुर ओसीपी से बहौला क्रशर तक कोयले का परिवहन)	5.25	269.91
7.	मुगमा (बरमुरी ओसीपी के डिपुओं से सीपी रेलवे साइडिंग तक कोयला लोडिंग और परिवहन)	4.00	399.01
8.	सोनपुर बाजारी (8 लाख टन डिपो से दलुरबैंड साइडिंग)	8.00	528.00
9.	सोनपुर बाजारी (फेस से डिपो तक 90 लाख टन कोयला लोड और परिवहन	90.00	6028.72
10.	कुनसोरिया (बांसरा आरएलवाई में लोडिंग प्वाइंट तक स्टॉक साइट से क्रश्ड कोयले की ढुलाई सहित मोबाइल क्रशर द्वारा क्रशिंग। कुनसोरिया क्षेत्र के तहत साइडिंग)	20.955	574.16
	कुल		**11365.82**

21.3 वैश्विक भूमिगत संविदा: वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भूमिगत खदानों में बड़े पैमाने पर उत्पादन तकनीकी के लिए निम्नलिखित संविदा/गतिविधि की गयी-

क्र. सं.	क्षेत्र	कार्य का नाम	अवार्ड की मात्रा (मिलियन टन में)	अवार्ड राशि (करोड़ रुपए में)
1.	झांझरा	5 एपीपी के लिए झांझरा सीएम-1 का विस्तार	2.55	214.44
2.	झांझरा	5 एपीपी के लिए झांझरा सीएम-II का विस्तार	2.6375	279.32
3.	बंकोला	6 एपीपी के लिए कुमारडीह-बी कम ऊंचाई वाले कंटीन्युअस माइनर की स्थापना	2.09	306.98

22.0 कारपोरेट गवर्नेंस:

कारपोरेट गवर्नेंस वह प्रक्रिया है जिसके तहत शेयरधारकों एवं सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा किया जाता है। यह एक प्रतिबद्धता है,जिसके तहत शेयरधारकों के मौलिक विश्वास को बढ़ाया जाता है, कार्य में पारदर्शिता, संगठन के सभी घटकों के बीच अपने विश्वास मूल्यों को बढ़ाया जाता है। कारपोरेट गवर्नेंस एक ऐसा अनुशासन है जो बोर्ड, प्रबंधन तथा कर्मचारियों को शेयरधारकों के हितों में कार्य करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसमें एक रचनात्मक, सकारात्मक सोच एवं गतिविधि शामिल है जो विभिन्न हितधारकों के मूल्यों को बढ़ावा देता है।

ईसीएल सभी क्षेत्रों के संचालन, अपने सभी हितधारकों की बैठक, शेयरधारकों के मूल्यों को बढ़ावा देने, सभी अंशधारकों को समय पर सभी तथ्यात्मक सूचना उपलब्ध कराने में पूरी पारदर्शिता एवं जवाबदेही पूर्ण कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। जोखिम कम करने एवं भूमि संबंधी कानूनों के अनुपालन, रणनीति कार्यान्वयन में कंपनी को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए कंपनी के पास एक ठोस पद्धति है।

हमारी कंपनी में कारपोरेट गवर्नेंस की धारणा यह है कि दक्षता एवं विकास के सुधार में कारपोरेट गवर्नेंस की अहम भूमिका हो और साथ ही यह

निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने में सहायक हो। यह धारणा निम्नलिखित है :

"एक अच्छे कॉरपोरेट नागरिक के रूप में कंपनी बेहतर कॉर्पोरेट पद्धति, अंतःकरण पर आधारित, सादगी, निष्पक्ष, व्यावसायिकता तथा विभिन्न हितधारकों में विश्वास उत्पन्न करने की जवाबदेही एवं दीर्घकालिक सफलता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

हमारी कंपनी के कारपोरेट गवर्नेंस पर एक **रिपोर्ट अनुलग्नक-VI** में दिया गया है तथा 31 मार्च, 2020को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी द्वारा कारपोरेट गवर्नेंस के अनुपालन के संबंध में लेखा परीक्षक से प्रमाणीकरण भी अनुलग्नक-VII में दिया गया है।

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 92 के अनुपालन में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी का वार्षिक विवरण हमारी वेबसाइट www.eastercoal.gov.in पर उपलब्ध है। **(संलग्नक-VIII)**

23.0 आभार:

आपके निदेशकगण भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, पश्चिम बंगाल सरकार, झारखण्ड सरकार एवं कोल इंडिया लिमिटेड को पूरे वर्ष मूल्यवान निर्देशन एवं सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। वे कंपनी के कर्मचारियों को भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने पूरे मन से कंपनी के हित में कार्य किया। वे सभी मजदूर संगठनों को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने दिन-प्रतिदिन प्रबंधन को अपना सहयोग प्रदान किया है। वे पूरी तरह आश्वस्त है कि कंपनी के सभी स्तर के कर्मीगण आगामी वर्षों में कंपनी के निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए कठिन परिश्रम करते रहेंगे ताकि कंपनी आगामी वर्षों में अपने प्रदर्शन में सुधार ला सके।

आपके निदेशकगण वैधानिक लेखा परीक्षक, लागत लेखा परीक्षक तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कर लेखा परीक्षकों, समवर्ती लेखा परीक्षक, कंपनी रजिस्ट्रार, पश्चिम बंगाल सरकार तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी उनके द्वारा दिए गए सहयोग और निर्देशन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके निदेशकगण उन उपभोक्ताओं को भी धन्यवाद देते है जिन्होंने कंपनी को संरक्षण प्रदान किया।

इस रिपोर्ट के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न है :

i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी।

ii) 2013 के अनुभाग 204(1) के अनुसार कंपनी सचिव द्वारा फॉर्म संख्या एमआर-3 में प्रस्तुत सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट कंपनी अधिनियम, **(अनुलग्नक-IX)**।

iii) विदेशी मुद्रा में आय एवं व्यय **(अनुलग्नक-X)**।

iv) कंपनी के अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का विवरण **(अनुलग्नक - XI)**।

v) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(2) एवं 134(3)(एफ) के तहत निदेशक के रिपोर्ट का अनुशेष जिसमें वैधानिक लेखा परीक्षकों का रिपोर्ट एवं प्रबंधन का उत्तर शामिल है।

निदेशक मंडल की ओर से

(प्रेम सागर मिश्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन-07379202

सांकतोड़िया
दिनांक : 17/08/2020

3.2. 31 मार्च, 2020 तक ईसीएल के कमान क्षेत्र में कार्यान्वित की गयी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की स्थिति:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (₹ लाख में)	आरंभ की तिथि	पूरा होने की संशोधित/ निर्धारित तिथि	प्रगतिशील संवितरण (₹ लाख में)	स्थिति
1.	भूमिगत खान में फंसे खनिकों की अवस्थिति प्रणाली **परियोजना कोड -:** CIL/R&D/1/35/10 **कार्यान्वयन एजेंसी:** टीसीएस, सीएमसी एवं सीएमपीडीआईएल (एमई)	489.70	15 जनवरी, 2010	मार्च, 2015	447.86	(क) जनवरी, 2016 आरएंडडी आधार पर पिछले सप्ताह में समग्र प्रणाली के फील्ड परीक्षणों के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए डीजीएमएस के लिए आवेदन किया गया। ख) निदेशक तकनीकी (आरडीएंडटी), सीएमपीडीआईएल के साथ-साथ एमई डिवीजन और एसएंडटी के अधिकारी सीएमपीडीआईएल ने 26.04.2019 को डीजीएमएस, धनबाद का दौरा किया और डीजीएमएस के डीजी के साथ इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए फील्ड ट्रायल अनुमति जारी करने से संबंधित विस्तार से चर्चा की। सीएमपीडीआईएल के निदेशक तकनीकी (आरडीएंडटी) ने 24.05.2019 और 03.07.2019 के पत्रों के माध्यम से फिर से डीजीएमएस, धनबाद के महानिदेशक से इस परियोजना के तहत फील्ड ट्रायल अनुमति जारी करने का अनुरोध किया। हालांकि डीजीएमएस से फील्ड ट्रायल की अनुमति अभी नहीं मिली है। ग) शीर्ष समिति की 30वीं बैठक में सिफारिश के अनुसार पूरा करने की समयसीमा बढ़ाकर मार्च, 2020 कर दी गई है।
2.	भूमिगत खनन मशीनों के ट्रेलिंग केबलों के लिए रबर कंपाउंड एवं मरम्मत तकनीक का विकास **परियोजना कोड:-** CIL/R&D/1/54/2013 **कार्यान्वयनएजेंसी:** आईआईटी, खड़गपुर एवं ईसीएल	204.07	मार्च, 2013	फरवरी, 2016	202.65	अनुसंधान एवं विकास परियोजना पूरी हो चुकी है और ईसीएल द्वारा मोबाइल वैन को ग्रहण करने और कार्मिकों का प्रशिक्षण प्रक्रियाधीन है।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (₹ लाख में)	आरंभ की तिथि	पूरा होने की संशोधित/ निर्धारित तिथि	प्रगतिशील संवितरण (₹ लाख में)	स्थिति
3.	हाई एश कोल गैसीफिकेशन तथा संबंधित अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम प्रक्रिया (कोयला से रसायन, सीटीसी) **परियोजना कोड:** CIL/R & D/03/03/2076 **कार्यान्वयन एजेन्सी:** आईआईटी-आईएसएम-धनबाद, आईआईटी-रुड़की, सीएमपीडीआईएल-राँची, एमसीएल-सम्बलपुर, ईसीएल-सांकतोड़िया एवं सीसीएल-राँची। तकनीकी सहयोग आईआईटी-आईएसएम, धनबाद तथा ऑस्ट्रेलियायी विश्वविद्यालय (i) कर्टेन विश्वविद्यालय बेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पर्थ 6102 (ii) द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, विक्टोरिया 3010, ऑस्ट्रेलिया तथा (iii) मोनास विश्वविद्यालय, क्लेटन, विक्टोरिया 3800, ऑस्ट्रेलिया	2160.721 आईआईटी, आईएसएम के लिए-1872.007 आईआईटी रुड़की के लिए-131.804 एवं सीएमपीडीआईएल, रांची के लिए-156.910	20 जुलाई, 2017	19 जुलाई, 2020	1685.00 आईआईटी, आईएसएम के लिए-1580.00 आईआईटी रुड़की के लिए-105.00 सीएमपीडीआईएल, रांची के लिए- शून्य	क. फ्लूइड बेड और एनट्रेंड फ्लो गैसिफायर्स दोनों के लिए डिजाइन और पीएंडडी को अंतिम रूप दिया गया है । फैब्रिकेटर्स की पहचान कर ली गयी है जिनके साथ आईआईटी-आईएसएम, धनबाद पीएंडडी और फैब्रिकेशन के अन्य पहलुओं पर चर्चा कर रहा है, जिसमें गैसीफायर्स की रिफ्रैक्टरी लाइनिंग शामिल है । उनके लिए बजटीय कोटेशनों का इंतजार किया जा रहा है। ख. स्पेसिफिकेशन को ठीक करने के लिए पार्टिकल वेलोसीमीटर, हाई स्पीड कैमरा, थर्मल इमेजिंग सिस्टम के साथ फ्लो शीट को पूरा कर लिया गया है। दोनों गैसीफायर 20-35 बार दबाव और 1200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान पर ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं| (1200 डिग्री सेल्सियस -1600 डिग्री सेल्सियस)।
4.	माइनिंग स्लोप सरफेस के सुरक्षित क्षेत्र में उपयोगिता का आकलन तथा ग्राउन्ड आधारित इंटरफेरोमेट्री सिंथेटिक अपर्चर रडार (जीबीएलएन एसएआर) **परियोजना कोड :** CIL/R &D//01/65/2017 **कार्यान्वयन एजेन्सी:** आईआईटी खड़गपुर और ईसीएल, सांकतोड़िया	478.27 आईआईटी खड़गपुर के लिए- 478.27 ईसीएल के लिए– शून्य	1 अगस्त, 2017	31 जुलाई, 2019	430.00	अनुसंधान एवं विकास परियोजना पूरी हो गई है। सोनपुर बजारी ओसीपी, ईसीएल में सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सामानों के साथ GbInSAR उपकरणों की स्थापना और कमीशनिंग सफलतापूर्वक पर 04.10.2018 को पूरा किया गया और 11 मार्च, 2019 तक इसकी स्थापना से बिना किसी भी रुकावट के चौबीसों घंटे के लिए संचालित है। सार्थक निष्कर्षों के लिए उपकरण के बंद होने तक कैप्चर डेटा को IIT, खड़गपुर में विश्लेषण किया गया।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (₹ लाख में)	आरंभ की तिथि	पूरा होने की संशोधित/ निर्धारित तिथि	प्रगतिशील संवितरण (₹ लाख में)	स्थिति
5.	पिट वाटम तथा भूमिगत खदान मार्गों एवं कार्यस्थल का ऑप्टिकल फाइबर आधारित सोलर इल्यूमिनेशन। **परियोजना कोड छ** CIL/R &D//01/66/2017 **कार्यान्वयन एजेन्सी:** आईआईटी खड़गपुर तथा ईसीएल, सांकतोड़िया	155.53 आईआईटी खड़गपुर के लिए- 155.53 ईसीएल के लिए –शून्य	1 अगस्त, 2017	31 जुलाई, 2020	150.00	क) बिखरने वाले प्रकाश के अपव्यय को कम करने के लिए सिमुलेशन और प्रयोगों की मदद से डाइवर्टिंग एलईडी आउटपुट को केंद्रित करने पर अनुकूलन किया जा रहा है। ख) सर्वोत्तम संभव विकल्पों का पता लगाने के लिए रोशनी के उद्देश्य के लिए तीन प्रकार के एलईडी का परीक्षण किया गया है। ग) कम और उच्च लंबाई के लेंस का उपयोग करके कुछ ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश युग्मन किया गया है। घ) प्रारंभिक प्रयोग किए गए हैं। उपरोक्त प्रयोगों से, विकसित युग्मन की मदद से 55% तक प्रकाश युग्मन क्षमता प्राप्त की जा सकती है। ङ) परियोजना के लिए आवश्यक अन्य प्रयोगशाला प्रयोग आईआईटी, खड़गपुर में किए जा रहे हैं.
6.	व्यापक उत्पादन तकनीक के लिए खानों में हवा की आवश्यकता **परियोजना कोड :** CIL/R&D/01/63/2016 **कार्यान्वयन एजेन्सी:** यूएमडी,सीएमपीडीआई (मुख्यालय), राँची	491.27	1 नवंबर, 2016	31 अक्टूबर, 2019	120.39	क) साहित्य सर्वेक्षण पूरा हुआ। ख) परियोजना के लिए आवश्यक सभी उपकरणों की विशिष्टता पूरी हो गई है। उपकरण खरीद की प्रक्रिया जारी है। परियोजना के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद में देरी के कारण परियोजना में देरी हुई है। 12 प्रकार के उपकरण में से केवल 7 नग अब तक प्राप्त हुए हैं।शेष 5 प्रकार के उपकरण के लिए फिर से निविदा जारी कर दी गई है। मई 2019 में क्षेत्र संबंधी गैस सर्वेक्षण शुरू किया गया है और अब तक दो खानों (मूनडीह, बीसीसीएल और ईसीएल के झांझरा) को पूरा किया जा चुका है।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (₹ लाख में)	आरंभ की तिथि	पूरा होने की संशोधित/ निर्धारित तिथि	प्रगतिशील संवितरण (₹ लाख में)	स्थिति
7.	कोयला खदानों में सुरक्षा और उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्चुअल रियल्टी माइन सिम्युलेटर (वीआरएमएस) का विकास परियोजना कोड: CIL/ R&D/01/67/2017 कार्यान्वयन एजेंसियां: आईआईटी-आईएसएम, धंबाद, यूएमडी सीएमपीडीआई रांची, ईसीएल सैंक्टोरिया, एनसीएल सिंगरौली और सिमटार्स आस्ट्रेलिया	1410.10 आईआईटी-आईएसएम : 1320.10 सीएमपीडीआईएल : 90.00	1 सितंबर, 2017	31 अगस्त, 2019	1250.00 IIT-ISM, Dhanbad- 1250.00 CMPDIL, Ranchi- NIL	क) ध्वनिक सहित सिविल कार्य (जहाँ प्रस्तावित वीआरएमएस स्थापित किया जाएगा) आईआईटी-आईएसएम, धनबाद में पूरा होने के चरण में है। आईआईटी, धनबाद ने सिमटार्स, ऑस्ट्रेलिया को आवश्यक वीआरएमएस सेट और अन्य संबंधित उपकरणों के लिए आदेश दिया है, लेकिन अब तक ये आईआईटी, धनबाद नहीं आया है। जिसके कारण, परियोजना में देरी हुई और इसे निर्धारित तिथि के भीतर पूरा नहीं किया गया यानी 31 अगस्त, 2019 तक। ख) शीर्ष समिति की 30 वीं बैठक में सिफारिश के अनुसार पूरा करने की समयावधि 18 महीने बढ़ा दी गई है।

3.3 31 मार्च, 2020 तक ईसीएल के कमान क्षेत्र में कार्यान्वित की गयी कोयला मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित एस एंड टी परियोजनाओं की स्थिति:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (₹ लाख में)	आरंभ की तिथि	पूरा होने की संशोधित/ निर्धारित तिथि	प्रगतिशील संवितरण (₹ लाख में)	स्थिति
1.	भूमिगत कोयला खदानों के लिए टेलि-रोबॉटिक एवं दूरस्थ संचालन तकनीक का विकास **परियोजना कोड-** एमटी (ईओआई) /162 **कार्यान्वयन एजेंसी:** सीएमईआरआई, दुर्गापुर, सिंफर, धनबाद एवं सीएमपीडीआईएल, राँची	440.12 सीएमईआरआई के लिए - 251.57 सिंफर के लिए- 125.55 सीएमपीडीआईएल के लिए - 63.00	सितंबर, 2012	सितंबर, 2019	388.00 सीएमईआरआई के लिए- 250.00 सिंफर के लिए-75.00 सीएमपीडीआईएल के लिए - 63.00	a) इस परियोजना के तहत, ईसीएल के खोट्टाडीह खदान में टेली-रोबोट विकसित किया गया है और इसका क्षेत्र परीक्षण किया गया। b) विकसित रोबोट पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी करने में सक्षम है, जैसे CO2, CH4, O2 का प्रतिशत, और आर्द्रता एवं तापमान। वास्तविक समय ग्राफिकल-यूजर-इंटरफेज़ (जीयूआई) आधारित नेविगेशन कैमरा सेंसर डाटा से भूमिगत खानों में रोबोट की स्थिति और परिचालन वातावरण के 3 डी तस्वीर को प्रदर्शित करने में सक्षम है। कई वायरलेस राउटर के माध्यम से रोबोट के साथ लंबी दूरी तक संचार भी स्थापित किया गया था।. c) परियोजना के प्रस्तावक को सलाह दी गई कि विकसित रोबोट को ठीक करने के लिए डीजीएसएससे अनुमोदन के बाद ही क्षेत्र परीक्षण किया जाए ताकि पर्यावरण के मापदंडों के अनुपालन के लिए भूमिगत खानों में इसे दूर से उपयोग किया जा सके। d) एसएएमईईआर, कोलकाता से IS प्रमाणन प्राप्त हो चुका है और सिंफर, धनबाद से प्राप्त अन्य आवश्यक प्रमाणपत्र भी प्राप्त किए गए हैं। e) डीजीएमएस से क्षेत्र परीक्षण की अनुमति की प्रतीक्षा है।
2	ब्लास्ट डिजाइन और विखंडन नियंत्रण-उत्पादकता **परियोजना कोड:** एमटी /164 **कार्यान्वयन एजेंसी:** सिंफर, धनबाद।	303.86	जनवरी, 2013	सितंबर, 2016	250.00	परियोजना पूरी हो गयी है। सोनपुर बजारी क्षेत्र के महाप्रबंधक द्वारा सिंफर धनबाद को परियोजना पूर्ण होने का प्रमाण पत्र दे दिया गया है।

3.15 चालू परियोजनाओं के कार्यान्वयन की परियोजना निगरानी और स्थिति:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत पूंजी (₹ करोड़ में)	अनुमोदन की मूल तारीख	समापन की निर्धारित तारीख	पूरा होने की अपेक्षित तारीख	टिप्पणी
1.	सोनपुर-बाज़ारी संयुक्त ओसी (8.00 एमटीवाई)	1055.05	अगस्त-2012	मार्च-2018	अक्टूबर-2020	निम्नलिखित वर्षों में प्राप्त उत्पादन - 2017-18: 9.72 एमटीवाई 2018-19: 10.03 एमटीवाई 2019-20 : 11.10 एमटी रेलवे साइडिंग और नए सीएचपी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। भूमि पर कब्जा करने और आर ऐंड आर कार्य प्रगति पर है।
2.	हुरा-सी ओसी (3.00 एमटीवाई)	359.69	अक्टूबर-2015	मार्च-2022	मार्च-2022	चरण-II वानिकी स्वीकृति और भूमि पर कब्जा प्रक्रियाधीन है।
3.	झांझरा संयुक्त यूजी (3.50 एमटीवाई)	602.86	नवंबर-2015	मार्च-2022	मार्च-2022	निम्नलिखित वर्षों में प्राप्त उत्पादन - 2017-18: 3.17 एमटीवाई 2018-19:3.38 एमटीवाई 2019-20: 3.50 एमटी
4.	न्यू केंडा ओसीपी (1.20 एमटीवाई)	127.72	नवंबर-2014	मार्च-2019	मार्च-2021	निम्नलिखित वर्षों में प्राप्त उत्पादन - 2018-19:0.103 एमटीवाई 2019-20: 0.129 एमटी
5.	कुमारडीह-बीसीएम भूमिगत (1.02 एमटीवाई)	117.91	मई-2014	मार्च-2023	मार्च-2023	i) 11.12.2019 को 1 सेट LHCM का कमीशन। 2019-20 में प्राप्त उत्पादन 0.14 मीट्रिक टन है।. ii) एक SHCM की आपूर्ति के लिए अनुबंध को अंतिम रूप दिया गया।
6.	चित्रा पूर्व ओसी (आरसीई) (2.50 एमटीवाई)	513.99	अगस्त-2018	मार्च-2024	मार्च-2024	निम्नलिखित वर्षों में प्राप्त उत्पादन - 2017-18:1.56 एमटीवाई 2018-19: 2.03 एमटीवाई 2019-20: 2.05 एमटी चरण-II वानिकी मंजूरी, भूमि कब्जा और आर ऐंड आर कार्य प्रगति पर हैं।
7.	मोहनपुर विस्तार ओसी (1.00 एमटीवाई)	14.23	जून-2008	जून-2013	मार्च-2020	निम्नलिखित वर्षों में प्राप्त उत्पादन – 2017-18: 0.999 एमटीवाई 2018-19: 0.748 एमटीवाई 2019-20: 0.999 एमटी भूमि पर कब्जा और आर ऐंड आर में देरी हो रही है। विस्तार पीआर (2.50 एमटीवाई) तैयार हो गया था और यह संशोधन की प्रक्रिया में है।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत पूंजी (₹ करोड़ में)	अनुमोदन की मूल तारीख	समापन की निर्धारित तारीख	पूरा होने की अपेक्षित तारीख	टिप्पणी
8.	खोट्टाडीह सीएम भूमिगत (0.60 एमटीवाई)	127.17	मई-2015	मार्च-2016	मार्च-2021	कंटीन्यूअस माइनर पैकेज के लिए खेप मार्च, 2020 में खदान स्थल पर पहुंची। COVID-19 के प्रसार के कारण चीनी विशेषज्ञ का वीजा निरस्त हो गया, जिससे कंटीन्यूअस माइनर के चालू होने में देरी हुई है।
9.	खोट्टाडीह विस्तार ओसीपी (1.60 एमटीवाई)	140.25	मई-2017	मार्च-2020	मार्च-2020	निम्नलिखित वर्षों में प्राप्त उत्पादन - 2017-18: 1.28 एमटीवाई 2018-19: 1.07 एमटीवाई 2019-20: 1.16 एमटी बिलपहाड़ी गांव का आर ऐंड आर प्रक्रियाधीन है।
10.	सिदुली (ओसी:1.20 एमटीवाई और भूमिगत: 1.63एमटीवाई)	535.18	मई-2018	मार्च-2026	मार्च-2026	भूमि अनुसूची तैयार की जा रही है। अस्थिर स्थान 105 (हटिया बस्ती) के स्थानांतरण के मुद्दे का निपटान एडीडीए के साथ मिलकर किया गया है।
11.	नकरकोंडा कुमारडीह बी ओसी (3.00 एमटीवाई)	502.68	अगस्त-2018	मार्च-2029	मार्च-2029	भूमि अनुसूची तैयार की जा रही है। ओबी हटाने के लिए एचओई के लिए निविदा अनुमोदनाधीन है।
12.	तिलाबनी भूमिगत (1.86 एमटीवाई)	916.62	फरवरी-2019	मार्च-2027	मार्च-2027	दिनांक 12.02.2019 को आयोजित सीआईएल बोर्ड द्वारा अपनी बैठक में परियोजना रिपोर्ट को अनुमोदित किया गया था।
13.	परसिया- बेलबैद भूमिगत (2.07 एमटीवाई)	826.42	जुलाई, 2019	मार्च-2027	मार्च-2027	विभिन्न गतिविधियों के लिए प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया है।
14.	नाबाकजोरा- माधबपुर ब्लॉक भूमिगत (0.30 एमटीवाई)	56.14	दिसंबर-2006	मार्च-2014	पुनर्गठन के तहत पीआर	खदान बंदी योजना के नए दिशानिर्देश समाहित करने के लिए परियोजना रिपोर्ट पुनर्गठित की जा रही है।
15.	खांद्रा एनकेजे (0.285 एमटीवाई)	18.81	जुलाई-2003	मार्च-2009	पुनर्गठन के तहत पीआर	पुनर्गठन के तहत परियोजना रिपोर्ट
16.	बांकोला आर-VI (0.24 एमटीवाई)	19.14	मार्च-2003	मार्च-2009	पुनर्गठन के तहत पीआर	पुनर्गठन के तहत परियोजना रिपोर्ट
17.	नारायणकुरी भूमिगत (0.54 एमटीवाई)	149.06	फरवरी-2009	फरवरी-2009	मार्च-2015	पुनर्गठन के तहत पीआर

परिशिष्ट-IV

प्रबंधन का विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट 2019-2020

भारतीय अर्थव्यवस्था का अवलोकन:

भारत, समान विद्युत क्रय शक्ति के आधार पर, अनुमानित जीडीपी के साथ चीन और संयुक्त राष्ट्र के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। मंत्रालय ने कोयला क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है ताकि प्रभावी एवं कुशल खनन पद्धति, सुरक्षा सुनिश्चितता, सतत गुणवत्ता तथा ग्राहक संतुष्टि को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर, किफायती लागत और खदानों की व्यवहार्यता में सुधार के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। कोयला भारत के एक प्रमुख ईंधनों में से एक है और यह भविष्य में भी भारत के ऊर्जा सुरक्षा के लिए प्रमुख ईंधन बना रहेगा।

भारतीय कोयला उद्योग एवं भंडार :

अप्रैल, 2019 को, भारतीय कोयले का अनुमानित भूगर्भीय स्रोत 1200 मीटर की गहराई तक 326.495 बिलियन टन था (स्रोत: जीएसआई, भारत सरकार)।भारत में, कोयले की उपलब्धता एवं सस्ता होने के कारण, यह ताप विद्युत संयंत्रों के लिए मुख्य ईंधन है।

परिचय :

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का सामान्य परिचय :

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, कोल इंडिया की एक अनुषंगी कंपनी की स्थापना 01 नवंबर, 1975 को रू हुई थी, जिसके अंतर्गत कोयला खनन प्राधिकरण लिमिटेड के पूर्वी संविभाग के साथ 414 खदानों को शामिल किया गया था तथा उसी दिन से कंपनी ने अपने व्यावसायिक संचालन की शुरूआत कर दी। इसका संचालन पश्चिम बंगाल व झारखंड राज्य में होता है। वर्तमान में, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के कुल 14 संचालन क्षेत्रों के अंतर्गत 78 चालू खदानें हैं, जिनमें से 49 भूमिगत खदानें, 20 खुली खदानें तथा 9 मिश्रित खदानें हैं। दिनांक 01.04.2019 के अनुसार, पश्चिम बंगाल में 31.67 बिलियन टन तथा झारखंड में 19.93 बिलियन टन (कुल 51.60 बिलियन टन) कोयले के भंडार के साथ ईसीएल भारत में सर्वोत्तम गुणवत्ता युक्त कोयला उत्पादन करने वाली कंपनियों में से एक है।

शक्ति एवं कमजोरी:

प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति:

क. पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत ईसीएल कमान क्षेत्र में कुल 31.67 बिलियन टन कोयले का भूगर्भ भंडार है जिसमें से 14.22 बिलियन टन प्रमाणित श्रेणी में आता है। ईसीएल में रानीगंज में 20% से कम ऐश कंटेन्ट सहित प्रीमियम श्रेणी का कोयला है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, इस कोयले को अन्य अनुषंगी कंपनियों से मिले उच्च राख वाले कोयले के साथ मिश्रित किया जा सकता है।

ख. दिनांक 01.04.2019 (जीएसआई के अनुसार) तक झारखंड राज्य में 600 मीटर नीचे तक लगभग 19.89 बिलियन टन कोयले का भंडार है, जिसमें से 7.01 बिलियन टन प्रमाणित श्रेणी में आता है, जिसे खुले खदान बनाकर आसानी से निकाला जा सकता है। हमारे कर्मचारी कठिन परिस्थितियों में भी काम करने में सक्षम हैं।

घ. ईसीएल की खदानें राष्ट्रीय राजमार्ग तथा रेलवे कॉरीडोर के आसपास स्थित हैं, जिससे कोयले की निकासी में सुविधा होती है।

ङ. ईसीएल की खदानों का कोयला 6700 किलो कैलोरी/किलो ग्राम से 3401 किलो कैलोरी/किलो ग्राम के सकल ताप मूल्य (जी3-जी13) तक के रेंज का होता है, जिससे इसके उपभोक्ता मिलने में आसानी होती है।

च. ईसीएल को ब्राह्मणी और अमरकोंडा-मुरगादंगल कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए हैं और इनमें क्रमशः1900 एमटी और 900 एमटी का विशाल कोयला भंडार हैं। इससे आने वाले वर्षों में ईसीएल की उत्पादन क्षमता में सुधार होगा और यह निकट भविष्य में ईसीएल को 100 एमटी की कोयला कंपनी बनाने में सहायक होगा।

कमजोरियाँ:

क. रानीगंज में कोयले की खदान की शुरूआत लगभग 250 वर्ष पहले हुई थी। अभी भी कंपनी में परंपरागत छोटी खदानें, वाष्प चलित वाईंडर मौजूद हैं, जो अपनी क्षमता से काफी कम काम करती हैं।

ख. कठिन भूगर्भीय परिस्थिति।

ग. जनसंख्या-घनत्व अधिक होने के कारण भूमि-अधिग्रहण में रूकावट आती है।

घ. कोयलाधारित क्षेत्र में आधारभूत संरचना काफी अधिक है, जो कि खुले खदान को प्रभावित करती हैं।

ङ. पम्पिंग एवं बालू भराई की लागत काफी अधिक है।

च. ऊपरी सीमों में भारी जल-जमाव के कारण निचली सीमों में 'वृहत उत्पादन तकनीक' शुरू करने में रूकावट आती है।

अवसर और चुनौतियां:

अवसर:

क. ई-मार्केटिंग के माध्यम से कोयले के बेहतर मूल्य की प्राप्ति।

ख. अवैध खनन को रोकने के लिए छोटे ओसी पैचों फिर से शुरू करना।

ग. उत्पादन व उत्पादकता की क्षमता को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय श्रमिक संगठनों से सकारात्मक सहयोग प्राप्त होना।

घ. समस्याओं के समाधान हेतु राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों से मिलने वाले सहयोग में वृद्धि।

ङ. हाईवाल माइनिंग तकनीक की शुरूआत, विशेष रूप से ऐसी खुली खदानों में जिन्हें सतह/ जगह की समस्याओं के कारण आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

च. ईसीएल के पट्टाधारित क्षेत्र में कोल बेड मीथेन (सीबीएम) का अन्वेषण एवं निष्कासन।

चुनौतियाँ:

क. ग्रामीणों द्वारा भूमि अधिग्रहण का विरोध और कंपनी-मानक से अधिक की मांग करना।

ख. अव्यवहार्य भूमिगत खदानों को बंद करने का विरोध।

ग. ऊपरी सतह में भारी जल-जमाव के कारण 'व्यापक उत्पादन तकनीक' शुरू करने तथा खुली खानों के विस्तार के लिए जमीन की कमी।

घ. निषिद्ध क्षेत्रों में कंपनी के क्वार्टरों पर अनधिकृत कब्जा।

ङ. अवैध खनन और कोयला चोरी, आदमियों और मशीन को खतरे में डालकर चल रही खदानों के लिए खतरा बन रहे हैं।

कारोबारी रणनीतियां:

क. भारतवर्ष में कोयले की मांग एवं आपूर्ति के अंतर को दूर करने के लिए उत्पादन, उत्पादकता एवं क्षमता को निरंतर बढ़ाते रहना।

ख. उच्च श्रेणी के कोयले की बिक्री और ई-ऑक्शन के माध्यम से राजस्व वसूली में वृद्धि करना।

ग. संचालन में सुधार एवं किफायती लागत के माध्यम से लाभ को बढ़ाना और प्रतिस्पर्धा को व्यवस्थित करना।

घ. विस्तृत अन्वेषण द्वारा भंडार क्षेत्र को सतत बढ़ाते रहना।

ङ. पर्यावरण एवं समाज की दृष्टि से संधारणीय संचालन के विकास पर ध्यान केन्द्रित करना। सतही बेल्ट कन्वेयर द्वारा खदान से रेलवे साइडिंग तक कोयला परिवहन शुरू किया जा रहा है।

च. अतिरिक्त राजस्व सृजन करने के लिए कोल बेड मीथेन (सीबीएम), कोल माइन मीथेन (सीएमएम) एवं गैसीफिकेशन का अन्वेषण एवं निष्कासन।

छ. अलाभकारी खदानों को बंद करना।

ज. श्रमशक्ति का युक्तिकरण।

बिजनेस रणनीति के एक हिस्से के रूप में कंपनी ने वैश्विक चुनौतियों की पहचान की है और इन चुनौतियों को पूरा करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। कंपनी में विभिन्न पहलों को मिशन मोड में शुरू किया गया है जिनका उद्देश्य कंपनी के मिशन, विजन और उद्देश्य को नए सिरे परिभाषित करना है। कंपनी ने मिशन मोड में निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य कंपनी की छवि को एक नया रूप दिया जाना भी है:

1. मिशन सुदेश: (SuDESHH - Sustainable Development, Environment, Safety, Health & Hygiene) की शुरूआत की गयी है, जिसका उद्देश्य सतत विकास, पर्यावरण, सुरक्षा, स्वास्थ्य, एवं स्वच्छता है। संधारणीय विकास का प्रमुख सारतत्व, भावी-पीढ़ी के अधिकारों से समझौता किए बिना वर्तमान-पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करना है। वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करने के लिए, ईसीएल वैश्विक चुनौतियों स्वीकार करता है और उसे समझता है, जिसके तहत संधारणीय विकास, पर्यावरण, सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे मुद्दे आते हैं और इसलिए, एक जिम्मेदार संगठन होने के नाते, मिशन सुदेश: (SuDESHH) का उद्देश्य एक स्थायी और बेहतर ईसीएल का निर्माण करना है।
2. मिशन संजीवनी (SANJIBANI - Systemic Advancements, New Jobs, Integrated Business & New Initiatives) की शुरूआत की गयी है, जिसका उद्देश्य व्यवस्थित उन्नति, नये रोजगार, एकीकृत व्यवसाय और नई पहलें है।
3. मिशन सुमित (SUMIT - Systematic Upgradation of Mining & Information Technology) की शुरूआत की गयी है, जिसका उद्देश्य खनन और सूचना प्रौद्योगिकी का योजनाबद्ध रूप से उन्नयन करना है। चूंकि, लगभग सभी खदानों में बहुत पुराने एवं परंपरागत तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा था, इसलिए सुमित (SUMIT) परियोजना के माध्यम से सूचना-प्रौद्योगिकी के साथ खदानों एवं संबद्ध प्रक्रियाओं को एकीकृत करने की जरूरत महसूस की जा रही थी।
4. मिशन धरोहर (DHAROHAR) की शुरूआत की गयी है, जिसका उद्देश्य संग्रहालय का निर्माण करके देश में कोयला खनन की विरासतों, प्राचीन भवनों, संयंत्रों, उपकरणों, मशीनों, यंत्रों, औजारों, धरोहर प्रकृति के मॉडलों की रक्षा एवं उनका संरक्षण करना है।
5. मिशन जटायु (JATAYU) का शुभारंभ सतर्कता जागरूकता सप्ताह- 2018 के दौरान किया गया था, जिसका उद्देश्य कंपनी की छवि को नया रूप देने के लिए कर्मचारियों के बीच फाइट (FITE - Fairness, Integrity, and Transparency & Equality) अर्थात निष्पक्षता, अखंडता और पारदर्शिता एवं समानता को बढ़ावा देना है।
6. मिशन संबंध (SAMBANDH) की शुरूआत की गयी है, जिसका उद्देश्य समस्या निवारक एवं समाधान प्रदाता के रूप में व्यापक पैमाने पर सभी हितधारकों और समुदाय तक संपर्क सथापित करना है, जो अंततः ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के सुचारु रूप से शुरू करने और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट को आसान बनाने में सहायक होगा।
7. मिशन इंद्रधनुष (INDRADHANUSH) की शुरूआत देश के विभिन क्षेत्रों की संस्कृतियों, त्योहारों, नृत्य, संगीत और जातीयता को आत्मसात करने के लिए किया गया है। इस पहल के माध्यम से, अलग-अलग क्षेत्रों के विभिन्न उत्सवों को अलग-अलग इकाइयों में आयोजित किया जाता है, जिससे ईसीएल कर्मचारियों तथा इनके पारिवारिक सदस्यों के बीच अपनेपन की भावना का विकास होता है और इससे ईसीएल के प्रसन्नता सूचकांक (हैप्पीनेस इंडेक्स) में भी वृद्धि हुई है।

8. मिशन सुदेश के तहत के अंतर्गत ही एक और मिशन सुदेश-मितवा (SuDESHH-MITWA) नाम से शुरू किया गया है। इस मिशन की शुरूआत 1 दिसंबर, 2018 को "विश्व एड्स दिवस के अवसर पर की गयी थी, जिसके माध्यम से असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
9. मिशन मितवा (MITWA) की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य उचित कार्य संस्कृति के विकास के साथ-साथ ओपनकास्ट और भूमिगत खदानों में सभी उपकरणों एवं मशीनों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करना है।
10. मिशन जागरण (JAGGRAN) एकल-उपयोग (सिंगल-यूज) प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए शुरू किया गया है। यह मिशन 11 सितंबर 2019 से 2 अक्टूबर 2019 तक "स्वच्छता ही सेवा" अभियान के दौरान शुरू किया गया था।
11. "पुन: उपयोग - Reuse", "इनकार - Refuse", "पुनर्चक्रण - Recycle", "पुनर्उद्देश्य - Repurpose", "पुनर्भरण - Refill", "पुनर्निर्माण - Reinvent", "मरम्मत - Repair", "कमी - Reduce", "नया स्वरूप देना - Redesign" और "पुनर्नवीकरण - Refurbish" श्रेणियों के तहत संसाधनों के पूर्ण उपयोग के लिए ईसीएल में "10 R" नाम की एक नयी अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है।
12. मिशन देशी (DESHI) की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य मांग का पता लगाना, कोयले का निर्यात, प्रणाली का सरलीकरण, गुणवत्ता बढ़ाना तथा आयात प्रतिस्थापन है।
13. वित्तीय वर्ष 2019-20 को "क्षमता सक्षम ईसीएल" के रूप में घोषित किया गया था और आंतरिक प्रतिभाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। कार्य स्थलों पर "अनुपालन की संस्कृति" और सख्त अनुशासन को लागू करने पर भी जोर दिया गया है।

उत्पादन:

विवरण	2019-20	2018-19
ओसीपी - कोल (एमटी)	41.195	41.10
भूमिगत कोल (एमटी)	9.206	9.06
कुल (एमटी)	50.401	50.16
वृद्धि %	0.48	15.13
ओबीआर - (एमसीयूएम)	140.455	126.06
विवरण%	11.42	6.03

खंड-वार या उत्पादन-वार कार्य निष्पादन :

(in Million Tonnes)

विवरण	2019-20	%	2018-19	%	Growth (%)
एफएसए के तहत बाहरी कंपनियों को डिस्पैच	42.917	87.02	45.006	89.29	-4.64
ई-नीलामी	5.089	10.32	3.538	7.02	43.84
समझौता ज्ञापन के तहत डिस्पैच	1.081	2.19	1.603	3.18	-32.56
अन्य	0.048	0.10	0.075	0.15	-36.00
हमारी खपत	0.181	0.37	0.184	0.37	-1.63
कूल ऑफटेक	49.316	100.00	50.407	100.00	-2.16

* एनबी: एमओयू के तहत डिस्पैच का मतलब एनटीपीसी बाढ़ के लिए डिस्पैच और एमटीपीएस, डीवीसी के लिए एमओयू डिस्पैच है।.

हमारे ग्राहक :

ईसीएल में उत्पादित अधिकांश कोयले को ताप विद्युत संयंत्रों को आपूर्ति की जाती है। इसके साथ विभिन्न उद्योगों जैसे कि स्टील, सीमेंट, स्पंज आयरन, रक्षा एवं अन्य विभिन्न उद्योगों में भी कोयले की आपूर्ति की जाती है।

परिवहन, आधारभूत संरचना और लॉजिस्टिक :

खदान/कार्यस्थल से निकाले गए कोयले को वितरण स्थान तक टिपिंग ट्रक और मालवाहक बेल्ट के माध्यम से पहुँचाया जाता है। ग्राहकगण तक कोयले का वितरण रेल मार्ग, सड़क मार्ग तथा रेल एमजीआर पद्धति के माध्यम से पहुँचाया जाता है।

प्रेषित सभी खेप का वजन ईसीएल के धर्मकांटों (वे-ब्रिजों) पर किया जाता है, जो हमारे सभी प्रेषण केंद्रों पर उपलब्ध हैं अथवा रेलवे के नजदीकी धर्मकांटों (वे-ब्रिजों) पर किया जाता है। प्रेषण केंद्रों से हमारी बिक्री "फ्री ऑन रेल" या "फ्री ऑन रोड" दोनों माध्यमों से की जाती है, ग्राहक रेल मार्ग या सड़क मार्ग में से किसी एक परिवहन के मार्ग का चयन कर सकते हैं। खदान से निर्धारित प्रेषण स्थल तक कोयले के परिवहन का व्यय उपभोक्ता द्वारा किया जाता है।

हमारी खदानों से कच्चे कोयले के परिवहन के लिए उपयोग में आने वाली विभिन्न परिवहन विधियों से संबंधित विवरण निम्नलिखित है:

(in Million Tonnes)

प्रेषण की विधि	2019-20	2018-19
रेल	32.980	34.171
रोड	2.535	2.409
मैरी गो-राउंड (एमजीआर)	13.620	13.644
कुल	49.135	50.223

कोयले का मूल्य :

वर्तमान समय में कोकिंग कोयले का मूल्य दिनांक 01.01.2012 से प्रभावी उसके सकल कैलोरिक मूल्य पर निर्भर करता है और कोकिंग कोयला और वाशरी ग्रेड कोयले का मूल्य निर्धारण उसके राख की मात्रा के स्तर पर किया जाता है। सेमी-कोकिंग कोल के मूल्य का निर्धारण उसके राख एवं नमी के स्तर पर निर्भर करता है। कोयले के मूल्य का संशोधन आवक लागत, मुद्रास्फीति और आयात कोयले के रख-रखाव-खर्च के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ग्राहक के लिए तय किए गए मूल्य में मूल और अन्य खर्च (उपकर, राजस्व, सीमा शुल्क, विक्रय कर और अन्य) को शामिल होता है। ईसीएल और उससे जुड़े ग्राहकों के बीच हुए दीर्घावधि ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसएएस) के अंतर्गत लगभग 90% कोयले की बिक्री की जाती है। इसके अतिरिक्त, ई-नीलामी योजना के अंतर्गत भी कोयले की बिक्री की जाती है।

वितरण एवं बाजार नीति :

अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के ग्राहकों से प्राप्त, कोयले की दीर्घावधि एवं अल्पावधि माँग को अंतर्निहित वाणिज्यिक अनुशासन के साथ आश्वस्त, निरंतर, पारदर्शी और कुशल तरीके से पूरा करने के लिए 18 अक्तूबर 2007 में एनसीडीपी जारी की गई है।

ई-नीलामी योजना:

जो ग्राहक एनसीडीपी के अंतर्गत संस्थागत तंत्र के माध्यम अपने कोयले की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाते हैं, ऐसे ग्राहकों को कोयला उपलब्ध कराने के लिए कोयले की ई-नीलामी योजना की शुरूआत की गई है। कोयला मंत्रालय के द्वारा समय-समय पर ई-नीलामी के अंतर्गत ऑफर किए गए कोयले के परिमाण की समीक्षा की जाती है। ई-नीलामी योजना से ग्राहकों द्वारा अतिरिक्त कोयला उपलब्धता का भी एक विकल्प तैयार होता है।

ईंधन आपूर्ति समझौते :

एनसीडीपी के शर्त के आधार पर, कोयला कंपनी ने एक कानूनी ईंधन आपूर्ति समझौता (एफएसए) किया है, जो कि ग्राहकों या राज्य सरकार के द्वारा नामित एजेंसियों से जुड़कर ग्राहकों को उचित वितरण व्यवस्था उपलब्ध कराती है। हमारे ईंधन आपूर्ति समझौते को वृहत रूप से निम्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है:-

1. विद्युत उपयोग करने वाले क्षेत्र, जिसमें कि राज्य विद्युत उपयोग, निजी विद्युत उपयोग करने वाले क्षेत्र (पीपीएस) और स्वतंत्र विद्युत उपयोग करने वाले क्षेत्र (आईपीपीएस) के साथ ईंधन आपूर्ति समझौता किया गया है।
2. गैर-विद्युत उद्योगों में (कैप्टिव विद्युत संयंत्र सहित) ग्राहक के साथ ईंधन आपूर्ति समझौता।
3. राज्य की नामित एजेंसियों के साथ ईंधन आपूर्ति समझौता।
4. 4. लिंकेज नीलामी मार्ग द्वारा ईंधन आपूर्ति समझौता।

अनुसंधान एवं विकास:

अनुसंधान एवं विकास के लिए ईसीएल सीआईएल की एक अनुषंगी कंपनी सीएमपीडीआईएल के साथ जुड़ी हुई है। अनुसंधान कार्य को करने के लिए सीएमपीडीआईएल एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है, राशि वितरित करती है और साथ ही हमारे अनुसंधान और विकास कार्यों की निगरानी भी करती है।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन:

ईसीएल ने कोल इंडिया लिमिटेड के साथ भौतिक एवं वित्तीय प्रदर्शन के लिए विभिन्न मापदंडों को निर्धारित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है। वर्ष 2018-19 के लिए, ईसीएल को "वेरी गुड" ग्रेडिंग प्राप्त हुई है।

आंतरिक नियंत्रण पद्धति और उसकी उपयुक्तता:

नियंत्रण और अनुपालन के दृष्टिकोण से आंतरिक लेखा-परीक्षा (एआई) का अत्यंत महत्व है। प्रत्येक व्यवसाय/कार्यों की समय-समय पर समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि उद्देश्य, उपयोगकर्ता (एसओपी) मैनुअल एवं नियंत्रण सही हैं और निदेशक मंडल एवं लेखा-परीक्षा समितियों को आश्वासन प्रदान करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि उपयुक्त कॉर्पोरेट गवर्नेंस और लेखा-परीक्षा जोखिम नियंत्रण प्रभावी रूप से और कुशलता से काम कर रहे हैं।

एक प्रभावी आंतरिक लेखा परीक्षा, बोर्ड को अपने शासन का निर्वहन करने और जिम्मेदारियों को नियंत्रित करने में सहायता करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जारी किए गए कॉरपोरेट गवर्नेंस के विभिन्न संहिताओं ने इस तथ्य का भी अनुकरण किया है कि आंतरिक लेखा-परीक्षा किसी भी संगठन के कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रणाली का एक अभिन्न अंग है।

कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की पूरी आंतरिक लेखा-परीक्षा चार्टर्ड या लागत लेखाकारों की स्वतंत्र बाहरी ऑडिट फर्मों को सौंपी जाती है। मुख्यालय सहित कंपनी के पंद्रह क्षेत्र/इकाइयों के आंतरिक लेखा-परीक्षा का कार्य करने वाली पंद्रह ऑडिट फर्म हैं। चयन प्रक्रिया में उच्चतम स्कोर रखने वाली फर्मों में से एक को 'सेंट्रल इंटरनल ऑडिटर' या 'लीड ऑडिटर' का काम सौंपा जाता है।

कंपनी के आंतरिक लेखा-परीक्षकों का चयन विधिवत गठित समिति द्वारा 'इन्विटेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (इआइओ)' प्रक्रिया के माध्यम से और कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा संरचित चयन प्रक्रिया के अनुसार और सख्त अनुपालन से किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग (मुख्यालय) के प्रमुख द्वारा की जाती है। कोल इंडिया लिमिटेड ने ऑडिट फर्मों की शॉर्ट-लिस्टिंग और चयन के लिए विस्तृत मानदंड सहित उनकी नियुक्ति के लिए नियम और शर्तें भी निर्धारित किए हैं और सामान्य कार्य के साथ कार्य का दायरा भी निर्धारित किया है।

आंतरिक लेखा-परीक्षा फर्मों की नियुक्ति को शॉर्टलिस्ट कमेटी द्वारा चयन के लिए शॉर्टलिस्ट और प्रस्तावित किया जाता है, अनिवार्य रूप से कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन हेतु ऑडिट कमेटी के मूल्यांकन और सिफारिश के अधीन हैं। आंतरिक लेखा-परीक्षक अपनी आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट इकाई/क्षेत्र प्रमुखों के साथ-साथ आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग (मुख्यालय), निदेशक (वित्त) और कोल इंडिया लिमिटेड को मासिक आधार पर प्रस्तुत करते हैं। वे एक विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करते हैं जिसमें कंपनी के संचालन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, कंपनी में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (IFC) के अनुप्रयोग और प्रभावशीलता पर उनके अवलोकनों और टिप्पणियां पर नियमित मूल्यांकन शामिल होता है।

आंतरिक लेखा-परीक्षा के अतिरिक्त, एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कंपनी होने के नाते, इसकी लेखा-परीक्षा महानिदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा (जिसे पहले, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या सीएजी के रूप में जाना जाता है) के कार्यालय से लेखा-परीक्षा कर्मियों द्वारा और भारत सरकार के लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के द्वारा भी किया जाता है। पीएसयू विशेष के लिए डीजीसीए द्वारा डिज़ाइन और तैयार किये गये विशेष लेखा-परीक्षा कार्यक्रमों एवं कार्यक्षेत्र के अनुसार, सरकारी लेखा-परीक्षकों द्वारा नियमित अंतराल पर कंपनी के विभिन्न क्षेत्र/इकाइयों में 'निरीक्षण/लेन-देन का अंकेक्षण किया जाता है। लेखा-परीक्षा प्रेक्षणों से युक्त निरीक्षण रिपोर्ट, सरकार, डीजीसीए के लेखा-परीक्षकों, संबंधित निदेशकों एवं विभागाध्यक्षों द्वारा तैयार की जाती हैं। ट्रांजेक्शन ऑडिट के अलावा, सरकारी लेखा-परीक्षण कंपनी के वार्षिक रिपोर्ट और लेखा को प्रमाणित करने के उद्देश्य से वार्षिक ऑडिट भी करते हैं।

कंपनी/सीआइएल की लेखा परीक्षा समिति,आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और कंपनी से संबंधित प्रक्रियात्मक अनुप्रयोगों पर कड़ी निगरानी रखती है। आंतरिक लेखा परीक्षकों की महत्वपूर्ण टिप्पणियों को समय-समय पर समीक्षा के लिए लेखा-परीक्षा समिति के समक्ष रखा जाता है। लेखा-परीक्षा समिति द्वारा इस तरह के अवलोकनों पर विचार करने के लिए आवश्यक अनुपालन और कार्यान्वयन हेतु विधिवत निर्देश (यदि कोई हैं) निर्गत किए गए हैं।

वित्त वर्ष 2019-20 के लेखा-परीक्षा में ईसीएल के आंतरिक लेखा परीक्षकों के रूप में काम करने वाली विभिन्न ऑडिट फर्मों ने कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों और इकाइयों में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर संतोष व्यक्त किया है। इस प्रकार कंपनी के पास कंपनी के आकार और उसके द्वारा किए गए व्यापार लेनदेन की प्रकृति के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण हेतु एक सक्षम प्रणाली मौजूद है।

भंडार (स्टोर) लेखा परीक्षा:

स्टोर ऑडिट:

भंडार (स्टोर) लेखा परीक्षा की अवधारणा को वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रभावी रूप से कंपनी में लाया गया है। वर्ष 2019-20 के लिए सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों में लागू कार्य के संशोधित दायरे एवं संशोधित लेखापरीक्षा शुल्क सहित भंडारगृहों के भौतिक सत्यापन के लिए लेखापरीक्षकों की नियुक्ति हेतु सीआईएल बोर्ड की मंजूरी के अनुसार, 2019-20 और उसके बाद आगे तीन साल के लिए स्टोर लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है, लेकिन COVID-19 की वजह से नियुक्ति में देरी हुई है और जल्द ही इसे अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है जिसके बाद लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए भंडारगृहों का भौतिक किया जाएगा।

लागत लेखा-परीक्षा:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(6) और कंपनी (लागत रिकॉर्ड और ऑडिट) नियम2014, के नियम 6(6), वित्त वर्ष 2018-19 के लिए फॉर्म-सीआरए-4 में लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट को 28 दिसंबर, 2019 को केंद्र सरकार के साथ दायर किया गया था।

संचालन प्रदर्शन के संबंध में वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा

संचालन का परिणाम:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2018-19	वृद्धि (%)
सकल बिक्री	18192.36	18385.03	-1.05%
घटाएं: लेवी	5368.62	5470.68	-1.87%
शुद्ध बिक्री	12823.74	12914.35	-0.70%
अन्य आय	1129.46	993.14	13.73%
कुल आय	13953.20	13907.49	0.33%

कोयले की बिक्री से आय:

बिक्री को रॉयल्टी, कोयले पर उपकर, जीएसटी तथा स्टॉविंग एक्साइड ड्यूटी सहित विभिन्न वैधानिक शुल्क के बाद सकल बिक्री शुद्ध के रूप में दर्शाया जाता है। कोयले की बिक्री से होने वाली आय मुख्य रूप से कोयले एवं वितरण के मूल्य निर्धारण एवं उत्पादन पर निर्भर करती है।

व्यय:

प्रमुख शिर्षों का खंडवार विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2018-19	वृद्धि	
			शुद्ध	वृद्धि (%)
स्टॉक में (वृद्धि)/ह्रास	-86.86	109.50	-196.36	-179.32%
स्टोर और स्पेयर्स	681.90	721.71	-39.81	-5.52%
उत्पाद शुल्क	7655.22	7448.47	206.75	2.78%
वेतन एवं मजदूरी	465.88	476.39	-10.51	-2.21%
विद्युत एवं ईंधन	11.48	16.46	-4.98	-30.26%
सामाजिक व्यय	1974.85	1930.38	44.47	2.30%
संविदात्मक व्यय	178.21	163.10	15.11	9.26%
मरम्मत	134.43	141.12	-6.69	-4.74%
अन्य व्यय	635.08	642.47	-7.39	-1.15%
ओबीआर समायोजन	286.92	456.24	-169.32	-37.11%
वृद्धि/ह्रास	434.35	494.98	-60.63	-12.25%
प्रावधान	80.39	8.28	72.11	870.89%
कर से पहले कुल व्यापक आय	1501.35	1298.39	202.96	15.63%
कर के बाद कुल व्यापक आय	834.37	706.38	127.99	18.12%

नकदी प्रवाह:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2020	31-03-2019
आरंभिक नकद एवं नकद समकक्ष	478.68	783.39
संचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी	-644.38	420.55
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद	-102.25	-718.68
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी	361.23	-6.58
नकद और नकदी समतुल्य में परिवर्तन	-385.40	-304.71
अंतिम नकद एवं नकदी समकक्ष	93.28	478.68

31 मार्च, 2020 तक समझौता ज्ञापन (एमओयू) लक्ष्य की तुलना में उपलब्धियां:

क्र. सं.	मानक	इकाई	वर्ष 2019-20 के लिए लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि
1	कारोबार : संचालन से राजस्व (शुद्ध)	₹ करोड़	13,713.00	13,338.43
2	परिचालन लाभ (अन्य आय, असाधारण और असामान्य मदों को छोड़कर कर से पहले लाभ): - संचालन से प्राप्त राजस्व के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ (शुद्ध)	प्रतिशत %	6.5%	6.65%
3	निवेश पर प्रतिफल: पिछले वर्ष की तुलना में कुल आय के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय में कमी	प्रतिशत %	5%	1.42%
4	तैयार माल की सूची और संचालन से राजस्व के लिए जारी कार्य (शुद्ध)	दिनों की सं.	9 दिन	8.84
5	व्यापार प्राप्य (शुद्ध), संचालन (सकल) से राजस्व के दिनों की संख्या के रूप में	दिनों की सं.	30 दिन	64.62
6	कंपनी के विरुद्ध दावों में कमी, जिन्हें समग्र आधार पर ऋण के रूप स्वीकार नहीं किया	प्रतिशत %	15%	7.57%
7	एमएसएमई के माध्यम से खरीद	प्रतिशत %	25%	36.12%

मानव संसाधन विकास:

श्रमशक्ति:

श्रेणी	इस तिथि तक श्रमशक्ति		वृद्धि (+)/ ह्रास (-)
	31.03.2020	31.03.2019	
अधिकारी	1960	2084	-124
पर्यवेक्षक	3966	4097	-131
लिपिकीय संवर्ग	2232	2310	-78
अत्यधिक कुशल/कुशल	19175	19982	-807
अर्ध-कुशल/अकुशल	28946	30141	-1195
प्रशिक्षु (गैर-अधिकारी)	874	1084	-210
कुल	**57153**	**59698**	**-2545**

श्रमशक्ति में भिन्नता के कारण:

विवरण	अधिकारी	गैर-अधिकारी	कुल
वृद्धि			
नयी नियुक्ति	51	11	62
चिकित्सकीय अयोग्य मामलों के एवज में नियुक्ति	0	1	1
मृत्यु के मामलों के एवज नियुक्ति.	0	382	382
पुनर्स्थापना/ पुन: नियोजन	0	10	10
अन्य कंपनियों से स्थानांतरण	30	41	71
भूमि के बदले नियोजन	0	253	253
विशेष महिला वीआरएस के बदले नियोजन	0	52	52
गैर-अधिकारी से अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति	0	0	0
अधिकारी से गैर-अधिकारी संवर्ग में वापसी	0	0	0
कुल वृद्धि (क)	**81**	**750**	**831**

विवरण	अधिकारी	गैर-अधिकारी	कुल
कमी			
सेवानिवृत्ति	141	2474	2615
चिकित्सकीय अयोग्य	0	0	0
मृत्यु	5	534	539
त्यागपत्र	13	12	25
अन्य कंपनियों को स्थानांतरण	28	40	68
बर्खास्तगी / सेवा समाप्ति	18	39	57
जीएचएस/ ईवीआरएस के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति	0	72	72
विशेष महिला वीआरएस	0	0	0
गैर-अधिकारी से अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति	0	0	0
अधिकारी से गैर-अधिकारी संवर्ग में वापसी	0	0	0
कुल कमी (ख)	**205**	**3171**	**3376**
भिन्नता (क-ख)	**-124**	**-2421**	**-2545**

औद्योगिक संबंध :

कंपनी में औद्योगिक संबंध बड़े सौहार्दपूर्ण हैं। कार्यकर्ता अब बाहरी मुद्दों का समर्थन नहीं करते हैं। औद्योगिक संबंध और विधि-व्यवस्था से संबंधित आँकड़े निम्नलिखित हैं:

क्र .सं.	विषय	2019-20	2018-19
1.	हड़तालों की सं.	02 (4 दिन)*	01 (2 दिन)*
2.	श्रम दिवस की हानि (लाख में)	0.18	0.04
3.	उत्पादन हानि (लाख टन में)	0.75	0.05

विधि-व्यवस्था:

विषय	2019-20	2018-19
विधि व्यवस्था (अशांति)	20	22
उत्पादन हानि (लाख टन में)	0.04	0.8

प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता:

ईसीएल में, प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता का कंपनी में विभिन्न स्तरों पर पूरी तरह अनुपालन किया जाता है। संयुक्त सलाहकार समितियां कॉर्पोरेट, क्षेत्र और परियोजना/इकाई स्तरों पर संचालित हैं। जेसीसी बैठक में उत्पादन, उत्पादकता, आदि जैसे गंभीर एवं महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाती है। अन्य समितियों/बोर्डों के अलावा, हमारी कंपनी में सुरक्षा समिति, कल्याण बोर्ड आदि भी कार्यशील हैं। ऐसी समितियों में श्रमिक संगठन की सक्रिय सहभागिता रहती है और वे प्रबंधन एवं कर्मचारियों के बीच विश्वास एवं सद्भावना को मजबूत करने के अलावा पारदर्शिता, जवाबदेही के संबंध में चर्चा करते हैं।

बैठकें	2019-20	2018-19
मुख्यालय स्तर पर आयोजित जेसीसी बैठकों की संख्या	05	05
मुख्यालय स्तर पर आयोजित संरचि बैठकों की संख्या	21	20

एनसीडब्ल्यूए एवं एलएलएस के तहत प्रदान किये गये नियोजन:

निम्नलिखित के तहत नियोजन	2019-20	2018-19
एनसीडब्ल्यूए	522	728
भूमि वंचक (लैंड लॉस) योजना	191	305
सीधी भर्ती	शून्य	105

भर्ती और पदोन्नति में अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण:

अनुसूचित जाति (अनु.जा.), अनुसूचित जनजाति (अनु.ज.जा.) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.) की भर्ती के मामले में राष्ट्रपति के निर्देश ईसीएल में लागू किए गए हैं। कुल श्रमशक्ति में एससी और एसटी उम्मीदवारों की भागीदारी निम्नानुसार है:

इस तिथि तक	कुल श्रमशक्ति	अनु.जा. अभ्यर्थी		अनु.ज.जा. अभ्यर्थी	
		संख्या	%	संख्या	%
31.03.2020	57153	15899	27.82	7527	13.17
31.03.2019	59698	16520	27.67	7837	13.12

वर्ष 2019-20 के दौरान किए गए 1803 पदोन्नति में से, अ.जा. समुदाय के 271 उम्मीदवारों और अ.ज.जा. के 139 उम्मीदवारों को पदोन्नत किया गया, जो वर्ष 2018-19 के दौरान क्रमशः 173 एवं 86 था। 31.03.2020 को कार्यरत ओबीसी कर्मचारियों की संख्या 15545 थी जो वर्ष 2018-19 के दौरान 16124 थी।

श्रमिक संघ:

ईसीएल के कर्मचारी काफी संगठित हैं और शायद ही ऐसे कर्मचारी हैं जो किसी भी यूनियनों के सदस्य नहीं हैं। प्रमुख सक्रिय संघ आइएनटीयूसी, एआइटीयूसी, एचएमएस, बीएमसी, यूटीयूसी, सीआईटीयू, आईएनटीटीयूसी आदि हैं। अधिकारी सीएमओएआई के सदस्य हैं। गैर-अधिकारी कर्मचारियों की सेवा, वेतन पुनरीक्षण और अन्य शर्तें जेबीसीसीआई द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता (एनसीडब्ल्यूए), प्रमाणित स्थायी आदेश और सरकारी निर्देशों के अधीन होतें हैं।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटन:

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार गठित ईसीएल की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2019-20 के दौरान आईसी, ईसीएल को यौन उत्पीड़न से संबंधित केवल एक शिकायत प्राप्त हुई है और इसकी जांच प्रक्रियाधीन है।

31 मार्च, 2020 तक एचआरएम मानकों के समझौता ज्ञापन (एमओयू) लक्ष्य की तुलना में उपलब्धियां:

क्र. सं.	मानक	लक्ष्य	प्राप्ति
1	सतत प्रकृति के 8 मानव संसाधन मानकों की प्राप्ति:		
	क. एसीआर / एपीएआर लिखने के संदर्भ में निर्धारित समयावधि के अनुपालन के साथ सभी अधिकारियों (ई-0 और ऊपर) के संबंध में एसीआर / एपीएआर के ऑनलाइन जमा करने में निरंतरता।	प्राप्त एचआर मानकों की संख्या उत्कृष्ट -100% (8 मानकों के लिए)	निर्धारित समय-सीमा के अनुसार पीएमएस समय-सारिणी का अनुपालन
	ख. वरिष्ठ अधिकारियों के लिए ऑनलाइन त्रैमासिक सतर्कता मंजूरी अद्यतन की निरंतरता (ई-5 और ऊपर)		यह नियमित रूप से सतर्कता विभाग द्वारा किया जाता है।
	ग. सीआईएल अधिकारी प्रतिभा प्रबंधन नीति के अनुसार उत्तराधिकार योजना का संचालन।		यह सीआईएल के नियंत्रणाधीन है।
	घ. कट-ऑफ दिनांक 30.09.2019 तक डीपीसी के लिए सभी योग्य उम्मीदवारों के बायोडाटा और उसके सत्यापन का अद्यतन दिनांक 31.10.2019 तक		निर्धारित समय के अंदर प्रस्तुत किया गया।
	ङ. कम से कम 5% अधिकारियों (ई-0 & ऊपर) को भारत में स्थित आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, आईसीएआई आदि जैसे केंद्र पर कम से कम 1 (एक) सप्ताह का प्रशिक्षण प्रदान करके प्रतिभा प्रबंधन और कैरियर प्रगति की निरंतरता।		यह सीआईएल के नियंत्रणाधीन है।
	च. ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) का नियमित अद्यतन		यह नियमित रूप से किया जा रहा है।
	छ. जनवरी 2020 से मार्च 2020 की तिमाही तक 50/55 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले अधिकारियों के मामलों में प्रारंभिक समीक्षा समिति की सिफारिश 30 सितंबर 2019 तक प्रस्तुत करना।		प्रारंभिक समीक्षा समिति (IRC) की सिफारिशों को आगे की कार्रवाई के लिए साआईएल को सौंप दिया गया है।

क्र. सं.	मानक	लक्ष्य	प्राप्ति
	झ. मानव संसाधन ऑडिट सिफारिश कार्यान्वयन।		31 दिसंबर, 2019 के अंदर लागू किया गया।

एमओयू लक्ष्य के एक भाग के रूप में, कार्य-जीवन संतुलन और नेतृत्व विकास के लिए महिला कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित 15 पहलें की गईं:

क्र. सं.	पहलें	लक्ष्य	प्राप्ति
1	#माइनफॉरवोमेन (MineforWomen)- खनन क्षेत्रों में और उसके आसपास तैनात महिलाओं को पहचानने और उन्हें प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने के लिए थीम।	ऐसी सभी महिलाओं की पहचान करने के लिए, जो खनन क्षेत्रों में और उसके आस-पास तैनात हैं तथा उनके संक्षिप्त परिचय (व्यावसायिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि, फोटो, शौक इत्यादि) को साझा करने एवं उन्हें अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।	समय संपन्न (31.01.2020 के भीतर) और वेबसाइट पर अपलोड किया गया।
2	#बैलेंसफॉरबैटर (BalanceforBetter) थीम (अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2019 की थीम के अनुरूप) कार्य और पारिवारिक जीवन को संतुलित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए।	अनुषंगी कंपनी द्वारा (मुख्यालय या क्षेत्रों में व्यवहार्यता के अनुसार) विषय के अनुरूप 2 दिनों की कार्यशाला आयोजित करने के लिए जिसमें सभी महिलाओं को उनकी कहानियों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपने काम और घर के बीच कैसे संतुलन स्थापित करती हैं।	ईसीएल मुख्यालय में 13.12.2019 को #बैलेंसफॉरबैटर थीम पर एक कहानी कार्यशाला का आयोजन किया गया।
3	जरूरत के समय में उपयोग किये जाने योग्य महिला सुरक्षा ऐप की शुरुआत	इस सेफ्टी ऐप की तैयारी और संचालन को पूरा करने के लिए जिसमें महिलाओं की आवाज/मदद की सूचना दो आपातकालीन नंबरों पर भेजी जाएगी।	भारत सरकार द्वारा शुरू की गई महिला सुरक्षा ऐप "112 इंडिया ऐप" के उपयोग के लिए जनवरी 2020 में दिशेरगढ़ क्लब में जागरूकता एवं प्रचार कार्यक्रम का आयोजन
4	महाप्रबंधक के साथ "चाय पर चर्चा"।	महिला कर्मचारियों का महाप्रबंधक के साथ अपना जन्मदिन मनाना (उसी महीने के पहले दिन) जिसका उद्देश्य साल में एक बार उन्हें प्रतिक्रिया और सुझाव देने का अवसर प्रदान करना होता है।	निदेशक (कार्मिक) और संबंधित क्षेत्र के महाप्रबंधक के साथ 'चाय पर चर्चा' कार्यक्रम शुरू हुआ। जुलाई: राजमहल, अगस्त: मुगमा, सितंबर: सालानपुर, फरवरी: सोनपुर बाजारी।
5	मनोरंजन गतिविधि / बालिकाओं के लिए कार्यक्रम (कर्मचारियों की बच्चियां) (प्रत्येक 24 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय बालिका दिवस के अनुरूप)।	सभी अनुषंगी कंपनियों में बालिकाओं के लिए मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित करना।	बाल दिवस के दौरान, 14.11.2019 को केंद्रीय अस्पताल, कल्ला द्वारा स्वस्थ बेबी शो 2019 का आयोजन किया गया था।
6	योग और ध्यान सत्र, मार्शल आर्ट आदि पर केंद्रित शारीरिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन	तौर-तरीके अनुषंगी कंपनी द्वारा तय किये जाते हैं।	अक्टूबर 2019 में, झांझरा क्षेत्र में महिला कर्मचारियों के स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत योग एवं ध्यान का आयोजन किया गया। महिला कर्मचारियों के लिए योग और ध्यान बैंकोला क्षेत्र में भी आयोजित किए गए हैं। 21.11.2019 से 23.11.2019 तक महिला कर्मचारियों के लिए पांडवेश्वर क्षेत्र में तीन (03) दिनों का आत्मरक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी तरह, तीन (03) दिन, आपातकालीन स्थिति के दौरान सोनीपुर बज़ारी क्षेत्र की महिला कर्मचारियों के लिए कराटे और आत्मरक्षा कक्षाएं नवंबर 2019 में सोनपुर बज़ारी क्षेत्र में वीटीसी में आयोजित की गईं।

क्र. सं.	पहलें	लक्ष्य	प्राप्ति
7	तनाव प्रबंधन पर केंद्रित मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन।	तौर-तरीके अनुषंगी कंपनी द्वारा तय किये जाते हैं।	तनाव प्रबंधन और कार्य-जीवन संतुलन पर एक दिवसीय कार्यशाला 28.08.2019 को बैंकोला क्षेत्र में और 11 सितंबर 2019 को सोदपुर क्षेत्र सामुदायिक भवन में आयोजित की गई, जिसमें 108 महिला कर्मचारियों ने भाग लिया।
8	विभिन्न मनोरंजक थेरेपी जैसे डांस थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी आदि पर उपचारात्मक स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन।	तौर-तरीके अनुषंगी कंपनी द्वारा तय किये जाते हैं।	15 जनवरी 2020 को दिशेरगढ़ क्लब में ईसीएल की महिला कर्मचारियों के लिए एक स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
9	महिला कर्मचारियों के लिए 2 स्वास्थ्य शिविर (नियमित जांच) का आयोजन।	सभी अनुषंगियों में तैनात समस्त महिलाओं के लिए नियमित जांच	यह एक सतत प्रक्रिया है और इस तरह के विभिन्न शिविरों का आयोजन किया गया है। 26 अगस्त 2019 से 6 सितंबर 2019 तक सोदेपुर क्षेत्र के सभी औषधालयों में महिला कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए हैं।
10	महिलाओं में स्तन कैंसर, पीसीओएस, गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर और अन्य किसी भी स्त्री-रोग संबंधी बीमारियों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम।	सभी अनुषंगियों में कम से कम दो कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं	सर्वाइकल कैंसर, स्तन कैंसर और पीसीओएस जैसी "महिलाओं से संबंधित बीमारियों" पर जागरूकता कार्यक्रम 31.10.2019 को और 16.09.2019 को सोदेपुर एरिया में आयोजित किया गया, जिसमें 120 महिला कर्मचारियों ने भाग लिया।
11	सभी अनुषंगी कंपनियों की ई-5 से नीचे की प्रबंधकीय महिलाओं के लिए व्यवहार कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना।	39 वर्ष से कम आयु की महिलाओं की प्रतिभागिता, अंतर-विभाग, अंतर-क्षेत्र।	दिशेरगढ़ क्लब में दो (02) दिनों (19 जुलाई और 20 जुलाई 2019) की कार्यशाला आयोजित की गई।
12	ई-6 और उससे ऊपर की महिला प्रबंधकीय अधिकारियों के लिए व्यवहार कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम।	40 वर्ष और उससे अधिक आयु की प्रबंधकीय महिला अधिकारियों की प्रतिभागिता, अंतर-विभाग, अंतर-क्षेत्र।	
13	महिला अधिकारियों के लिए कम से कम एक विचार-मंथन सत्र का आयोजन।	तौर-तरीके अनुषंगी कंपनी द्वारा तय किये जाते हैं।	8 अगस्त 2019 को मुगमा में महिला कर्मचारियों के लिए एक विचार-मंथन सत्र का आयोजन किया क्षेत्र।
14	सभी अनुषंगी कंपनियों की महिलाओं के लिए आउटडोर खेल गतिविधि का आयोजन।	स्थान और समय तथा सभी अनुषंगी कंपनियों से प्रतिभागिता का निर्धारण अनुषंगी कंपनी द्वारा किया जाना है।	31.01.2020 से पहले ही महिला कर्मचारियों के लिए अंतर-क्षेत्र बैडमिंटन, एथलेटिक्स आदि जैसी विभिन्न आउटडोर खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया।
15	लैंगिक जागरूकता पर कार्यक्रम।	व्यक्तिगत और व्यावसायिक मोर्चे पर महिला कर्मचारियों के साथ सहानुभूति रखने के लिए पुरुष कर्मचारियों के बीच जागरूकता।	ईसीएल मुख्यालय में 27 दिसंबर, 2019 को लैंगिक जागरूकता पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

प्रशिक्षण:

हमरा उद्देश्य पूरे वर्ष के दौरान सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को निरंतर प्रशिक्षण प्रदान करना हैं। कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) द्वारा 1994 में स्थापित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट (IICM) में अधिकारियों को उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम, नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम, सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम, युवा प्रबंधक कार्यक्रम, उन्नत रख-रखाव अभ्यास, प्रबंधन विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षण और कोचिंग, कनिष्ठ अधिकारियों के लिए कैरियर विकास तथा संप्रेषण कौशल जैसे प्रशिक्षण प्रदान किये जाते हैं। इसके अलावा, हमारी कंपनी ने बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु उल्लेखनीय संख्या में हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों (निदेशकों, वरिष्ठ अधिकारियों और गैर-अधिकारियों सहित) को भारत के बाहर कई अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण सत्रों के लिए भेजा है। आईआईसीएम के अलावा, ईसीएल में हमारे 4 मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण केंद्र और 14 क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र (वीटीसी) हैं जो हमारे कर्मचारियों व अधिकारियों को

विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। नए भर्ती हुए प्रबंधन प्रशिक्षुओं के लिए नियमित रूप से अभिप्रेरण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

मानव संसाधन विकास (एचआरडी) द्वारा विभिन्न संस्थानों के छात्रों के लिए जरूरत के आधार पर औद्योगिक / व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाती है। 2019-20 में नए दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी ने 1229 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया। ईसीएल ने 2019-20 में 3092 संविदाकर्मियों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया है। विवरण नीचे दिया गया है:

1. कार्य योजना: कार्य योजना के अनुसार मा.सं.वि.वि की प्रदर्शन रिपोर्ट (कंपनी में)

वर्ष	पाठ्यक्रमों की संख्या		प्रतिभागी की संख्या							
			लक्ष्य				वास्तविक			
	लक्ष्य	वास्तविक	अधिकारी	पर्यवेक्षक	मज़दूर	योग	अधिकारी	पर्यवेक्षक	मज़दूर	योग
2019-20	236	221	393	742	1425	2560	629	967	1681	3277
2018-19	229	249	645	579	1550	2774	620	932	2407	3959

2. 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान प्रदान किए गए विभिन्न प्रशिक्षणों का विवरण:

क्र. सं.	प्रशिक्षण की प्रकृति	2019-20				2018-19			
		अधिकारी	पर्यवेक्षक	मज़दूर	योग	अधिकारी	पर्यवेक्षक	मज़दूर	योग
1	**सामान्य / कंपनी में प्रशिक्षण:**								
1.i	3 दिन या उससे अधिक	195	627	915	1737	322	765	2014	3101
1.ii	3 दिन से कम	434	340	766	1540	298	167	393	858
2	**बाहरी प्रशिक्षण (भारत के अंदर):**								
2.i	**आईआईसीएम में:**								
2.i क	3 दिन या उससे अधिक	563	0	0	563	479	0	0	479
2.i ख	अल्पावधि प्रशिक्षण	129	0	0	129	46	0	0	46
2.ii	**कंपनी प्रशिक्षण (आईआईसीएम से इतर):**								
2.ii.क	अल्पावधि प्रशिक्षण	259	05	02	266	78	04	0	82
2.ii.ख	दीर्घावधि प्रशिक्षण	34	04	0	38	191	14	0	205
2.ii.ग	3 दिन या उससे अधिक	48	0	0	48	24	0	0	24
3	**बाहरी (विदेश में)**	07	0	0	07	04	0	0	04
	कुल	**1669**	**976**	**1683**	**4328**	**1442**	**950**	**2407**	**4799**
4	**अन्य प्रशिक्षण और संगोष्ठियां:**								
क.	**प्रशिक्षु:**								
4.क.i	व्यावसायिक	0	0	1229	1229	0	0	1525	1525
4.क.ii	पीडीपीटी	0	411	0	414	0	428	0	428
4.क.iii	पीजीपीटी	109	0	0	108	136	0	0	136
4.क.iv	अपरेंटिस (कौशल विकास)	0	0	120	226	0	0	277	277
4.ख.	**संगोष्ठी / कार्यशाला (कंपनी को छोड़कर)**	09	07	02	18	57	0	0	57
4.ग.	**सिम्युलेटर प्रशिक्षण**	-	-	71	71	-	-	-	-
	कुल	**1787**	**1394**	**3105**	**6394**	**1635**	**1378**	**4209**	**7222**

पर्यावरणीय सुरक्षा एवं संरक्षण:

पर्यावरण विभाग ईसीएल के पर्यावरण और वन संबंधी मामलों की देखरेख से संबंधित है। पर्यावरण पर कोयला खनन गतिविधियों के प्रभाव की नियमित निगरानी की जा रही है और वैधानिक मानदंडों, अधिनियमों एवं नियमों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त पर्यावरण सुरक्षा उपाय किए जाते हैं। पर्यावरण मंजूरी (क्लीयरेंस) तथा वन मंजूरी के बेहतर अनुपालन के अलावा, कंपनी ने सतत विकास की दिशा में प्राकृतिक हरित पहल की है। इसी के परिणामस्वरूप कंपनी को ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 और OHSAS 18001: 2015 जैसे प्रमाणन प्राप्त हुए हैं।

कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति को अपनाना:

ईसीएल ने अपनी कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति बनाई है और उसे लागू किया है, जो कोल इंडिया लिमिटेड की पर्यावरण नीति के अनुरूप है। ईसीएल की पर्यावरण नीति में कहा गया है कि „ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) 10R (रिड्यूस, रिसायकल, रियूज, रिडिजायन, रिपर्पस, रिफर्बिश, रिपेयर, रिकवर, रिडिप्लॉय एवं रिफ्यूज), प्रदूषण की रोकथाम/शमन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पारिस्थितिक तंत्र एवं जैव विविधता की पुनर्स्थापन, कचरे का उचित निपटान, जलवायु परिवर्तन की रोकथाम करना और मिशन सुदेश (SuDESHH - सतत विकास, पर्यावरण, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता)" के कंपनी-व्यापी कार्यान्वयन के माध्यम से एक मिशन मोड में समावेशी विकास की अवधारणा को लागू करते हुए एकीकृत परियोजना योजना एवं डिजाइन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण द्वारा सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।"

सतत विकास प्रकोष्ठ (एसडीसी):

इसीएल में „सतत विकास प्रकोष्ठ" का गठन किया गया है, जो कंपनी द्वारा समग्र रूप से किए गए विभिन्न पर्यावरणीय शमन उपायों की योजना बनाने, दिशानिर्देश तैयार करने, समय-समय पर निगरानी एवं मूल्यांकन करने के लिए नए विचारों को सृजित करने की दिशा में काम करता है। एसडीसी प्रकोष्ठ का गठन, निदेशक (तकनीकी) परि. एवं यो. की अध्यक्षता में प्रमुख विभागाध्यक्षों के साथ किया गया है। पर्यावरणीय शमन उपायों को सही एवं टिकाऊ तरीके से करने से आस-पास के क्षेत्रों में काम करने वाले तथा निवास करने वाले लोगों को एक बेहतर वातावरण मिलेगा और देश में कोयला क्षेत्र की समग्र छवि में भी सुधार होगा।

वर्ष 2019-20 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां:

क. पर्यावरण मंजूरी:

1. दिनांक 07.08.2019 को क्लस्टर नंबर 3 के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त की गई थी, जिससे सालानपुर क्षेत्र की खदानों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी।
2. राजमहल ओसीपी (23.80 एमटीवाई) - दिनांक 20.03.2020 को क्षमता वृद्धि के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त हुई, जिसके परिणामस्वरूप राजमहल ओसीपी की पिछली क्षमता 17.00 एमटीवाई में 6.8 एमटीवाई की क्षमता वृद्धि हुई है।

ख. वन मंजूरी:

वर्ष 2019-20 के दौरान वन मंजूरी के संबंध में प्रमुख उपलब्धि निम्नलिखित थी:

i) दिनांक 21.05.2019 को हुर्रा 'सी' ओसीपी के 260 हेक्टेयर वन भूमि की चरण- II मंजूरी प्रदान कर दी गई। यह खदान 3 एमटीवाई की उत्पादन क्षमता के साथ संचालित होगी। वर्तमान में, वन भूमि के कब्जे और हस्तांतरण के प्रस्ताव पर झारखंड सरकार के साथ विचार चल रहा है।

ii) दिनांक 10.07.2019 को चित्रा इस्ट ओसीपी के 124.28 हेक्टेयर वन भूमि की चरण- II मंजूरी प्रदान कर दी गई, जिससे इस खदान का विस्तार हो सकेगा। वर्तमान में, वन भूमि के कब्जे और हस्तांतरण के प्रस्ताव पर झारखंड सरकार के साथ विचार चल रहा है।

iii) दिनांक 29.07.2019 को बंकोला क्षेत्र टिलाबोनी ओजीपी (1.86 एमटीवाई) के 39.98 हेक्टेयर वन भूमि के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन की सभी आवश्यकताएं पूरी कर ली गई हैं और यह प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी, दुर्गापुर के पास विचाराधीन है।

ग. वृक्षारोपण और भूमि सुधार:

ईसीएल ने बैकफिल्ड क्षेत्र (52.5 हेक्टे.), बाहरी ओबी डंप (10.0 हेक्टे.), भू-धंसान क्षेत्र (41.0 हेक्टे.), और अन्य समतल जमीन/कोल परिवहन सड़क सहित (1.5 हेक्टे.) कुल 105.00 हेक्ट. (जो लक्ष्य से 11.67% अधिक है) भूमि पर बहुस्तरीय वृक्षारोपण किया है। झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य वन विभाग के माध्यम से कुल 2,62,500 पौधे लगाए गए हैं।

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	खदान का नाम	क्लस्टर सं.	भूमि का प्रकार	क्षेत्र (हेक्टे.)
1.	केंदा	शंकरपुर ओसीपी	11	आंतरिक ओबी डंप	6.0
		बोंनबाहाल ओसीपी	11	आंतरिक ओबी डंप	3.0
2.	श्रीपुर	श्रीपुर सीम इंक्लाईन	8	भू-धंसान क्षेत्र	20.0
3.	सोनेपुर बाजारी	सोनेपुर बाजारी ओसीपी	12	आंतरिक ओबी डंप	5.0
			12	बाहरी ओबी डंप	10.0
4.	काजोरा	माधबपुर ओसीपी	10	आंतरिक ओबी डंप	15.0
5.	सतग्राम	निमचा-अमकोला ओसीपी	11	आंतरिक ओबी डंप	5.0
		जे.के. नगर ग्रूप ऑफ माइंस	9	भू-धंसान क्षेत्र	5.0

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	खदान का नाम	क्लस्टर सं.	भूमि का प्रकार	क्षेत्र (हेक्टे.)
6.	झांजरा	झांजरा यूजीपी	12	भू-धंसान क्षेत्र	10.0
7.	पंडावेश्वर	खोट्टाडीह ओसीपी	12	आंतरिक ओबी डंप	2.2
		नियर बिलपाहारी रिहब साईट	12	अन्य समतल भूमि	1.5
		दालुरबांध ओल्ड ओसीपी	12	आंतरिक ओबी डंप	1.3
8.	सोदेपुर	दुबेश्वरी यूजी	5	भू-धंसान क्षेत्र	6.0
9.	कुनुस्टोरिया	परसिया ओसीपी	10	आंतरिक ओबी डंप	8.0
10.	मुगमा	चापापुर ओसीपी	1	आंतरिक ओबी डंप	2.0
		बदजना ओसीपी	1	आंतरिक ओबी डंप	5.0
				कुल	**105.0**

घ. आईएसओ प्रमाणन:

समग्र रूप से ईसीएल एक ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 और OHSAS 18001:2015 प्रमाणित कंपनी है। ईसीएल ने आंतरिक आईएसओ लेखा परीक्षकों द्वारा सफलतापूर्वक 2 (दो) आंतरिक निगरानी लेखापरीक्षाएं करायीं हैं और प्रमाणन निकाय द्वारा 2 (दो) बाह्य निगरानी लेखापरीक्षाएं की गयीं हैं। कंपनी को ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 और OHSAS 18001: 2015 के नवीनतम सिस्टम मानकों को जारी रखने के साथ प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

ङ. वैज्ञानिक अध्ययन:

सोनेपुर बाजारी ओसीपी में 100 हेक्टेयर से अधिक पुनर्स्थापित एवं वृक्षारोपित क्षेत्र के कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन और वाटर फुट प्रिंट के अंध्ययन का ड्राफ्ट अंतिम रिपोर्ट नीरी (NEERI), कोलकाता द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

मिशन सुदेश (SuDESHH) के तहत गतिविधियां:

क. अक्षय उर्जा को अपनाना

झांजरा क्षेत्र में 45 KwP (2 संयंत्र) और केंदा क्षेत्रीय कार्यालय में 20 KwP क्षमता के सौर उर्जा संयंत्र (सोलर प्लांट) स्थापित किये गए हैं। राजगंज कोलफील्ड्स के 5 क्षेत्रों के आस-पास के 50 से अधिक गांवों में 1100 लाइटें स्थापित की गयी हैं। 2507 एलईडी लाइट्स खरीदने का आदेश दिया जा चुका है।

ख. भू-जल पुनर्भरण (ग्राउंड वाटर रिचार्ज)

राजमहल क्षेत्र में समुद्राबांध एवं गंगासागर तालाब का पुनर्युवनित किया गया था। किसानों को मदद पहुंचाने के लिए खनन क्षेत्रों में भू-जल पुनर्भरण (ग्राउंड वाटर रिचार्ज) के साथ-साथ खरिफ के 476 हेक्ट. और रवि के 46 हेक्ट. भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

भू-जल पुनर्भरण (ग्राउंड वाटर रिचार्ज) के लिए मुगमा क्षेत्र में रुफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग परियोजना स्थापित की गई है। भू-जल स्तरों में सुधार के लिए ईसीएल के कमान क्षेत्र में कुल 26 रुफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली विकसित की गई है। इन रुफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग परियोजनाओं का कुल क्षेत्रफल लगभग 33,800 वर्ग मीटर है। ईसीएल में परिचालित इन रेनवाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं के माध्यम से भूमि के अंदर प्रतिवर्ष लगभग 44,000 घन मीटर बारिश के पानी का पुनर्भरण (रिचार्ज) किया जाता है।

ग. धूल शमन

कोल साइडिंग पर मोबाइल वाटर स्प्रिंकलर लगे हुए हैं और राजमहल क्षेत्र में एमजीएम प्रणाली में वाटर टैंकर लगे हुए हैं।

घ. वृक्षों का बचाव

मिशन SuDESHH के तहत सोनपुर बाजारी क्षेत्र में 144 वृक्षों को ट्रांसप्लांट करने के लिए ट्री ट्रांस प्लांटर्स को लगाया गया है। कण उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख रेलवे साइडिंग्स में फिक्स्ड वाटर स्प्रिंक्लर्स स्थापित किए गए हैं।

परिशिष्ट- V

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियाँ 2019-20

ईसीएल और कार्यान्वयन विभाग में सीएसआर का संक्षिप्त विवरण:

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की एक सहायक कंपनी है। ईसीएल ने सीआईएल सीएसआर नीति को अपनाया और लागू किया है जो संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 और सीआईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर नियम, 2014 के अनुरूप है। सीएसआर से संबंधित डीपीई दिशानिर्देश संदर्भ संख्या: F. No. 15(13)/2013-DPE (GM) दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 जो 01.04.2014 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जाता है। हमारी सीएसआर पहल ने ईसीएल के 25 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले मुख्य रूप से वंचित, भूमि से बेदखल हुए और परियोजना प्रभावित लोगों (पीएपी) पर केंद्रित कल्याण उपाय करके सामाजिक प्रक्रियाओं के साथ हमारे व्यापार को एकीकृत किया है। सीआईएल सीएसआर नीति के तहत प्रावधान के अनुसार, फंड का 80% ईसीएल मुख्यालय/क्षेत्र/परियोजना के 25 किमी के दायरे में उपयोग किया जाना चाहिए और शेष 20% राज्य/राज्य के संचालन क्षेत्र के भीतर खर्च किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया गया कि समाज का गरीब और जरूरतमंद वर्ग अपने विकास और स्थिरता को सहारा देने के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त करे। इन परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों को ईसीएल में निम्नलिखित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए निर्देशित किया गया है:

क) शिक्षा का प्रचार-प्रसार:

i) मुगामा, धनबाद, झारखंड में अत्याधुनिक विद्यालय भवन का निर्माण।

ii) पूर्वी कमान क्षेत्र, भारतीय सेना, कोलकाता में आशा स्कूल के लिए पुनर्वास एवं आवश्यक उपकरण।

ख) दिव्यांग जनों (पीडब्ल्यूडी) का स्वास्थ्य एवं कल्याण:

i) 240 मोबाइल मेडिकल वैन की सेवाएं, जिनमें से 6 एमएमवी को पश्चिम बंगाल एवं झारखंड के दोनों राज्यों में ईसीएल परिचालनों के आसपास के 12 क्षेत्रों में लगाया गया है।

ii) आसनसोल में आसनसोल आनंदम के दिव्यांग छात्रों के लिए इंद्रधनुष परियोजना।

ग) कौशल विकास एवं महिला सशक्तिकरण:

i) आईटीआई सिकिटिया, गोड्डा (महत्वकांक्षी जिला), झारखंड का संचालन, रखरखाव, प्रबंधन एवं उन्नयन।

ii) सांकतोरिया, पश्चिम बर्धमान, पश्चिम बंगाल में ब्यूटी थेरेपी ट्रेड में प्रशिक्षण देकर कौशल विकास/उन्नयन के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना।

घ) बुनियादी ढांचा विकास:

हाइवे से श्री श्री रविशंकरजी आश्रम, मध्य काजोर तक डामर (बिटुमिनस) सड़क का निर्माण।

ड.) पर्यावरण एवं पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करना:

रानीगंज कोलफील्ड्स और इसके आसपास के विभिन्न गांवों में लगभग 1200 सौर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना।

च) ग्रामीण विकास एवं सिंचाई:

कृषि विकास के लिए गोड्डा (महत्वकांक्षी जिला) में समुद्राबांध समुद्र के किनारे, महेशपुर एवं गंगासागर तालाब की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनर्स्थापन।

छ) एससी/एसटी का कल्याण:

4 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत एससी/एसटी के 50 अभ्यर्थियों को माईनिंग सरदार का प्रशिक्षण।

ज) स्वच्छ भारत अभियान:

दिशेरगढ़ में एसबीआई, सांकतोरिया शाखा से ईसीएल स्टेडियम से सटे सड़क तक बड़े नाले और 2 पुलियों का निर्माण।

सीएसआर समिति की संरचना:

कंपनी के सीएसआर एवं सतत विकास एजेंडे को चलाने के लिए द्वि-स्तरीय संरचना है, जिसमें ईसीएल की सीएसआर और सततता गतिविधियों की योजना, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में एक बोर्ड स्तर की समिति तथा महाप्रबंधक (कल्याण एवं सीएसआर) की अध्यक्षता वाली एक बोर्ड स्तर से नीचे की समिति का गठन किया गया है। सीआईएल सीएसआर नीति के दिशानिर्देशों के अनुरूप

ईसीएल मुख्यालय में गठित बोर्ड स्तर से नीचे की सीएसआर समिति अवधारणा से लेकर निष्कर्ष तक सीएसआर गतिविधियों का समन्वय करती है। क्षेत्रीय स्तर पर सीएसआर गतिविधियों को लागू करने के लिए अलग-अलग संवर्ग के अधिकारियों को मिलाकर भी एक सीएसआर समिति का गठन किया गया है।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों मे कंपनी का औसत शुद्ध लाभ

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ/कर पूर्व लाभ की 2 प्रतिशत (%) राशि का निर्धारण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18	2016-17
कर पूर्व लाभ	1298.39	(-) 1466.73	15.32
घटाएं: परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	3.16	(-) 0.49	(-) 0.02
धारा 198 के अंतर्गत लाभ	1295.23	(-) 1467.22	15.30
तीन वर्षों में औसत शुद्ध लाभ	[15.30+ (-) 1467.22 + 1295.23)/3 = (-) 52.23		

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित सीएसआर बजट:

क) **कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का 2%** 'शून्य' होता है।

ख) **सीआइएल सीएसआर नीति के अनुसार-** ईसीएल द्वारा फंड का प्रावधान सीआईएल की सीएसआर नीति पर आधारित है, जो पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% है या पिछले वर्ष के कोयला उत्पादन का ₹ 2/- प्रति टन, इनमें से जो भी अधिक हो, और इसमें सीएसआर के पिछले वित्तीय वर्ष के बजट की अव्ययित राशि जोड़ी दी जाएगी। वर्ष 2018-19 में कुल उत्पादन 50.16 मिलियन टन था।

इसलिए, सीएसआर प्रावधान के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का 2% की दर से यह शून्य होता है, वहीं ₹ 2/- प्रति टन कोयला उत्पादन की दर से यह राशि 10.03 करोड़ होगी, इनमें से जो भी अधिक है।

हालाँकि, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कुल सीएसआर बजट निम्नानुसार था:

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ₹ 2/- प्रति टन कोयला उत्पादन के अनुसार सीएसआर बजट प्रावधान	₹ 10.03 करोड़
जोड़ें: वित्त वर्ष 2018-19 की अव्ययित राशि	₹ 7.83 करोड़
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कुल सीएसआर बजट	₹ 17.86 करोड़

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान खर्च की गयी सीएसआर राशि का विवरण:

वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली कुल राशि	
कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार	Nil
हमारी अपनी सीएसआर नीति के अनुसार	₹ 17.86 Crore
वित्त वर्ष 2019-20 में कुल व्यय:	**₹ 11.47 Crore**
कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सीएसआर बजट की अव्ययित राशि	Nil
स्वयं के सीएसआर बजट की अव्ययित राशि	₹ 6.39 Crore

ईसीएल द्वारा सीएसआर के तहत की गई गतिविधियों की सूची परिशिष्ट 'क' के रूप में संलग्न है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में अव्ययित राशि का कारण:

क) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अव्ययित राशि का कारण- कोई भी अव्ययित राशि नहीं है, व्यय कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार निर्धारित बजट से अधिक है।

ख) स्वयं के सीएसआर बजट की अव्ययित राशि का कारण- सीएसआर बजट से अधिक की परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया था और उसके लिए निधि भी आवंटित की गई थी, किंतु इस वित्त वर्ष में कोविड-19 संकट के कारण पिछले कुछ महिनों में आपूर्ति श्रृंखला की समस्याओं और सीएसआर प्रावधानों के अनुपालन मुद्दों के कारण इस कार्य को समय से पूरा नहीं किया जा सका। बाद के वर्ष में, इस निधि का लाभकारी रूप से उपयोग किया जाएगा क्योंकि कार्य प्रगति पर हैं।

एतद्द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि ईसीएल की सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी सीआईएल सीएसआर नीति के अनुपालन में है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 और 01.04.2014 से प्रभावी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

(विनय रंजन)
निदेशक (कार्मिक)

(अनिल कुमार गनेरिवाला)
अध्यक्ष, सीएसआर उप-समिति

दिनांक: 01.08.2020
स्थान : सांकतोड़िया/नई दिल्ली

परिशिष्ट - क

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सीएसआर गतिविधियां

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	गतिविधि	क्षेत्र	बजट परिव्यय	खर्च राशि	31.03.2020 तक संचयी व्यय	राशि सीधे या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से खर्च की गई
1	सेवारत सैनिकों और उनके परिवार के लिए कल्याणकारी उपाय के रूप में ई-रिक्शा की खरीद	सशस्त्र बलों का लाभ	13,36,000.00	11,12,000.00	11,12,000.00	पूर्वी कमान, भारतीय सेना
2	आसनसोल आनंदम के दिव्यांग छात्रों के लिए इंद्रधनुष परियोजना	दिव्यांगजन	24,73,000.00	8,23,000.00	16,06,000.00	आसनसोल आनंदम
3	आशा स्कूल, ईस्टर्न कमांड जोन, भारतीय सेना के लिए पुनर्वास एवं आवश्यक उपकरण की खरीद।	दिव्यांगजन	17,70,358.00	6,90,358.00	6,90,358.00	ईस्टर्न कमांड जोन, भारतीय सेना
4	अचरा जगनेश्वर संस्थान को 150 बेंच प्रदान करना	शिक्षा	13,32,927.00	12,47,459.00	12,47,459.00	सीधे
5	स्कूल बिल्डिंग का नवीनीकरण, मौजूदा खराब शौचालय को प्रयोग के लिए तैयार करना और निमजोरा मुफ्त प्राथमिक विद्यालय में सबमर्सिबल पंप की स्थापना	शिक्षा	4,10,612.00	3,34,000.00	3,34,000.00	सीधे
6	प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए शिक्षा सहायता कार्यक्रम	शिक्षा	9,58,644.00	2,94,835.00	9,58,644.00	सांकतोरिया ग्राम समिति
7	सोनपुर बाजारी, मधुडांगा गांव एवं भटमुरा गांव के ग्रामीणों और स्कूल जाने वाले बच्चों को आने-जाने के लिए 02 ट्रेकर या इसी प्रकार के वाहन की सुविधा	शिक्षा	11,09,095.58	6,90,474.00	9,94,576.00	सीधे
8	"सालनपुर प्रखंड के फुलबेरिया उच्च प्राथमिक विद्यालय" में पेयजल सुविधा की व्यवस्था	शिक्षा	3,49,408.00	3,43,642.00	3,43,642.00	सीधे
9	अपग्रेडेड स्कूल पाथरड्डा, सारथ, देवघर में 02 कक्षा और दो शौचालय का निर्माण	शिक्षा	21,61,627.00	16,07,128.00	16,07,128.00	सीधे
10	बलिहारपुर, पाकुर के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में प्रथम तल पर 04 कमरों और चारदीवारी का निर्माण	शिक्षा	49,29,500.00	37,56,218.00	51,56,218.00	सीधे
11	उत्क्रमित (अपग्रेडेड) हाई स्कूल बासबुटिया, पालजोरी, देवघर में 02 कमरों का निर्माण	शिक्षा	16,57,137.00	12,30,720.00	12,30,720.00	सीधे
12	मुगमा क्षेत्र (डीएवी) में स्कूल भवन का निर्माण	शिक्षा	7,37,33,515.00	1,54,70,625.00	6,74,84,625.00	सीधे
13	जेमरी जीपी में स्कूल यूनिफार्म सिलाई यूनिट के माध्यम से स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के लिए आजीविका सृजन	शिक्षा	24,92,694.00	3,54,535.00	8,65,535.00	श्री श्री ग्रामिण विकास कार्यक्रम ट्रस्ट
14	ईसीएल के केंदा, सोदेपुर, सालानपुर एवं सतग्राम क्षेत्र के 15 स्कूलों में मिनी साइंस लैब	शिक्षा	21,94,800.00	10,97,400.00	10,97,400.00	संभावना फाउंडेशन
15	केंदा और सोदेपुर क्षेत्र को छोड़कर ईसीएल, रानीगंज कोलफील्ड्स के कमान क्षेत्र के विभिन्न गांवों और उसके आसपास में सोलर स्ट्रीट लाइट परियोजनाओं की स्थापना।	पर्यावरण एवं सततता	3,16,35,648.00	1,30,53,785.00	1,30,53,785.00	ट्रिनिक्स इंपेक्स प्रा. लि.

क्र. सं.	गतिविधि	क्षेत्र	बजट परिव्यय	खर्च राशि	31.03.2020 तक संचयी व्यय	राशि सीधे या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से खर्च की गई
16	मोबाईल मेडिकल वैन सेवा	स्वास्थ्य देखभाल	4,93,82,136.00	1,65,13,872.00	2,57,13,187.00	एचएलएफपीपीटी ऐंड आरके एचआईवी
17	दिशेरगढ़ के वार्ड नं. 104 एवं 105 में एसबीआई, सांकतोरिया शाखा से ईसीएल स्टेडियम से सटे सड़क तक बड़े नाले और 2 पुलियों का निर्माण	स्वास्थ्य देखभाल	1,49,41,456.00	59,76,583.00	59,76,583.00	आसनसोल नगर निगम
18	विभिन्न क्षेत्रों में ग्राम स्वास्थ्य शिविर	स्वास्थ्य देखभाल	5,84,000.00	98,562.00	5,16,475.00	सीधे
19	कोविड-19 वायरस से लड़ने के लिए उपायुक्त, जामताड़ा को सीएसआर फंड प्रदान करना	स्वास्थ्य देखभाल	1,00,000.00	1,00,000.00	1,00,000.00	उपायुक्त, जामताड़ा
20	कोविड-19 वायरस से लड़ने के लिए ईसीएल के साथ काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों से 10,000 फेस मास्क की खरीद	स्वास्थ्य देखभाल	1,25,000.00	1,23,000.00	1,23,000.00	श्री श्री ग्रामिण विकास कार्यक्रम ट्रस्ट
21	समुंद्रबांध, महेशपुर एवं गंगासागर तालाब महागामा की मरम्मत, जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार	ग्रामिण विकास	4,60,33,100.00	1,81,27,917.00	4,11,44,467.00	जिला प्रशासन, गोड्डा
22	नामोकेशिया काली मंदिर से पीएमएसजीवाई तक 480 मीटर पीसीसी सड़क का निर्माण	ग्रामिण विकास	15,42,026.00	7,62,764.00	7,62,764.00	बीडीओ, सलानपुर कार्यालय
23	चिंचुरिया मोड़ से हंसडीहा गांव मोड़ तक कुल 1470 मीटर लंबी मौजूदा डामर सड़क का सुदृढ़ीकरण।	ग्रामिण विकास	94,44,211.00	89,70,552.00	89,70,552.00	सीधे
24	50 एससी/एसटी अभ्यर्थियों को माईनिंग सरदार का प्रशिक्षण	कौशल विकास	37,00,000.00	12,75,464.00	23,77,464.00	सीधे
25	प्रोजेक्ट अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजाइन केंद्र (एटीडीसी), राजमहल द्वारा सिलाई मशीन ऑपरेटर प्रशिक्षण	कौशल विकास	16,09,065.00	5,32,350.00	5,32,350.00	एटीडीसी
26	आईटीआई, पुरुषोत्तम, रामकली में कर्मशालाओं का निर्माण तथा फिटर और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए उपकरणों की खरीद	कौशल विकास	48,53,465.00	9,70,693.00	48,53,465.00	रामकली पुरुषोत्तम इंस्टीच्यूट
27	आईटीआई सिकिटिया, गोड्डा का संचालन, रखरखाव एवं प्रबंधन (01 वर्ष की अवधि के लिए)	कौशल विकास	93,32,812.00	28,77,075.00	83,21,075.00	जेएसपीएल के ओपीजेसीसी
28	आईटीआई सिकिटिया, गोड्डा का संचालन, रखरखाव एवं प्रबंधन	कौशल विकास	15,29,67,962.00	65,81,939.00	65,81,939.00	गोविंदापुर सिपाही समाज सेवा समिति
29	सी-पेट (CIPET), भुवनेश्वर में प्रशिक्षण के लिए ₹ 48,80,000/- की लागत से अतिरिक्त 80 उम्मीदवारों की स्वीकृति।	कौशल विकास	48,80,000.00	5,20,000.00	48,80,000.00	सीआईपीईटी, भुवनेश्वर में
30	ईसीएल में विद्युत कौशल प्रशिक्षण	कौशल विकास	18,16,000.00	9,08,000.00	14,53,000.00	श्री श्री ग्रामिण विकास कार्यक्रम ट्रस्ट
31	प्रोजेक्ट अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजाइन केंद्र (एटीडीसी), कुनुस्टोरिया द्वारा सिलाई मशीन ऑपरेटर प्रशिक्षण	कौशल विकास	16,09,065.00	4,28,194.00	4,28,194.00	एटीडीसी, रांची

क्र. सं.	गतिविधि	क्षेत्र	बजट परिव्यय	खर्च राशि	31.03.2020 तक संचयी व्यय	राशि सीधे या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से खर्च की गई
32	केंडा गाँव, केंडा मौजा, केंडा क्षेत्र, ईसीएल को पानी की आपूर्ति की व्यवस्था।	जलापूर्ति	85,05,717.00	13,77,933.00	85,05,717.00	सीधे
33	सालनपुर ब्लॉक के 10 जीपी में पानी के टैंकर के माध्यम से पीने के पानी की आपूर्ति।	जलापूर्ति	9,77,342.00	9,58,200.00	9,58,200.00	बीडीओ, सालनपुर
34	बाराबनी ब्लॉक के 08 गाँवों को घरेलू पानी की आपूर्ति।	जलापूर्ति	32,87,102.00	8,20,484.00	32,87,102.00	सीधे
35	बाराबनी ब्लॉक के 08 गाँवों को घरेलू पानी की आपूर्ति का विस्तार	जलापूर्ति	8,18,235.00	8,18,235.00	8,18,235.00	सीधे
36	बाराबनी ब्लॉक के दो गांवों में जलाशय के साथ 02 रिगबोर कुओं की स्थापना	जलापूर्ति	14,19,996.00	7,09,998.00	7,09,998.00	बीडीओ बाराबनी कार्यालय
37	सांकतोरिया में ब्यूटी थेरेपी ट्रेड में प्रशिक्षण देकर कौशल कास/उन्नयन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण	महिला सशक्तिकरण	19,17,950.00	3,18,120.00	14,68,120.00	श्री श्री ग्रामिण विकास कार्यक्रम ट्रस्ट
38	सांकतोरिया में सीप मशरूम की खेती के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए आजीविका कार्यक्रम	महिला सशक्तिकरण	9,24,000.00	4,62,000.00	4,62,000.00	बड़जोरा समाज कल्याण समिति
39	कांथा सिलाई कौशल प्रशिक्षण परियोजना	महिला सशक्तिकरण	14,61,185.00	2,92,237.00	7,30,593.00	दुर्गापुर सुंदरम सोसाइटी
40	उन्नति - महिलाओं द्वारा चलाया जाने वाला एक हस्तशिल्प सूक्ष्म उद्योग	महिला सशक्तिकरण	24,90,677.00	22,845.00	24,90,677.00	श्रीओशी (SRREOSHI), दुर्गापुर
41	सीएसआर, 2019 पर सेमिनार	प्रशासनिक व्यय	7,64,320.00	7,49,320.00	7,49,320.00	सीधे
42	नई दिल्ली में सामाजिक उद्यमिता बूटकैंप	प्रशासनिक व्यय	60,000.00	60,000.00	60,000.00	सीधे
43	सीएसआर बुकलेट	प्रशासनिक व्यय	8,109.00	8,109.00	8,109.00	सीधे
44	एसीएसआर कार्यशाला	प्रशासनिक व्यय	12,279.00	12,279.00	12,279.00	सीधे
45	आइआइटी (आइएसएम) के माध्यम से ईसीएल में स्थानीय विकास तथा आर्थिक प्रदर्शन पर कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व पहल के लिए प्रमुख संचालकों और कॉरपोरेट सामाजिक लेखा की रूपरेखा तैयार करना	प्रशासनिक व्यय	11,81,966.00	11,81,916.00	11,81,916.00	आइआइटी (आइएसएम), धनबाद
46	31 दिसंबर, 2019 को सीएसआर छमाही समीक्षा बैठक और कार्यशाला आयोजित की गई	प्रशासनिक व्यय	16,000.00	16,000.00	16,000.00	सीधे
47	नई दिल्ली में ईसीएल द्वारा सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों की बेहतरीन कार्यप्रणाली पर सीएसआर परियोजना की प्रदर्शनी के दौरान प्रदर्शनी का आयोजन	प्रशासनिक व्यय	76,700.00.00	76,700.00	76,700.00	सीधे
	कुल		**45,53,86,841.00**	**11,47,57,519.00**	**23,20,51,570.00**	

निगमावलोकन

स्थिति रिपोर्ट

वित्तीय विवरण

परिशिष्ट -VI

निगम संचालन पर रिपोर्ट

1. दर्शन:

कॉरपोरेट गवर्नेंस को उन प्रणालियों, प्रक्रियाओं और सिद्धांतों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो यह सुनिश्चित करते हैं कि एक कंपनी सभी हितधारकों के सर्वोत्तम हित में शासित है। ईसीएल का दृढ़ विश्वास है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस एक ऐसी संस्कृति है जिसके तहत एक संस्था का पोषण और विकास उसके मूलभूत मूल्यों और उस माध्यम से होता है जिसके द्वारा वह जनता के विश्वास और अपने हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करता है। ईसीएल में, यह केवल कानूनों और नैतिक मानकों का अनुपालन नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक निवेश है जो न केवल हमारी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, बल्कि हमारे व्यवसाय को परिचालित करने और बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

पारदर्शिता, जवाबदेही और अखंडता अच्छे कॉरपोरेट गवर्नेंस की मुख्य घटक हैं। एक अच्छे कॉरपोरेट नागरिक के रूप में आपकी कंपनी कॉरपोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों का पालन करने में विश्वास करती है। ईसीएल सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत भारत के नागरिकों को पर्याप्त सूचना उपलब्ध कराता है।

2. निदेशक मंडल:

(क) बोर्ड संरचना:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के तहत हम एक सरकारी कंपनी हैं, क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड के पास संपूर्ण पेड-अप शेयर कैपिटल है। एसोसिएशन के नियमानुसार निदेशक नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है।

कंपनी के एसोसिएशन के नियमों के आलोक में हमारे बोर्ड में निदेशकों की संख्या न्यूनतम 2 और अधिकतम 15 होगी। ये निदेशक या तो पूर्णकालिक प्रकार्य निदेशक या अंशकालिक निदेशक हो सकते हैं। निदेशकों को कोई भी योग्यता-शेयर रखने की आवश्यकता नहीं है।

31 मार्च, 2020 तक, बोर्ड में 9 निदेशक शामिल थे, जिनमें से 5 पूर्णकालिक प्रकार्य निदेशक, 2 अंशकालिक सरकारी निदेशक और 2 अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक थे।

निदेशकगण बोर्ड को व्यापक स्तर पर अनुभव एवं कौशल प्रदान करते हैं.

निदेशकगण:

वर्ष 2019-20 के दौरान, श्री प्रेम सागर मिश्रा ईसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक थे।

वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी के बोर्ड में अन्य निदेशक थे, डॉ. इंदिरा चक्रवर्ती, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (16.11.2019 तक); श्री प्रवीण कांत, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक; श्री अनिल कुमार गनेरीवाला, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (10.07.2019 से); श्री श्याम नंदन प्रसाद, अंशकालिक सरकारी निदेशक (29.10.2019 तक); श्री भबानी प्रसाद पति, अंशकालिक सरकारी निदेशक (17.03.2020 तक); श्री संजीव सोनी, अंशकालिक सरकारी निदेशक (29.10.2019 से); श्री अनिमेष भारती, अंशकालिक सरकारी निदेशक (17.03.2020 से); श्री संजीव सोनी, प्रकार्य निदेशक (10.07.2019 तक); श्री सुनील कुमार झा, प्रकार्य निदेशक (31.12.2019 तक); श्री समीरन दत्ता, प्रकार्य निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (16.08.2019 से 03.03.2020 तक); श्री जयप्रकाश गुप्ता, प्रकार्य निदेशक; श्री विनय रंजन, प्रकार्य निदेशक; श्री बी. वीरेंद्र रेड्डी, प्रकार्य निदेशक (01.01.2020 से) और श्री गौतम चंद्र डे, प्रकार्य निदेशक (03.03.2020 से)।

सेवा अनुबंध:

कंपनी के निदेशक भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। पूर्णकालिक प्रकार्य निदेशकों की नियुक्ति के नियम एवं शर्तें कंपनी के एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ कंपनी के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती हैं। गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों के नियम एवं शर्तों को कोयला मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया गया है।

निदेशकों की आयु सीमा एवं कार्यकाल:

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक प्रकार्य निदेशकों की आयु सीमा 60 वर्ष है। अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक प्रकार्य निदेशकों को पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच साल की अवधि अथवा उनके सेवानिवृत्ति अथवा भारत सरकार के अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो के लिए नियुक्त किया जाता है। निदेशक मंडल में शामिल कोई भी निदेशक दस से अधिक सार्वजनिक कंपनियों में निदेशक के पद पर नहीं है। इसके अलावा, उन सभी सार्वजनिक कंपनियों में, जिनमें वे निदेशक हैं, के दस से अधिक समितियों का सदस्य अथवा पांच से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं हैं। 31 मार्च, 2020 तक अन्य सार्वजनिक कंपनियों में समिति के पदों के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण निदेशकों द्वारा किए गए हैं। कोई भी निर्देशक एक-दूसरे से संबंधित नहीं हैं। कोयला मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी नामित निदेशक,

कोयला मंत्रालय के अधिकारी होने के लिए बोर्ड से सेवानिवृत्त होते हैं। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 में निर्दिष्ट स्वतंत्रता की शर्तों को पूरा करते हैं।

(ख) बोर्ड बैठकें:

निदेशकों की सुविधा के लिए निदेशक मंडल की बैठक आम तौर पर सांकटोरिया/कोलकाता में आयोजित की जाती है। कंपनी ने निदेशक मंडल और समितियों की बैठकों के लिए प्रक्रियाओं को अच्छी तरह से परिभाषित किया है ताकि सूचित और कुशल तरीके से निर्णय लेने में सुविधा हो सके।

वित्तीय वर्ष में 4 बैठकों की न्यूनतम आवश्यकता की तुलना में 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, दिनांक 09.05.2019, 27.05.2019, 30.07.2019, 26.09.2019, 06.11.2019, 16.01.2020 और 04.02.2020 को 7 बोर्ड बैठकें को आयोजित की गई थी।

प्रत्येक निदेशक द्वारा बोर्ड बैठकों में उपस्थिति की संख्या का विवरण निम्नलिखित है:

क्र. सं.	निदेशक	बोर्ड बैठकें		अन्य निदेशकों की संख्या
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति	
	प्रकार्य निदेशकगण:			
01	श्री प्रेम सागर मिश्र अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीएल	07	07	शून्य
02	श्री सुनील कुमार झा निदेशक (तकनीकी) परिचालन (13.12.2019 तक)	05	05	शून्य
03	श्री जयप्रकाश गुप्ता निदेशक (तकनीकी) योजना एवं परियोजना	07	07	शून्य
04	श्री संजीव सोनी निदेशक (वित्त) (10.07.2019 से)	02	02	शून्य
05	श्री विनय रंजन निदेशक (कार्मिक)	07	07	01
06	श्री समिरन दत्ता निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार) (16.08.2019 से 03.03.20 तक)	04	04	01
07	श्री बी. वीरा रेड्डी निदेशक (तकनीकी) परिचालन (01.01.2020 से)	02	02	शून्य
08	श्री गौतम चंद्र डे निदेशक (वित्त) (03.03.2020 से)	शून्य	शून्य	शून्य
	अंशकालिक सरकारी निदेशकगण:			
09	श्री श्याम नंदन प्रसाद निदेशक (विपणन), सीआईएल (29.10.2019 तक)	04	03	04
10	श्री संजीव सोनी निदेशक (वित्त), सीआईएल (29.10.2019 से)	03	03	02
11	श्री भबानी प्रसाद पति संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय (17.03.2020 तक)	07	05	01
12	श्री अनिमेष भारती आर्थिक सलाहकार, कोयला मंत्रालय (17.03.2020 से)	शून्य	शून्य	शून्य
	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकगण:			
13	डॉ. इंदिरा चक्रवर्ती (16.11.2019 तक)	05	05	शून्य
14	श्री प्रवीण कांत	07	07	05
15	श्री अनिल कुमार गनेरीवाला (10.07.2019)	05	05	शून्य

(ग) निदेशक मंडल के समक्ष रखी गई सूचनाएं:

बोर्ड के पास कंपनी से संबंधित किसी भी सूचना को प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। बोर्ड को आवश्यकतानुसार कई सूचनाएं उपलब्ध कराई गई, जिसमें निम्नलिखित भी शामिल है:

1) वार्षिक परिचालन योजना, बजट तथा सभी प्रकार के अद्यतन।
2) कैपिटल बजट और तथा सभी प्रकार के अद्यतन।
3) कंपनी तथा इसके परिचालन विभागों या व्यावसायिक क्षेत्रों की त्रैमासिक रिपोर्ट।
4) लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।
5) मुख्य वित्त अधिकारी और कंपनी सचिव की नियुक्ति या पदच्युत करने सहित बोर्ड स्तर से नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती और पारिश्रमिक संबंधी सूचना।
6) कारण बताओ, मांग, अभियोजन सूचना तथा अर्थदंड सूचना जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हैं।
7) घातक या गंभीर दुर्घटनाएँ, खतरनाक घटनाएँ, किसी भी सामग्री का प्रवाह या प्रदूषण की समस्या।
8) कंपनी से संबंधित और उसके द्वारा बेची गई वस्तुओं के वित्तीय दायित्वों में कोई भी आर्थिक चूक या कंपनी द्वारा पर्याप्त भुगतान न किए जाने पर।
9) कोई भी मुद्दा, जिसमें किसी भी निर्णय या आदेश सहित पर्याप्त प्रकृति के संभावित सार्वजनिक या उत्पाद देयता के दावे शामिल होते हैं, जो कंपनी के संचालन पर सख्ती से पारित हो सकते हैं या किसी अन्य उद्यम के बारे में प्रतिकूल दृष्टिकोण ले सकते हैं और जो कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।
10) किसी भी संयुक्त उद्यम या सहयोग-समझौते का विवरण।
11) महत्वपूर्ण श्रम समस्याएं और उनके प्रस्तावित समाधान। मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों में कोई महत्वपूर्ण विकास जैसे कि वेतन समझौता पर हस्ताक्षर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन आदि।
12) किसी भी नियामक और सांविधिक का गैर-अनुपालन।

(घ) निदेशक का पारिश्रमिक:

(i) प्रकार्य निदेशकगण:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	वेतन	लाभ	कुल	टिप्पणियां
1.	श्री प्रेम सागर मिश्र	3246387.00	458571.00	3704958.00	-
2.	श्री सुनील कुमार झा	5810780.00	718154.00	6528934.00	31.12.2019 को सेवानिवृत्त
3.	श्री जयप्रकाश गुप्ता	4639078.00	935925.00	5575003.00	-
4.	श्री संजीव सोनी	1223965.00	365498.00	1589463.00	10.07.2019 तक
5.	श्री विनय रंजन	2886589.00	381578.00	3268167.00	-
6.	श्री बी. वीरा रेड्डी	613000.00	69238.00	682238.00	01.01.2020 से
7.	श्री गौतम चंद्र डे	-	-	-	03.03.2020 से

(ii) अंशकालिक सरकारी निदेशकगण:

कंपनी द्वारा अंशकालिक सरकारी निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है।

(iii) अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकगण:

बैठक-शुल्क के अलावा अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है। बोर्ड/समिति की बैठक में भाग लेने के लिए भुगतान किए गए बैठक-शुल्क का विवरण निम्नलिखित है।

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	निदेशक का नाम	बोर्ड बैठक -शुल्क	समिति बैठक-शुल्क	कुल
1	डॉ. इंदिरा चक्रवर्ती	75,000/-	2,40,000/-	3,15,000/-
2	श्री प्रवीण कांत	1,05,000/-	3,00,000/-	4,05,000/-
3	श्री अनिल कुमार गनेरीवाला	75,000/-	2,25,000/-	3,00,000/-

3. बोर्ड समिति:

बोर्ड ने निम्नलिखित बोर्ड-समितियों का गठन किया है:

क. लेखापरीक्षा समिति

ख. परियोजनाओं के मूल्यांकन, मूल्य निर्धारण एवं अनुमोदन के लिए उप-समिति,

ग. सीएसआर समिति

घ. आपदा प्रबंधन समिति

[क] लेखापरीक्षा समिति:

आपकी कंपनी की एक स्वतंत्र लेखापरीक्षा समिति है। कंपनी द्वारा गठित लेखापरीक्षा समिति की संरचना, प्रक्रिया, शक्तियां और भूमिका/कार्य, कंपनी अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप है।

लेखापरीक्षा समिति का कार्यक्षेत्र:

लेखापरीक्षा समिति का कार्यक्षेत्र निम्नलिखित है:-

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण और इसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है।
2. बोर्ड को लेखापरीक्षा शुल्क के निर्धारण की सिफारिश करना।
3. सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी भी अन्य सेवाओं के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के शुल्क निर्धारण के लिए बोर्ड को सिफारिश करना।
4. अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले,प्रबंधन के साथ समीक्षा करना, और यह सुनिश्चित करना कि वार्षिक वित्तीय विवरण निम्नलिखित संदर्भित विवरण सहित लागू कानूनों के अनुपालन में हैं-
   क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के संदर्भ में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशक उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले मामले;
   ख) परिवर्तन, लेखांकन नीतियों और प्रथाओं में कोई परिवर्तन होने पर;
   ग) प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर अनुमानों को शामिल करते हुए प्रमुख लेखा प्रविष्टियाँ;
   घ) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;
   ड.) वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन;
   च) किसी भी संबंधित पार्टी लेनदेन का स्पष्टीकरण; और
   छ) ड्राफ्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शर्तें और
   ज) वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों पर प्रबंधन के साथ चर्चा एवं विश्लेषण।
5. अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले त्रैमासिक वित्तीय विवरण पर प्रबंधन के साथ समीक्षा।
6. आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता पर प्रबंधन के साथ समीक्षा।
7. आंतरिक लेखापरीक्षा के पर्याप्तता की समीक्षा करना, यदि आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफ और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी की आंतरिक संरचना, आंतरिक कवरेज की आवृत्ति और रिपोर्टिंग और आंतरिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति और/या हटाने के बारे में जानकारी शामिल है।
8. कोई महत्वपूर्ण बात पता चलने और उसके निष्कर्षों पर आंतरिक लेखा परीक्षक और/या लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करना।
9. आंतरिक लेखा परीक्षकों/लेखा परीक्षकों/एजेंसियों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना, जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या किसी सामग्री प्रकृति के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता और बोर्ड को मामले की रिपोर्ट करना है।
10. लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले लेखापरीक्षा की प्रकृति और कार्यक्षेत्र के साथ-साथ लेखापरीक्षा के बाद किसी भी चिंताजनक क्षेत्र की का पता लगाने के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा।
11. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश के भुगतान न होने की स्थिति में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त डिफ़ॉल्ट के कारणों को देखना।
12. सचेतक (व्हिसल ब्लोअर) तंत्र की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना।
13. नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक (सी एंड एजी) अंकेक्षण की अंकेक्षण टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
14. लेखापरीक्षा के दौरान आने वाली किसी भी कठिनाई की समीक्षा करना, जिसमें गतिविधियों के कार्यक्षेत्र पर कोई प्रतिबंध या आवश्यक जानकारी तक पहुंच शामिल है।
15. संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति (सीओपीयू) की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

संयोजन:

31 मार्च, 2020 तक, लेखापरीक्षा समिति में 2 (दो) अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक अर्थात श्री प्रवीण कांत और श्री अनिल कुमार गनेरीवाला (30.07.2019 से), 1 (एक) अंशकालिक सरकारी निदेशक अर्थात श्री संजीव सोनी, निदेशक (वित्त), सीआईएल (06.11.2019 से) और 3 (तीन) प्रकार्य निदेशक अर्थात श्री जयप्रकाश गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) योजना एवं परियोजना, श्री विनय रंजन, निदेशक (कार्मिक) और श्री बी.वीरा रेड्डी, निदेशक (तकनीकी) परिचालन (16.01.2020 से) शामिल थे।

वर्ष के दौरान, श्री प्रवीण कांत, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष थे

निदेशक (वित्त) और महाप्रबंधक (वित्त) आंतरिक लेखापरीक्षा समिति के स्थायी आमंत्रित हैं और कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान दिनांक 08.05.2019, 27.05.2019, 29.07.2019, 25.09.2019, 19.10.2019, 06.11.2019, 16.01.2020 और 04.01.2020 को लेखापरीक्षा समिति की 8 (आठ) बैठकें आयोजित की गईं। वर्ष के दौरान प्रत्येक सदस्यों द्वारा भाग लेने वाली लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या इस प्रकार है:

क्र. सं.	सदस्य	सदस्यों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1	श्री प्रवीण कांत	08	08
2	डॉ. इंदिरा चक्रवर्ती	06	06
3	श्री अनिल कुमार गनेरीवाला	05	05
4	श्री भबानी प्रसाद पति	08	03
5	श्री श्याम नंदन प्रसाद	05	01
6	श्री संजीव सोनी	03	03
7	श्री सुनील कुमार झा	06	06
8	श्री जयप्रकाश गुप्ता	08	08
9	श्री विनय रंजन	08	07
10	श्री बी.वीरा रेड्डी	01	01

[ख] परियोजनाओं के मूल्यांकन, समीक्षा और अनुमोदन के लिए समिति

246वीं बोर्ड बैठक में, परियोजनाओं के मूल्यांकन, समीक्षा और अनुमोदन के लिए एक समिति का गठन किया गया था। परियोजनाओं के मूल्यांकन, समीक्षा और अनुमोदन के लिए समिति में 1 (एक) अंशकालिक सरकारी निदेशक, अर्थात श्री संजीव सोनी, निदेशक (वित्त), सीआईएल (06.11.2019 से), 2 (दो) अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक अर्थात श्री प्रवीण कांत और श्री अनिल कुमार गनेरीवाला (30.07.2019 से) और 3 (तीन) प्रकार्य निदेशक अर्थात श्री जयप्रकाश गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना, श्री विनय रंजन, निदेशक (कार्मिक) और श्री बी.वीरा रेड्डी, निदेशक (तकनीकी) परिचालन (16.01.2020 से) शामिल थे।।

कंपनी सचिव, इस समिति के सचिव और महाप्रबंधक (परि. एवं यो.) इस समिति के नोडल अधिकारी होते हैं।

वर्ष के दौरान, श्री भाबानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, अंशकालिक सरकारी निदेशक, इस समिति के अध्यक्ष थे। हालाँकि, दिनांक 27.05.2019 को आयोजित परियोजनाओं के मूल्यांकन, समीक्षा एवं अनुमोदन पर ईसीएल बोर्ड की उप-समिति की 41वीं बैठक में श्री बी.पी. पति बैठक में शामिल नहीं हो सके थे और उन्हें अनुपस्थिति की छुट्टी मंजूर की गई थी। ऐसी परिस्थितियों में, श्री प्रवीण कांत, स्वतंत्र निदेशक को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त किया गया था।

वर्ष 2019-20 के दौरान, परियोजनाओं के मूल्यांकन, समीक्षा और अनुमोदन के लिए समिति की 6 (छः) बैठकें दिनांक 09.05.2019, 27.05.2019, 30.07.2019, 26.09.2019, 06.11.2019 और 16.01.2020 को आयोजित की गईं। बैठकों में सदस्यों और उनकी उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित है:

क्र. सं.	सदस्य	संबंधित सदस्यों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1	श्री बी. पी. पति	06	05
2	डॉ. इंदिरा चक्रवर्ती	05	05
3	श्री प्रवीण कांत	06	06

क्र. सं.	सदस्य	संबंधित सदस्यों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
4	श्री अनिल कुमार गनेरीवाला	03	03
5	श्री एस. एन. प्रसाद	04	NIL
6	श्री संजीव सोनी	04	03
7	श्री एस. के. झा	05	05
8	श्री जयप्रकाश गुप्ता	06	06
9	श्री विनय रंजन	06	06
10	श्री समिरन दत्ता	02	02

[ग] सीएसआर समिति

ईसीएल की 261वीं बोर्ड बैठक में, सीएसआर उप समिति का गठन किया गया था। 31 मार्च, 2020 को इस समिति में 2 (दो) अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक अर्थात श्री प्रवीण कांत और श्री अनिल कुमार गनेरीवाला (30.07.2019 से), 1 (एक) अंशकालिक सरकारी निदेशक अर्थात श्री संजीव सोनी, निदेशक (वित्त), सीआईएल (06.11.2019 से), और 3 (तीन) प्रकार्य निदेशक अर्थात श्री जयप्रकाश गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) परि. एवं यो., श्री विनय रंजन और श्री बी.वीरा रेड्डी, निदेशक (तकनीकी) परिचालन (16.01.2020 से) शामिल थे।

कंपनी सचिव इस समिति के सचिव और विभागाध्यक्ष (सीएसआर एवं कल्याण) नोडल अधिकारी होते हैं।

वर्ष 2019-20 के दौरान, सीएसआर समिति की 3 (तीन) बैठकें दिनांक 08.05.2019, 29.07.2019 और 19.10.2019 को आयोजित की गई। दिनांक 16.01.2020 तक डॉ. इंदिरा चक्रवर्ती, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक इस समिति के अध्यक्ष थी और इसके बाद, दिनांक 16.11.2019 से श्री अनिल कुमार गनेरीवाला, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, इस समिति के अध्यक्ष बने। बैठकों में सदस्यों और उनकी उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित है:

क्र. सं.	सदस्य	संबंधित सदस्यों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	बैठकों में उपस्थिति की सं.
1	डॉ. इंदिरा चक्रवर्ती	03	03
2	श्री एस. एन. प्रसाद	03	शून्य
3	श्री बी. पी. पति	03	शून्य
4	श्री प्रवीण कांत	03	03
5	श्री अनिल कुमार गनेरीवाला	01	01
6	श्री एस. के. झा	03	03
7	श्री संजीव सोनी	01	01
8	श्री जयप्रकाश गुप्ता	03	03
9	श्री विनय रंजन	03	03
10	श्री समिरन दत्ता	01	01

[घ] आपदा प्रबंधन समिति:

ईसीएल की 291वीं बोर्ड बैठक में, आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया गया था। 31 मार्च, 2020 को, इस समिति में 2 (दो) अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक अर्थात श्री प्रवीण कांत और श्री अनिल कुमार गनेरीवाला (30.07.2020 से), 3 (तीन) प्रकार्य निदेशक अर्थात श्री जयप्रकाश गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना, श्री विनय रंजन, निदेशक (कार्मिक) और और श्री बी.वीरा रेड्डी, निदेशक (तकनीकी) परिचालन (16.01.2020 से) शामिल थे। वर्ष 2019-20 के दौरान, आपदा प्रबंधन समिति की 2 (दो) बैठकें दिनांक 29.07.2019 और 16.01.2020 को आयोजित की गई थी।

कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं और श्री प्रवीण कांत, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक इस समिति के अध्यक्ष थे। बैठकों में सदस्यों और उनकी उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित है:

क्र. सं.	सदस्य	संबंधित सदस्यों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	बैठकों में उपस्थिति की सं.
1	श्री प्रवीण कांत	02	02
2	डॉ. इंदिरा चक्रवर्ती	01	01
3	श्री अनिल कुमार गनेरीवाला	01	01

क्र. सं.	सदस्य	संबंधित सदस्यों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	बैठकों में उपस्थिति की सं.
4	श्री एस. के. झा	01	01
5	श्री जयप्रकाश गुप्ता	02	02
6	श्री विनय रंजन	02	02
7	श्री समिरन दत्ता	01	01

सांविधिक लेखा परीक्षक:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत निम्नलिखित चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों को वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के वित्तीय खातों की लेखापरीक्षा करने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किया गया था:

सांविधिक लेखा परीक्षक:

1.	मैसर्स जी.पी. अग्रवाल एंड कंपनी, 7-ए, किरण शंकर रे रोड, दूसरी मंजिल, कोलकाता -700001

शाखा लेखा परीक्षक:

2.	मैसर्स रे एंड कंपनी, 21 ए, शेक्सपियर सरानी, फ्लैट नं.-8 सी, 8वीं मंजिल, कोलकाता -700017
3.	मैसर्स सराफ एंड चंद्रा 501, अशोका हाउस, 3ए हरे स्ट्रीट, 5वीं मंजिल, कोलकाता-700001
4.	मैसर्स एडीडी एंड एसोसिएट्स, पी-168, सेक्टर-बी, मेट्रोपॉलिटन को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि., कोलकाता-700105
5.	मैसर्स महेश्वरी एंड एसोसिएट्स, गीतांजलि अपार्टमेंट, फ्लेट नं. 6ए, 6वीं मंजिल, 8बी मिडिलटन स्ट्रीट, कोलकाता-700071
6.	मैसर्स एस.के. बसु एंड कंपनी, टैम्पल चैम्बर्स, द्वितीय तल, 6 ओल्ड पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, कोलकाता-700001

वार्षिक आम बैठक:

पिछले 3 वर्षों के दौरान आयोजित कंपनी के शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक के विवरण निम्नलिखित है:-

वर्ष	दिनांक, समय एवं स्थान	उपस्थिति सदस्य	विशेष संकल्प
2016-17	16.07.2017 11 बजे पूर्वाह्न सांकतोड़िया	श्री एस. चक्रवर्ती, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीएल श्री बी. शर्मा, उप प्रबंधक (वित्त), सीआईएल, सीआईएल के प्रतिनिधि और श्री एस भट्टाचार्य, अध्यक्ष, सीआईएल श्री सी. के. डे, निदेशक (वित्त), सीआईएल श्री के. एस. पात्रो, निदेशक (कार्मिक), ईसीएल (लेखापरीक्षा समिति के सदस्य) श्री ए. मराठे, निदेशक (वित्त), ईसीएल श्री बी. एन. शुक्ला, निदेशक (तकनीकी) परिचालन (लेखापरीक्षा समिति के सदस्य) के प्रतिनिधि के रूप में।	-
2017-18	09.07.2018 10 बजे पूर्वाह्न कोलकाता	श्री एस. के. झा, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीएल श्री सी. के. डे, निदेशक (वित्त), सीआईएल (लेखापरीक्षा समिति के सदस्य) श्री रंजीत कुमार सिंह, उप प्रबंधक (वित्त), सीआईएल सीआईएल के प्रतिनिधि और ए. के. झा, अध्यक्ष, सीआईएल के प्रतिनिधि के रूप में।	-
2018-19	31.07.2019 11:00 बजे पूर्वाह्न सांकतोड़िया	श्री प्रेम सागर मिश्र अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीएल श्रीमती मीता सेठ, मुख्य प्रबंधक (वित्त), यथा कोल इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधि, शेयरधारक और श्री ए.के. झा,अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधि के रूप में।	हाँ *

* कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. 21/33/2018-BA(iv) दिनांक 17.11.2018 के आलोक में प्रो. (डॉ.) इंदिरा चक्रवर्ती (डीआईएन 07368268) को दिनांक 17.11.2018 से एक वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो के लिए कंपनी के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर पुनर्नियुक्ति की संपुष्टि के लिए ईसीएल के 44वें एजीएम में विशेष प्रस्ताव पारित किया गया था। विशेष संकल्प का सारांश निम्नलिखित है:

"संकल्प लिया गया कि कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. 21/33/2018-BA(iv) दिनांक 17.11.2018 के आलोक में प्रो. (डॉ.) इंदिरा चक्रवर्ती (डीआईएन 07368268) को दिनांक 17.11.2018 से एक वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो के लिए कंपनी के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर एतद्द्वारा पुनर्नियुक्ति किया जाता है। वह रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं"।

उपर्युक्त तीन वर्षों के दौरान आयोजित सदस्यों की किसी भी सामान्य बैठक में पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था।

4. प्रकटीकरण:

(क) संबंधित पार्टी लेनदेन:

कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए प्रकटीकरण के अनुसार, कोई भी संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं था, जो बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों प्रतिकूल हो।

(ख) निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आचार संहिता:

निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आचार संहिता को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 15 अक्टूबर, 2007 को आयोजित अपनी 214वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था जिसे निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया तथा उनकी पुष्टि प्राप्त की गयी थी। इसे कंपनी की वेबसाइट www.easterncoal.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

(ग) लेखा वर्णन:

वित्तीय विवरण प्रभावी अनिवार्य लेखा मानकों और कंपनी अधिनियम, 2013 की प्रासंगिक प्रस्तुति आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए जाते हैं।.

(घ) आपदा प्रबंधन, धोखाधड़ी निवारण और पहचान:

आपदा मूल्यांकन और शमन नीति को ईसीएल बोर्ड द्वारा दिनांक 05.11.2012 को आयोजित 257वीं बैठक में अनुमोदित किया गया। कोलकाता में दिनांक 13.03.2019 को आयोजित अपनी दूसरी बैठक में आपदा प्रबंधन समिति ने कंपनी के आपदा संबंधित मामलों की समीक्षा की और श्री आर. एन. सोम, महाप्रबंधक (परि. एंड यो.), ईसीएल को मुख्य आपदा अधिकारी नियुक्त किया। वर्ष 2019-20 के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति की 2 (दो) बैठकें हुई थीं और सभी इकाइयों के लिए जोखिम रजिस्टर तैयार किया गया है। व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की नियमित निगरानी की जाती है।

(ड.) सीईओ/सीएफओ प्रमाणन:

श्री गौतम चंद्र डे, निदेशक (वित्त) और श्री प्रेम सागर मिश्रा, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीएल द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र, को 330वीं बोर्ड बैठक में रखा गया था, इसे कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में **अनुलग्नक-ख** के रूप में संलग्न किया गया है।

(च) लागू कानूनों का अनुपालन:

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी पर लागू सभी कानूनों का अनुपालन किया गया है।

5. संचार के साधन:

कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन कंपनी की वेबसाइट www.easterncoal.gov.in पर अपलोड किए जाते हैं। .

वार्षिक लेखा रिपोर्ट के अलावा कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा की त्रैमासिक समीक्षा भी की जाती है।.

6. लेखापरीक्षा योग्यता:

कंपनी का यह हमेशा प्रयास है कि वह अयोग्य वित्तीय विवरण प्रस्तुत नहीं करे। 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के लेखा पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर अनुबंध की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक के रूप में दिया गया है। 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां भी संलग्न हैं।

7. लेखापरीक्षा योग्यता:

प्रकार्य निदेशक संबंधित प्रकार्यात्मक क्षेत्रों के प्रमुख हैं, जिनके पास अपेक्षित विशेषज्ञता और अनुभव है। वे कंपनी के व्यवसाय मॉडल के साथ-साथ कंपनी के व्यवसाय के जोखिम प्रोफाईल से अवगत हैं। अंशकालिक निदेशक भी कंपनी के व्यवसाय मॉडल से पूरी तरह अवगत हैं। इस संबंध में, वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान डॉ. इंदिरा चक्रवर्ती, पूर्व स्वतंत्र निदेशक, ईसीएल, श्री प्रवीण कांत, स्वतंत्र निदेशक, ईसीएल; श्री अनिल कुमार गनेरीवाला,

स्वतंत्र निदेशक, ईसीएल; श्री एस.के. झा, पूर्व निदेशक (तकनीकी) परिचालन; श्री जयप्रकाश गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) परि. एवं यो.; श्री संजीव सोनी, पूर्व निदेशक (वित्त), ईसीएल और श्री विनय रंजन, निदेशक (कार्मिक), ईसीएल को हैदराबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स (आईओडी) द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया है।

8. कंपनी का शेयरधारिता का स्वरूप:

कंपनी के 100% शेयर कोल इंडिया लिमिटेड के पास हैं।

9. सचेतक (व्हिसल ब्लोअर) नीति:

कंपनी अपने सभी व्यावसायिक गतिविधियों में नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देती है। बोर्ड ने अवैध या अनैतिक व्यवहार के संबंध में रिपोर्ट करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है। कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी को कानूनों, नियमों के उल्लंघन, धोखाधड़ी या अनैतिक आचरण की रिपोर्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं। किसी भी कर्मचारी से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा जांच समिति द्वारा की जाती है। प्रबंधकीय कर्मियों को इस तरह की रिपोर्टिंग की गोपयिता बनाए रखने और सुनिश्चित करने के लिए बाध्य किया जाता है ताकि सचेतक (व्हिसल ब्लोअर) के साथ किसी भी प्रकार का विभेदकारी व्यवहार न हो।

आपकी कंपनी के बोर्ड ने 27 मार्च, 2008 को आयोजित अपनी 218वीं बैठक में मैसर्स ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की थी, जिससे सीआईएल द्वारा सत्यनिष्ठा संधि के क्रियान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने का मार्ग प्रशस्त हुआ और यह लागू हुआ।

10. वर्ष 2019-20 के दौरान, किसी भी व्यक्ति को लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधे पहुंचने से नहीं रोका गया है।

11. पीई सर्वेक्षण के लिए पूर्ण डाटा-शीट को डीपीई के समक्ष प्रस्तुत करने की तिथि 16.09.2019 थी।

*****

अनुलग्नक-ख

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) तथा मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) का प्रमाणन

सेवा में,
निदेशक मंडल
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

दिनांक: 10-06-2020

एतद्द्वारा, 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ईसीएल के वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल के समक्ष उनके विचारार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के लिए अपने अंकेक्षित वित्तीय विवरणों के संबंध में संबंधित क्षेत्रों/इकाइयों के महाप्रबंधकों तथा क्षेत्रीय वित्त प्रबंधकों द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र के आधार पर, हम प्रेम सागर मिश्रा, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), ईसीएल और गौतम डे, निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ), ईसीएल, जो वित्तीय मामलों के लिए जिम्मेदार हैं, यह प्रमाणित करते हैं कि:-

हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है, जो हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।

i. इन विवरणों में कोई भी महत्त्वपूर्ण/प्रभावी रूप से असत्य विवरण शामिल नहीं है अथवा किसी भी वास्तविक तथ्य को छिपाया नहीं गया है अथवा ऐसे विवरणों को शामिल नहीं किया गया है, जो भ्रामक हों;

ii. ये विवरण, इस कंपनी से संबंधित सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण एक साथ प्रस्तुत करते हैं तथा वर्तमान लेखा मानकों, प्रयोज्य विधि एवं विनियमों का अनुपालन करते हैं।

हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के दौरान, कंपनी द्वारा किया गया कोई भी लेन-देन, कंपनी आचार संहिता के तहत धोखाधड़ी, अवैध या उल्लंघन की श्रेणी में नहीं आता है।

हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने तथा उसे बनाये रखने का दायित्व स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है और हम उक्त आंतरिक नियंत्रण के दोष या परिचालन के संबंध में, यदि हो तो, इसकी जानकारी लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षण समिति को देते हैं, ताकि वे इसके प्रति सचेत रहें और इसे दूर करने के लिए उचित कदम उठा सकें अथवा इसे सुधारने के लिए अपना प्रस्ताव भेज सकें।

हमने लेखा-परीक्षकों तथा लेखा समिति को यह सूचित किया है कि:-

i. इस संदर्भित अवधि के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है।

ii. भौतिकता की सीमा की गणना और कोयले के स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति को छोड़कर इस अवधि के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है;

iii. हमारे संज्ञान में कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर बनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली से संबंधित गंभीर धोखाधड़ी का ऐसा कोई भी मामला नहीं आया है, जिसमें कंपनी के प्रबंधन या किसी कर्मचारी की कोई महत्वपूर्ण भूमिका हो।

निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

स्थान : सांकतोड़िया
दिनांक: 10.06.2020

अनुलग्नक - VII

जे. के. दास एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

प्लॉट नं. 883, बिजन कानन ब्रह्मपुर,
बांसद्रोनी, कोलकाता – 700096
टेलीफोन: 24102892/93
मोबा. : 9831204082
ईमेल: jkdascs@gmail.com
admin@jkdas.com
वेबसाइट: www.jkdas.com

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए
कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन पर प्रमाण पत्र

1. हम, जे.के. दास एंड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव, ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसई) के लिए कॉरपोरेट प्रशासन पर दिनांक 14.05.2010 (इसके बाद "डीपीई दिशानिर्देश" के रूप में संदर्भित) को यथा निर्धारित दिशानिर्देशों के आलोक में 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (इसके बाद "कंपनी" के रूप में संदर्भित) के कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन की जांच की है।

प्रबंधन का उत्तरदायित्व

2. कारपोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। इस दायित्व में डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल हैं।

लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

3. हमारा उत्तरदायित्व कॉरपोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन की जांच करने तक सीमित है। यह कंपनी के वित्तीय विवरणियों पर न तो एक लेखापरीक्षा है और न ही एक राय है।
4. हमने कंपनी द्वारा कॉरपोरेट प्रशासन की आवश्यकताओं के अनुपालन पर उचित आश्वासन प्रदान करने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा बनाए गए बही-खातों एवं अन्य प्रासंगिक अभिलेखों एवं दस्तावेजों की जांच की है।
5. हमने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) द्वारा जारी लेखापरीक्षा संलग्नता संबंधी CSAS-1-लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार कंपनी के प्रासंगिक अभिलेखों की एक जांच की है।

अभिमत

6. प्रासंगिक अभिलेखों की हमारी परीक्षा और हमें प्रदान की गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा प्रदत्त प्रतिनिधित्व के आधार पर, हम यह प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान डीपीई में यथा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी ने कॉरपोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन किया है, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

i. 31 मार्च 2020 को कंपनी के निदेशक मंडल के कुल कार्यात्मक निदेशकों और कुल सदस्यों की संख्या क्रमशः पाँच और नौ थी। प्रकार्य निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक क्षमता का 56% (लगभग) है, जबकि डीपीई दिशानिर्देशों के अध्याय 3 के पैरा 3.1.2 के अनुसार "प्रकार्य निदेशकों (सीएमडी/ एमडी सहित) की संख्या, बोर्ड की वास्तविक क्षमता का 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।"

ii. 31 मार्च 2020 को कंपनी के निदेशक मंडल के स्वतंत्र निदेशकों और कुल सदस्यों की संख्या क्रमशः दो और नौ थी। स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बोर्ड के एक तिहाई सदस्यों से कम थी, जबकि कंपनी के लिए लागू डीपीई दिशानिर्देशों के अध्याय 3 के पैरा 3.1.4 के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बोर्ड के सदस्यों की संख्या का कम से कम एक तिहाई होनी चाहिए।

iii. 31 मार्च 2020 को कंपनी की लेखापरीक्षा समिति में कुल आठ सदस्यों में से दो स्वतंत्र निदेशकों थे, जबकि डीपीई दिशानिर्देशों के अध्याय 4 के पैरा 4.1.1 के अनुसार "लेखा परीक्षा समिति में सदस्य के रूप में न्यूनतम तीन निदेशक होंगे। लेखापरीक्षा समिति के दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे।"

7. हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस तरह के अनुपालन न तो कंपनी के भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता का, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी-मामलों का संचालन किया है।

कृते, जे. के. दास एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

(सीएस जे. के. दास)
सी. पी. सं. 4250
सदस्यता संख्या – FCS 7268

स्थान: ईसीएल, सांकतोड़िया, दिशेरगढ़
दिनांक: 19 जून, 2020

अनुलग्नक - VIII

फॉर्म सं. एमजीटी-9

वार्षिक विवरणी का सारांश

दिनांक 31.03.2018 को वित्तीय वर्ष के समापन पर

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के संदर्भ में]

I. पंजीकरण तथा अन्य विवरण:

i. सीआइएन : - U10101WB1975GOI030295

ii. पंजीकरण तिथि: -01.11.1975

iii. कंपनी का नाम: - ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

iv. कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी: - कंपनी अधिनियम-2013 की धारा 2(71) के तहत पब्लिक लिमिटेड कंपनी

v. पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण:- अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यालय, सांकतोड़िया, पोस्ट- दिशेरगढ़, जिला-बर्धमान, पिन- 713333, पश्चिम बंगाल।।

vi. सूचीबद्ध कंपनी हां / नहीं: नहीं

vii. रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण, यदि कोई हो: लागू नहीं

II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँ

कंपनी के कुल कारोबार में 10% या अधिक योगदान देने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियां निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1	कोयला	0510	100 %

III. नियंत्रक, अनुषंगी एवं संबद्ध कंपनियों का विवरण:-

क्र. सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआइएन / जीएलएन	नियंत्रक/अनुषंगी/संबद्ध	धारित शेयरों का %	कंपनी अधिनियम 2013 की लागू धारा
1	कोल इंडिया लिमिटेड सीआइएन-L23109WB1973GOI028844 कोल भवन परिसर-04 एमएआर, प्लॉट नं.- एएफ- III, एक्शन एरिया-ए, न्यू टाउन राजरहाट, कोलकाता-7000156, पश्चिम बंगाल		नियंत्रक कंपनी	100%	2(46)

IV. शेयरधारिता स्वरूप (कुल इक्विटी प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर कैपिटल का अलग-अलग विवरण)

क. श्रेणी-वार शेयरधारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन %
	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रवर्तक									
(1) **भारतीय**									
क) व्यक्तिगत/एचयूएफ		3	3	0.01		3	3	0.01	शून्य
ख) केंद्र सरकार									
ग) राज्य सरकार		22184497	22184497	99.99		22184497	22184497	99.99	शून्य
घ) निकाय कॉर्प									
ङ) बैंक/एफआई									
च) कोई अन्य…									
उप-योग (क) (1):-	शून्य	22184500	22184500	100	शून्य	22184500	22184500	100	शून्य

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन %
	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
(2) **विदेशी**									
क) अनिवासी भारतीय व्यक्तिगत									
ख) अन्य - व्यक्तिगत									
ग) निकाय कॉर्प									
घ) बैंक / वित्तीय संस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ङ) कोई अन्य…									
उप-योग (क) (2):- प्रवर्तकों की कुल शेयरधारिता (क) = (क)(1) + (क)(2)	शून्य	22184500	22184500		शून्य	22184500	22184500		
ख. सार्वजनिक शेयर धारिता									
1. संस्थागत									
क) म्युचुअल फंड									
ख) बैंकों / वित्तीय संस्थान									
ग) केंद्र सरकार									
घ) राज्य सरकार									
ङ) वेंचर कैपिटल फंड									
च) बीमा कंपनी									
छ) एफआईआई									
ज) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड									
झ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप-कुल (बी) (1): -									
2. **Non-Institutions**									
क) निकाय कॉर्प									
i) भारतीय									
ii) प्रवासी									
ख) व्यक्तिगत									
i) ₹1 लाख तक सामान्य शेयर पूंजी वाले व्यक्तिगत शेयर धारक									
ii) ₹1 लाख से अधिक सामान्य शेयर पूंजी वाले व्यक्तिगत शेयर धारक									
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप-कुल (ख)(2):- कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख) = (ख)(1)+(ख)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग. जीडीआर और एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सकल योग (क+ख+ग)	शून्य	22184500	22184500	100	शून्य	22184500	22184500	100	शून्य

ख. प्रवर्तकों की शेयरधारिता

क्र. सं.	शेयर धारक का नाम	वर्ष के शुरुआत में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में परिवर्तन का %
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का%	कुल शेयरों में से गिरवी/ भारित शेयरों का%	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का%	कुल शेयरों में से गिरवी/भारित शेयरों का %	
1	कोल इंडिया लिमिटेड	22184497	99.99	शून्य	22184497	99.99	शून्य	शून्य
	कुल	22184497	99.99	शून्य	22184497	99.99	शून्य	शून्य

ग. प्रवर्तकों के शेयरधारिता में परिवर्तन (कोई बदलाव न होने पर, कृपया निर्दिष्ट करें): वर्ष के दौरान प्रवर्तकों के शेयरधारिता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। विवरण निम्नलिखित है:

क्र.सं.	विवरण	वर्ष के शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में शेयरधारिता	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का%	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का%
1	वर्ष के शुरुआत में	22184497	99.99	22184497	99.99
2	वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी(जैसे आवंटन/हस्तांतरण/ बोनस/उद्यम इक्विटी आदि) के कारणों के साथ प्रवर्तकों के शेयरधारिता में तिथि-वार वृद्धि/कमी:	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	वर्ष के अंत में	22184497	99.99	22184497	99.99

घ. शीर्ष दस शेयरधारकों (निदेशकों, प्रवर्तकों और जीडीआर एवं एडीआर धारकों के अतिरिक्त) की शेयरधारिता स्वरूप:

क्र. सं.	शीर्ष 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	वर्ष के शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में शेयरधारिता	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	साल के शुरुआत में	शून्य			
2	वर्ष के दौरान वृद्धि/ह्रास (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/ बोनस/उद्यम इक्विटी आदि) के कारणों के साथ प्रवर्तकों के शेयरधारिता में तिथि-वार वृद्धि/ह्रास:				
3	वर्ष के अंत में (या अलगाव की तिथि को, यदि वर्ष के दौरान अलगाव हुआ हो)				

ड. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

क्र. सं.	निदेशकों और केएमपी में से प्रत्येक के लिए	वर्ष के शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	वर्ष के आरंभ में	2	0.01	2	0.01
2	वर्ष के दौरान वृद्धि/ह्रास (जैसे आवंटन/ हस्तांतरण/बोनस/उद्यम इक्विटी आदि) के कारणों के साथ प्रवर्तकों के शेयरधारिता में तिथि वार वृद्धि/ह्रास:	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	साल के अंत में	2	0.01	2	0.01

V. ऋणग्रस्तता

ब्याज बकाया/अर्जित किंतु भुगतान के लिए बकाया नहीं, सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता।

(₹ करोड़ में)

विवरण	जमा को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ऋ ग्रस्तता				
i) मूलधन	-	1827.58	-	**1827.58**
ii) ब्याज दिया गया लेकिन भुगतान नहीं किया गया	-	-	-	**-**
iii) ब्याज अर्जित हुआ लेकिन देय नहीं	-	-	-	**-**
कुल (i+ii+iii)	-	**1827.58**	-	**1827.58**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋ ग्रस्तता में परिवर्तन				
वृद्धि	368.16	146.00	-	**514.16**
कमी	-	6.61	-	**6.61**
शुद्ध परिवर्तन	**368.16**	**139.39**	**-**	**507.55**

विवरण	जमा को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ऋणग्रस्तता				
i) मूलधन	368.00	1966.97	-	**2334.97**
ii) ब्याज दिया गया लेकिन भुगतान नहीं किया गया	0.16	-	-	**0.16**
iii) ब्याज अर्जित हुआ लेकिन देय नहीं	-	-	-	**-**
कुल (i+ii+iii)	**368.16**	**1966.97**	**-**	**2335.13**

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और / या प्रबंधक को पारिश्रमिक:

(आंकड़े ₹ में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक / प्रबंधक का नाम						कुल रकम
		श्री पी एस मिश्रा	श्री एस के झा (31.12.2019 तक)	श्री जयप्रकाश गुप्ता	श्री संजीव सोनी (10.07.2019 तक)	श्री विनय रंजन	श्री बी वीणा रेड्डी	
1	सकल वेतन	3246387.00	5810780.00	4639078.00	1223965.00	2886589.00	613000.00	18419799.00
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन							
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) में निहित प्रावधानों के तहत परिलब्धियों का मूल्य	458571.00	665337.00	810936.00	114916.00	307749.00	शून्य	2357509.00
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के प्रावधानों के अनुसार वेतन के अलावा लाभ							
2	स्टॉक का विकल्प		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	उद्यम इक्विटी		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	कमीशन - लाभ का प्रतिशत - अन्य (निर्दिष्ट करें		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	शून्य	52817.00	124989.00	250582.00	73829.00	69238.00	571455.00
6	कुल (क)	3704958.00	6528934.00	5575003.00	1589463.00	3268167.00	682238.00	21348763.00

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक:

(आंकड़े ₹ में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम				कुल रकम
1	**स्वतंत्र निदेशक**	**डॉ. इंदिरा चक्रवर्ती**	**श्री प्रवीण कांत**	**श्री ए. के. गनेरीवाला (10.07.2020 से प्रभावी)**		
	बोर्ड / समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क कमीशन अन्य, निर्दिष्ट करें	315000.00	405000.00	300000.00		1020000.00
	कुल (1)	**315000.00**	**405000.00**	**300000.00**		**1020000.00**

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम				कुल रकम
2	अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक	श्री बी पी पति (17.03.2020 तक)	श्री अनिमेष भारती (17.03.2020 से प्रभावी)	श्री एस एन प्रसाद (29.10.2020 तक)	श्री संजय सोनी (29.10.2020 से प्रभावी)	
	बोर्ड / समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क कमीशन अन्य, निर्दिष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
3	कुल (2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
4	कुल (ख) = (1 + 2)	315000.00	405000.00	300000.00		1020000.00

ग. प्रबंध निदेशक /प्रबंधक /पूर्णकालिक निदेशक के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	कंपनी सचिव	कुल
		श्री रामबाबू पाठक	
1	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन। (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) में निहित प्रावधानों के तहत परिलब्धियों का मूल्य (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के प्रावधानों के अनुसार वेतन के अलावा लाभ	1737373.00 27214.00	**1737373.00** **27214.00**
	स्टॉक का विकल्प	-	-
	उद्यम इक्विटी	-	-
	कमीशन - लाभ का प्रतिशत (%) - अन्य, निर्दिष्ट करें ...	 - -	 - -
	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	53439.00	**53439.00**
	कुल	**1818026.00**	**1818026.00**

Vii. जुर्माना / दंड /अपराधों का समझौता:

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	जुर्माना / सजा / समझौता शुल्क का विवरण	प्राधिकरण [आरडी / एनसीएलटी / न्यायालय]	अपील की गई, यदि कोई हो (विवरण दें)
क. कंपनी					
जुर्माना					
दंड			शून्य		
समझौता					
ख. निदेशक					
जुर्माना					
दंड			शून्य		
समझौता					
ग. अन्य अधिकारी डिफ़ॉल्ट रूप से					
जुर्माना					
दंड			शून्य		
समझौता					

अनुलग्नक - IX

जे. के. दास एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

प्लॉट नं. 883, बिजन कानन ब्रह्मपुर,
बांसद्रोनी, कोलकाता – 700096
टेलीफोन: 24102892/93
मोबा. : 9831204082
ईमेल : jkdascs@gmail.com
admin@jkdas.com
वेबसाइट : www.jkdas.com

सचिवीय लेखा प्रतिवेदन
फार्म सं.- एमआर-3
31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 204 (1) और कंपनी नियम, 2014 के नियम सं. 9
(प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारितोषिक) के आलोक में]

सेवा में,
सदस्यगण
मैसर्स ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
डाकघर- दिशेरगढ़, सांकतोड़िया
बर्धवान-713333
पश्चिम बंगाल (भारत)

हमने मैसर्स ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीआइएन: U10101WB1975GOI030295) (जिसे आगे कंपनी कहा गया है) द्वारा प्रभावी सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और बेहतर कारपोरेट कार्यप्रणाली के प्रति इसकी निष्ठा का सचिवीय लेखापरीक्षण किया है। यह सचिवीय लेखापरीक्षण भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आइसीएसआइ) द्वारा निर्गत सीएसएएस-4 लेखा मानक के अनुसार इस प्रकार किया गया था कि इससे मुझे कारपोरेट आचार-व्यवहारों/सांविधिक अनुपालनों और इस पर हमारे विचार प्रकट करने के लिए एक यथोचित आधार मिला।

सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी के लेखा-बहियों, कार्यवृत्त-बहियों, प्रपत्रों एवं दाखिल किए गए विवरणियों तथा कंपनी द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों के मेरे सत्यापन के अतिरिक्त कंपनी, इसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं एवं अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के आधार पर, मैं एतद्द्वारा यह सूचित करता हूं कि मेरे विचार से इस कंपनी ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष में लेखापरीक्षा के दौरान दिये गए सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों एवं बोर्ड प्रक्रियाओं तथा कंपनी के विस्तार हेतु अपनायी गई प्रणाली का उचित तरीके से और इसमें दिये गए विधि एवं विषय के अनुसार अनुपालन किया है :

मैंने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (कंपनी) के लेखा-बहियों, कार्यवृत्त-बहियों, प्रपत्रों एवं दाखिल किए गए विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है :

i. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके तहत बने नियम,
ii. प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) तथा इसके तहत बनाये गए नियम (लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)
iii. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्यिक उधार के विस्तार हेतु इसके तहत बनाये गये नियम एवं विनियम (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं)
iv. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत नियत विनियम एवं दिशानिर्देश (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं)
v. डिपॉजिटरी अधिनियम,1996 और इसके तहत बनाये गए विनियम तथा उप-नियम
vi. ओएम. सं. 18(8)/2005-GM दिनांक 14 मई, 2010 के माध्यम से लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉरपोरेट प्रशासन दिशानिर्देश;
vii. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा निर्गत सचिवीय मानक 1 एवं 2

कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए और संबंधित दस्तावेजों एवं अभिलेखओं की जांच व प्रबंधन द्वारा की गई घोषणा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि कंपनी ने, कंपनी के लिए विशेष रूप से लागू निम्नलिखित नियमों का अनुपालन किया है:-

जे. के. दास एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

प्लॉट नं. 883, बिजन कानन ब्रह्मपुर,
बांसध्रोनी, कोलकाता – 700096
टेलीफोन: 24102892/93
मोबा. : 9831204082
ईमेल : jkdascs@gmail.com
admin@jkdas.com
वेबसाइट : www.jkdas.com

क) कोयला खान अधिनियम, 1952
ख) भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884
ग) कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 तथा कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2004
घ) कोयला खान नियम, 2017
ङ) वेतन भुगतान (खान) नियम, 1956
च) कोयला खान पेंशन योजना, 1998
छ) कोयला खान संरक्षण एवं विकास अधिनियम, 1974
ज) खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966
झ) खान क्रेच रूल्स, 1961
ञ) खान बचाव नियम, 1985
ट) कोयला खान पिटहेड बाथ नियम, 1946
ठ) मातृत्व लाभ (खान एवं सर्कस) नियम, 1963
ड) विस्फोटक नियम, 2008
ढ) खनिज रियायत नियम, 1960
ण) कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1948
त) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1957
थ) अवितरित वेतन भुगतान (खान) नियम, 1989
द) भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 तथा भारतीय विद्युत नियम, 1956
ध) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 तथा पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986
न) जोखिम एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार गतिविधि) नियम, 2016
प) जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके तहत बनाए गए नियम
फ) वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981
ब) सार्वजनिक दायित्व बीमा (पब्लिक लायब्लिटि इंश्योरेंस) अधिनियम, 1991 तथा इसके तहत बनाए गए नियम

प्रबंधन का दायित्व

1. सचिवीय रिकार्ड के रखरखाव की जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की है। हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्ड पर एक अभिमत व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है।
2. हमने लेखापरीक्षण पद्धति एवं प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय रिकार्ड की विषय-वस्तु के तथ्यों के विषय में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु उपयुक्त थे। जांच के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन किया गया कि विषय-वस्तु का तथ्य सचिवीय अभिलेखों में प्रतिबिंबित हों। हम मानते हैं कि, हमने अपनी राय में प्रक्रियाओं और पद्धतियों के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।
3. हमने बहियों एवं कागजातों के अलावा कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा-बहियों की सत्यता एवं उपयुक्तता की पुष्टि नहीं की है और न ही किसी बहियों, सूचनाओं या विवरणों की जांच की है।
4. हमने उपर्युक्त के अलावा किसी भी अन्य विशिष्ट कानून की जांच नहीं की है।
5. जहाँ भी आवश्यक हआ, हमने उक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों, दिशानिर्देशों और घटनाओं के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
6. कॉरपोरेट कानूनों तथा अन्य लागू नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित थी।
7. सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन न तो कंपनी के भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही उस क्षमता या प्रभावशीलता का, जिसके लिए प्रबंधन ने कंपनी मामलों का संचालन किया है।

जे. के. दास एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

प्लॉट नं. 883, बिजन कानन ब्रह्मपुर,
बांसद्रोनी, कोलकाता – 700096
टेलीफोन: 24102892/93
मोबा. : 9831204082
ईमेल : jkdascs@gmail.com
admin@jkdas.com
वेबसाइट : www.jkdas.com

लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी ने उपर्युक्त उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन किया है। जैसा कि कुछ कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रावधानों के विषय में है, कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो सरकारी कंपनियों पर लागू नियामक तंत्र, डीपीई कॉरपोरेट प्रशासन मानकों के अनुसार सीपीएसई की त्रैमासिक/वार्षिक ग्रेडिंग, निदेशकों की नियुक्ति, मूल्यांकन एवं उत्तराधिकार से संबंधित मामलों के अनुपालन को लागू करती है।

हम आगे सूचित करते हैं कि स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को छोड़कर कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार किया जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यक संख्या अधिनियम की धारा 149 के तहत आवश्यक संख्या से कम थी। समीक्षाधीन अवधि में लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी ने अपनी लेखापरीक्षा समिति में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (2) के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया है। निदेशक मंडल की संरचना में बदलाव अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों, एजेंडा को निर्धारित करने के लिए कम से कम सात दिन पहले पर्याप्त सूचना दी जाती है, और बैठक से पहले तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एजेंडा मदों के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है। समीक्षा के अंतर्गत लेखा अवधि के दौरान बोर्ड बैठकों के सभी निर्णयों को संबंधित कार्यवृत्त बहियों में उचित तरीके से दर्ज किया गया था।

हम आगे यह भी सूचित करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों की निगरानी एवं इसके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार एवं परिचालनों के अनुपात में कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां एवं व्यवस्थाएं मौजूद हैं।

हम आगे सूचित करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के अवधि के दौरान मेरे द्वारा प्राप्त और भरोसा किए गए स्पष्टीकरण तथा प्रबंधन के प्रतिनिधित्व अनुसार, ऐसी कोई विशेष घटनाएँ / कार्य नहीं हैं जिनसे कंपनी के मामलों पर बड़ा असर पड़ा हो।e.

हम आगे सूचित करते हैं कि एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 21 (5) के तहत 2000-01 से 2016-17 तक पर्यावरणीय मंजूरी (EC) क्षमता के कथित उल्लंघन के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की 11 कोयला खदानों के लिए कंपनी को झारखंड राज्य में जिला खनन अधिकारियों (DMO) से डिमांड नोटिस प्राप्त हुआ है। ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए 11 खदानों (मुगमा क्षेत्र -8 खदानें, राजमहल क्षेत्र -2 खदानें और एसपी माइंस क्षेत्र -1 खदान) के लिए मांग की कुल राशि लगभग ₹ 2178.14 करोड़ है। कंपनी ने 16.01.2018 को खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 30 के तहत एकल बेंच पुनरीक्षण प्राधिकारी, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली में एक पुनरीक्षण याचिका दायर की है और 22.01.2018 को स्थगन आदेश मिल गया है। अब मामला न्यायिक प्रक्रियाधीन है।.

कृते, जे. के. दास एंड एसोसिएट्स
(कंपनी सचिव)

(सीएस जे.के. दास)
सीपी सं.: 4250
सदस्यता सं.: FCS 7268
यूडीआईएन- F007268B000511266

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 27 जुलाई, 2020

ईसीएल की सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट-2019-20 के लिए प्रबंधन का उत्तर

क्र. सं.	सचिवीय लेखापरीक्षकों के अवलोकन	प्रबंधन का जवाब
1	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यक संख्या अधिनियम की धारा 149 के तहत आवश्यक संख्या से कम थी। समीक्षाधीन अवधि में लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी ने अपनी लेखापरीक्षा समिति में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (2) के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है 31.03.2020 को और आज तक, ईसीएल में केवल दो स्वतंत्र निदेशक हैं। श्री प्रवीण कांत (13.12.2018 से प्रभावी) और श्री अनिल कुमार गनेरीवाला (10.07.2019 से प्रभावी)। प्रो. (डॉ.) इंदिरा चक्रवर्ती जिन्हें 17.11.2015 को ईसीएल के बोर्ड में नियुक्त किया गया था, उनका कार्यकाल 16.11.2019 को पूरा हो गया। लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया है, लेकिन ऊपर बताए अनुसार केवल दो स्वतंत्र निदेशक हैं। ईसीएल में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा की जा रही है।
2	एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 21 (5) के तहत 2000-01 से 2016-17 तक पर्यावरणीय मंजूरी (EC) क्षमता के कथित उल्लंघन के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की 11 कोयला खदानों के लिए कंपनी को झारखंड राज्य में जिला खनन अधिकारियों (DMO) से डिमांड नोटिस प्राप्त हुआ है। ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए 11 खदानों (मुगमा क्षेत्र -8 खदानें, राजमहल क्षेत्र -2 खदानें और एसपी माइंस क्षेत्र -1 खदान) के लिए मांग की कुल राशि लगभग ₹ 2178.14 करोड़ है। कंपनी ने 16.01.2018 को खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 30 के तहत एकल बेंच पुनरीक्षण प्राधिकारी, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली में एक पुनरीक्षण याचिका दायर की है और 22.01.2018 को स्थगन आदेश मिल गया है। अब मामला न्यायिक प्रक्रियाधीन है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है

अनुलग्नक-X

विदेश मुद्रा अर्जन एवं व्यय

(i) निर्यात से संबंधित गतिविधियाँ, निर्यात बढ़ाने की पहल, उत्पादों, सेवाओं और निर्यात योजनाओं के लिए नए निर्यात बाजारों का विकास। : कंपनी निर्यात गतिविधियों में संलग्न नहीं है।

(ii) **कुल विदेशी मुद्रा का उपयोग और अर्जन**

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	2019-20	2018-19
(क)	**विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल किया:**		
	1. आयात का सीआईएफ मूल्य:		
	(क) कच्चा माल	शून्य	शून्य
	(ख) घटक, भंडार और पुर्जे	6.82	3.53
	(ग) पूंजीगत सामान	43.60	Nil
	2. यात्रा / प्रशिक्षण व्यय	0.15	0.12
	3. तकनीकी जानकारी और विदेशी परामर्श पर खर्च	शून्य	शून्य
	4. विदेशियों को पेंशन	शून्य	शून्य
	5. अन्य	शून्य	शून्य
	कुल	**50.57**	**3.65**
(B)	**(ख) अर्जित विदेशी मुद्रा**	**शून्य**	**शून्य**

अनुलग्नक-XI

प्रौद्योगिकी आमेलन के संबंध में विवरणों के प्रकटीकरण के लिए फार्म

अनुसंधान और विकास (आर एंड डी)

1.	विशिष्ट क्षेत्र जिसमें कंपनी द्वारा अनुसंधान एवं विकास किया जाता है	:	कंपनी का अपना अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) केंद्र स्थापित नहीं है। कोल इंडिया की एक अनुषंगी इकाई सीएमपीडीआईएल द्वारा केंद्रीकृत रूप से कोल इंडिया की सभी अनुषंगी कंपनियों के लिए अनुसंधान एवं विकास का कार्य किया जाता है।
2.	उपरोक्त आर एंड डी के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ	:	लागू नहीं
3.	भविष्य की योजना	:	लागू नहीं
4.	अनुसंधान एवं विकास पर व्यय	:	लागू नहीं
	क) पूंजी		-
	ख) आवर्ती		-
	ग) कुल		-
	कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में कुल आर एंड डी व्यय	:	लागू नहीं

प्रौद्योगिकी विस्तार, अनुकूलन और नवाचार

1.	प्रौद्योगिकी आमेलन, अनुकूलन और नवाचार की दिशा में किए गए प्रयास का संक्षिप्त विवरण	:	शून्य
2.	उपरोक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ, जैसे उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास, आयात प्रतिस्थापन आदि।	:	शून्य
3.	आयातित तकनीक (वित्तीय वर्ष के आरंभ से पिछले 5 वर्षों के दौरान आयातित) के मामले में, निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध करायी जाए -	:	शून्य
	i. प्रौद्योगिकी आयात की गई	:	शून्य
	ii. आयात का वर्ष	:	शून्य
	iii. क्या तकनीक पूरी तरह से अवशोषित हो गई है?	:	शून्य
	iv. यदि पूरी तरह से अवशोषित नहीं किया जाता है, तो ऐसे क्षेत्र जहां यह नहीं हुआ है, कारण और भविष्य की कार्य योजना।	:	शून्य

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
लेखापरीक्षा महानिदेशक (कोयला) का कार्यालय
ओल्ड निज़ाम पैलेस, 234/4, ए. जे. सी. बोस रोड,कोलकाता-700020

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

No.70/DGA(C)/Kol/LA-I/Accounts/ECL/2019-20/2020-21

गोपनीय

सेवा में,
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
सांकतोड़िया,
पश्चिम बंगाल

विषय: 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।.

महोदय,

मैं एतद् द्वारा 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी को अग्रसारित करती हूं।

इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय,

संलग्नः यथोपरि। .

(मौसमी राय भट्टाचार्य)
महानिदेशक, लेखापरीक्षा (कोयला)
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 12 अगस्त, 2020

31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक इस अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षण के मानदंडों के अनुरूप निष्पक्ष लेखा परीक्षण पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अधिनियम की धारा 143 के तहत अपने विचार प्रकट करने के लिए जवाबदेह हैं। यह घोषित किया जाता है कि यह रिपोर्ट उनके द्वारा अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 10 जून, 2020 और उसके बाद संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 10 अगस्त, 2020 के आधार पर तैयार की गयी है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143 (6)(क) के तहत 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की एक अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यगत दस्तावेजों की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है एवं यह मूलतः सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछेक लेखा प्रतिवेदनों के गिने-चुने परीक्षण तक ही सीमित है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में किए गए संशोधन के मद्देनजर, अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान उठाए गए मेरी कुछ लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अलावा मुझे अधिनियम की धारा 143 (6)(ख) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रस्तुत करने या इसके पूरक के रूप में कोई और टिप्पणी नहीं करनी है।

कृते, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

(मौसमी राय भट्टाचार्य)
महानिदेशक, लेखापरीक्षा (कोयला)
कोलकाता

स्थान: कोलकाता
दिनांक : 12 अगस्त, 2020

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यों को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और प्रबंधन के जवाब

क्र. सं.	लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	प्रबंधन का जवाब
वित्तीय विवरणियों के लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट		
अभिमत		
	हमने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (कंपनी) की संलग्न वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2020 तक का तुलन पत्र, समतिथि को समाप्त हुए वर्ष का लाभ-हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां व अन्य व्याख्यात्मक सूचना (इन्हें अब 'भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणियां' कहा जाएगा) के सारांश सहित वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियां शामिल हैं और जिनमें, (क) हमारे द्वारा अेकेक्षित मुख्यालय और 7 क्षेत्र/इकाइयाँ (ख) कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 139 के तहत नियुक्त शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा अेकेक्षित 19 क्षेत्र/इकाइयाँ शामिल हैं। हमारे अभिमत एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के मुताबिक और हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरणियों में यथा-आवश्यक विधि से अधिनियम की अपेक्षानुसार सूचनाएं प्रदान की गयीं हैं और अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों सहित, यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 ("भारतीय लेखा मानक") के साथ पढ़ें जाने वाले और 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष को लाभ (कुल व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन तथा इसका नकदी और कंपनी मामलों में भारत में सामान्य रूप से लागू अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सत्य और स्पष्ट है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है
अभिमत के लिए आधार		
	हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों को रिपोर्ट के वित्तीय विवरणियां भाग की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व भाग में आगे वर्णित किया गया है। हम इंस्ट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी नीति संहिता और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों एवं नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नीतिपरक अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन अपेक्षाओं के अनुरूप अपने अन्य नैतिक दायित्वों और आईसीएआई की नीति संहिता का अनुपालन किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणियों पर हमारे लेखा-परीक्षा अभिमत हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है
प्रभावी एवं महत्वपूर्ण विषय		
	हम वित्तीय विवरणियों की सं. 38 (7) (O) पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो प्रबंधन के आकलन को स्पष्ट करता है कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय विवरणियों पर कोविड-19 महामारी का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है। आगे, कंपनी भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों और उसके व्यवसाय पर प्रभाव से उत्पन्न होने वाले किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी। इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है	यह एक तथ्यात्मक विवरण है
अन्य मामले		
क	हमने कंपनी के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणियों में शामिल उन 19 इकाइयों के वित्तीय विवरण/सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनकी वित्तीय विवरणियां/वित्तीय सूचना यह दर्शाती है कि 31 मार्च, 2020 तक उनकी कुल परिसंपत्तियां ₹ 5,289.17 करोड़ और इस तिथि तक समाप्त हुए वर्ष के लिए कुल राजस्व ₹ 12,521.36 करोड़ है, जैसा कि वित्तीय विवरणियों में दिया गया है। इन इकाइयों के वित्तीय विवरणियों/सूचनाओं का लेखा-परीक्षा इकाइयों के लेखापरीक्षकों द्वारा कर लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट हमें प्राप्त हो चुकी है और इन इकाइयों से संबंधित शामिल किए गए धनराशि एवं प्रकटीकरण के संबंध में हमारा मंतव्य भी पूरी तरह उक्त इकाई के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है
ख	कोविड-19 महामारी के कारण, सरकार/स्थानीय प्रशासन द्वारा राष्ट्रव्यापी तालाबंदी और अन्य यात्रा प्रतिबंध लगाए गए थे। इसलिए, लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को दूरस्थ माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया गया। प्रबंधन द्वारा आवश्यक रिकॉर्ड डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराया गया था और वर्तमान अवधि के लिए रिपोर्टिंग करते समय ऑडिट साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है

क्र. सं.	लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	प्रबंधन का जवाब
ग	हमने सम तिथि को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुमोदित वित्तीय विवरणी पर दिनांक 10 जून, 2020 ("मूल रिपोर्ट") को कोलकाता में एक ऑडिट रिपोर्ट जारी की थी। निम्नलिखित मामला सं. (i) से (iii) के संबंध में अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कुछ टिप्पणियों के आलोक में हमने उक्त मूल रिपोर्ट को संशोधित किया है। इस संशोधित ऑडिट रिपोर्ट का कंपनी के वित्तीय विवरणियों में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों पर कोई प्रभाव नहीं है। यह ऑडिट रिपोर्ट, जिसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर विचार करने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है, को मूल रिपोर्ट के स्थान पर प्रस्तुत किया जाता है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है
	हमारी अंकेक्षण प्रक्रिया मूल रिपोर्ट की तारीख के बाद की घटनाओं पर केवल अन्य मामलों के पैरा के लिए किए गए संशोधन तक ही सीमित है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय के अनुपूरक अंकेक्षण पर हम आगे कहते हैं कि: i. वित्तीय विवरणियों के टिप्पणी 36 "कर-व्यय" और भारतीय लेखा मानक 12 के संशोधन पर ध्यान आकर्षित करना है, जिसमें भारतीय लेखा मानक 12 के लिए परिशिष्ट सी, आयकर के अनिश्चितताओं के लिए लेखांकन स्पष्ट करता है। जब भारतीय लेखा मानक 12 के तहत आयकर उपचार पर अनिश्चितताएं होती हैं, तब इस व्याख्या को कर योग्य लाभ/(कर नुकसान), कर आधार, अप्रयुक्त कर नुकसान, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और कर दरों के निर्धारण के लिए लागू किया जाना है। हमारे पास उपलब्ध सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर और उक्त मानक के अनुपालन में, यह कहना है कि भारतीय लेखा मानक 12 के परिशिष्ट सी को अपनाने से कंपनी के वित्तीय विवरणियोंपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है
	ii. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां "महत्वपूर्ण" के पैरा नं. 2.23.1.2 पर ध्यान आकर्षित करना है और यह बताना है कि प्रबंधन ने महत्वपूर्ण की अवधारणा के आधार को बदल दिया है और पिछले वर्ष की लेखा नीति के अनुसार "कोल इंडिया लिमिटेड के वित्तीय अेकेक्षित समेकित वित्तीय विवरणियों के अनुसार परिचालन (वैधानिक शुल्क का शुद्ध) से प्राप्त कुल राजस्व का 0.50%" के स्थान पर पूर्व अवधियों से संबंधित इस वर्तमान वर्ष में "त्रुटियों, चूक का पता चला है और यदि उक्त सभी त्रुटियां एवं चूक का कुल योग कंपनी के अंतिम अंकेक्षित वित्तीय विवरणियों के अनुसार परिचालन (वैधानिक लेवीज़ का शुद्ध) से प्राप्त कुल राजस्व का 1% से अधिक नहीं है, तो उसे महत्वहीन माना गया है और चालू वर्ष के दौरान समायोजित किया गया है। भारतीय लेखा मानक 8, "लेखा नीतियां, लेखांकन अनुमानों एवं त्रुटियों में परिवर्तन" के अनुपालन में यह बताना है कि 'महत्वपूर्ण' पर इस तरह की संशोधित नीति के कारण कंपनी के वित्तीय विवरणियोंपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है
	iii. कंपनी के राजमहल क्षेत्र की खनन गतिविधियों के लिए 61.05 एकड़ सरकारी भूमि के एवज में दिनांक 2 अप्रैल, 2020 को उपायुक्त, गोड्डा द्वारा ₹ 34.38 करोड़ की राशि का मांग-पत्र (डिमांड नोट) भेजा गया है। 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय विवरणियों में उक्त मांग पर विचार नहीं किया गया है।	जून, 2020 को समाप्त तिमाही के वित्तीय विवरणियों में इस पर विचार किया गया है।
	वित्तीय विवरणियों पर हमारी राय और नीचे दी गई अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट उपर्युक्त मामलों के संबंध में हमारे द्वारा किए गए कार्य पर हमारे भरोसा और अन्य लेखापरीक्षकों और रिमोट ऑडिट की रिपोर्ट के संबंध में संशोधित नहीं है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है
वित्तीय विवरणियां और इन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचनाएं		
	कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचनाओं में बोर्ड रिपोर्ट में समाहित सूचना शामिल है (लेकिन इसमें वित्तीय विवरणियां और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है)। इस लेखा परीक्षण की रिपोर्ट की तारीख के बाद बोर्ड की रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है। वित्तीय विवरणियों पर हमारी राय में अन्य सूचनाएं शामिल नहीं है और हम इन पर किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष नहीं देते हैं। वित्तीय विवरणियों के हमारे लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य सूचनाओं को पढ़ें और यह विचार करें कि क्या अन्य सूचनाएं वित्तीय विवरणियों से आर्थिक रूप से असंगत या लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी भिन्न तो नहीं हैं। जब हम बोर्ड की रिपोर्ट पढ़ते हैं और यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई सामग्री गलत है, तो हमें इस मामले को शासन-विधि से सूचित करना आवश्यक है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है

क्र. सं.	लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	प्रबंधन का जवाब
	भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन के उत्तरदायित्व और गवर्नेंस सहित इसका अनुपालन	
	(कंपनी का निदेशक मंडल इस अधिनियम की धारा 133 में उल्लिखित लेखा मानकों समेत भारतीय लेखा मानक और भारत में सामान्यतः लागू लेखा सिद्धांतों के संदर्भ में इन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए जवाबदेह है जो कि कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य प्रदर्शन, कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का सत्य एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।) इस उत्तरदायित्व में कंपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं से बचाव एवं पता लगाना, पर्याप्त लेखा नीतियों का चयन एवं प्रयोग, उचित एवं न्यायसंगत मामलों का निर्णय एवं आकलन करना और वित्तीय विवरणियों की तैयारी एवं प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण जो वित्तीय विवरणियों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण से संबंधित लेखा रिकार्डों की शुद्धता और पूर्णता प्रस्तुत करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में पर्याप्त लेखा रिकार्डों का अनुरक्षण, जो कि वित्तीय गलतियों से मुक्त हो, चाहे वह कपट से अथवा भूलवश ही क्यों न किया गया हो, भी शामिल है। वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के दौरान निदेशक मंडल चालू प्रतिष्ठान के रूप में कंपनी की क्षमता का आकलन करने, प्रकटीकरण, यथा लागू, चालू प्रतिष्ठान से संबंधित मामले और लेखा के आधार पर चालू प्रतिष्ठान का प्रयोग करने के लिए तबतक जिम्मेदार है जब तक प्रबंधन कंपनी को बेच देने का या परिचालन बंद करने का या ऐसा करने का कोई वास्तविक विकल्प मौजूद न हो। कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी निदेशक मंडल जिम्मेदार हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है
	वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व	
	हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरणयां आर्थिक अशुद्धि से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी से या त्रुटि के कारण हों, तथा एक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट जारी करना भी हमारा उद्देश्य है जिसमें हमारी राय भी शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखा-परीक्षा के संदर्भ में किया गया लेखा-परीक्षा से कोई महत्वपूर्ण गलत बयान हमेशा पकड़ में आ ही जाएगी, यदि हो तो। गलती धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और महत्वपूर्ण मानी जाती है यदि हो तो, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से की गई हो, इन वित्तीय विवरणियों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय तार्किक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। लेखा मानकों के संदर्भ में, एक लेखा-परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा में पेशेवर संदेहवाद को बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित बातों पर भी ध्यान देते हैं: • वित्तीय विवरणियों की गलतियों से होने वाले जोखिमों की पहचान तथा उनका आकलन करते हैं चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन एवं निष्पादित करते हैं तथा लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय में आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी की वजह से वित्तीय गलतियों को न पकड़ पाने का जोखिम एक से अधिक गलतियों के रूप में आता है, जैसे कि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है। • उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वा रा कि ए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण के औचि त्य का मूल्यां कन करते हैं। • इन परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा-परीक्षा के प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को समझते हैं। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और इस तरह के नियंत्रणों का प्रभावी तरीके से परिचालन किया जा रहा है। • प्रबंधन के चालू प्रतिष्ठान आधार पर लेखा उपयोग की उपयुक्तता और इस पर आधारित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त कर निष्कर्ष निकालते हैं, कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है जो कि चालू प्रतिष्ठान के रूप में कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण रूप से संदेहास्पद है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमारे द्वारा वित्तीय विवरणियों में संबंधित स्पष्टीकरण के लिए अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है अथवा, हमारे अभिमत में परिवर्तन के लिए ऐसे स्पष्टीकरण अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या स्थितियां कंपनी को चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने से रोक सकती हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है

क्र. सं.	लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	प्रबंधन का जवाब
	• स्पष्टीकरण सहित वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करते हैं कि क्या वित्तीय विवरणियों में अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को निष्पक्ष तरीके से प्रस्तुत और प्रदर्शित किया गया है। ऐसे कथन जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाते हैं कि वित्तीय विवरणियों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारे अंकेक्षण कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करने, और (ii) वित्तीय विवरणियों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं। हम गवर्नेंस सहित तथ्यों को एक विवरण के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं, जिसमें अपनी लेखापरीक्षा के दौरान ज्ञात अन्य मामलों में, लेखा-परीक्षा की योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र एवं समय और आंतरिक नियंत्रण में किन्हीं महत्वपूर्ण त्रुटियों समेत महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा तथ्यों के बारे में सूचित करते हैं। हम गवर्नेंस सहित तथ्यों को एक विवरण के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं, जिसमें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ सभी रिश्तों और अन्य मामलों के संबंध में सूचित किया है जो हमारी स्वतंत्रता और संबंधित सुरक्षा उपायों जहां लागू हो, के लिए यथोचित रूप से विचारणीय हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है
अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट		
1.	अधिनियम की धारा 143(11) के संदर्भ में भारत के केंद्र सरकार द्वारा जारी, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") की आवश्यकतानुसार हमने अनुलग्नक 'I' के पैराग्राफ 3 एवं 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण दिया है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है
2.	जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (5) के तहत आवश्यक है, हमने इस रिपोर्ट के परिशिष्ट 'II' में लेखा-परीक्षा की सुझायी कार्यप्रणाली, इसपर हुई कार्रवाई तथा कंपनी के खाते एवं वित्तीय विवरणियों पर इसके प्रभाव के अनुपालन के बाद, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर एक विवरण दिया है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है
3.	अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:	
क.	हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया,जो हमारे लेखा-परीक्षा के लिए हमारी जानकारी एवं विश्वास में श्रेष्ठ थे।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है
ख.	हमारी राय में, कंपनी द्वारा बही खातों का रखरखाव कानून के अनुसार उचित तरीके से किया जाता है, यह उन लेखा बहियों की हमारी जांच और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से पता चलता है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है
ग.	इकाई लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143 (8) के तहत अंकेक्षित कंपनी के इकाइयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और हमने इसे इस रिपोर्ट में सही तरीके शामिल किया है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है
घ.	तुलन-पत्र, लाभ-हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और इस रिपोर्ट में दिए गए नकदी प्रवाह के विवरण, वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के उद्देश्य से रखे गए प्रासंगिक बही खाते से मेल खाते हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है
ड.	हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीय विवरणयां अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, जिसे कंपनी (लेखा) अधिनियम, 2014 के नियम- 7 के साथ पढ़ा जाए।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है
च.	कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 05.06.2015, निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित अधिनियम की धारा 164 (2) सरकारी कंपनी पर लागू नहीं है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है
छ.	कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों के परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में जानने के लिए, परिशिष्ट –''III" में दिये गए हमारे पृथक रिपोर्ट का अवलोकन करें, जो हमारे लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट और 19 इकाइयों के लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट पर आधारित है, जिसका हमने लेखापरीक्षा नहीं किया है। इसमें वर्णित कारणों के लिए हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर इकाइयों के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है

क्र. सं.	लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	प्रबंधन का जवाब
ज.	कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 05.06.2015, प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनी पर लागू नहीं है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है
झ.	कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 सहित यथा संशोधित नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय तथा हमारी जानकारी एवं लेखा-परीक्षा के अनुसार हमें दिए गए स्पष्टीकरण: i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणियों में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटीकरण किया है- वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी 38 का संदर्भ लें। ii. कंपनी के पास डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई आर्थिक पूर्वाभासी हानि थी। iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी, जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतरित किए जाना आवश्यक था।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणियों पर

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की समतिथि रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक ' I '

क्र. सं.	लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	प्रबंधन का जवाब
31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणियों पर हमारी समतिथि रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' शीर्षक के तहत अनुच्छेद 1 में संदर्भित:		
i.	**क.** कंपनी ने पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है, जिसमें अचल संपत्तियों का मात्रात्मक विवरण तथा उनकी स्थिति शामिल है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
	ख. नियमित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा अचल संपत्तियों को भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है। हमारी समीक्षा के आधार पर, वर्ष के दौरान भौतिक रूप से सत्यापित अचल संपत्तियों के संबंध में कोई भी भौतिक विसंगति नहीं देखी गई है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
	ग. कंपनी द्वारा खरीदी गई अचल संपत्तियों से संबंधित स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं तथा कोयला खदान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973, कोयला धारित भूमि (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957, सरकारी भूमि के प्रत्यक्ष हस्तांतरण और वन अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि अधिग्रहण के तहत अधिग्रहीत अचल संपत्तियों के स्वामित्व दस्तावेज कंपनी के नाम पर रखे गए हैं, सिवाय (i) 724.72 हेक्टेयर भूमि से संबंधित दस्तावेजों/विलेखों का संकलन एवं मिलान किया जा रहा है, और (ii) 12C, लॉर्ड सिन्हा रोड, कोलकाता -700 071 स्थित अपार्टमेंट का स्वामित्व विलेख हमारे सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं था।	प्रत्यक्ष खरीद के माध्यम से अधिग्रहित 724.72 हेक्टेयर भूमि के संबंध में दस्तावेजों/विलेखों का संकलन एवं मिलान कार्य प्रगति पर है, इसके अतिरिक्त, अचल संपत्ति के दस्तावेजों/विलेखों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है और उपलब्ध रिकॉर्ड/ दस्तावेजों का हो चुका है।
ii.	प्रबंधन ने कोयले के वर्ष के अंत स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया है। आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की टीम द्वारा भंडारों का भौतिक सत्यापन किया गया था। स्टॉक के सत्यापन की आवृत्ति कंपनी के आकार के संबंध में उचित एवं पर्याप्त है। बुक रिकॉर्ड की तुलना में सूची के भौतिक सत्यापन पर कोई महत्पूर्ण विसंगति नहीं देखी गई है। केवल (i) बराकर इंजीनियरिंग और फाउंड्री वर्क्स (ii) मुग्मा क्षेत्रीय कार्यशाला (iii) मुग्मा क्षेत्र और (iv) सोदेपुर कर्मशाला में भौतिक रूप से विसंगतियों को देखा गया और लेखा बहियों में समुचित तरीके से दर्ज किया गया है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
iii.	अधिनियम की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में कवर कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदार या अन्य पक्षों को कंपनी ने कोई ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (iii) (क) से (ग) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
iv.	हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा जांच किए गए रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 185 और 186 के तहत ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूति से संबंधित कोई भी लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (iv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
v.	कंपनी ने जनता से किसी भी प्रकार की जमा को स्वीकार नहीं किया है और इसलिए जनता से जमा राशि के स्वीकार करने से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देश और अधिनियम की धारा 73 से 76 के प्रावधान अथवा कोई अन्य प्रासंगिक प्रावधान और कंपनी नियम (जमा की स्वीकृति) नियम, 2015 लागू नहीं हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
vi.	हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा जांच किए गए रिकॉर्ड के अनुसार, अधिनियम की धारा 148(1) के तहत लागत रिकॉर्ड और लेखा सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं। कंपनी द्वारा उक्त खातों और रिकॉर्ड को बनाए रखा गया है। हालाँकि, जैसा कि आवश्यक नहीं है, हमने इन अभिलेखों की विस्तृत जांच नहीं की है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।

क्र. सं.	लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	प्रबंधन का जवाब
vii.	**क.** हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखा बहियों, अभिलेखों की हमारी जांच पड़ताल के आधार पर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, वस्तु एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, उपकर, और उचित प्राधिकारियों के साथ कोई अन्य वैधानिक बकाया सहित कंपनी ने आमतौर पर अविवादित वैधानिक देय राशि को नियमित रूप से जमा किया है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2020 को उपर्युक्त के संबंध में कोई भी निर्विवाद देय राशि उसकी देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
	ख. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा जांच किए गए रिकॉर्ड के अनुसार, आयकर/बिक्री कर/संपत्ति कर/सेवा कर/सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/मूल्य वर्धित कर के बकाए के संबंधित राशि जो किसी भी विवाद के कारण जमा नहीं की गयी है तथा लंबित विवाद से संबंधित फ़ोरम की जानकारी इस रिपोर्ट की परिशिष्ट 1 में दी गयी है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
viii.	हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा जांच किए गए रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी ने बैंक, वित्तीय संस्थान या सरकार से कोई ऋण नहीं लिया है और न ही कोई डिबेंचर जारी किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (viii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
ix.	प्रस्तुत ऑडिट प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या अतिरिक्त सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है। हमारी जांच-पड़ताल के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सावधि ऋण के माध्यम से जुटाई गई धनराशि को उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए ऐसे ऋण लिए गए थे।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
x.	प्रस्तुत ऑडिट प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी को देखा या रिपोर्ट नहीं किया गया है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
xi.	कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार धारा 197 सरकारी कंपनी पर लागू नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3 (xi) कंपनी पर लागू नहीं है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
xii.	निधि कंपनी से संबंधित आदेश के खंड 3 (xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं और इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं की गई है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
xiii.	प्रस्तुत ऑडिट प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं और लागू लेखांकन मानकों की आवश्यकतानुसार वित्तीय विवरणी में इसका खुलासा किया गया है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
xiv.	प्रस्तुत ऑडिट प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरों का कोई तरजीही आवंटन या निजी स्थापन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xiv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
xv.	प्रस्तुत ऑडिट प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार का गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
xvi.	कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 IA के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xvi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।

परिशिष्ट 1

विवादित बकाया जो जमा नहीं किए गए हैं

क्र. सं.	अधिनियम का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	अवधि जिससे राशि संबंधित है	न्यायालय / श्रम आयुक्त / पंचाट पैनल का नाम और पता	विचाराधीन राशि (₹ करोड़ में)	राशि (₹ करोड़ में)	प्रबंधन का जवाब
1	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	आकलन वर्ष 1993-94 और आकलन वर्ष 2010-11 से 2017-18	सीआईटी (ए), आसनसोल	1,031.79	189.36	यह एक तथ्यात्मक विवरण है। हालाँकि, इन विवादित बकायों को आकस्मिक देयता (ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए कंपनी के विरुद्ध दावा) को अतिरिक्त टिप्पणियों में खंड सं. 6 के तहत पहचाने न गए मदों में दर्शाया गया है।
2	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	आकलन वर्ष 2010-11 और 2011-12	आईटीएटी	1.66	0.00	
3	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	आकलन वर्ष 2003-04 से 2006-07	माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता	287.14	0.14	
4	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	अप्रैल, 2014 से मार्च, 2016	सीसीई, बोलपुर	0.58	0.02	
5	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	मार्च, 2011 से जून, 2017	सीईएसटीएटी, कोलकाता	874.25	47.95	
6	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	वित्त वर्ष 2014-15 एवं वित्त वर्ष 2015-16	मुख्य लेखापरीक्षा निदेशक, रांची (कैग) का कार्यालय	5.19	0.00	
7	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	वित्त वर्ष 1999-00 एवं वित्त वर्ष 2001-02	एसीसीटी, देवघर	0.31	0.00	
8	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	वित्त वर्ष 1989-90 से वित्त वर्ष 1995-96	माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता	23.11	9.01	
9	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	वित्त वर्ष 2017-18	अपर कमिश्नर, पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर, कोलकाता	2.12	0.29	
10	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	वित्त वर्ष 2001-02, वित्त वर्ष 2004-05, वित्त वर्ष 2006-07 से वित्त वर्ष 2008-09	सीसीटी, रांची	10.82	0.66	
11	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	अप्रैल, 2006 से अगस्त, 2013 एवं वित्त वर्ष 2013-14	वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण, रांची	5.15	2.30	
12	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	वित्त वर्ष 2011-12 एवं वित्त वर्ष 2012-13	डीसीसीटी, देवघर	3.35	0.00	
13	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	वित्त वर्ष 2015-16	डीसीसीटी, गोड्डा	4.74	0.00	
14	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	वित्त वर्ष 1978-79, वित्त वर्ष 1979-80, वित्त वर्ष 1990-91, वित्त वर्ष 1992-93 से वित्त वर्ष 1995-96, वित्त वर्ष 1999-00, वित्त वर्ष 2000-01, वित्त वर्ष 2002-03, वित्त वर्ष 2007-08 एवं वित्त वर्ष 2010-11 से वित्त वर्ष 2012-13	जे सी सी टी (अपील), धनबाद	11.78	0.31	
15	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	वित्त वर्ष 2003-04, वित्त वर्ष 2009-10 एवं वित्त वर्ष 2014-15	जे सी सी टी (अपील), दुमका	10.88	0.91	
16	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	वित्त वर्ष 2000-01	जे सी सी टी, दुमका	0.14	0.00	
17	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	वित्त वर्ष 1990-91, वित्त वर्ष 1992-93, वित्त वर्ष 2003-04, वित्त वर्ष 2005-06 से वित्त वर्ष 2010-11 एवं वित्त वर्ष 2015-16	उप सी सी टी, चिरकुंडा सर्कल	40.06	3.29	
18	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	वित्त वर्ष 2002-03	ट्रिब्यूनल कोर्ट, रांची	1.39	0.00	

क्र. सं.	अधिनियम का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	अवधि जिससे राशि संबंधित है	न्यायालय / श्रम आयुक्त / पंचाट पैनल का नाम और पता	विचाराधीन राशि (₹ करोड़ में)	राशि (₹ करोड़ में)	प्रबंधन का जवाब
19	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	वित्त वर्ष 2012-13 एवं वित्त वर्ष 2013-14	माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता	7.76	0.00	यह एक तथ्यात्मक विवरण है। हालाँकि, इन विवादित बकायों को आकस्मिक देयता (ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए कंपनी के विरुद्ध दावा) को अतिरिक्त टिप्पणियों में खंड सं. 6 के तहत पहचाने न गए मदों में दर्शाया गया है।
20	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	वित्त वर्ष 2014-15	पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर अपीलीय और पुनरीक्षण बोर्ड, कोलकाता	14.13	2.05	
21	झारखंड वैट अधिनियम, 2005	झारखंड वैट	वित्त वर्ष 1989-90 से वित्त वर्ष 1995-96	माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता	1.54	0.00	
22	झारखंड वैट अधिनियम, 2005	झारखंड वैट	वित्त वर्ष 1997-98 से वित्त वर्ष 2001-02	एसीसीटी, देवघर	0.59	0.00	
23	झारखंड वैट अधिनियम, 2005	झारखंड वैट	वित्त वर्ष 2004-05 एवं वित्त वर्ष 2006-07 से वित्त वर्ष 2008-09	सीसीटी, रांची	1.15	0.00	
24	झारखंड वैट अधिनियम, 2005	झारखंड वैट	वित्त वर्ष 2012-13	डीसीसीटी, देवघर	0.32	0.00	
25	झारखंड वैट अधिनियम, 2005	झारखंड वैट	वित्त वर्ष 2015-16	डीसीसीटी, गोड्डा	9.09	1.58	
26	झारखंड वैट अधिनियम, 2005	झारखंड वैट	वित्त वर्ष 1978-79, वित्त वर्ष 1979-80, वित्त वर्ष 1990-91, वित्त वर्ष 1992-93 से वित्त वर्ष 1996-97, वित्त वर्ष 1999-00, वित्त वर्ष 2000-01, वित्त वर्ष 2002-03, वित्त वर्ष 2009-10, वित्त वर्ष 2011-12 एवं वित्त वर्ष 2012-13	जे सी सी टी (अपील), धनबाद	5.66	0.27	
27	झारखंड वैट अधिनियम, 2005	झारखंड वैट	वित्त वर्ष 2003-04, वित्त वर्ष 2009-10 एवं वित्त वर्ष 2014-15	जे सी सी टी (अपील), दुमका	1.96	0.00	
28	झारखंड वैट अधिनियम, 2005	झारखंड वैट	वित्त वर्ष 2000-01	जे सी सी टी, दुमका	0.01	0.00	
29	झारखंड वैट अधिनियम, 2005	झारखंड वैट	वित्त वर्ष 1990-91, वित्त वर्ष 1992-93, वित्त वर्ष 2003-04, वित्त वर्ष 2006-07 से वित्त वर्ष 2008-09 एवं वित्त वर्ष 2016-17	उप सी सी टी, चिरकुंडा सर्कल	3.17	0.70	
30	झारखंड वैट अधिनियम, 2005	झारखंड वैट	वित्त वर्ष 2002-03	ट्रिब्यूनल कोर्ट, रांची	0.23	0.00	
31	पश्चिम बंगाल वैट अधिनियम, 2003	प. बं. वैट	वित्त वर्ष 2017-18	अपर आयुक्त, पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर, कोलकाता	0.56	0.00	
32	पश्चिम बंगाल वैट अधिनियम, 2003	प. बं. वैट	वित्त वर्ष 2016-17	वरिष्ठ आयुक्त, आसनसोल	0.76	0.00	
33	पश्चिम बंगाल वैट अधिनियम, 2003	प. बं. वैट	वित्त वर्ष 2012-13 एवं वित्त वर्ष 2013-14	पश्चिम बंगाल कराधान ट्रिब्यूनल, कोलकाता	15.37	1.52	
34	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	मई, 1973 से दिसंबर, 1997, वित्त वर्ष 1990-91, वित्त वर्ष 2007-08 एवं वित्त वर्ष 2008-09	प्रमाणपत्र अधिकारी, दुमका	17.02	3.89	
35	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	सितंबर, 2003 एवं वित्त वर्ष 2005-06	डी.सी., देवघर	0.76	0.00	
36	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	वित्त वर्ष 1999-00	जिला खनन अधिकारी	0.40	0.00	

क्र. सं.	अधिनियम का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	अवधि जिससे राशि संबंधित है	न्यायालय / श्रम आयुक्त / पंचाट पैनल का नाम और पता	विचाराधीन राशि (₹ करोड़ में)	राशि (₹ करोड़ में)	प्रबंधन का जवाब
37	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	वित्त वर्ष 2008-09 एवं वित्त वर्ष 2009-10	जिला खनन अधिकारी, गोड्डा	0.09	0.00	यह एक तथ्यात्मक विवरण है। हालाँकि, इन विवादित बकायों को आकस्मिक देयता (ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए कंपनी के विरुद्ध दावा) को अतिरिक्त टिप्पणियों में खंड सं. 6 के तहत पहचाने न गए मदों में दर्शाया गया है।
38	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	वित्त वर्ष 1997-98 एवं 24.09.03 से 31.12.05	माननीय उच्च न्यायालय, रांची	29.93	0.00	
39	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	अप्रैल, 1986; फरवरी, 1991; अप्रैल, 1994; मार्च, 1996 एवं सितंबर, 2003	माननीय सर्वोच्च न्यायालय	5.92	0.00	
40	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	पर्यावरण	वित्त वर्ष 2000-01 से वित्त वर्ष 2009-10	पुवरीक्षण प्राधिकारी, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली	2,178.14	0.00	
41	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1973	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा उपकर	वित्त वर्ष 2002-03 से वित्त वर्ष 2005-06, वित्त वर्ष 2007-08 एवं वित्त वर्ष 2008-09	विशेष आयुक्त, बेलीघाटा, कोलकाता	18.05	0.00	
42	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1973	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा उपकर	वित्त वर्ष 2009-10 से वित्त वर्ष 2016-17	वरिष्ठ आयुक्त, आसनसोल	135.26	0.00	
43	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1973	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा उपकर	वित्त वर्ष 1997-98 से वित्त वर्ष 2001-02	पश्चिम बंगाल कराधान ट्रिब्यूनल, कोलकाता	113.55	0.00	
44	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार और उत्पादन अधिनियम, 1976	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार उपकर	वित्त वर्ष 2002-03 से वित्त वर्ष 2005-06, वित्त वर्ष 2007-08 एवं वित्त वर्ष 2008-09	विशेष आयुक्त, बेलीघाटा, कोलकाता	72.19	0.00	
45	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार और उत्पादन अधिनियम, 1976	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार उपकर	वित्त वर्ष 2009-10 से वित्त वर्ष 2016-17	वरिष्ठ आयुक्त, आसनसोल	613.34	0.00	
46	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार और उत्पादन अधिनियम, 1976	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार उपकर	वित्त वर्ष 1997-98 से वित्त वर्ष 2001-02	पश्चिम बंगाल कराधान ट्रिब्यूनल, कोलकाता	306.16	0.00	
	कुल	5,867.55	264.25				

31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की समतिथि रिपोर्ट पर अनुलग्नक "II"

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी समतिथि रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के तहत अनुच्छेद 2 में संदर्भित:

अनुलग्नक - क

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत दिशा-निर्देश

क्र. सं.	लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रतिवेदन	लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का जवाब
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है? यदि हाँ, तो वित्तीय अनुमानों के साथ-साथ खातों की सत्यनिष्ठा पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ, यदि कोई हों तो उल्लेख किया जाए।	हाँ, कोलकाता बिक्री कार्यालय में रेल ग्राहक से मैन्युअल रूप से प्राप्त अग्रिम (तुलन-पत्र की तारीख को ₹ 383.53 करोड़) के उप- बहीखाते का रखरखाव के अधीन।	रेल ग्राहक से अग्रिम प्राप्ति के उप-खाते को तैयार करने का प्रावधान कोलनेट प्रणाली में मौजूद है। उसी का कार्यान्वयन प्रगति पर है और इसे उचित समंजन के बाद किया जाएगा।
2.	क्या किसी मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या कंपनी को ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा कर्ज / ऋण / ब्याज आदि में दी गयी छूट / बट्टे खाते में डालने का मामला है ? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव को बताया जाए।	वर्ष के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं आया है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
3.	क्या केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए धनराशि प्राप्त / प्राप्य की गई थी और क्या उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उसका उचित उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची प्रस्तुत करें। क	हां, केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजना के लिए प्राप्त / प्राप्य धनराशि का उपयोग उसके नियमों और शर्तों के अनुसार सही तरीके से किया गया।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की समतिथि रिपोर्ट पर अनुलग्नक "II"

अनुलग्नक - ख

31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों के लेखा परीक्षा के लिए नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षकों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत अतिरिक्त दिशा-निर्देश:

क्र. सं.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का जवाब
1.	क्या समोच्च मानचित्र को ध्यान में रखते हुए कोयला स्टॉक का मापन किया गया था। क्या सभी मामलों में भौतिक स्टॉक मापन रिपोर्टों को समोच्च मानचित्र के साथ लगाया गया? वर्ष के दौरान बनाए गए नए ढेर के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त हुई या नहीं?	कोल स्टॉक का मापन समोच्च मानचित्र को ध्यान में रखते हुए किया गया था। भौतिक स्टॉक मापन रिपोर्ट समोच्च मानचित्र के साथ होती हैं। वर्ष के दौरान बनाए गए नए ढेर के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति ली गयी है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
2.	क्या कंपनी ने किसी क्षेत्र के विलय / विभाजन / पुनर्गठन के समय संपत्ति और संपत्तियों का भौतिक सत्यापन अभ्यास किया है। यदि हां, तो क्या संबंधित सहायक इकाई ने अपेक्षित प्रक्रिया का अनुपालन किया है?	वर्ष के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं आया है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
3.	क्या कोल इंडिया लिमिटेड या उसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रत्येक खदान के लिए अलग-अलग एस्क्रो खाते बनाए और व्यवस्थित किए गए हैं। इसके अलावा, खाते के फंड के उपयोग की जांच करें।	हां, प्रत्येक खदान के लिए अलग एस्क्रो खाते बनाए गए हैं। इसके अलावा, वर्ष के दौरान इन एस्क्रो खातों से किसी निधि का उपयोग नहीं किया गया था।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
4.	क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध खनन के लिए लगाए गए दंड के प्रभाव को विधिवत रूप से माना गया है और इसके लिए जिम्मेदार है?	राजमहल, मुगमा और एसपी माइंस क्षेत्रों के संबंध में अधिकतम उत्पादन क्षमता से अधिक कोयला उत्पादन के लिए झारखंड सरकार से ₹ 2178.14 करोड़ की मांग-नोटिस प्राप्त हुआ है जिसे आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया है। हालांकि, कोयला मंत्रालय ने उक्त मांग नोटिस के निष्पादन पर रोक लगा दी है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की समतिथि रिपोर्ट पर अनुलग्नक "III"

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

क्र. सं.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	प्रबंधन का जवाब
1.	हमने 31 मार्च, 2020 को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अंकेक्षण उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के साथ किया है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी		
2.	इंस्ट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के मामले में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण हेतु जारी मार्गदर्शन में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण अवयवों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रण कसौटियों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने एवं उसे बनाये रखने के लिए कंपनी की जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की है। इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण शामिल है, जो कंपनी की नीतियों के अनुरूप इसकी परिसंपत्तियों का संरक्षण करते हुए, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों का पता लगाने एवं उसकी रोकथाम करने हेतु लेखाकरण अभिलेखों की यथार्थता/परिशुद्धता एवं परिपूर्णता तथा कंपनी अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार समय पर विश्वस्त वित्तीय सूचनाओं को तैयार करना शामिल करते हुए इसके व्यवसाय को सुव्यवस्थित एवं सफलतापूर्वक चलाना सुनिश्चित करने के लिए प्रभावपूर्ण तरीके से परिचालित किए जा रहे थे।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी		
3.	हमारा दायित्व हमारे अंकेक्षण पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करने का है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शी नोट") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी नोट और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानक जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित हैं, के अनुरूप आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा की अधिकतम स्वीकार्य सीमा तक अपनी लेखा परीक्षा की है, ये दोनों ही इंस्ट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए हैं और दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए लागू हैं। उन मानकों और मार्गदर्शी-नोट की अपेक्षा के अनुसार हम नैतिक अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और इस बारे में औचित्य पूर्ण आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षण की योजना बनाते हैं एवं लेखा परीक्षण करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गये हैं तथा उसे बनाये रखा गया है या नहीं, और यदि ये नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से परिचालित किए गये हों। हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और उसकी परिचालन प्रभावशीलता की पर्याप्तता के बारे में अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ, जोखिम निर्धारण जिसमें महत्वपूर्ण कमजोरियां विद्यमान हैं तथा निर्धारित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन एवं परिचालन प्रभावकारिता की जांच एवं मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर है जिसमें चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटियों के कारण ही भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलतियों जैसे बड़े जोखिम का मूल्यांकन भी शामिल हैं। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य जो उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में नीचे अन्य मामलों से संबंधित अनुच्छेद में संदर्भित हैं, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।

क्र. सं.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	प्रबंधन का जवाब
आंतरिक वित्तीय का अर्थ नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्टिंग		
4.	वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो (1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विस्तार से, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेन-देन को वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनुमति देने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के अनुमोदन के अनुसार ही किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान के समय पर रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जिसका वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएं		
5.	वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं की वजह से, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रण पर अतिक्रमण से अनुचित प्रबंधन की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गड़बड़ी हो सकती है और जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की स्तर बिगड़ सकता है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
अभिमत / राय		
6.	हमारी राय में, कंपनी के पास सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस प्रकार का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2020 को प्रभावी तरीके से परिचालित था, जो इंस्ट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण पर जारी मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रक के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग की कसौटियां पर आधारित हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
अन्य मामले		
	वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट, कंपनी की 19 इकाइयों से संबंधित है और यह ऐसी इकाइयों के लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।

लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख: 10 अगस्त, 2020

यूडीआईएन: 20066421AAAAGQ795

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में अन्य मामलों के खंड (सी) के तहत निपटाए गए मामले के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ए) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के अनुसार 10 जून, 2020 की ऑडिट रिपोर्ट को संशोधित किया गया है।

वार्षिक लेखा

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी)

तुलन-पत्र

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणी संख्या	वर्ष के समापन पर 31-03-2020	वर्ष के समापन पर 31-03-2019
परिसंपत्तियां			
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	3,168.82	2,992.37
(ख) पंजीगत कार्य प्रगति पर है	4	473.31	303.54
(ग) अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां	5	615.75	600.00
(घ) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	6	-	-
(ङ) विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियां			
(च) निवेश परिसंपत्तियां			
(छ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
i. निवेश	7	0.08	0.08
ii. ऋण	8	0.05	0.09
iii. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	973.16	499.94
(ज) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)		359.13	448.48
(झ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	10	285.87	187.35
कुल गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां (क)		**5,876.17**	**5,031.85**
वर्तमान परिसंपत्तियां			
(क) सूची (इन्वेंटरी)	12	503.72	420.56
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
i. निवेश	7	-	-
ii. व्यापार प्राप्तियां	13	3,316.46	1,621.92
iii. नकदी और नकदी समतुल्य	14	93.28	478.68
iv. अन्य बैंक जमा शेष	15	3,873.27	4,186.82
v. ऋण	8	-	-
vi. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	267.07	305.65
(ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)		1,197.05	392.96
(घ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	11	842.52	845.06
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां (ख)		**10,093.37**	**8,251.65**
कुल परिसंपत्तियां (क+ख)		**15,969.54**	**13,283.50**
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पंजी	16	2,218.45	2,218.45
(ख) अन्य इक्विटी	17	(335.57)	(1,169.94)
कंपनी के इक्विटी धारकों के लिए उत्तरदायी इक्विटी		**1,882.88**	**1,048.51**
गैर-नियंत्रित ब्याज		-	-
कुल इक्विटी (क)		**1,882.88**	**1,048.51**

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी)

तुलन-पत्र (निरंतर)

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणी संख्या	वर्ष के समापन पर 31-03-2020	वर्ष के समापन पर 31-03-2019
देयताएं			
गैर-वर्तमान देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
i. उधारियां	18	1,959.81	1,820.96
ii. अन्य वित्तीय देयताएं	20	95.84	74.78
(ख) प्राव धान	21	3,703.91	3,317.73
(ग) अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	22	2.78	-
कुल गैर-वर्तमान देयताएं (ख)		**5,762.34**	**5,213.47**
वर्तमान देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
i. उधारियां	18	368.16	-
ii. व्यापार प्राप्तियां	19		
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		2.17	-
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया देय राशि		1,810.01	1,728.81
iii. अन्य वित्तीय देयताएं	20	1,015.73	351.82
(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	23	3,901.17	3,691.91
(ग) प्रावधान	21	1,227.08	1,248.98
(घ) वर्तमान कर देयताएं (शुद्ध)		-	-
कुल वर्तमान देयताएं (ग)		**8,324.32**	**7,021.52**
कुल इक्विटी और देयताएं (क+ख+ग)		**15,969.54**	**13,283.50**

कॉर्पोरेट सुचना	1
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	2
अतिरिक्त लेख पर टिपण्णीयाँ	38

संलग्न नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

(रामबाबू पाठक)
कंपनी सचिव

मुहम्मद तसफ़ीन
प्रबंध संचालक
महाप्रबंधक (वित्त)

गौतम चंद्र डे
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-08725907

(प्रेम सागर मिश्रा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन-07379202

रिपोर्ट के अनुसार
कृते **जी.पी. अग्रवाल एंड कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन 302082E

सीए. राकेश कुमार सिंह
साझीदार
एम. सं. 066421

दिनांक: 10-06-2020
स्थान: सांकतोड़िया/ कोलकाता

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी)

लाभ और हानि का विवरण

(₹ करोड़ में)

		टिप्पणी संख्या	वर्ष के समापन पर 31-03-2020	वर्ष के समापन पर 31-03-2019
	परिचालनों से प्राप्त आय			
क.	बिक्री (शुद्ध/ नेट)	24	12,823.74	12,914.35
ख.	अन्य परिचालन राजस्व (शुद्ध/ नेट)	24	514.69	534.96
(I)	**परिचालनों से प्राप्त आय (क+ख)**		**13,338.43**	**13,449.31**
(II)	अन्य आय	25	614.77	458.18
(III)	**कुल आय (I + II)**		**13,953.20**	**13,907.49**
	खर्चे			
	खपत सामग्री की लागत	26	681.90	721.71
	तैयार माल की सूची / जारी कार्य और बिक्री के लिए स्टॉक में परिवर्तन	27	(86.86)	109.50
	कर्मचारी लाभ व्यय	28	7,655.22	7,448.47
	बिजली खर्च		465.88	476.39
	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	29	11.48	16.46
	मरम्मत	30	134.43	141.12
	संविदात्मक व्यय	31	1,974.85	1,930.38
	वित्त लागत	32	178.21	163.10
	मूल्यह्रास/परिशोधन	3,4,5	434.35	494.98
	प्रावधान	33	80.39	8.28
	बट्टे खाते में	34	-	-
	अन्य खर्चे	35	635.08	642.47
	स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन		286.92	456.24
(IV)	**कुल खर्चे**		**12,451.85**	**12,609.10**
(V)	**असाधारण मदों और कर से पहले लाभ (III-IV)**		**1,501.35**	**1,298.39**
(VI)	असाधारण मदें			
(VII)	**कर से पहले लाभ (V - VI)**		**1,501.35**	**1,298.39**
(VIII)	कर व्यय	36	503.70	549.62
(IX)	**जारी संचालन अवधि के लिए लाभ (VII - VIII)**		**997.65**	**748.77**
(X)	बंद परिचालनों से लाभ/(हानि)		-	-
(XI)	बंद परिचालनों का कर व्यय		-	-
(XII)	बंद परिचालनों से लाभ/(हानि) (कर के बाद) (X - XI)		-	-
(XIII)	संयुक्त उद्यमों के लाभ/ (हानि) में शेयर		-	-
(XIV)	**वर्ष के लिए लाभ (IX + XII + XIII)**		**997.65**	**748.77**
	अन्य व्यापक आय	**37**	-	-
	i. आइटम जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किए जाएंगे		(218.20)	(61.39)
	ii. लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत न किए जाने वाले आइटमों से संबंधित आय कर		(54.92)	(19.00)
	iii. आइटम जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किए जाएंगे		-	-
	iv. लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किए जाने वाले आइटमों से संबंधित आय कर		-	-
(XV)	**कुल अन्य व्यापक आय**		**(163.28)**	**(42.39)**

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी)

लाभ और हानि का विवरण (निरंतर)

(₹ करोड़ में)

		टिप्पणी संख्या	वर्ष के समापन पर 31-03-2020	वर्ष के समापन पर 31-03-2019
(XVI)	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIV+XV) (इस अवधि के लिए लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय शामिल)		834.37	706.38
	प्रति इक्विटी शेयर आय (₹ में)			
	(अंकित मूल्य ₹ 1000 / - प्रति शेयर)			
	1. बेसिक		394.24	282.05
	2. डाइल्यूटेड		394.24	282.05
कॉर्पोरेट सुचना		1		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ		2		
अतिरिक्त लेख पर टिपण्णीयाँ		38		

संलग्न नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

(रामबाबू पाठक)
कंपनी सचिव

मुहम्मद तसफ़ीन
प्रबंध संचालक
महाप्रबंधक (वित्त)

गौतम चंद्र डे
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-08725907

(प्रेम सागर मिश्रा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन-07379202

रिपोर्ट के अनुसार
कृते **जी.पी. अग्रवाल एंड कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन 302082E

सीए. राकेश कुमार सिंह
साझीदार
एम. सं. 066421

दिनांक: 10-06-2020
स्थान: सांकतोड़िया/ कोलकाता

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी)

31.03.2020 कोवर्ष के समापन पर इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	01-04-2018 को वर्ष के समापन पर	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31-03-2019 को वर्ष के समापन पर जमा शेष	01-04-2019 को वर्ष के समापन पर	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31-03-2020 को वर्ष के समापन पर जमा शेष
₹ 1000/- प्रति शेयर मूल्य के 10390000 इक्विटी शेयर पूरी तरह नकद में भुगतान किया	1,039.00	-	1,039.00	1,039.00	-	1,039.00
₹ 1000/- प्रति शेयर मूल्य के 11794500 इक्विटी शेयर पूरी तरह नकद में भुगतान किया	1,179.45	-	1,179.45	1,179.45	-	1,179.45
कुल	**2,218.45**	**-**	**2,218.45**	**2,218.45**	**-**	**2,218.45**

ख. अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

	इक्विटी शेयर पूंजी का अंश	पूंजी मोचन आरक्षित निधि	पूंजी रिजर्व	सतत विकास रिजर्व	सामान्य रिजर्व	अन्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आमदनी	कुल व्यापक आय	गैर नियंत्रित रुचियों	कुल
01.04.2018 को वर्ष के समापन पर जमा शेष	855.61	-	-	-	832.71	-	(3,751.34)	186.70	(1,876.32)	-	(1,876.32)
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पूर्व अवधि की त्रुटियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.2018 को वर्ष के समापन पर पुनर्निर्दिष्ट शेष	**855.61**	**-**	**-**	**-**	**832.71**	**-**	**(3,751.34)**	**186.70**	**(1,876.32)**	**-**	**(1,876.32)**
साल भर का फ़ायदा	-	-	-	-	-	-	748.77	(42.39)	706.38	-	706.38
लाभांश (लाभांश कर सहित)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सेवानिवृत्त आय में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जनरल रिजर्व में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2019 को वर्ष के समापन पर जमा शेष	**855.61**	**-**	**-**	**-**	**832.71**	**-**	**(3,002.57)**	**144.31**	**(1,169.94)**	**-**	**(1,169.94)**
31.03.2019 को वर्ष के समापन पर जमा शेष	**855.61**	**-**	**-**	**-**	**832.71**	**-**	**(3,002.57)**	**144.31**	**(1,169.94)**	**-**	**(1,169.94)**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	997.65	(163.28)	834.37	-	834.37
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सेवानिवृत्त आय में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
स्थानांतरण आय में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2020 को वर्ष के समापन पर जमा शेष	**855.61**	**-**	**-**	**-**	**832.71**	**-**	**(2,004.92)**	**(18.97)**	**(335.57)**	**-**	**(335.57)**

(रामबाबू पाठक)
कंपनी सचिव

मुहम्मद तसफ़ीन
प्रबंध संचालक
महाप्रबंधक (वित्त)

गौतम चंद्र डे
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-08725907

(प्रेम सागर मिश्रा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन-07379202

रिपोर्ट के अनुसार
कृते **जी.पी. अग्रवाल एंड कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन 302082E

सीए. राकेश कुमार सिंह
साझीदार
एम. सं. 066421

दिनांक: 10-06-2020
स्थान: सांकतोड़िया/ कोलकाता

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी)

नकदी प्रवाह स्थिति (प्रत्यक्ष विधि)

(₹ करोड़ में)

		31-03-2020 को वर्ष के समापन पर जमा शेष		31-03-2019 को वर्ष के समापन पर जमा शेष	
क.	**संचालन गतिविधि यों से नकदी प्रवाह**				
	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		**834.37**		**706.38**
	निम्नलिखित के लिए समायोजित				
	मूल्यह्रास और हानि	434.35		494.98	
	ब्याज आय	(377.27)		(400.14)	
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों (नेट) की बिक्री पर लाभ	(3.25)		(3.16)	
	प्रावधान	80.39		8.28	
	प्रतिलिखित देयता	(164.28)		(13.73)	
	स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	286.92		456.24	
	बैंक ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	0.16		-	
	छूट का मोचन	178.05		163.10	
	विनिमय दर भिन्नता पर हानि / (लाभ)	13.04	448.11	10.93	716.50
	वर्तमान / गैर-वर्तमान परिसपंत्तियों और देयताओंसे पूर्व परिचालन लाभ,		**1,282.48**		**1,422.88**
	निम्नलिखित के लिए समायोजित				
	व्यापार प्राप्य	(1,694.54)		(512.03)	
	माल-सूची (इन्वेंटरी)	(83.16)		123.97	
	लघु / दीर्घकालीन देयता और प्रावधान	1,096.16		(722.99)	
	लघु / दीर्घकालिक ऋण / अग्रिम और अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	(135.32)	(816.86)	423.72	(687.33)
	संचालन से उत्पन्न नकदी		**465.62**		**735.55**
	भुगतान किया गया आयकर		(1,110.00)		(315.00)
	संचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (I)		(644.38)		420.55
ख.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
	अचल संपत्तियों की खरीद	(802.98)		(802.39)	
	अचल संपत्तियों के मूल्य में समायोजन	6.66		(3.13)	
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की बिक्री	3.25		3.16	
	सावधि जमा की कार्यवाही / (खरीद)	313.55		(316.46)	
	निवेश से संबंधित ब्याज	377.27		400.14	(718.68)
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (II)		**(102.25)**		**(718.68)**
ग.	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
	बैंक ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	(0.16)		-	
	अन्य अल्पकालिक उधार (शुद्ध) की कार्यवाही /(चुकौती)	368.00		-	
	लंबी अवधि के उधार की चुकौती	(6.61)	361.23	(6.58)	(6.58)
	वित्त पोषण गतिविध यिों में इस्तेम ाल शुद्ध नकदी (III)		**361.23**		**(6.58)**
	नकदी और बैंक शेष में शुद्ध वृद्धि / कमी (I + II + III)		(385.40)		(304.71)
	नकदी और नकदी सम तुल्य (आरंभि क शेष) (IV)	478.68		783.39	
	नकदी और नकदी सम तुल्य (अंतिम शेष) (V)	93.28	(385.40)	478.68	(304.71)
	(कोष्ठक में दिए गए सभी आंकड़े बहिर्वाह को प्रदर्शित करते हैं।)				

निगमावलोकन

स्थिति रिपोर्ट

वित्तीय विवरण

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी)

नकदी प्रवाह स्थिति (प्रत्यक्ष विधि) (निरंतर)

नकद प्रवाह विवरणी पर टिप्पणी:

(₹ करोड़ में)

		31-03-2020 को वर्ष के समापन पर जमा शेष		31-03-2019 को वर्ष के समापन पर जमा शेष	
1.	**नकद और नकद समतुल्य**				
	हस्तगत नकद और बैंको में जमा शेष		15.79		109.78
	अल्पकालिक निवेश		77.49		368.90
	नकद और नकद समकक्ष		93.28		478.68
	विनिमय दर में परिवर्तन का प्रभाव		-		-
	नकद और नकद समतुल्य जैसा कि पुनर्वर्णित है		**93.28**		**478.68**

2. वर्ष के दौरान भुगतान कि या गया कुल कर to ₹ 1110.00 करोड़ (₹ 315.00 करोड़).

3. वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों में परिवर्तन :

31-03-2020 को समाप्त वर्ष के दौरान वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली परिसंपत्तियों और दयेताओं में बदलाव निम्नलिखित हैं

	31-03-2019 को	नकद प्रवाह	अन्य	31-03-2020 को
क. गैर-वर्तमान उधारियां [संदर्भ टिप्पणी संख्या - 18]	158.93	(6.62)	12.51	164.82
ख. लंबी अवधि के ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं [संदर्भ टिप्पणी संख्या - 20]	6.62	0.01	0.53	7.16
ख. अन्य ऋण (बैंक ओवरड्राफ्ट) [संदर्भ टिप्पणी संख्या - 18]	-	367.84	-	-
कुल	**165.55**	**361.23**	**13.04**	**171.98**

	31-03-2018 को	नकद प्रवाह	अन्य	31-03-2019 को
क. गैर-वर्तमान उधारियां [संदर्भ टिप्पणी संख्या - 18]	155.01	(6.19)	10.11	158.93
ख. लंबी अवधि के ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं [संदर्भ टिप्पणी संख्या - 20]	6.19	(0.39)	0.82	6.62
कुल	**161.20**	**(6.58)**	**10.93**	**165.55**

* विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन के कारण राशि शामिल है।

4. नकद और नकद समकक्षों में ऐसी कोई राशि शामिल नहीं है जो कंपनी को इसके उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है।

(रामबाबू पाठक)
कंपनी सचिव

मुहम्मद तसफ़ीन
प्रबंध संचालक
महाप्रबंधक (वित्त)

गौतम चंद्र डे
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-08725907

(प्रेम सागर मिश्रा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन-07379202

रिपोर्ट के अनुसार
कृते **जी.पी. अग्रवाल एंड कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन 302082E

सीए. राकेश कुमार सिंह
साझीदार
एम. सं. 066421

दिनांक: 10-06-2020
स्थान: सांकतोड़िया/ कोलकाता

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी 1 : कॉरपोरेट सूचना

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (कंपनी) 1 नवंबर 1975 को कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड (कोल इंडिया लिमिटेड का पुराना नाम) की पूर्वी डिवीजन में निहित परिसंपत्तियों और दयेताओं को अधिग्रहण करके 100 % कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की एक अनुषंगी इकाई के रूप में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में गठित हुई। कंपनी मुख्य रूप से कोयले के उत्पादन और बिक्री के व्यवसाय में लगी हुई है।

यह एक भारतीय कंपनी है और इसका पंजीकृत कार्यालय है - अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यालय, सांकतोड़िया, पोस्ट - दि शेरगढ़, जिला-पश्चिम बर्दवान, पिन- 713333।

टि प्पणी-2: महत्वपूर्ण लेखांकन नीति याँ

2.1 वित्तीय विवरण तैयार करने के आधार

कंपनी के वित्तीय विवरणों को, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधि सूचित भारतीय लेखा मानक (Ind AS) के अनुसार तैयार किया गया है।

निम्नलिखित को छोड़कर, वित्तीय विवरण मापन की ऐतिहासि क लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं:-

- उचित मूल्य पर मापी गयी कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां एवं दयेताएं (अनुच्छेद 2.15 में वित्तीय दस्तावेजों से संबंधित लेखांकन नीति देखें) ;
- परिभाषित लाभ योजनाए- उचित मूल्य पर मापी गयी योजनागत परिसंपत्तियां;
- लागत पर संपत्ति सूचि या एनआरवी, जो भी कम हो (देखें लेखांकन नीति अनुच्छेद 2.21)।

2.1.1 राशियों को पूर्ण अंकों में दर्शाना

जब तक अन्यथा संकेत नहीं किया गया हो, इन वित्तीय विवरणों में राशियों को दशमलव के दो अंको तक "रुपये करोड़ में" पूर्ण अंकों में दर्शाया गया है।

2.2 वर्तमान एवं गैर-वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी अपने तुलन-पत्र में वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियों एवं दयेताओं को प्रस्तुत करती है। कंपनी द्वारा किसी परिसंपत्ति को वर्तमान तब माना जाता है जब –

क) यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में परिसंपत्तियों की वसूली की अपेक्षा रखती हो अथवा उन्हें बेचने या इनका उपयोग करने की इच्छा रखती हो,

ख) कंपनी परिसंपत्ति यों को मूल रूप से व्या पार के उद्देश्य से रखती हो,

ग) रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के अंदर परिसंपत्ति की वसूली की अपेक्षा रखती हो, अथवा

घ) परिसंपत्ति नकद या एक नकद समतुल्य है (जैसा कि लेखा मानक 7 में परिभाषित किया गया है) जब तक कि परिसंपत्ति को अदला-बदली (एक्स चेंज) किए जाने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है या रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देयता का निपटान करने के लिए उपयोग किया जाता है। अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी द्वारा किसी देनदारी/देयता को वर्तमान के रूप में तब माना जाता है जब-

क) यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में देयता के निपटान की अपेक्षा रखती हो;

ख) इसकी देयता मुख्य रूप से कारोबारी उद्देश्य के लिए हो;

ग) रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के अंदर बकाया देयता का निपटान किया जाना, अथवा

घ) कंपनी के पास रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान को अस्वीकार करने का बिना शर्त अधिकार न हो। किसी देयता की शर्तें, जो प्रतिपक्ष के विकल्प पर हो सकती हैं, इक्विटी लिखत जारी करके इसके निपटान के परिणामस्वरूप इसके वर्गीकरण को प्रभावित न करती हों।

अन्य सभी दयेताओं को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2.3.1 राजस्व की मान्यता

ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी है, जिसका मुख्यालय सांकतोड़िया, प. बं., भारत में है। ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व को तब मान्य किया जाता है जब माल या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को ऐसी राशि पर हस्तांतरित किया जाता है जो उस विचार को दर्शाता है जिसके लिए कंपनी उन

वस्तुओं या सेवाओं के बदले हकदार होने की उम्मीद करती है। कंपनी ने साधारणतः यह निष्कर्ष निकाला है कि यह उसके राजस्व व्यवस्था का एक सिद्धांत है क्योंकि इससे ग्राहक को हस्तांतरित करने से पहले माल या सवेाओं को नियंत्रित करने का अधिकार प्राप्त होता है।

भारतीय लेखा मानक 115 में सिद्धांतों को निम्नलिखित पाँच चरणों का प्रयोग करते हुए लागू किया जाता है:

चरण 1: अनुबंध की पहचान:

केवल निम्नलिखित सभी मानदंडों के पूरा होने पर ही कंपनी किसी ग्राहक के साथ अनुबंध के लिए कंपनी उत्तरदायी है:

क) अनुबंध के पक्षकारों ने अनुबंध को मंजूरी दे दी हो और अपने संबंधित दायि त्वों को नि भाने के लि ए प्रतिबद्ध हों;

ख) कं पनी द्वा रा हस्तांत रित की जाने वाली वस्तु ओं एवं सेवाओं से संबंधित प्रत्येक पक्ष के अधि कारों की पहचान की जा सकती हो;

ग) कं पनी द्वा रा हस्तांत रित की जाने वाली वस्तु ओं एवं सेवाओं के लि ए भगु तान-शर्तों की पहचान की जा सकती है;

घ) अनुबंध में व्याव सायि क निहित र्थ (इस संविदा के परिण ामस्व रूप जोखिम , समय या कंपनी के भावी नकदी प्रवाह की मात्रा में परिवर्त न होने की संभावना है) मौजूद हों, और

ङ) यह संभव है कि ग्राहक को हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के बदले में कंपनी विवेचना करे जिसका कि उसे अधिकार है। विचार राशि, जिसके लिए कि कंपनी को अधिकार है, अनुबंध में लिखित कीमत से कम या अधिक हो सकती है। विचार राशि में अंतर हो सकता है क्योंकि कंपनी ग्राहक को मूल्य रियायत, छूट, धनवापसी, क्रेडिट या प्रोत्साहन, निष्पादन बोनस आदि का प्रस्ताव दे सकती है।

अनुबंधों का संयोजन

यदि निम्नलिखित मानदंडों में से एक या अधिक पाये जाते हैं तो कंपनी एक ही ग्राहक (या ग्राहक से संबंधित पक्षों) के साथ, एक ही समय में या उसके आसपास हुए दो या दो से अधिक अनुबंधों को एक साथ मिला सकती है और इस अनुबंध को एकल अनुबंध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है:

क) यदि इन अनुबंधों को एक एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एक पैकेज के रूप में माना गया हो;

ख) यदि एक अनुबंध में भुगतान किए जाने वाली विचारित-राशि, अन्य अनुबंध के मूल्य या निष्पादन पर निर्भर हो, या

ग) यदि अनुबंध में दी गयी वस्तुएं या सेवाएं (या प्रत्येक अनुबंध में दी गयी कुछ वस्तुएं या सेवाएं) एक एकल निष्पादन दायित्व से संबंधित हो।

अनुबंध संशोधन

यदि निम्नलिखित दोनों स्थितियां मौजूद रहती है तो कंपनी किसी अनुबंध को अलग-अलग अनुबंध के रूप में परिभाषित कर सकती है:

क) यदि दी गयी विशिष्ट वस्तुओं एवं सेवाओं में कुछ इजाफा होने के कारण अनुबंध का दायरा बढ़ जाय और

ख) यदि अनुबंध-मूल्य विचारित-राशि तक बढ़ जाता है, जिसे वस्तुओं एवं सेवाओं के अतिरिक्त कंपनी स्वचालित (स्टैंड-अलोन) बिक्री मूल्य और उस कीमत के किसी भी उपयुक्त समायोजन की परिस्थितियों लिए विशेष अनुबंध में दर्शाया गया है

चरण 2: निष्पादन दायित्वों की पहचान:

अनुबंध के आरंभ में, कंपनी ग्राहक के साथ मिलकर अनुबंध में दी गयी वस्तुओं या सेवाओं का आकलन करती है और ग्राहक को हस्तांतरण करने के लिए प्रत्येक वादा एक निष्पादन दायित्व के रूप में पहचान करती है या तो:

क) एक विशिष्ट वस्तु या सेवा (या वस्तुओं या सेवाओं का एक समूह) या

ख) अलग-अलग वस्तुओं या सेवाओं की एक श्रृंखला जो काफी हद तक समान हैं और जिनके पास ग्राहक को हस्तांतरण का एक ही तरीका है।

चरण 3: लेनदेन मूल्य का निर्धारण

लेन-देन का मूल्य निर्धारित करने के लिए कंपनी अनुबंध की शर्तों और इसकी व्यावसायिक प्रथाओं पर विचार करती है। लेन-देन की कीमत वह विचारित-राशि है, जिसे तृतीय पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशियों को छोड़कर, वादा किए गए वस्तुओं एवं सेवाओं को स्थानांतरित करने के लिए कंपनी को यह उम्मीद होती है कि वह विनिमय में हकदार होगी।

लेन-देन की कीमत निर्धारित करते समय, कंपनी निम्नलिखित सभी पक्षों के प्रभावों पर विचार करती है:

- परिवर्तनशील विचार
- परिवर्तनशील विचार का बाध्यता अनुमान
- महत्वपूर्ण वित्तीय घटक का अस्तित्व
- गैर-नकद विचार
- किसी ग्राहक को देय राशि का विचार

छूट, रिफंड, क्रेडिट, मूल्य, रियायतें, प्रोत्साहन, निष्पादन बोनस या अन्य समान वस्तुओं के कारण विचार राशि भिन्न हो सकती है। वादा की गयी विचार राशि भी भिन्न हो सकती है यदि कंपनी का विचार करने का अधिकार किसी भावी घटना या गैर-घटना के आधार पर निर्भर हो।

कुछ अनुबंधों में, दंड निर्धारित हैं। ऐसे मामलों में, अनुबंध के तत्व के आधार पर दंड आधारित होता है। जहां लेनदेन के निर्धारण में जुर्माना निहित है, वहां यह परिवर्तनशील विचार का हिस्सा होता है।

कंपनी में केवल 'अनुमानित चर विचार' के कुछ या सभी लेनदेन मूल्य उस हद तक शामिल हैं, जबकि इसकी अत्यधिक संभावना हो कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की मात्रा में कोई महत्वपूर्ण रिवर्सल तब तक नहीं होगा जब तक कि 'चर विचार' के साथ जुड़ी अनिश्चितता दूर नहीं होती।

कंपनी तब तक एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के प्रभावों के लिए चर विचार वादा की राशि को समायोजित नहीं करती है, जब तक अनुबंध के आरंभ में यह अपेक्षित हो कि इस अवधि के दौरान वादा की गयी वस्तुओं एवं सेवाओं को एक ग्राहक को हस्तांतरित किया जा सकता है और ग्राहक उस वस्तु या सेवा के लिए एक वर्ष या उससे कम समय के अंदर भुगतान कर सकता है।

यदि कंपनी ग्राहक से विचार प्राप्त करती है और कुछ या सभी चर विचार ग्राहक को रिफंड करने की अपेक्षा करती है तो कंपनी धनवापसी दायित्व को स्वीकार कर लेती है। धनवापसी दायित्व की गणना उस चर विचार प्राप्त (या प्राप्य) राशि के आधार पर की जाती है, जिसके लिए कंपनी को हकदार होने की उम्मीद नहीं है (अर्थात जो राशि लेन-देन मूल्य में शामिल नहीं है)। लेन-देन मूल्य में रिफंड देयता तथा चर विचार परिवर्तन है और इसलिए परिस्थितियों में बदलाव के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुबंध देयता को अद्यतन किया जाता है।

अनुबंध होने के बाद, अनिश्चित घटनाओं या परिस्थितियों में वैसा परिवर्तन जिससे चर विचार की राशि में परिवर्तन होता हो, के संकल्प सहित विभिन्न कारणों से लेनदेन की कीमत बदल सकती है, जिसमें कंपनी को उम्मीद है कि वह वादा की गयी वस्तुओं या सेवाओं के विनियम में हकदार होगी।

चरण 4: लेनदेन राशि का आवंटन:

कंपनी का उद्देश्य है कि लेन-देन मूल्य आवंटित करते समय किसी राशि में प्रत्येक निष्पादन दायित्व (या विशिष्ट वस्तु या सेवा) के लिए लेनदेन मूल्य आवंटित किया जाय, जो चर विचार की मात्रा को दर्शाती है और जिसके लिए कंपनी ग्राहक से वादा किए गए वस्तु या सेवाओं को स्थानांतरित करने के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है।

एक सापेक्ष स्वचालित विक्रय मूल्य के आधार पर प्रत्येक निष्पादन दायित्व हेतु लेनदेन मूल्य आवंटित करने के लिए, कंपनी अलग-अलग वस्तु या सेवा के अंत में अनुबंध की स्थापना पर स्वचालित (स्टैंड-अलोन) विक्रय मूल्य निर्धारित करती है, जो अनुबंध में प्रत्येक निष्पादन दायित्व के तहत आता है और उन स्वचालित बिक्री मूल्य के अनुपात में लेनदेन की कीमत आवंटित की जाती है।

चरण 5: राजस्व की पहचान:

जब (या के रूप में) कंपनी किसी ग्राहक को वादा की गयी वस्तु एवं सेवा को हस्तांतरित कर उसके निष्पादन दायित्व से संतुष्ट होती है तो वह राजस्व की मान्यता करती है। ग्राहक द्वारा नियंत्रण प्राप्त करने पर (या के रूप में) किसी वस्तु या सेवा को हस्तांतरित किया जाता है।

कंपनी समय के साथ किसी वस्तु या सेवा के नियंत्रण को हस्तांतरित करती है और इसलिए, यदि निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक के पूरा होने पर ही, समय के साथ किसी निष्पादन दायित्व और राजस्व को स्वीकृत किया जाता है:

क) यदि कंपनी के निष्पादन के अनुसार ग्राहक कंपनी के निष्पादन से लाभ प्राप्त करता है और उसका उपभोग करता है।

ख) यदि कंपनी के निष्पादन से परिसंपत्ति का सृजन या वृद्धि होती है और इस सृजन या वृद्धि पर ग्राहक का नियंत्रण हो।

ग) यदि कंपनी किसी वैकल्पिक साधन का उपयोग करते हुए अपने निष्पादन से किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करती है और कंपनी के पास उस तिथि तक पूरे किए गए निष्पादन का भुगतान करने का अधिकार हो।

कंपनी समय-समय पर संतुष्ट प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए, उस तिथि तक इस दिशा में हुई प्रगति का मापन करके राजस्व को मान्य करती है।

कंपनी, प्रत्येक संतुष्ट निष्पादन दायित्व की प्रगति को मापने के लिए एकल मापक विधि का पालन करती है और समान निष्पादन दायित्वों और समान परिस्थितियों में इसी पद्धति का नियमित रूप से पालन करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, पूर्ण संतुष्टि के लिए कंपनी अपने निष्पादन दायित्व की प्रगति को पुन: मापती है।

कंपनी, अनुबंध के तहत वादा की गई शेष वस्तुओं या सेवाओं के सापेक्ष तिथि को हस्तांतरित ग्राहक के मूल्य के प्रत्यक्ष माप के आधार पर राजस्व मान्यता करने के लिए आउटपुट विधि का पालन करती है। आउटपुट विधियों में उक्त तिथि तक के निष्पादन - सर्वेक्षण, प्राप्त परिणाम के मूल्यांकन, नए बनाए गए रिकॉर्ड (milestones), बीते समय तथा उत्पादित या सौंपी गई इकाइयां जैसी विधियों का शामिल किया जाता है।

कंपनी, समय के साथ-साथ अपनी प्रगति के माप को अद्यतन करती रहती है, ताकि यदि कोई परिवर्तन हो तो उसे निष्पादन दायित्व में दर्शाया जा सके और इस परिवर्तन को भारतीय लेखा मानक 8, लेखा नीतियों, लेखांकन अनुमानों एवं त्रुटियों में परिवर्तन के आलोक में परिवर्तन के रूप में शामिल किया जाता है।

कंपनी, यदि निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में इसकी प्रगति को यथोचित तरीके से माप सकती है तो उस समय तक के लिए संतुष्ट निष्पादन दायित्व के राजस्व को स्वीकारती है। जब (या के रूप में) कोई निष्पादन दायित्व संतोषजनक होता है, तो कंपनी लेनदेन-मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में स्वीकार करती है (जिसमें चर विचार के अनुमान को शामिल नहीं किया जाता है, जो उस निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित किए गए हैं)।

यदि समय के साथ कोई निष्पादन दायित्व संतोषजनक नहीं है, तो कंपनी एक समय सीमा के अंदर इसे संतोषजनक बनाने का प्रयास करती है। उस समय सीमा को निर्धारित करने के लिए जब वादा की गयी किसी वस्तु एवं सेवा पर एक ग्राहक का अपना नियंत्रण स्थापित हो जाता है और कंपनी निष्पादन दायित्व से संतुष्ट हो जाती है, तो कंपनी नियंत्रण के हस्तांतरण के संकेतक पर विचार करती है, जिसमें एक सीमा तक निम्नलिखित शर्तें शामिल हैं:

क) कंपनी के पास वस्तु या सेवा के भुगतान का अधिकार है;

ख) ग्राहक के पास वस्तु या सेवा का स्वामित्व है;

ग) कंपनी ने वस्तु या सेवा के भौतिक कब्जे को हस्तांतरित कर दिया है;

घ) ग्राहक के पास वस्तु या सेवा के स्वामित्व का महत्वपूर्ण जोखिम और पारितोषिक हैं;

ङ) ग्राहक ने वस्तु या सेवा को स्वीकार किया है।

जब कोई भी पक्ष किसी अनुबंध का निष्पादन करता है, तो कंपनी अपने तुलन-पत्र में उक्त अनुबंध को अनुबंध परिसंपत्ति या अनुबंध देयता के रूप में शामिल करती है, जो कंपनी के कार्य-निष्पादन त तथा ग्राहक के भुगतान के संबंध पर आधारित होता है। कंपनी अलग से किसी भी बिना शर्त विचारित अधिकार को प्राप्य के रूप में दर्शाती है।

अनुबंध संपत्ति

एक अनुबंध परिसंपत्ति, ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के लिए चर विचार का अधिकार है। अगर कंपनी ग्राहक के चर विचार करने या भुगतान करने से पहले किसी वस्तु या सेवाओं को स्थानांतरित करके निष्पादन करती है तो सशर्त रूप से अर्जित विचार के लिए अनुबंध परिसंपत्ति को मान्यता दी जाती है।

व्यापार प्राप्य

एक प्राप्य राशि प्रदर्शित करती कि किसी विचारित राशि पर कंपनी का बिना शर्त अधिकार है। (यानी, विचारित राशि के बकाया भुगतान से पहले केवल समय बीतने की आवश्यकता है)।

अनुबंध देयताएं

एक अनुबंध दायित्व किसी ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं को हस्तांतरित करने का दायित्व है, जिसके लिए कंपनी को ग्राहक से चर विचार प्राप्त हुआ है (या चर विचार की राशि बकाया है)। कंपनी द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं को हस्तांतरित करने से पहले यदि कोई ग्राहक चर विचार करता है और जब भुगतान किया जाता है या देय होता है (जो भी पहले हो) तो किसी अनुबंध देयता को मान्यता दी जाती है। जब कंपनी अनुबंध के तहत कार्य-निष्पादन करती है तो अनुबंध देयताओं को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.3.2 ब्याज:

प्रभावी ब्याज पद्धति का प्रयोग कर ब्याज से प्राप्त आय की पहचान की जाती है।

2.3.3 लाभांश

निवेशों से प्राप्त लाभांश की आय की पहचान तब की जाती है जब भुगतान प्राप्त करने के अधिकार स्थापित हो जाता है।

2.3.4 अन्य दावे:

अन्य दावों (उपभोक्ताओं से विलंबित वसूली पर मिले ब्याज सहित) का लेखांकन वसूली की निश्चितता तथा उसके मूल्यांकन की वास्तविकता होने पर ही किया जाता है।

2.4 सरकारी अनुदान/सहायता

सरकारी अनुदान तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक पर्याप्त आश्वासन न हो कि कंपनी इसके साथ संलग्न शर्तों को पूरा करेगी तथा पर्याप्त निश्चितता न हो कि अनुदान प्राप्त होगा।

लाभ-हानि विवरणी में अवधि के दौरान नियमित आधार पर सरकारी अनुदान/सहायता स्वीकार की जाती है जिसमें कंपनी संबंधित लागत को खर्चे के रूप में मानती है जिसके लिए अनुदान से उसकी प्रतिपूर्ति की अपेक्षा रहती है।

आस्थगित आय के रूप में अनुदान समायोजन द्वारा परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान/सहायता को तुलन-पत्र में दर्शाया गया है और परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन की तुलना में योजनाबद्ध आधार पर लाभ-हानि के विवरणी में दर्शाया गया है।

आय से संबंधित अनुदान (यानी परिसंपत्ति के अलावा अन्य से संबंधित अनुदान) को 'अन्य आय' शीर्ष के अंतर्गत लाभ हानि विवरण के एक हिस्सा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

एक सरकारी अनुदान जो कुल ख़र्च में हानियों के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त होता है जो पहले ही ख़र्च हो चुके हैं या कंपनी को तत्काल वित्तीय मदद पहुंचाने के लिए दिए जाते हैं जिनमें भविष्य से संबंधित लागत नहीं है, उस अवधि के लिए लाभ तथा हानि में मान्यता प्राप्त हैं जिसके लिए वे प्राप्य होते हैं।

सरकारी अनुदान अथवा प्रोत्साहन की प्रकृति के रूप में योगदान को सीधे ''कैपिटल रिजर्व'' में स्वीकार किया जाता है जो "शेयर होल्डर निधि" का एक भाग है।

2.5 पट्टा

एक वित्तीय पट्टा वह पट्टा है जिसमें किसी संपत्ति के मालिकाना हक़ से संबंधित सभी जोखिमों तथा पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित किया जाता है। इसमें अंततः स्वामित्व का हस्तांतरण हो भी सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है।

2.5.1 पट्टेदार के रूप में कंपनी:

कोई पट्टा स्थापना की तारीख को ही वित्तीय पट्टा या परिचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है

वित्तीय पट्टों को पट्टों की शुरुआत के समय पट्टे की संपत्ति के उचित मूल्य पर, या कम होने पर, लीज भुगतान के वर्तमान मूल्य के रुप में पूंजीकृत किया जाता है। पट्टा भुगतान वित्त प्रभार और पट्टा देयता में कमी के बीच विभाजित किया जाता है ताकि देयता के शेष पर लगातार आवधिक ब्याज दर प्राप्त हो सके।

लाभ और हानि विवरणी में वित्तीय प्रभार को वित्तीय लागतों में मान्यता दी जाती है, जब तक कि वे सीधे योग्य संपत्ति के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं, उस स्थिति में उन्हें उधार की लागतों पर कंपनी की सामान्य नीति के अनुसार पूंजीकृत किया जाता है

पट्टे पर दी गयी किसी संपत्ति का मूल्यह्रास संपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर होता है। हालांकि, यदि इसकी कोई उचित निश्चितता नहीं हो कि कंपनी पट्टे की अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त करेगी, तो परिसंपत्ति का मूल्यह्रास संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन और पट्टा अवधि से कम पर किया जाती है।

2.5.2 पट्टेदाता के रूप में कंपनी

एक परिचालन पट्टा वह पट्टा जो वित्तीय पट्टे के अतिरिक्त है।

मोल-भाव तथा परिचालन पट्टा की व्यवस्था करने में हुए प्रारंभिक सीधे खर्चों को पट्टे पर दे दी गई परिसंपत्ति की वहन राशि (Carrying amount) में जोड़ दिया जाता है तथा पट्टा आय के तरह ही उसी आधार पर प्रारंभिक पट्टे में खर्च के रूप में स्वीकार किया जाता है।

परिचालन पट्टा - परिचालन पट्टों से पट्टा आय को (बीमा एवं अनुरक्षण जैसी सेवाओं के लिए राशि को छोड़कर) पट्टे की अवधि में जब तक निम्नलिखित में से कोई न हो, तो सीधे तौर पर आय में स्वीकार किया जाता है:

वित्तीय पट्टे - वित्तीय पट्टे के तहत पट्टों की बकाया राशि पट्टे में कंपनी के शुद्ध निवेश में प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है। वित्तीय पट्टे की आय को लेखांकन अवधि में आवंटित किया जाता है ताकि पट्टे के संबंध में शुद्ध बकाया निवेश पर लगातार सावधि वापसी की दर प्रतिबिंबित हो।

2.6 बिक्री के लिए रखी गयी गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

कंपनी गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों को वर्गीकृत करती है एवं / या बिक्री के लिए रखे गए निपटाने वाले समूह के वहन राशि (Carrying amount) की वसूली मूल रूप से लगातार उपयोग करते रहने के बजाए बिक्री के जरिए हो जाती है। बिक्री के लिए पूरी की जाने वाली आवश्यक कार्रवाइयों से यह ज्ञात होना चाहिए कि इसकी संभावना नहीं है कि बिक्री में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे अथवा यह कि बिक्री करने के निर्णय को वापस ले लिया जाएगा। प्रबंधन को वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के अंदर अपेक्षित बिक्री के लिए अनिवार्य रूप से प्रतिबद्ध होना चाहिए।

जब विनिमय में व्यावसायिक सामग्री है तो इस मुद्दे के लिए बिक्री लेन-देन में अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के लिए गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों का विनिमय शामिल होगा। बिक्री वर्गीकरण हेतु मान्य मानदंडों को केवल तभी पूरा किया जाता है जब परिसंपत्तियों अथवा निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में तुरंत बिक्री हेतु उपलब्ध रहें इस शर्त के साथ कि वह ऐसी परिसंपत्तियों (अथवा निपटान समूह) की बिक्री के लिए एवं प्रथागत/प्रचलित हो। इसकी बिक्री की अत्यधिक संभावना है तथा इसे वास्तव में बेचा जाएगा न कि परित्याग किया जाएगा। कंपनी परिसंपत्ति अथवा निपटान समूह की बिक्री की अत्यधिक संभावना को तभी मानती है जब :

- एक उचित स्तरीय प्रबंधन परिसंपत्ति (अथवा निपटान समूह) को बेचने की योजना के लिए प्रतिबद्ध हो,
- खरीददार का पता लगाने तथा योजना को पूरा करने हेतु एक कारगर कार्यक्रम की पहल की गई हो,
- वर्तमान उचित मूल्य की तुलना में समुचित मूल्य पर बिक्री हेतु परिसंपत्ति (अथवा निपटान समूह) के लिए सक्रिय रूप से बाजार ढूंढा जा रहा हो,
- वर्गीकरण तिथि से एक वर्ष के अंदर संपूरित बिक्री के रूप में मान्यता हेतु बिक्री की अर्हता पूरी हो, और
- योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों से यह संकेत मिलता है कि यह संभव नहीं है कि योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे या योजना को वापस ले लिया जाएगा।

2.7 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई)

भूमि ऐतिहासिक लागत (कीमत) पर ली गई ऐतिहासिक लागत में वह व्यय भी शामिल है जो संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए रोजगार के बदले पुनर्वास खर्च, पुनर्वास लागत और क्षतिपूर्ति आदि जैसे भूमि के अधिग्रहण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है।

पहचान के बाद, अन्य सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के किसी आइटम को लागत मॉडल के तहत किसी संचित अवमूल्यन एवं किसी संचित क्षतिकर नुकसानों को घटाकर इसकी लागत पर वहन किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी आइटम की लागत में निम्नलिखित शामिल हैं:-

क) इसका खरीद मूल्य, व्यावसायिक छूट घटाने के बाद आयात शुल्क एवं गैर-वापसी योग्य खरीद-कर शामिल।

ख) किसी भी लागत को प्रबंधन द्वारा निर्दिष्ट तरीके से परिचालन हेतु सक्षम बनाने के लिए आवश्यक स्थान तथा स्थिति तक परिसंपत्ति को लाने में प्रत्यक्ष कारक।

ग) सामानों के पुरजे खोलकर पृथक करने तथा निर्धारित स्थान पर इनके भंडारण के लिए लगी लागत का प्रारंभिक प्राक्कलन जिसके दायित्व को कंपनी अपने ऊपर लेती है जब इस उद्देश्य के लिए आइटम की जरूरत पड़ती है या उस अवधि के दौरान सामान-सूची को प्रस्तुत करने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किसी खास अवधि के दौरान उसके किए गए उपयोग के परिणाम को समझती है।

जिस आइटम का अलग से मूल्य ह्रास हुआ है, उसकी कुल लागत से संबंधित लागत सहित संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के किसी आइटम का प्रत्येक भाग महत्वपूर्ण है। हालांकि, पीपीई के एक आइटम के महत्वपूर्ण भाग (भागों) में समान उपयोगी जीवन और मूल्य ह्रास विधि को मूल्य ह्रास शुल्क निर्धारित करने के साथ एक साथ समीकृत किया जाता है।

मरम्मत और रख-रखाव के लिए उल्लिखित दिन-प्रतिदिन की सर्विसिंग की कीमतें, जो उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त हैं, जिसमें उस पर खर्च किया जाता हो।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद की कुल लागत से संबंधित महत्वपूर्ण भागों को बदलने के बाद की कीमत मद के वहन राशि (Carrying amount) में स्वीकार किए जाते हैं, अगर यह संभव है कि आइटम से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और आइटम की लागत विश्वसनीयता से मापा जा सकता है। तो जिन भागों को विस्थापित किया गया है, उनमें वहन राशि को नीचे उल्लिखित अस्वीकरण नीति के अनुसार अस्वीकृत किया जाता है।

जब बड़े निरीक्षण किए जाते हैं, तो इसकी कीमत संपत्ति, प्लांट और उपकरण के सामान के प्रतिस्थापन राशि के रूप में पहचानी जाती है, यदि यह संभावित है कि आइटम से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और आइटम की लागत विश्वसनीयता उसे मापा जा सकता है। पिछले निरीक्षण (भौतिक भागों से अलग) की लागत का कोई शेष वहन राशि (Carrying Amount) को अस्वीकार कर दिया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का एक हिस्सा को निपटान पर अथवा जब संपत्ति के निरंतर उपयोग से भविष्य के किसी भी आर्थिक लाभ की उम्मीद होती है अस्वीकृत किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के इस तरह के अस्वीकरण के कारण किसी लाभ या हानि को लाभ एवं हानि में स्वीकार किया जाता है।

परिसंपत्ति, संयंत्र अथवा उपकरण पर मूल्यह्रास फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर परिसंपत्ति के उपयोगी आकलित जीवन के सीधी रेखा आधार पर आदर्श लागत के अनुसार उपलब्ध कराया गया है जो निम्नलिखित हैं –

अन्य भूमि

(पट्टाधारित भूमि सहित)	:	परियोजना अवधि अथवा पट्टा अवधि जो कम हो
बिल्डिंग	:	3-60 वर्ष
सड़कें	:	3-10 वर्ष
दूर संचार	:	3-9 वर्ष
रेलवे साइडिंग	:	15 वर्ष
संयंत्र एवं उपकरण	:	5-15 वर्ष
कंप्यूटर एवं लैपटॉप	:	3 वर्ष
कार्यालय के	:	3-6 वर्ष
फर्नीचर एवं इससे जुड़ी वस्तुएं	:	10 वर्ष
वाहन	:	8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर प्रबंधन का मानना है कि ऊपर दी गयी उपयोगी जीवन उस अवधि का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है जिसपर प्रबंधन को परिसंपत्ति का उपयोग करने की उम्मीद है। इसलिए संपत्ति के उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची-II के भाग ग में निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न हो सकते हैं।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अपशिष्ट मूल्य संपत्तियों की मूल लागत का 5% माना जाता है, जैसे कि कोयला टब, बाइंडिंग रस्सा, हॉलेज रस्सा, स्टोविंग पाइप और सुरक्षा लैंप आदि जैसी परिसंपत्तियों की कुछ वस्तुओं को छोड़कर, जिसके लिए तकनीकी रूप से अनुमानित उपयोगी जीवन शून्य अपशिष्ट मूल्य के साथ एक वर्ष होना निर्धारित किया गया है।

वर्ष के दौरान ख़रीदने व बेची गई पर संपत्ति पर मूल्य ह्रास आनुपातिक आधार पर ख़रीदे बेचे जाने के माह के संदर्भ में उपलब्ध कराया गया है।

'अन्य भूमि' के मूल्य में वह भूमि शामिल है जो कोयला धारित क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) (सीबीए) अधिनियम, 1957, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 एवं भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार (RFCTLAAR) अधिनियम, 2013, सरकारी जमीन का दीर्घावधि हस्तांतरण आदि के तहत अधिग्रहीत की गई है जिसे परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधित किया जाता है तथा पट्टाधारित भूमि के मामले में इस प्रकार के परिशोधन परियोजना की पट्टे की अवधि अथवा शेष जीवन, जो कम है, पर आधारित होता है।

पूरी तरह से मूल्य ह्रास हो चुकी परिसंपत्तियां, जिनका सक्रिय उपयोग बंद हो चुका है, को अप्रयोज्य (सर्वे-ऑफ) परिसंपत्तियों के रूप में परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के तहत इसके अपशिष्ट मूल्य पर अलग से प्रकट किए जाते हैं और इन्हें क्षति के रूप में माना जाता है।

उत्पादन, सामानों की आपूर्ति अथवा कंपनी की किसी वर्तमान परिसंपत्ति तक पहुंच के लिए आवश्यक किसी खास परिसंपत्ति के निर्माण/विकास पर कंपनी द्वारा किए गए पूंजीगत खर्चो को परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के तहत परिसंपत्तियों को सक्षम/सक्रिय बनाने के रूप में स्वीकार किया जाता है।

भारतीय लेखा मानक में संक्रमण

लागत मॉडल के अनुसार कंपनी ने वहन मूल्य जारी रखने का निर्णय लिया है (पिछले **जीएएपी** के अनुसार भारतीय लेखा मानकों के संक्रमण की तिथि को आंके गए वित्तीय विवरणों में मान्य अपने सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए)।

2.8 खदान बंदी, भूमि पुनरुद्धार एवं करारों को समाप्त करना

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सरफेस एवं भूमिगत दोनों खानों के लिए बनी संरचनाओं को समाप्त/बंद करने एवं भूमि पुनरुद्धार का दायित्व कंपनी का है। कंपनी खान बंदी, भूमि पुनरुद्धार एवं करारों/ दायित्वों की समाप्ति के लिए आवश्यक कार्य में लगने वाली धनराशि एवं समय तथा भविष्य में नकद खर्च के विस्तृत तकनीकी आकलन एवं गणना के आधार पर अपने दायित्व का आकलन करती है। खदान बंदी खर्च अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार ही प्रदान किया जाता है। मुद्रास्फीति के लिए खर्चो के आकलन को तेज किया जाता है और तब छूट की दर पर छूट दी जाती है जो वर्तमान बाजार मूल्य एवं जोखिम के निर्धारण को इस प्रकार प्रतिबिंबित करती है कि प्रावधान की गयी राशि दायित्व निपटारे के लिए अपेक्षित आवश्यक खर्चो के वर्तमान मूल्य को प्रतिबिंबित करे। कंपनी पूर्णरूपेण पुनरुद्धार तथा खदान बंदी के दायित्व से जुड़ी समरूप परिसंपत्ति का रिकार्ड रखती है। दायित्व एवं समरूप परिसंपत्ति की पहचान उसी अवधि में की जाती है जिसमें देयता उत्पन्न होती है। खदान बंदी योजना के अनुसार भूमि पुनर्स्थापन की कुल लागत को निरूपित करने वाली परिसंपत्ति (जैसा कि सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड में प्राक्कलित किया गया है) को **पीपीई** में एक अलग मद के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है तथा परियोजना/खान के शेष जीवन के लिए परिशोधित किया जाता है।

प्रावधान का मूल्य समय से समय के साथ-साथ उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है क्योंकि छूट में कमी होती जाती है, जिसमें एक ख़र्च कर सृजन होता है तथा वित्तीय व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

इसके अलावा, अनुमोदित खान बंदी योजना के अनुसार इस उद्देश्य के लिए एक विशिष्ट एस्क्रो फंड खाता का रखरखाव किया जाता है।

कुल खदान बंदी बाध्यता के हिस्से के रूप में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर किए गए प्रगतिशील खदान बंद करने के खर्च को शुरू में एस्क्रो खाते से प्राप्य माना जाता है और उसके बाद उस वर्ष में दायित्व के साथ समायोजित किया जाता है जिसमें प्रमाणित एजेंसी की सहमति के बाद राशि वापस ले ली जाती है।

2.9 अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ

अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों में पूंजीगत लागत शामिल होती है जो कोयले और संबंधित संसाधनों की खोज, तकनीकी व्यवहार्यता के लंबित निर्धारण तथा पहचान किए गए संसाधन की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आकलन के लिए जिम्मेदार होती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

- शोध और ऐतिहासिक अन्वेषण डाटा का विश्लेषण;
- स्थलाकृतिक, भू-रासायनिक एवं भू-भौतिकी अध्ययनों के जरिए अन्वेषण के आँकड़ों को एकत्रित करना।
- अन्वेषणात्मक भू-वेधन, खंदक खुदाई और नमूना संग्रहण।
- संसाधनों की मात्रा एवं श्रेणी का निर्धारण एवं परीक्षण।
- परिवहन एवं संरचनात्मक आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करना।
- बाजार और वित्तीय अध्ययनों का आयोजन।

उपर्युक्त में कर्मचारियों का मानदेय, वस्तुओं की कीमत एवं प्रयुक्त ईंधन, ठेकेदारों आदि का भुगतान शामिल है।

चूंकि अप्रत्यक्ष संघटक होने वाली समग्र अनुमानित प्रत्यक्ष लागतों का एक निरर्थक एवं पृथक विचार न करने योग्य भाग को प्रस्तुत करता है जिसकी पूर्ति भावी उपयोग से की जाने की अपेक्षा है, इसलिए अन्य पूंजीकृत अन्वेषणात्मक खर्चो के साथ इन खर्चो को अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों के रूप में रिकार्ड किया जाता है।

परियोजना की तकनीकी संभाव्यता एवं व्यावसायिक उपयोगिता के निर्धारण को लंबित रखते हुए परियोजना द्वारा परियोजना के आधार पर अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागतों को पूंजीकृत किया जाता है तथा गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत अलग लाइन आइटम के रूप में प्रकट किया जाता है। बाद में उन्हें संचित प्रावधान से कम लागत पर मापा जाता है।

एक बार जब प्रमाणित भंडार का निर्धारण कर लिया जाता है एवं खदानों/परियोजना के विकास के लिए स्वीकृति दे दी जाती है तो पूंजीगत चालू कार्य के तहत अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों को ''विकास'' के लिए स्थानांतरित कर दिया जाता है हालांकि यदि प्रमाणित भंडार का निर्धारण नहीं किया जाता है, तो अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति को अमान्य कर दिया जाता है।

2.10 विकास खर्च

जब प्रमाणित भंडार का निर्धारण कर लिया जाता है तथा खानों/परियोजना के विकास की स्वीकृति दे दी जाती है, तो "विकास" मद के अंतर्गत पूंजीकृत अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है। बाद के सभी विकास खर्चो को पूंजीकृत किया जाता है। पूंजीगत विकास व्यय, विकास के चरण के दौरान निकाले गए कोयले की बिक्री से प्राप्त आय का शुद्ध होता है।

व्यावसायिक परिचालन

परियोजना/खदानों से राजस्व प्राप्त होता है; जब परियोजना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लिखित शर्तों के आधार पर अथवा निम्नलिखित कसौटियों के आधार पर परियोजना/खदान व्यावसायिक तौर पर टिकाऊ होने के आधार पर उत्पादन करने के लिए तैयार हो जाती है -

(क) अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट के अनुसार निर्धारित क्षमता का 25% वास्तविक उत्पादन जिस वर्ष परियोजना से होता है, उस वर्ष के तुरंत बाद वाले वित्तीय वर्ष की शुरूआत से, अथवा

(ख) कोयला तक पहुंचने के दो वर्ष बाद, अथवा

(ग) उस वर्ष के बाद वाले वित्तीय वर्ष की शुरूआत से जिस वर्ष में उत्पादन का मूल्य कुल खर्चो से अधिक होता है।

उपर्युक्त में से जो भी पहले घटित हो।

राजस्व प्राप्त होना आरंभ होने पर, चालू पूंजीगत कार्य के तहत परिसंपत्तियों को "अन्य खनन आधारभूत संरचना" नामावली के तहत संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के संघटक के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। अन्य खनन आधारभूत संरचना को उस वर्ष से परिशोधित किया जाता है जब खदान को 20 वर्षों या परियोजना का कामकाजी जीवन जो भी कम हो, में राजस्व के अधीन लाया जाता है।

2.11 अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां

अलग से अधिग्रहीत की गई अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों को प्रारंभिक लागत पर मापा जाता है। व्यावसायिक संगठन में अधिग्रहीत अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों की लागत अधिग्रहण की तिथि को उनका उचित मूल्य होता है। प्रारंभिक मान्यता का अनुसरण करते हुए अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों को किसी संचित परिशोधन (उनके उपयोगी जीवन काल के दौरान स्ट्रेट लाइन आधार पर परिकलित) एवं संचित हानिकरण क्षति, यदि कोई है, से कम लागत पर लिये जाते हैं।

पूंजीगत विकास लागत को छोड़कर आंतरिक रूप से सृजित अप्रत्यक्ष/अमूर्त परिसंपत्तियों को पूंजीकृत नहीं किया जाता है। बल्कि संबंधित व्यय को लाभ हानि विवरण एवं जिस अवधि में खर्च हुआ है, उस अवधि में अन्य व्यापक आय में स्वीकार किया जाता है। अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन का निर्धारण सीमित या असीमित के रूप में किया जाता है। सीमित जीवन वाली प्रत्यक्ष परिसंपत्तियों को उनके उपयोगी आर्थिक जीवन के दौरान परिशोधित कर दिया जाता है तथा जब कभी यह संकेत होता है कि अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति हानिकर हो सकती है, तो इसके हानिकरण के लिए मूल्यांकन किया जाता है। सीमित उपयोगी जीवन सहित किसी अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति के लिए हानिकरण अवधि एवं हानिकरण विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन अथवा परिसंपत्ति में सम्मिलित भावी आर्थिक लाभों के उपयोग के अपेक्षित तरीकों में परिवर्तनों के लिए परिशोधन अवधि अथवा विधि में यथोचित संशोधन पर विचार किया जाता है। जिसे लेखाकरण प्राक्कलनों में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। सीमित जीवन के साथ अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों पर परिशोधन व्यय को लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

असीमित उपयोगी जीवन के साथ किसी अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति को परिशोधित नहीं किया जाता है बल्कि प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को इसके हानिकरण की जांच की जाती है।

किसी अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति के अस्वीकरण से होने वाले फायदे एवं नुकसान को परिसंपत्ति के निवल निपटान लाभ एवं वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है और जो लाभ-हानि विवरण में मान्य होता है।

बाहरी एजेंसियों (यानी ब्लॉक के लिए, सीआइएल के लिए अलग से नहीं) को बेचने के लिए चिह्नित अथवा बेचे जाने के लिए प्रस्तावित ब्लॉकों के लिए मदद पहुंचाने वाली अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों को फिर भी अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा हानिकरण के लिए जांच की जाती है।

अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति के रूप में मान्य सॉफ्टवेयर की कीमत / लागत को प्रयोग करने की विधिक अवधि से अधिक अथवा तीन वर्षों में, जो भी कम हो, स्ट्रेट लाइन विधि पर अपशिष्ट मूल्य शून्य के साथ परिशोधित किया जाता है।

अनुसंधान और विकास को व्यय के रूप में और जब चाहे खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.12 परिसंपत्तियों की हानि (वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा)

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ऐसे किसी संकेत का मूल्यांकन करती है कि क्या ऐसा कोई संकेत है कि किसी परिसंपत्ति में कमी या क्षति हो सकती है या नहीं। यदि इस प्रकार का कोई संकेत रहता है तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि परिसंपत्ति अथवा नकदी सृजन करने वाली इकाई के प्रयोग मूल्य से अधिक होती है। इसका उचित मूल्य निपटान लागत से कम होता है तथा इसका निर्धारण किसी व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए तब तक किया जाता है जब तक कि परिसंपत्ति नकद प्रवाह को सृजित नहीं कर लेती है जिसमें नकद वसूली योग्य राशि उस नकद सृजन करने वाली इकाई के लिए निर्धारित की जाती जिससे परिसंपत्ति जुड़ी होती है। कंपनी हानिकरण की जांच करने के उद्देश्य से पृथक खदानों को अलग नकदी सर्जक इकाई मानती है।

यदि किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि को वहन राशि से कम आंका जाता है, तो परिसंपत्ति की वहन राशि को इसकी वसूली योग्य राशि तक कम कर दिया जाता है तथा हानिकरण क्षति को लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.13 निवेश संपत्ति

वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन अथवा प्रशासनिक उद्देश्य, अथवा व्यवसाय के सामान्य दौर में बिक्री हेतु उपयोग के बजाय किराया या पूंजी मूल्यांकन के लिए उपयोग हेतु रखी गई भूमि या भवन या भवन का कोई भाग या दोनों को निवेशित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

संबंधित लेन-देन लागत सहित और जहां लागू हो वहां उधार वाली लागत सहित निवेशित संपत्ति को इसकी प्रारंभिक लागत पर मापा जाता है।

निवेशित संपत्तियों का उनके अनुमानित उपयोगी जीवन काल में स्ट्रेट लाइन पद्धति का प्रयोग करके मूल्यह्रास होता है।

2.14 वित्तीय दस्तावेज (लिखत)

एक वित्तीय दस्तावेज (लिखत) कोई भी अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और किसी अन्य इकाई की एक वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को सृजित करता है।

वित्तीय परिसंपत्तियां

2.14.1 प्रारंभिक मान्यता एवं मापन (Initial Recognition and Measurement):

लाभ या हानि और लेनदेन लागत जो वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार हैं, के जरिए वित्तीय परिसंपत्तियों को रिकार्ड नहीं किए जाने की स्थिति में वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद अथवा बिक्रियों जिसे विनियम अथवा परंपरा द्वारा बाजार में एक सीमा के अंदर परिसंपत्तियों की सुपुर्दगी की आवश्यकता पड़ती है, को ट्रेड की तिथि यानी कंपनी परिसंपत्ति की खरीद अथवा बिक्री के लिए जिस तिथि को प्रतिबद्ध है, उस तिथि को मान्यता दी जाती है।

2.14.2 परिवर्ती मापन

परिवर्ती मापन के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को चार श्रेणियों में बांटा जाता है :

- परिशोधित लागत पर ऋण दस्तावेज।
- अन्य सघन आय के जरिए उचित मूल्य पर ऋण दस्तावेज (FVTOCI)
- लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर ऋण दस्तावेज, डेरिवेटिव और इक्विटी दस्तावेज (FVTPL)
- अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी दस्तावेज (FVTOCI)

2.14.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण दस्तावेज:

यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती है तो 'ऋण दस्तावेज' को परिशोधित लागत पर मापा जाता है:

(क) परिसंपत्ति व्यापार मॉडल के अंदर हो जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह के लिए परिसंपत्ति रखनी होती है तथा

(ख) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को विनिर्दिष्ट तिथि को बढ़ने देती है जो बकाये मूलधन पर मूलधन एवं ब्याज का एकमात्र भुगतान (**एसपीपीआई**) होते हैं।

प्रारंभिक मापन के बाद इस प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज दर (EIR) पद्धति का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना- अधिग्रहण एवं शुल्क या मूल्य/लागत जो ईआईआर का हिस्सा है, पर किसी छूट या किस्त को ध्यान में रखकर की जाती है। ईआईआर परिशोधन लाभ या हानि में वित्तीय आय में शामिल किया गया है। हानिकरण के कारण होने वाली क्षति को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

2.14.2.2 एफवीटीओसीआई पर ऋण दस्तावेज

यदि निम्नलिखित दोनों मानकों को पूरा किया जाता है तो ''ऋण दस्तावेज'' को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है:

(क) व्यापार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एवं वित्तीय परिसंपत्ति की बिक्री दोनों से पूरा किया जाता है, और

(ख) परिसंपत्तियों का संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई का निरूपण करता है।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के अंतर्गत के ऋण दस्तावेजों का प्रारंभिक तौर पर साथ ही साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है। उचित मूल्य के बदलाव को अन्य व्यापक आय (OCI) में मान्यता प्रदान की जाती है। हलांकि कंपनी ब्याज से होने वाली आय, हानिकरण से होने वाले नुकसान एवं उलटाव तथा विदेशी मुद्रा लाभ व हानि को लाभ व हानि (P&L) में स्वीकार करती है। परिसंपत्ति के अस्वीकरण पर संचित लाभ अथवा हानि को पहले अन्य व्यापक आय (OCI) में मान्यता दी जाती थी, उसे लाभ व हानि (P&L) के लिए इक्विटी से पुनर्वर्गीकृत किया गया है। **पीवीटीओसीआई** ऋण पत्र/दस्तावेज से अर्जित ब्याज को ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट की जाती है।

2.14.2.3 एफवीटीपीएल पर ऋण-पत्र/दस्तावेज

एफवीटीपीएल ऋण पर/दस्तावेजों के लिए अपशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण पत्र/दस्तावेज जो परिशोधित लागत के रूप में अथवा **एफवीटीओसीआई** के रूप में वर्गीकरण के लिए कसौटी/मानदंड को पूरा नहीं करता है, उसे **एफवीटीपीएल** के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी एक ऋण -पत्र/दस्तावेज को नामित/निर्दिष्ट करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा एफवीटीपीएल के रूप में परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई मानदंडों को पूरा कराती है। हालांकि ऐसे चुनावों की अनुमति केवल तभी दी जाती है, जब ऐसा करने से माप या मान्यता असंगतता में कमी या समापन होता है (जिसे लेखाकरण बेमेल कहा जाता है) कंपनी ने किसी भी ऋण पत्र/दस्तावेज को एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण पत्रों को उचित मूल्य पर लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ मापा जाता है।

2.14.2.4 अनुषंगी इकाइयों, सहयोगी और संयुक्त उद्यम में इक्विटी निवेश

भारतीय लेखा मानक 101 (भारतीय लेखा मानक में पहली बार अंगीकृत) के अनुसार, परिवर्तन की तारीख को इन निवेशों की वहन राशि को अनुमानित लागत माना जाता है। इसके बाद अनुषंगी इकाइयों, सहयोगियों और संयुक्त उपक्रमों में निवेश को लागत पर मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण के मामले में, अनुषंगी कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उपक्रमों में इक्विटी निवेश को भारतीय लेखा मानक 28 के पैरा 10 में निर्दिष्ट इक्विटी पद्धति के अनुसार लेखांकित किया जाता है।

2.14.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में अन्य सभी इक्विटी निवेश लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है।

अन्य सभी इक्विटी लिखतों (इंस्ट्रूमेंट) के लिए, कंपनी अन्य व्यापक आय के उचित मूल्य में क्रमिक परिवर्तनों को प्रस्तुत करने के लिए एक अपरिवर्तनीय चुनाव कर सकती है। कंपनी इस तरह के चुनाव को लिखतों (इंस्ट्रूमेंट) के आधार पर करती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर बनाया गया है और अपरिवर्तनीय है।

यदि कंपनी एफवीटीओसीआई के रूप में किसी इक्विटी लिखत को वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है, तो लिखत पर सभी उचित मूल्य परिवर्तन, लाभांश को छोड़कर, ओसीआई में मान्य किए जाते हैं। ओसीआई से लाभ और हानि तक की राशि का कोई पुनर्चक्रण नहीं होता है, निवेश की बिक्री पर भी। हालांकि, कंपनी इक्विटी के अंदर ही संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी साधनों को लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

2.14.2.6 मान्यता समाप्त करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का हिस्सा) को मुख्य रूप से तब अमान्य कर दिया गया है (यानी तुलन पत्र से हटा दिया गया है) जब -

- संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार की समय सीमा समाप्त हो गई है, अथवा
- कंपनी ने संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया है या "पास-थ्रू" व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को बिना भौतिक देरी के प्राप्त नकदी प्रवाह का भुगतान करने का दायित्व मान लिया है; और (क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है, या (ख) कंपनी ने संपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो स्थानांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, लेकिन परिसंपत्ति का हस्तांतरित नियंत्रण कंपनी के पास है।

जब कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया है, अथवा पास-थ्रू व्यवस्था अपना ली है, तो वह मूल्यांकन करती है कि वह और किस हद तक इसके स्वामित्व के जोखिमों और पुरस्कारों को अधिकार में बनाए रखती है। जब कंपनी ने न तो हस्तांतरित किया है और न ही परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को बनाए रखा है और न ही परिसंपत्ति का नियंत्रण ही हस्तांतरित किया है, जब तक कंपनी की सहभागिता जारी

रहती है तब तक यह हस्तांतरित परिसंपत्ति को मान्यता देना जारी रखती है। उस मामले में कंपनी जुड़ी हुई देयता को भी मान्यता देती है। हस्तांतरित परिसंपत्ति एवं इससे जुड़ी देयता को जिस आधार पर मापा जाता है वह कंपनी के पास के अधिकारों एवं दायित्वों को प्रदर्शित करता है। हस्तांतरित संपत्ति पर गारंटी का रूप लेते हुए जारी होने वाली संपत्ति को मूल वहन राशि से कम पर और कंपनी के विचारार्थ अधिकतम राशि जिसे कंपनी को पुनः भुगतान की आवश्यकता पड़ सकती है, पर मापा जाता है।

2.14.2.7 वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि (उचित मूल्य के अलावा)

कंपनी भारतीय लेखा मानक 109 (Ind AS 109) के अनुसार निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों एवं क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर पर हानिकरण/क्षति के मापन/मूल्यांकन एवं मान्यता के लिए अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ECL) मॉडल लागू करती है:

(क) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण-पत्र/दस्तावेज हैं तथा जिन्हें परिशोधित लागत यानी ऋण, ऋण प्रतिभूतियाँ, जमा, ट्रेड प्राप्य एवं बैंक शेष पर मापा जाता है,

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण-पत्र/दस्तावेज हैं एवं एफवीटीओसीआई के रूप में मापा जाता है,

(ग) भारतीय लेखा मानक 17 के तहत प्राप्य पट्टा, और

(घ) ट्रेड प्राप्तियां या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति का अधिग्रहण करने का कोई संविदात्मक अधिकार जो कि भारतीय लेखा मानक 11 एवं भारतीय लेखा मानक 18 के दायरे के अंदर है।

कंपनी निम्नलिखित पर हानिकरण क्षति भत्ता की मान्यता के लिए “सरलीकृत दृष्टिकोण” अपनाती है:

- ट्रेड प्राप्तियां अथवा संविदात्मक राजस्व प्राप्तियां, और
- भारतीय लेखा मानक 17 के दायरे के अंदर लेन-देन से उत्पन्न सभी लीज प्राप्य।

सरलीकृत दृष्टिकोण के प्रयोग से कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। बल्कि यह प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख को जीवन काल **ईसीएल** के आधार पर हानिकरण हानि भत्ता को ठीक इसकी प्रारंभिक तारीख से मान्यता देती है।

2.14.3 वित्तीय देयताएं

2.14.3.1 प्रारंभिक मान्यता एवं मापन:

कंपनी की वित्तीय देयताओं में ट्रेड एवं अन्य देय, ऋण एवं बैंक ओवर ड्राफ़्ट सहित उधारियां शामिल हैं।

सभी वित्तीय देयताओं को आरंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और ऋण और उधार तथा देय राशियों के मामले में प्रत्यक्ष तौर पर आरोप्य निवल लेन-देन लागतों पर मान्यता दी जाती है।

2.14.3.2 परिवर्ती मापन / मूल्यांकन:

वित्तीय देयताओं का मूल्यांकन जैसा कि नीचे वर्णित है, उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है :

2.14.3.3 लाभ व हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं:

लाभ व हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में ट्रेडिंग के लिए रखी वित्तीय देयताएं शामिल हैं तथा वित्तीय देयताओं को लाभ व हानि के जरिए उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर नामित किया जाता है। वित्तीय देयताओं को ट्रेडिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में फिर से खरीद के उद्देश्य के कारण उत्पन्न हुई हों। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी शामिल है, जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा परिभाषित बचाव संबंधों में हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया है। अलग-अलग एम्बेडेड डेरिवेटिव्स को भी वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि उन्हें प्रभावी हेजिंग साधनों के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है।

ट्रेडिंग के लिये रखी हुई देयताओं पर फायदा या नुकसान को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

लाभ या हानि के माध्यम से प्रारंभिक मान्यता और उचित मूल्य पर निर्दिष्ट वित्तीय देयताओं को मान्यता की प्रारंभिक तारीख को उसी रूप में निर्दिष्ट किया जाता है एवं केवल तभी यदि भारतीय लेखा मानक 109 (Ind AS 109) की कसौटी को पूरा किया जाता है। एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट देयताओं, अपने क्रेडिट जोखिमों में परिवर्तन लाने के लिए आरोप्य उचित मूल्य लाभ/नुकसानों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। इन लाभ/हानियों को बाद में लाभ और हानि में हस्तांतरित नहीं किया जाता है। हालांकि कंपनी संचित लाभ/हानि को इक्विटी में हस्तांतरित कर सकती है। ऐसी देनदारी के उचित मूल्य में सभी अन्य परिवर्तनों को लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। कंपनी ने उचित मूल्य पर किसी वित्तीय देनदारी को निर्दिष्ट नहीं किया है।

2.14.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं:

प्रारंभिक मान्यता के बाद प्रभावी ब्याज दर पद्धति का प्रयोग करते हुए इन्हें बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है। नफा और नुकसान को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जब देयताओं को साथ ही साथ प्रभावी ब्याज दर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से मान्यता समाप्त कर दी जाती है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर

किसी छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागत जो प्रभावी ब्याज दर का एक अभिन्न अंग है, को ध्यान में रखकर की जाती है जो। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ व हानि विवरण में वित्तीय लागत के रूप में शामिल किया जाता है। यह श्रेणी प्रायः उधारियों पर लागू होती है।

2.14.3.5 मान्यता समाप्त करना:

जब देयता के तहत वित्तीय देनदारियों के दायित्व मुक्त हो जाता है या निरस्त हो जाता है अथवा समाप्त हो जाता है तो वित्तीय देनदारी की मान्यता समाप्त कर दी जाती है। जब किसी वर्तमान वित्तीय देयता को दूसरे समान उधारदाता द्वारा वास्तविक रूप से भिन्न शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है, अथवा वर्तमान देनदारी की शर्तों में वास्तविक संशोधन किया जाता है, तो ऐसे किसी परिवर्तन अथवा संशोधन को मूल देयता का अस्वीकरण एवं नई देयता का स्वीकरण माना जाता है। समाप्त कर दी गई या दूसरी पार्टी को हस्तांतरित कर दी गई अथवा देयताएं मान ली गई वित्तीय देयता (वित्तीय देयता का हिस्सा) का पिछले शेष के बीच के अंतर को लाभ व हानि में स्वीकार किया जाएगा।

2.14.4 वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण:

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं के वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है। क्योंकि ये इक्विटी दस्तावेज एवं वित्तीय देयताएं होती हैं। जो वित्तीय परिसंपत्तियां इक्विटी इंस्ट्रूमेंट तथा वित्तीय देयताएं होती है, उनके लिए प्रारंभिक मान्यता के बाद पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण पत्र/दस्तावेज होती है, उनके लिए पुनर्वर्गीकरण तभी किया जाता है जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यापार मॉडल में परिवर्तन होता है। व्यापार मॉडल में ऐसे परिवर्तनों की अपेक्षा बारंबार की जाती है। कंपनी के उच्च प्रबंधन द्वारा कंपनी के लिए बाहरी या आंतरिक परिवर्तनों जो कंपनी के परिचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं, के परिणामस्वरूप ही व्यापार मॉडल में परिवर्तन निर्धारित किया जाता है। ऐसे परिवर्तन बाहरी पार्टियों के लिए साक्ष्य होते हैं। कंपनी अपने परिचालन के लिए किसी महत्वपूर्ण गतिविधि की या तो शुरूआत करती है अथवा समाप्त करती है, तभी व्यापार मॉडल में परिवर्तन होता है। यदि कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को पुनर्वर्गीकृत करती है, तो वह उस पुनर्वर्गीकरण को उसकी प्रत्याशित तिथि से लागू करती है जो व्यापार मॉडल में परिवर्तन से पहले की रिपोर्टिंग अवधि की ठीक बाद का पहला दिन होता है। कंपनी पिछली किसी स्वीकृति प्राप्तियों, नुकसानों (हानिकरण लाभ व हानि शामिल करके) अथवा ब्याज को पुनः निश्चित नहीं करती है।

निम्नलिखित सारणी में विभिन्न पुनर्वर्गीकरण एवं उनकी लेखांकन विधि को दर्शाया गया है :

मूल वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखा विवेचन
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	उचित मूल्य का मूल्यां कन पुनर्वर्गी करण की तारीख को कि या जाता है। पि छली परिशोधित लागत एवं उचित मूल्य के बीच के अंतर को लाभ और हानि में स्वी कार कि या जाता है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गी करण की तारीख का उचित मूल्य इसकी नई सकल वहन राशि बन जाती है। इसी नई सकल वहन राशि के आधार पर ईआईआर की गणना की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	पुनर्वर्गी करण की तारीख को उचित मूल्य का मूल्यां कन कि या जाता है। पि छली परिशोधित लागत और उचित मूल्य के बीच के अंतर को ओसीआई में स्वी कार कि या जाता है। पुनर्वर्गी करण के कारण ईआईआर में कोई परिवर्त न नहीं होता है।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गी करण की तारीख को उचित मूल्य इसकी नई परिशोधित लागत की वहन राशि बन जाती है। हालांकि, ओसीआई में संचित लाभ व हानि को उचित मूल्य के साथ समायोजित कि या जाता है। परिण ामस्व रूप परिसंपत्ति को इस प्रकार से मापा जाता है मानो इसे परिशोधित लागत पर ही हमेशा मापा जाता है।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुनर्वर्गी करण की तारीख को उचित मूल्य नई वहन राशि बन जाता है। अन्य कि सी समायोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीएल	परिसंपत्ति यों का उचित मूल्य पर मूल्यां कन कि या जाना जारी रहता है। ओसीआई में स्वी कृत/मान्य संचित नफा या नुकसान पुनर्वर्गी करण की तारीख को लाभ और हानि के लि ए पुनर्वर्गी कृत कि या जाता है।

2.14.5 वित्तीय दस्तावेजों (लिखतों) का समायोजन (ऑफसेटिंग):

वित्तीय परिसंपत्तियां एवं वित्तीय देयताओं को समायोजित किया जाता है और यदि स्वीकृत राशि के समायोजन का कानूनी अधिकार वर्तमान में प्रवर्तनीय है तथा परिसंपत्तियों की वसूली और देयताएं दोनों का शुद्ध राशि के आधार पर निपटान एक साथ करने की प्रवृति हो, तो शुद्ध राशि को समेकित तुलन-पत्र में प्रस्तुत किया जाता है।

2.14.6 नकद और नकद समतुल्य

तुलन पत्र में शामिल नकदी एवं नकदी समतुल्य में बैंक में जमा और हस्तगत नकद तथा तीन महीने या उससे कम समय के लिए मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल हैं जो मूल्य में परिवर्तन के मामूली जोखिम के अधीन हैं। नकदी प्रवाह के समेकित विवरण के उद्देश्य से, नकदी और नकदी समकक्षों में ऊपर परिभाषित किए गए नकदी और अल्पकालिक जमा, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट के शुद्ध को शामिल किया जाता है, क्योंकि उन्हें समूह के नकद प्रबंधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है।

2.15 उधार लागत

उधार लागतें ऐसी उधार लागतों जो सीधे तौर पर अर्हकारी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, यानी वे परिसंपत्तियां जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती हैं, को छोड़कर एक प्रकार के यथा आवश्यक खर्चे हैं। इस मामले में उन्हें उस तारीख तक उन परिसंपत्तियों की लागत के एक भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है, जिस तारीख को अपने इच्छित उपयोग के लिए अर्हकारी परिसंपत्ति तैयार होती है।

2.16 कराधान

आयकर व्यय वर्तमान में देय कर और विलंबित कर के योग को दर्शाता है।

किसी खास अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग) आयकर की राशि वर्तमान कर है। लाभ एवं हानि एवं अन्य व्यापक आय के विवरण में जैसा कि वर्णित है ''आयकर पूर्व लाभ'' से कर योग्य लाभ भिन्न है क्योंकि इसमें वह आय के व्यय मद में शामिल हैं जो दूसरे वर्षों में कर योग्य अथवा कटौती योग्य होते हैं तथा इसमें वे मद भी शामिल हैं जो कभी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं होते हैं। वर्तमान कर के लिए कंपनी की देयता की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है, जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या संज्ञानात्मक रूप से अधिनियमित किया गया है।

आस्थगित कर देयताएं आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्य होती हैं। सामान्य तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी शेष के लिए उस सीमा तक विलंबित कर को मान्यता दी जाती है कि इसकी संभावना है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध रहेगा जिसके लिए उन कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार की परिसंपत्तियां एवं देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती है, यदि अस्थायी शेष सद्भाव अथवा लेन-देन में अन्य परिसंपत्तियों एवं देयताओं से उत्पन्न हुआ है जो न तो कर योग्य लाभ को न ही लेखाकरण लाभ को प्रभावित करता है।

जहां कंपनी अस्थायी शेष के विपर्यय को नियंत्रित करने में सक्षम है इसकी संभावना है कि निकट भविष्य में अस्थायी शेष को रिवर्स नहीं किया जाएगा उसे छोड़कर अन्य अनुषंगियों एवं संख्या में निवेश से जुड़े करयोग्य अस्थायी शेष के लिए विलंबित कर देयताओं को मान्यता दी जाती है। इस प्रकार के निवेशों से जुड़े कटौती योग्य अस्थायी शेष से उत्पन्न विलंबित कर परिसंपत्तियों एवं ब्याजों को उस सीमा तक तभी मान्यता दी जाती है जब यह संभाव्य हो कि पर्याप्त करयोग्य लाभ होंगे जिसके लिए अस्थायी अंतर के लाभों का उपयोग किया जा सकेगा।

विलंबित कर परिसंपत्तियों की पिछली शेष की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है तथा इसे उस सीमा तक घटा दी जाती है कि परिसंपत्तियों को संपूर्ण या इसके अंश की वसूली किए जाने के लिए पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध रहने की संभावना अधिक न रहे। अस्वीकृत विलंबित कर परिसंपत्तियों का पुनर्निर्धारण रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में किया जाता है तथा उसे उस सीमा तक मान्यता दी जाती है। विलंबित कर परिसंपत्ति का संपूर्ण या इसके अंश की वसूली की जा सके इसके लिए पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध रहेगा, इसकी संभावना बन चुकी हो।

विलंबित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं को कर की दरों पर मापा जाता है तथा उस अवधि में लागू होने की अपेक्षा की जाती है जिसमें देनदारी का निपटान किया जाता है या परिसंपत्ति की वसूली की जाती है। ऐसा उस दर (टैक्स कानूनों) के आधार पर किया जाता है जिसे रिपोर्टिंग अवधि के अंत में पारित किया गया हो।

आस्थगित कर देनदारियों और संपत्तियों की माप उन कर परिणामों को दर्शाती है जिस तरह की उम्मीद कंपनी रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि की वसूली या निपटान के लिए करती है।

वर्तमान एवं विलंबित कर को लाभ या हानि में तभी मान्यता दी जाती है जब ये अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी से सीधे तौर पर मान्य आइटम से संबंध रखते हों जिस मामले में वर्तमान और विलंबित कर को भी क्रमशः अन्य व्यापक कर अथवा सीधे इक्विटी में मान्यता दी गई हो। जहां व्यवसाय समिश्रण के लिए प्रारंभिक लेखाकरण से वर्तमान अथवा विलंबित कर उत्पन्न होते हैं वहां व्यवसाय समिश्रण के लिए लेखाकरण में टैक्स के प्रभाव को शामिल किया जाता है।

2.17 कर्मचारियों को लाभ:

2.17.1 अल्पकालिक लाभ:

सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

2.17.2 नियोजन के बाद एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

2.17.2.1 परिभाषित अंशदायी योजनाएं

एक परिभाषित योगदान योजना भविष्य निधि और पेंशन के लिए रोजगार के बाद की योजना है, जिसके तहत कंपनी कानून के अधिनियमन के तहत गठित एक अलग वैधानिक निकाय (कोल माइंस प्रोविडेंट फंड) द्वारा बनाए गए फंड में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और अतिरिक्त राशि के भुगतान के लिए कंपनी के पास कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा। परिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान के लिए बाध्यताओं को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिस अवधि के दौरान कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

2.17.2.2 परिभाषित लाभ योजनाएं:

परिभाषित अंशदान योजना के अलावा एक परिभाषित लाभ योजना रोजगार के उपरांत की लाभ योजना है। ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण (लाभ पर अधिकतम सीमा के साथ) परिभाषित लाभ योजनाएं हैं। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी के सकल दायित्व का परिकलन भावी लाभ राशि जिसे कर्मचारियों ने वर्तमान एवं

पूर्व की अवधियों में अपनी सेवाओं के बदले अर्जित किया है, उसके अनुमान से किया जाता है। लाभ को अपने वर्तमान मूल्य का निर्धारण करने के लिए रियायत दी जाती है तथा उनके योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से कम कर दिया जाता है, यदि कोई है तो। छूट दर भारत सरकार की प्रतिभूतियों की प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है, क्योंकि रिपोर्टिंग तिथि में परिपक्वता तिथि होती है, जो कंपनी के दायित्वों की शर्तों का अनुमान लगाती है और इसे उसी मुद्रा में दर्शाया जाता है जिसमें लाभ का भुगतान किया जाना अपेक्षित होता है।

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुप्रयोग में छूट की दर के बारे में पूर्वानुमान परिसंपत्तियों पर अपेक्षित वापसी की दरें, भावी वेतन वृद्धि, मृत्यु दर आदि शामिल हैं। योजनाएं लंबी अवधि के होने के कारण ऐसे अनुमानों में अनिश्चितता के मामले होते हैं। किसी बीमांकिक द्वारा प्रत्येक तुलन-पत्र में प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मैथड का प्रयोग करके परिकलन किया जाता है। जब इस परिकलन के परिणाम अथवा योजना में भावी कटौतियां कंपनी के लाभ के होते हैं तो योजना से किसी भावी रिफंड के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभ का वर्तमान मूल्य पर मान्य परिसंपत्ति को सीमित किया जाता है। कंपनी के लिए एक आर्थिक लाभ उपलब्ध है, यदि योजना अवधि के दौरान अथवा योजना की देयताओं के निपटारे के समय यह वसूली योग्य है।

योजना की परिसंपत्तियों पर वसूली/वापसी (ब्याज को छोड़कर) तथा परिसंपत्तियों की अंतिम सीमा (यदि है, ब्याज को छोड़कर) पर विचार करते हुए बीमांकिक लाभ एवं हानियों के साथ शुद्ध परिभाषित लाभ देयता को तत्काल अन्य व्यापक आय में स्वीकार किया जाता है। अंशदान और लाभों के भुगतान के परिणामस्वरूप अवधि के दौरान शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) में किसी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन शुद्ध परिभाषित लाभ देयताओं (परिसंपत्ति) के लिए वार्षिक अवधि को शुरूआत में परिभाषित लाभ दायित्व को मापने के लिए प्रयोग किए गए छूट दर को लागू करके उस अवधि के लिए कंपनी शुद्ध परिभाषित देयता (परिसंपत्ति) पर ब्याज खर्च (आय) का निर्धारण करती है।

जब योजना के फायदे में सुधार होता है तो कर्मचारियों द्वारा की गई पहले की सेवा से संबंधित बढ़ी हुई लाभ का हिस्से को लाभ एवं हानि विवरण में सीधे खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.17.3 अन्य कर्मचारी लाभ

कुछ अन्य कर्मचारी लाभ जैसे एलटीसी, एलटीए, लाइफ कवर स्कीम, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, सेटलमेंट भत्ता, सेवा निवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना और खदान दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को मुआवजे आदि को ऊपर वर्णित लाभ योजनाओं के आधार पर ही लागू किया गया है। इन लाभों के लिए कोई अलग से विशिष्ट निधि नहीं है।

2.18 विदेशी मुद्रा

कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा और इसके अधिकांश संचालन के लिए कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपया (आईएनआर) है जो कि इसके संचालन क्षेत्र में प्रमुख मुद्रा है।

विदेशी मुद्रा में लेनदेन उस तारीख में प्रचलित विनिमय दर के अनुसार कंपनी की सूचित मुद्रा में किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में संचित मौद्रिक संपत्ति और देयताओं को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है। वर्तमान अवधि या उससे पहले की अवधि के दौरान मौद्रिक संपत्तियों और देयताओं के निपटारे से उत्पन्न विनिमय भेद या मौद्रिक संपत्तियों और देयताओं को आरंभ में परिवर्तित दरों से भिन्न दरों पर परिवर्तित करने पर वित्तीय विवरणों में इनकी पहचान लाभ और हानि विवरणों में इनके उत्पन्न होने वाली अवधि में की जाती है।

विदेशी मुद्रा में वर्णित गैर-मौद्रिक वस्तुएं लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर किया जाता है।

2.19 स्ट्रिपिंग गतिविधि व्यय/ समायोजन

खुली खदान से खनन के मामले में, कोयले की सीम के ऊपर मिट्टी और चट्टान से बने खदान अपशिष्ट पदार्थ (ओवर बर्डेन) को कोयले तक पहुंचने और इसके निष्कर्षण के लिए निकालने की आवश्यकता होती है। यह अपशिष्ट हटाने की गतिविधि 'स्ट्रिपिंग' के रूप में जानी जाती है। खुली खदानों में, कंपनी को खदान के चालू रहने तक ऐसे खर्चों का सामना करना पड़ता है (तकनीकी रूप से अनुमानित)।

इसलिए, नीतिगत रूप से, प्रति वर्ष एक मिलियन टन वार्षिक क्षमता वाली खानों में, स्ट्रिपिंग की लागत को खदान से राजस्व मिलने के बाद अनुपात-विचलन लेखा और स्ट्रिपिंग गतिविधि संपत्ति के विधिवत समंजन के साथ प्रत्येक खदान में तकनीकी रूप से मूल्यांकित औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (ओबी:कोल) पर प्रभारित किया जाता है।

बैलेंस शीट की तिथि पर स्ट्रिपिंग गतिविधि संपत्ति और अनुपात के विचलन के कुल शेष को मामले के अनुसार गैर-मौजूदा प्रावधान/अन्य गैर मौजूदा परिसंपत्तियों के शीर्ष के अंतर्गत स्ट्रिपिंग गतिविधि समंजन के रूप में दिखाया जाता है।

रिकॉर्ड के अनुसार ओवरबर्डन की रिपोर्ट की गई मात्रा को ओबीआर लेखा के अनुपात के लिए माना जाता है, जहां बताई गई मात्रा और मापी गई मात्रा के बीच भिन्नता निम्नानुसार दो वैकल्पिक अनुमत सीमाओं के निचले भाग के अंदर है -

खान के ओबीआर का वार्षिक घनत्व	भिन्नता की अनुमत सीमाएं (%)
1 मिलियन घन मीटर से कम	+/- 5%
1 से 5 मिलियन घन मी. के बीच	+/- 3%
5 मिलियन घन मीटर से अधिक	+/- 2%

हालांकि, जहां भिन्नता ऊपर की अनुमति सीमा से परे है, वहां मापी गई मात्रा मानी जाती है।

एक लाख टन से कम की रेटेड क्षमता वाली खानों के मामले में, उपरोक्त नीति लागू नहीं की जाती है और वर्ष के दौरान किए गए स्ट्रिपिंग गतिविधि की वास्तविक लागत को लाभ-हानि के विवरण में दिखाया जाता है।

2.20 वस्तु सूची (इन्वेंटरी)

2.20.1 कोयला का स्टॉक

कोयला/ कोक की सूची, लागत के निचले स्तर और प्राप्य मूल्य पर बताई गई हैं। इन्वेंटरी की लागत की गणना "प्रथम आवक प्रथम जावक पद्धति" पद्धति के माध्यम से की जाती है। शुद्ध प्राप्य मूल्य सूचियों के अनुमानित बिक्री मूल्य में इस बिक्री के लिए आवश्यक लागत और पूर्ण होने की पूरी अनुमानित लागत के अंतर को प्रदर्शित करता है।

कोयले के बुक स्टॉक को उन खातों में माना जाता है जहां बुक स्टॉक और मापे गए स्टॉक के बीच का अंतर +/- 5% तक होता है और ऐसे मामलों में जहां अंतर +/- 5% से अधिक होता है, मापे गए स्टॉक पर आधारित होता है। इस तरह के स्टॉक को शुद्ध प्राप्य मूल्य या लागत में जो भी कम हो, पर मूल्यांकित किया जाता है। कोक को कोयले के स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

कोयला और कोक-फाइन को कम लागत या शुद्ध प्राप्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और इसे कोयले के स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

स्लरी (कोकिंग / सेमी-कोकिंग), वाशरियों के मिडलिंग और उप उत्पादों को शुद्ध प्राप्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और इसे कोयले के स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

2.20.2 स्टोर और पुर्जे

केंद्रीय एंड क्षेत्रीय स्टोरों में भंडार और स्पेयर्स पार्ट्स (जिसमें खुले टूल्स भी शामिल हैं) का स्टॉक स्थिर मूल्य लेखा बही में प्रदर्शित शेष के अनुसार माना जाता है और इनका मूल्यांकन भारित औसत विधि के आधार पर गणना की गई लागत पर किया जाता है। कोलियरियों/उप भंडार/ड्रिलिंग कैंप्स/उपभोग केंद्रों में स्टोर और स्पेयर्स पार्ट्स की सूची को वर्ष की समाप्ति पर केवल वास्तविक रूप से सत्यापित स्टोरों के अनुसार माना जाता है और इनका मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

बेकार, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित स्टोर और पुर्जों के लिए 100% की दर से प्रावधान किए गए हैं तथा 5 साल एक ही स्थान पर रखे स्टोर और पुर्जों के लिए 50% की दर से प्रावधान किए गए हैं।

2.20.3 अन्य वस्तु सूचियां (इन्वेंटरी)

चालू कार्य सहित कर्मशाला के कार्य का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। प्रेस के कार्यों के स्टॉक (चालू कार्य सहित) एवं प्रिंटिंग प्रेस में लेखन सामग्री तथा केंद्रीय अस्पताल में दवाइयों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

तथापि, लेखन सामग्री का स्टॉक (प्रिंटिंग प्रेस में पड़ी ऐसी सामग्रियों के अलावा) ईंट, बालू, दवाइयां (केंद्रीय अस्पतालों में है, उन्हें छोड़कर) एयरक्राफ्ट के समान एवं रद्दी माल का मूल्य महत्वपूर्ण नहीं होने के कारण उन्हें माल सूची में स्वीकार नहीं किए जाते है।

2.21 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां

प्रावधानों को तब स्वीकार किया जाता है जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व (कानूनी एवं संरचनात्मक) हो और यह संभव हो कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ का बहिर्वाह (Out flow) आवश्यक हो और दायित्व की मात्रा का आकलन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता हो। जहां धन का समय-मूल्य महत्वपूर्ण है वहां प्रावधानों का उल्लेख दायित्व निपटान के लिए अपेक्षित खर्च के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है।

सभी प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को की जाती है और मौजूदा सर्वश्रेष्ठ अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित की जाती हैं।

जहां यह संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह (out flow) की आवश्यक होगी, अथवा राशि को विश्वसनीयता के साथ, अनुमानित नहीं किया जा सकता, वहां आकस्मिक देनदारी के रूप में दायित्व का खुलासा नहीं किया जाता है जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभाव्यता दूरस्थ नहीं होती है। संभावित दायित्वों जिनकी उपस्थिति को एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं, जो कंपनी के पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है, की पुष्टि केवल उपस्थिति या अनुपस्थिति से ही की जाएगी उसे भी तब तक आकस्मिक देयताओं के रूप में खुलासा नहीं किया जा सकता जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह दूरस्थ नहीं होती है।

आकस्मिक परिसंपत्तियां को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि आय की प्राप्ति लगभग निश्चित है तो संबंधित संपत्ति कोई आकस्मिक संपत्ति नहीं है और यह मान्यता उचित है।

2.22 प्रति शेयर उपार्जन

अवधि के दौरान बकाये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (Weighted average number) से कर के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित करके प्रति शेयर मूल उपार्जन की गणना की जाती है। प्रति शेयर मूल उपार्जन प्राप्त करने के लिए विचारित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित कर प्रति शेयर मिश्रित उपार्जन (diluted earnings) की गणना की जाती है और सभी मिश्रित संभावित इक्विटी शेयरों के परिवर्तन पर जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या की भी गणना की जाती है।

2.23 निर्णय, प्राक्कलन और पूर्वानुमान

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को प्राक्कलन, मूल्यांकन एवं पूर्वानुमान करने की आवश्यकता पड़ती है जो लेखा नीतियों के अनुप्रयोग एवं परिसंपत्तियों एवं देयताओं की प्रतिवेदित राशियों वित्तीय विवरण की तारीख को आकस्मिक परिसंपत्तियों एवं देयताओं के खुलासे तथा इस अवधि के दौरान राजस्व एवं खर्चो की राशियों को प्रभावित करती है। जटिल एवं वास्तविक मूल्यांकन को शामिल करते हुए लेखा नीतियों का अनुप्रयोग तथा इन वित्तीय विवरणों में पूर्वानुमान के उपयोग का खुलासा किया गया है। एक अवधि में लेखा प्राक्कलन बदल सकता है। उन प्राक्कलनों से वास्तविक परिणाम भिन्न हो सकते हैं। प्राक्कलनों तथा पूर्वानुमानों की समीक्षा चालू आधार पर (Ongoing basis) की जाती है। लेखांकन अनुमान के संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और, यदि ऐसा होता है, तो उनके प्रभावों को वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

2.23.1 निर्णय

कंपनी की लेखा नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए जिसका वित्तीय विवरणों में मान्य राशियों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

2.23.1.1 लेखा नीतियों का निर्माण

लेखा नीतियों को इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि उनका प्रतिफल उन लेन-देन, या अन्य घटनाएं या स्थितियां जिनपर वे लागू होती है, के बारे में संगत तथा विश्वसनीय सूचना वाले वित्तीय विवरणों में दिखता है। उन नीतियों को तब लागू करने की आवश्यकता नहीं है जब उनको लागू करने का प्रभाव महत्वहीन हों।

भारतीय लेखा मानक के अभाव में खासकर जो लेन-देन, अन्य घटना या दशा में लागू होते हैं, प्रबंधन ने अपने निर्णय का प्रयोग लेखा नीति का विकास करने एवं लागू करने में किया है जो इस सूचना में प्रतिफलित होता है :-

क) प्रयोगकर्ताओं की आवश्यकता के लिए आर्थिक निर्णय में प्रासंगिक, और

ख) उन वित्तीय विवरणों में विश्वसनीयता:

(i) कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन एवं नकद प्रवाह को विश्वसनीय ढंग से प्रस्तुत करना (ii) न केवल कानूनी रूप में बल्कि लेन-देन की आर्थिक वास्तविकता, अन्य घटनाओं एवं दशाओं को परिलक्षित करते हैं (iii) तटस्थ होते हैं यानी पूर्वाग्रह से मुक्त (iv) विवेक पूर्ण होते हैं; और (v) अनुकूल आधार पर सभी महत्वपूर्ण मामलों में पूर्ण होते हैं।

प्रबंधन ने निर्णय लेते समय निम्नलिखित स्रोतों का अवरोही क्रम में संदर्भ एवं व्यवहार्यता के रूप में विचार किया है:

(क) समरूप एवं संबंधित मामलों का समाधान करने में भारतीय लेखा मानकों की आवश्यकताएं, और

(ख) ढांचे में परिसंपत्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय के लिए परिभाषाओं, मान्यता की कसौटियां एवं मूल्यांकन अवधारण।

निर्णय लेने में, प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड की नवीनतम घोषणाओं और इसके अभाव में अन्य मानक-निर्धारक निकायों जो लेखांकन मानकों, अन्य लेखा साहित्य और स्वीकृत उद्योग परंपराओं को विकसित करने के लिए एक समान वैचारिक ढांचे का उपयोग करते हैं, की नवीनतम घोषणाओं पर उस सीमा तक विचार करता है जब तक कि ये उपर्युक्त पैराग्राफ में स्रोतों के साथ विरोधाभाषी न हों।

कंपनी खनन क्षेत्र में काम करती है (एक ऐसा क्षेत्र जहां अन्वेषण, मूल्यांकन, विकास उत्पादन चरण दशकों के दौरान चल रहे पट्टे की अवधि में फैले हुए विविध स्थलाकृतिक और भू-खनन क्षेत्रों पर आधारित होते हैं और निरंतर परिवर्तन की संभावना होती है।) लेखा नीतियां जिन्हें अनुसंधान समितियों द्वारा समर्थित एवं विगत अनेक दशकों से इसके दृढ़ अनुप्रयोग के कारण विविध नियामकों द्वारा अनुमोदित विशेष औद्योगिक कार्यों के आधार पर तैयार एवं प्रस्तुत किया गया है। जो क्षेत्र विकास की प्रक्रिया में है, वैसे कुछ खास क्षेत्रों में लेखा साहित्य, दिशानिर्देश एवं मानकों के अभाव में कंपनी लेखा साहित्य विकसित करने के साथ-साथ लेखा नीतियों को विकसित करना जारी रखती है और उसमें हुए किसी सुधार/विकास को भारतीय लेखा मानक 8 में उपर्युक्त अधिक स्पष्टता से उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्याशित रूप में लिया जाता है।

लेखांकन के आकस्मिक आधार का प्रयोग करते हुए चालू संस्था के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए जाते है।

2.23.1.2 द्रव्यात्मकता (Materiality)

भारतीय लेखा मानक उन वस्तुओं पर लागू होता है जो भौतिक रूप में हैं। प्रबंधन मूल्यांकन का प्रयोग यह तय करने के लिए करता है कि वित्तीय विवरण में कोई खास एक वस्तु या वस्तुओं के समूह द्रव्यात्मक है या नहीं। वस्तु के आकार और प्रकृति के संदर्भ में द्रव्यात्मकता को आंका जाता है। है। निर्णायक घटक है कि त्रुटि अथवा गलत विवरण एकल या सामूहिक तौर पर वित्तीय विवरण के आधार पर उपयोगकर्ता द्वारा लिये जाने वाले आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं अथवा नहीं। प्रबंधन भी भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए द्रव्यात्मकता के निर्णय का उपयोग करता है। विशेष परिस्थितियों में या तो प्रकृति या वस्तुओं की मात्रा या वस्तुओं का समुच्चय निर्धारण कारक हो सकता है। इसके अलावा कंपनी को कानून द्वारा आवश्यक होने पर अलग से सार सामग्री पेश करने की भी आवश्यकता हो सकती है।

कंपनी ने पट्टा अनुबंध किए हैं। कंपनी ने व्यवस्थापन की शर्तों व निबंधन के मूल्यांकन के अनुसार निर्धारित किया है कि जैसे व्यावसायिक संपत्ति को आर्थिक जीवन का कोई बड़ा भाग नहीं बनने वाली पट्टा अवधि एवं परिसंपत्ति का उचित मूल्य जो सभी महत्वपूर्ण जोखिमों एवं इन संपत्तियों के स्वामित्व के पुरस्कारों, परिचालन पट्टे के रूप में संविदाओं के लिए हिसाबों को सुरक्षित रखता है।

2.23.2 प्राक्कलन एवं अनुमान

भविष्य से संबंधित प्रमुख पूर्वानुमान तथा रिपोर्टिंग की तारीख को आकलन की अनिश्चितता का मुख्य स्रोत जिनके पास अगले वित्त वर्ष के अंदर परिसंपत्तियों एवं देयताओं की पिछली राशियों के वास्तविक समायोजन का कारक बनने वाले महत्वपूर्ण जोखिम हैं, को नीचे वर्णित किया गया है। जब वित्तीय विवरण तैयार किए गए तब उपलब्ध मानदंडों पर कंपनी द्वारा अपने पूर्वानुमानों एवं प्राक्कलनों को आधार बनाया गया। फिर भी, भावी विकास के बारे में, वर्तमान परिस्थितियों एवं पूर्वानुमान बाजार में बदलाव अथवा उत्पन्न परिस्थितियां जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर हैं, के कारण बदल सकते हैं। ऐसे परिवर्तन जब उत्पन्न होते हैं, तो पूर्वानुमानों में प्रतिबिंबित होते हैं।

2.23.2.1 गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

यदि किसी परिसंपत्ति या नकदी पैदा करने वाली इकाई का वहन मूल्य इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक है, जो कि इसके उचित मूल्य के निपटान की कम लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है तो यह हानि का एक संकेत है। कंपनी विशेष/अलग-अलग खानों को हानि के परीक्षण के उद्देश्य से अलग नकदी पैदा करने वाली इकाइयों के रूप में मानती है। उपयोग गणना में मूल्य डीसीएफ मॉडल पर आधारित है। नकदी प्रवाह अगले पांच वर्षों के लिए बजट से प्राप्त होता है और इसमें पुनर्गठन गतिविधियों को शामिल नहीं किया जाता है जो कि कंपनी अभी तक इसके लिए या महत्वपूर्ण भविष्य के निवेश के लिए प्रतिबद्ध नहीं है जो परीक्षण की जी रही सीजीयू परिसंपत्ति के प्रदर्शन को बढ़ाएगा। वसूली योग्य राशि डीसीएफ मॉडल के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर के साथ-साथ भविष्य की अपेक्षित नकदी-प्रवाह और एक्सट्रापलेशन प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली वृद्धि दर के प्रति संवेदनशील है। ये अनुमान अन्य खनन संरचनाओं के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। विभिन्न सीजीयू के लिए वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख धारणाएं आगे संबंधित टिप्पणियों में बताई गई हैं।

2.23.2.2 कर (Taxes):

अप्रत्याशित कर परिसंपत्तियों को अप्रयुक्त कर घाटा माना गया है, क्योंकि यह संभावना है कि कर योग्य उपलब्ध लाभ का उपयोग नुकसान के लिए किया जा सकता है। स्थगित कर संपत्तियों की राशि निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधकीय निर्णय की आवश्यकता होती है, जिसे भावी कर योजना के साथ संभावित समय और भावी कर योग्य लाभ के स्तर पर रणनीतियां बनाने में प्रयोग किया जा सकता है।

2.23.2.3 परिभाषित लाभ योजनाएं

परिभाषित लाभ उपदान योजनाएं और अन्य प्रकार की नियोजन के पश्चात चिकित्सा लाभ और उपदान बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य का लागत निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न अनुमान किए जाते हैं जो कि भविष्य में होने वाले वास्तविक विकास से भिन्न हो सकते हैं। इसमें रियायती दर का निर्धारण, भविष्य में वेतन में वृद्धि और मृत्यु दर सम्मिलित हैं।

मूल्यांकन की विभिन्न जटिलताओं और इसकी दीर्घकालीन प्रकृति के कारण, परिभाषित लाभ बाध्यताएं इन अनुमानों में परिवर्तन के लिए अति संवेदनशील होती हैं। रिपोर्टिंग की प्रत्येक तारीख को सभी अनुमानों की समीक्षा की जाती है। रियायती दर के बदलने की संभावना सर्वाधिक होती है। भारत में परिचालित योजनाओं के समुचित रियायती दर के निर्धारण में, प्रबंधन सरकारी बॉण्डों की ब्याज दरों के साथ समान रूप से नियोजन पश्चात लाभ बाध्यताओं पर विचार करता है।

मृत्यु दर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध देश की मृत्यु दर तालिका पर आधारित होती है। इस मृत्यु दर तालिका में जन-सांख्यिकी परिवर्तनों के प्रत्युत्तर में निश्चित अंतरालों पर परिवर्तन होता है। भविष्य की वेतन वृद्धि और उपदान वृद्धि भविष्य में प्रत्याशित मुद्रास्फीति दर पर आधारित होती है।

2.23.2.4 वित्तीय लिखतों/साधनों का उचित मूल्य मापन

जब तुलन पत्र में वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य को सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य के आधार पर मापा नहीं जा सकता है, तब उनके उचित मूल्य को डीसीएफ मॉडल सहित सामान्य तौर पर स्वीकार्य मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करते हुए मापा जाता है। इन मॉडलों में इनपुट को जहां संभव हो प्रेक्षणीय बाजार से लिया जाता है, लेकिन जहां यह संभव नहीं है, उचित मूल्य के निर्धारण में एक निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। निर्णय में तरलता जोखिम, क्रेडिट जोखिम, अस्थिरता और अन्य प्रासंगिक इनपुट/प्रतिफलों का विचार किया जाता है। इन कारकों में अनुमान और प्राक्कलन में परिवर्तन वित्तीय लिखतों में रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य प्रभावित कर सकता है।

2.23.2.5 विकास के तहत अप्रत्यक्ष संपत्ति

कंपनी लेखा नीति के अनुरूप किसी परियोजना के लिए विकास के तहत परिसंपत्तियों का पूंजीकरण करती है। लागत का प्रारंभिक पूंजीकरण प्रबंधन के निर्णय पर आधारित होता है जिसमें सामान्यतः एक परियोजना रिपोर्ट बनाकर अनुमोदित कर उसकी तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित कर ली जाती है।

2.23.2.6 खदान बंदी, खदान स्थल पुनरुद्धार और कार्य समाप्ति दायित्व के प्रावधान

खदान बंदी, खदान स्थल पुनरुद्धार और कार्य समाप्ति दायित्व के प्रावधान के उचित मूल्य के निर्धारण में रियायती दर, खदान स्थल पुनरुद्धार और विनष्टीकरण तथा इन लागतों में अनुमानित समय के आधार पर अनुमान और प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। कंपनी द्वारा निम्नलिखित आधार पर परियोजना/खदान के जीवन पर विचार करते हुए डीसीएफ विधि का प्रयोग कर प्राक्कलन तैयार किया जाता है.

- कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की विशिष्टताओं के अनुसार प्रति हेक्टेयर अनुमानित लागत
- रियायती दर (कर पूर्व दर) जिस पर राशि के समय आधारित मूल्य के वर्तमान बाजार के अनुसार मूल्यांकन और विशेष रूप देयताओं के जोखिम पर प्रभाव डालते हैं।

2.24 प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर:

क.	CGU	नकद उत्पाद इकाई
ख.	DCF	रियायती नकदी प्रवाह
ग.	FVTOCI	अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य
घ.	FVTPL	लाभ व हानि के जरिए उचित मूल्य
ड..	GAAP	सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांत
च.	Ind AS	भारतीय लेखा मानक
छ.	OCI	अन्य व्यापक आय
ज.	P&L	लाभ व हानि
झ.	PPE	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण
ट.	SPPI	मूलधन एवं ब्याज का एकमात्र भुगतान
ठ.	EIR	प्रभावी ब्याज दर

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी 3 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़ में)

	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि (फ्रीहोल्ड भूमि)	अन्य भूमि	भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और पुलिया आदि सहित)	संयंत्र और उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साइडिंग	भूमि पुनर्स्थापना / साइट बहाली लागत	फर्नीचर और जुड़नार	कार्यालय उपकरण	वाहन	हवाई जहाज	अन्य खनन आधारभूत संरचना	अन्य	"अप्रयुक्त (सर्वे ऑफ) परिसंपत्तियां"	कुल
वहन राशि :															
01-04-2018 को	166.27	563.97	416.24	1,482.89	20.59	25.01	332.89	149.16	25.87	2.51	-	414.82	-	5.47	**3,605.69**
परिवर्धन	56.94	144.26	60.64	244.99	2.25	4.30	-	28.07	8.98	-	-	230.30	-	1.44	**782.17**
विलोपन / समायोजन	-	-	0.02	(31.53)	(0.62)	-	-	(2.82)	(4.13)	-	-	-	-	(2.58)	**(41.66)**
31-03-2019 को	**223.21**	**708.23**	**476.90**	**1,696.35**	**22.22**	**29.31**	**332.89**	**174.41**	**30.72**	**2.51**	**-**	**645.12**	**-**	**4.33**	**4,346.20**
01-04-2019 को	223.21	708.23	476.90	1,696.35	22.22	29.31	332.89	174.41	30.72	2.51	-	645.12	-	4.33	**4,346.20**
परिवर्धन	43.96	158.83	97.44	96.13	0.93	10.99	23.30	16.52	4.44	0.27	-	156.93	0.02	1.72	**611.48**
विलोपन / समायोजन	0.51	-	(0.30)	(33.50)	-	-	-	(1.56)	0.27	0.01	-	(0.01)	2.53	(0.88)	**(32.93)**
31-03-2020 को	**267.68**	**867.06**	**574.04**	**1,758.98**	**23.15**	**40.30**	**356.19**	**189.37**	**35.43**	**2.79**	**-**	**802.04**	**2.55**	**5.17**	**4,924.75**
प्राव धान और नुकसान															
01-04-2018 को	-	107.09	82.28	329.90	6.88	4.71	105.45	71.89	4.95	0.68	-	181.77	-	5.47	**901.07**
वर्ष के लिए प्रभार	-	75.56	26.58	221.52	2.78	1.80	26.51	14.78	4.60	0.24	-	38.39	-	-	**412.76**
नुकसान	-	-	-	19.86	-	-	-	-	-	-	-	58.47	-	1.44	**79.77**
विलोपन / समायोजन	-	(2.82)	0.01	(28.55)	-	-	-	(1.55)	(4.28)	-	-	-	-	(2.58)	**(39.77)**
31-03-2019 को	**-**	**179.83**	**108.87**	**542.73**	**9.66**	**6.51**	**131.96**	**85.12**	**5.27**	**0.92**	**-**	**278.63**	**-**	**4.33**	**1,353.83**
01-04-2019 को	-	179.83	108.87	542.73	9.66	6.51	131.96	85.12	5.27	0.92	-	278.63	-	4.33	**1,353.83**
वर्ष के लिए प्रभार	-	85.14	33.89	208.36	2.89	2.60	38.26	15.63	5.85	0.28	-	44.45	-	-	**437.35**
नुकसान	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	(9.87)	-	1.68	**(7.94)**
विलोपन / समायोजन	-	-	0.08	3.24	-	-	-	(33.56)	0.15	0.01	-	1.08	2.53	(0.84)	**(27.31)**
31-03-2020 को	**-**	**264.97**	**142.84**	**754.58**	**12.55**	**9.11**	**170.22**	**67.19**	**11.27**	**1.21**	**-**	**314.29**	**2.53**	**5.17**	**1,755.93**
निवल वहन राशि															
31-03-2020 को	**267.68**	**602.09**	**431.20**	**1,004.40**	**10.60**	**31.19**	**185.97**	**122.18**	**24.16**	**1.58**	**-**	**487.75**	**0.02**	**-**	**3,168.82**
31-03-2019 को	**223.21**	**528.40**	**368.03**	**1,153.62**	**12.56**	**22.80**	**200.93**	**89.29**	**25.45**	**1.59**	**-**	**366.49**	**-**	**-**	**2,992.37**

टिप्पणी:

1. कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 के तहत अधि ग्रहीत की गई भूमि के लिए अलग से स्वात्वि विलेख (टाईटल डीड) की आवश्यकता नहीं होती है। फ्रीहोल्ड भूमि के कुछ मामलों, जि समें कानूनी औपचारिकताएं लंबित हैं, को छोड़कर अधि ग्रहीत भूमि के लिए लगभग सभी स्वामित्व विलेख (टाईटल डीड) प्राप्त हो चुके हैं और कंपनी के पक्ष में उनका दाखिल-खारिज भी हो चुका है।
2. भूमि - अन्य में कोयलाधारित क्षेत्र (अधि ग्रहण एवं विकास) अधिनियम 1957 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 के तहत अधिगृहीत भूमि को शामिल किया गया है।
3. भूमि सुधार/ स्थल पुनर्स्थापन लागत में खान बंदी पर की जाने वाली अनुमानित लागत को बढ़ी हुई मुद्रास्फीति (5% प्रतिवर्ष) के साथ शामिल की जाती है और फिर 8% की दर से छूट दी जाती है, जो उचित मूल्य और जोखिम की वर्तमान बाजार दर को दर्शाती है।
4. कोल माइंस लेबर वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन और कोल माइंस रेस्क्यू ऑर्ग नाइजेशन से ली गई संपत्ति और देनदारियां, जिनके लिए कोई मात्रात्मक विवरण उपलब्ध नहीं है, मूल्य निर्धा रण लंबित होने के कारण उन्हें खातों में शामिल नहीं कि या गया है। कोल माइंस लेबर वेलफेयर ऑर्ग नाइजेशन, कल्ला एवं केंद्रीय अस्ताल के साथ 4 अन्य अस्पतालों / डिस्पेंसरियों, माइन्स रेस्क्यू स्टे शन, बाराकर इंजीनि यरिंग एंड फाउंड्री वर्क्स के संबंध में परिसंपत्ति और दयेताओं के लिए हस्तांत रित और कं पनी द्वारा लिया गया औपचारिक हस्तांत रण विलेख/ समझौते को अभी भी कंपनी के पक्ष में अंतिम रूप दिया जाना और निष्पादित किया जाना बाकी है।
5. तकनीकी अनुमान के अनुसार निर्धारित उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है।
6. कंपनी हानि का परीक्षण करने के उद्देश्य से अलग नकद उत्पादन इकाइयों के रूप में अलग-अलग खानों पर विचार करता है और एक ही अगले पांच वर्षों के लिए अनुमानित नकदी प्रवाह पर विचार DCF मॉडल पर गणना की जाती है। छूट की दर @ 8% माना गया है। / लाभ और हानि के वक्तव्य में परिशोधन उपरोक्त गणना के आधार पर, ₹ 29.45 करोड़ (₹ 79.77 करोड़) को हानि राशि का आरोप लगाया गया है और ₹ 37.39 करोड़ (शून्य) वर्ष के दौरान उलट दिया और सिर मूल्यह्रास के तहत दिखाया गया है।
7. संयत्र, संपत्ति और उपकरण: भवन (बिल्डिंग) में आवासीय/ कार्यालय/ खनन क्षेत्र में स्थित सड़कें और पुलिया शामिल हैं।
8. परिसंपत्तियोंर और दयेताओं के कंपनी को स्थानांतरण के लिए विधिक औपचारिकताओंके लंबित होने के कारण खनन अधि कारों आदि सहित कुछ परिसंपत्तियां कोल इंडिया लिमिटेड के नाम सेही जारी रहेंगी।
9. तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, संयंत्र और उपकरण के तहत कुछ एचईएमएम के उपयोगी जीवन को संशोधित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.32 करोड़ (एनआईएल) द्वारा अवधि के दौरान मूल्यह्रास में कमी आई है।

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी 4 : पूंजीगत कार्य प्रगति (डब्ल्यूआईपी)

(₹ करोड़ में)

	भवन (जलापूर्ति, सड़क और पुल सहित)	संयंत्र और उपकरण	रेलवे साइडिंग	क्रमागत उन्नति	अन्य	कुल
वहन राशि :						
01-04-2018 को	45.76	127.32	89.11	92.83	2.76	357.78
परिवर्धन	69.92	138.74	40.78	158.47	21.03	428.94
विलोपन / समायोजन	(58.15)	(223.59)	(4.49)	(181.89)	(11.08)	(479.20)
31-03-2019 को	**57.53**	**42.47**	**125.40**	**69.41**	**12.71**	**307.52**
01-04-2019 को	57.53	42.47	125.40	69.41	12.71	307.52
परिवर्धन	77.52	197.46	30.77	158.77	10.63	475.15
विलोपन / समायोजन	(94.57)	(44.25)	(9.01)	(139.28)	(10.57)	(297.68)
31-03-2020 को	**40.48**	**195.68**	**147.16**	**88.90**	**12.77**	**484.99**
प्रावधान और नुकसान						
01-04-2018 को	(0.15)	0.57	(0.90)	5.60	(0.01)	5.11
वर्ष के लिए प्रभार	-	0.18	-	-	-	0.18
नुकसान	-	-	-	2.45	-	2.45
विलोपन / समायोजन	0.04	(1.97)	-	(1.83)	-	(3.76)
31-03-2019 को	**(0.11)**	**(1.22)**	**(0.90)**	**6.22**	**(0.01)**	**3.98**
01-04-2019 को	(0.11)	(1.22)	(0.90)	6.22	(0.01)	3.98
वर्ष के लिए प्रभार	0.21	-	-	-	0.07	0.28
नुकसान	-	-	-	4.94	-	4.94
विलोपन / समायोजन	-	-	-	2.48	-	2.48
31-03-2020 को	**0.10**	**(1.22)**	**(0.90)**	**13.64**	**0.06**	**11.68**
निवल वहन राशि						
31-03-2020 को	**40.38**	**196.90**	**148.06**	**75.26**	**12.71**	**473.31**
31-03-2019 को	**57.64**	**43.69**	**126.30**	**63.19**	**12.72**	**303.54**

टिप्पणी:

1. 7.34 करोड़ (2.45 करोड़) की राशि का आरोप लगाया गया है और 2.40 करोड़ (NIL) वर्ष के दौरान उलट दिया गया है और लाभ और हानि के विवरण में प्रमुख मूल्यह्रास / परिशोधन के तहत दिखाया गया है।

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी 5 : अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां
वहन राशि :	
01-04-2018 को	528.08
परिवर्धन	73.56
विलोपन / समायोजन	(1.64)
31-03-2019 को	**600.00**
01-04-2019 को	600.00
परिवर्धन	16.04
विलोपन / समायोजन	(0.29)
31-03-2020 को	**615.75**
प्रावधान और नुकसान	
01-04-2018 को	-
वर्ष के लिए प्रभार	-
नुकसान	-
विलोपन / समायोजन	-
31-03-2019 को	-
01-04-2019 को	-
वर्ष के लिए प्रभार	-
नुकसान	-
विलोपन / समायोजन	-
31-03-2020 को	**-**
निवल वहन राशि	
31-03-2020 को	**615.75**
31-03-2019 को	**600.00**

टिप्पणी:

1. अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्तियों में झारखंड राज्य में तीन कोयला ब्लॉक अर्थात् अमरकोंडा-मुरगादंगल, ब्राह्मणी और चिचरी-पिस्टिमल के आवंटन के प्रति। 417.44 करोड़ शामिल हैं।

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी 6 : अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	अन्य	कुल
वहन राशि :			
01-04-2018 को	-	-	-
परिवर्धन	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-
31-03-2019 को	-	-	-
01-04-2019 को	-	-	-
परिवर्धन	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-
31-03-2020 को	-	-	-
प्रावधान और नुकसान			
01-04-2018 को	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार	-	-	-
नुकसान	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-
31-03-2019 को	-	-	-
01-04-2019 को	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार	-	-	-
नुकसान	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-
31-03-2020 को	-	-	-
निवल वहन राशि			
31-03-2020 को	-	-	-
31-03-2019 को	-	-	-

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी 7 : निवेश

(₹ करोड़ में)

	"शेयरों की संख्या वर्तमान वर्ष / गत वर्ष"	"प्रति शेयर अंकित मूल्य वर्तमान वर्ष / गत वर्ष"	31-03-2020 को	31-03-2019 को
गैर-वर्तमान				
अन्य (सहकारी शेयरों में)				
i) "कोल माइन्स ऑफीसर्स को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि. में "बी" श्रेणी के शेयर"	500 (500)	1000 (1000)	0.05	0.05
ii) दि शेरगढ़ कोलियरी कर्माचारी सेंट्रल को-ऑपरेटिव स्टोर लि. में "बी" श्रेणी के 1000 शेयर	1000 (1000)	100 (100)	0.01	0.01
iii) "मुगमा कोलफील्ड कोलियरी कर्मचारी सेंट्रल को-ऑपरेटिव स्टोर लि. में प्रत्येक रु. 25/- मूल्य के 4000 शेयर"	4000 (4000)	25 (25)	0.01	0.01
iv) "सोदेपुर कोलियरी कर्मचारी सेंट्रल को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि. में "बी" श्रेणी के शेयर"	500 (500)	100 (100)	0.005	0.005
v) "धेनोमैन कोलियरी कर्मचारी सेंट्रल को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि. में "बी" श्रेणी के शेयर"	500 (500)	100 (100)	0.005	0.005
कुल			**0.08**	**0.08**
गैर-उद्धृत निवेश की कुल राशि :			0.08	0.08
उद्धृत निवेश की कुल राशि :			-	-
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य:			-	-
निवेश के मूल्य में नुकसान की कुल राशि :			-	-

टिप्पणी:

1. परिशोधित लागत पर मान्य कर्मचारी सहकारी समितियों को शेयर

वर्तमान				
म्युचुअल फंड निवेश				
यूटीआई म्युचुअल फंड			-	-
एलआईसी म्युचुअल फंड			-	-
एसबीआई म्युचुअल फंड			-	-
कैनरा रोबेको म्युचुअल फंड			-	-
यूनियन केबीसी म्युचुअल फंड			-	-
बीओआई एक्सा म्युचुअल फंड			-	-
8.5 % कर मुक्त विशेष बॉन्ड (पूर्ण प्रदत्त):			-	-
यूपी			-	-
कुल			-	-
कुल उद्धृत निवेश:			-	-
कुल गैर-उद्धृत निवेश:			-	-
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य:			-	-
निवेश के मूल्य में नुकसान की कुल राशि :			-	-

निगमावलोकन

स्थिति रिपोर्ट

वित्तीय विवरण

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी 8 : ऋण

(₹ करोड़ में)

	31-03-2020 को		31-03-2019 को	
गैर-वर्तमान				
अन्य ऋण				
सुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	0.05		0.09	
असुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	-		-	
क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि वाले	-		-	
खराब साख	-		-	
	0.05		0.09	
घटाएं: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	0.05		0.09
कुल		**0.05**		**0.09**
वर्गीकरण				
सुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	0.05		0.09	
असुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	-		-	
क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि वाले	-		-	
खराब साख	-		-	
वर्तमान				
अन्य ऋण				
सुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	-		-	
असुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	-		-	
क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि वाले	-		-	
खराब साख	-		-	
	-		-	
घटाएं: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-	-	-
कुल		-		-

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी 9 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	31-03-2020 को		31-03-2019 को	
गैर-वर्तमान				
बैंक जमा*		0.12		0.12
निम्न मदों के तहत बैंक में जमा राशि				
खदान बंदी योजना * *		632.97		452.29
स्थानांतरण और पुनर्वास निधि योजना		-		-
खदान बंदी व्यय के लिए एस्क्रो खाते से प्राप्य		339.86		47.53
अन्य जमा और प्राप्य ***	21.28		21.07	
घटाएं: संदिग्ध जमाओं के लिए प्रावधान	21.07	0.21	21.07	-
कुल		**973.16**		**499.94**

टिप्पणी:

* बैंक जमाओं में 12 महीने से अधिक की प्रारंभि क परिपक्वता वाले जमा हैं।

** ₹ 148.37 करोड़ (NIL) वर्ष के दौरान माइन क्लोजर एस्क्रो अकाउंट की ओर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा किया गया है।

** वर्ष के दौरान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा माइन क्लोजर एस्क्रो अकाउंट के लिए ब्याज के रूप में ₹ 32.31 करोड़ (₹ 25.42 करोड़) जमा किए गए हैं।

*** अन्य प्राप्तियों में पश्चिम बंगाल सरकार से बिजली शुल्क प्राप्तियों के रिफंड के रूप में ₹ 20.86 करोड़ (₹ 20.86 करोड़) शामिल हैं।

एस्क्रो खाता की प्राप्त शेष राशि:

	31-03-2020 को		31-03-2019 को	
प्रारंभिक तिथि पर एस्क्रो खाते में शेष राशि		452.29		426.87
युक्त: चालू वर्ष के दौरान जमा शेष राशि		148.37		-
युक्त: वर्ष के दौरान ब्याज का श्रेय		32.31		25.42
कम: चालू वर्ष के दौरान वापस ली गई राशि		-		-
समापन तिथि पर एस्क्रो खाते में शेष राशि		**632.97**		**452.29**
वर्तमान				
सीआईएल के साथ अधिशेष निधि		-		-
कोल इंडिया लिमिटेड के साथ जमा शेष		-		36.18
अर्जित ब्याज		236.14		241.09
दावे और अन्य प्राप्य	36.74		32.60	
घटाएं : संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान	5.81	30.93	4.22	28.38
कुल		**267.07**		**305.65**

निगमावलोकन

स्थिति रिपोर्ट

वित्तीय विवरण

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी 10 : अन्य गैर-वर्तमान पत्तियां

(₹ करोड़ में)

	31-03-2020 को		31-03-2019 को	
i. पंजी अग्रिम	277.30		185.60	
घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	1.48	275.82	1.48	184.12
ii. पंजी अग्रिम के अलावा अग्रिम				
(क) उपयोगिताओं के लिए सरुक्षा जमा *	3.74		3.74	
घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	1.52	2.22	1.52	2.22
(ख) अन्य जना एवं अग्रिम	7.96		1.14	
घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.13	7.83	0.13	1.01
(ग) संबंधित पक्षों (रिलेटेड पार्टी) को अग्रिम		-		-
कुल		**285.87**		**187.35**

टिप्पणी:

* सीआईएसएफ विंग की शक्त बढ़ा ने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए ₹ 2.21 करोड़ आंतरिक मामलों के मंत्रालय में जमा किए हैं।

टिप्पणी 11 : अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	31-03-2020 को		31-03-2019 को	
राजस्व के लिए अग्रिम (वस्तुएं एवं सेवाएं)	77.92		62.97	
घटाएं: संदग्ध अग्रिों के लिए प्रावधान	0.02	77.90	-	62.97
सांविधिक बकायों का अग्रिम भुगतान	266.67		199.79	
घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	266.67	-	199.79
संबंधित पक्षों के लिए अग्रिम		-		-
अन्य अग्रिम एवं जमाएं	228.96		386.85	
घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	1.89	227.07	1.70	385.15
इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य		270.88		197.15
मेट (MAT) क्रेडिट पात्रता		-		-
कुल		**842.52**		**845.06**

टिप्पणी:

1. अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों को कुछ संदिग्ध अग्रिमों को छोड़कर सुरक्षित और अच्छा माना जाता है जिसके लिए उपरोक्त के रूप में पूर्ण प्रावधान किया गया है।

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी 12 : सूची (इन्वेंटरी)

(₹ करोड़ में)

	31-03-2020 को		31-03-2019 को	
कोयले का स्टॉक	322.88		238.42	
विकास के तहत कोयला	-		-	
कोयले का स्टॉक (शुद्ध) (क)		**322.88**		**238.42**
भंडार और पुर्जों का स्टॉक (लागत पर)	165.50		167.51	
जोड़ें: पारगमन के तहत भंडारण	0.87		2.73	
शुद्ध भंडार और पुर्जों का स्टॉक (लागत पर) (ख)		166.37		170.24
केन्द्रीय अस्पताल में दवाइयों का स्टॉक (ग)		0.59		0.54
कार्मशाला और प्रेस कार्य (घ)		13.88		11.36
कुल (क + ख + घ + घ)		**503.72**		**420.56**

टिप्पणी:

1. मूल्यांकन की विधि: नोट 2 के बिंदु संख्या 2.20 का संदर्भ लें - महत्वपूर्ण लेखा नीति।

31-03-2020 को बुक स्टाक के साथ लेखा में अपनाया गया कोयले के समापन स्टॉक का सामंजस्य

टिप्पणी 12 से संबंधित अनुलग्नक (1)

बही स्टॉक और मापित स्टॉक का मिलान

(मात्रा लाख टन में) (मूल्य ₹ करोड़ में)

	कुल स्टॉक		गैर-बिक्री योग्य स्टॉक		बिक्री योग्य स्टॉक	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
01.04.19 को आरंभिक स्टॉक	22.50	238.80	-	-	22.50	238.80
जोड़ / (घटाव) : आरंभिक स्टॉक में समायोजन	-	-	-	-	-	-
1. 01.04.2019 को आरंभिक स्टॉक में समायोजन	22.50	238.80	-	-	22.50	238.80
2. वर्ष के लिए उत्पादन	504.02		-		504.02	
3. उप-योग (1 + 2)	**526.52**	**238.80**	**-**	**-**	**526.52**	**238.80**
4. उठान (ऑफ टेक) :						
(क) बाहरी प्रेषण	491.35	12,823.74	-	-	491.35	12,823.74
(ख) वाशरियों में खपत	-	-	-	-	-	-
(ग) निजी खपत	1.81	52.30	-	-	1.81	52.30
योग	493.16	12,876.04	-	-	493.16	12,876.04
5. व्युत्पन्न स्टॉक	33.36	323.25	-	-	33.36	323.25
6. मापित स्टॉक	32.56	315.81	-	-	32.56	315.81
7. अंतर (5-6)	0.80	7.44	-	-	0.80	7.44
8. अंतर का विवरण:						
(क) 5% के भीतर की अधिकता	-	0.02	-	-	-	0.02
(ख) 5% के भीतर की कमी	0.80	7.46	-	-	0.80	7.46
(ग) 5% से ऊपर की अधिकता	-	-	-	-	-	-
(घ) 5% से अधि क की कमी	-	-	-	-	-	-
9. 31.03.2019 को लेखा में लिया गया अंतिम स्टॉक [6 - 8क + 8ख]	33.36	323.25	-	-	33.36	323.25

टिप्पणी: उत्पादन में 0.01 लाख टन का जब्त कोयला शामिल है।

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

कोयले के समापन स्टॉक का सारांश

	कच्चा कोयला				धुला हुआ कोयला				अन्य उत्पाद		कुल	
	कोकिंग		गैर-कोकिंग		कोकिंग		गैर-कोकिंग					
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
आरंभि क स्टॉक (अंकेक्षित)	-	-	22.50	238.80	-	-	-	-	-	-	22.50	238.80
घटाएं: गैर-बिक्री योग्य कोयला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समायोजन आरंभिक स्टॉक (बिक्री योग्य)	-	-	22.50	238.80	-	-	-	-	-	-	22.50	238.80
उत्पादन	-	-	504.02	-	-	-	-	-	-	-	504.02	-
उठाव (ऑफटेक)												
क. प्रेषण	-	-	491.35	12,823.74	-	-	-	-	-	-	491.35	12,823.74
ख. वाशरी लिए इस्तेमाल किया गया कोयला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. निजी खपत	-	-	1.81	52.30	-	-	-	-	-	-	1.81	52.30
अंतिम स्टॉक	-	-	33.36	323.25	-	-	-	-	-	-	33.36	323.25
घटाएं: कमी (शॉर्टेज)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-03-2020 को अंतिम स्टॉक	**-**	**-**	**33.36**	**323.25**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**33.36**	**323.25**
कोयले के समापन स्टॉक के खिलाफ प्रावधान	-	-	-	0.37	-	-	-	-	-	-	-	0.37
31-03-2020 को अंतिम स्टॉक (टिप्पणी - 12)	**-**	**-**	**33.36**	**322.88**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**33.36**	**322.88**
घटाएं: जब्त किया गया कोयला	-	-	-	0.96	-	-	-	-	-	-	-	0.96
31-03-2020 को अंतिम स्टॉक (टिप्पणी - 27)	**-**	**-**	**33.36**	**321.92**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**33.36**	**321.92**

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी - 13 : व्यापार प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

	31-03-2020 को		31-03-2019 को	
वर्तमान				
व्यापार प्राप्तियां				
सुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	-		-	
असुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	3,316.46		1,621.92	
क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वाली	-		-	
खराब साख	383.16		307.05	
	3,699.62		1,928.97	
घटाएं : खराब और संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	383.16	3,316.46	307.05	1,621.92
कुल		**3,316.46**		**1,621.92**

टिप्पणी:

	31-03-2020 को	**31-03-2019 को**
1. कंपनियों द्वारा देय जिसमें कंपनी के निदेशक भी एक निदेशक / सदस्य हैं।		
अंतिम जमाशेष	NIL	NIL
किसी भी समय देय अधिकतम राशि	NIL	NIL
2. एसे पक्षों द्वारा देय जिसमें कंपनी के निदेशक/ निदेशकों की रूचि है।		
अंतिम जमाशेष	NIL	NIL
किसी भी समय देय अधिकतम राशि	NIL	NIL
3. भत्ते का विवरण निम्नलिखित है:-		
आरंभिक शेष	307.05	366.00
घटाएं: - प्रारंभिक ऋणदाताओं के लिए निपटान किए गए/ बट्टे खाले में डाले गए/ समायोजित	1.00	-
जोड़े:- वर्ष के दौरान नए प्रावधान	91.74	26.53
घटाएं:- प्रारंभिक प्रावधान से बट्टे खाते में	14.63	85.48
अंतिम शेष	**383.16**	**307.05**

4. विविध देनदारों के लिए प्राव धान अपेक्षिक क्रेडिट हानि मॉडल पर आधारित हैं।
5. ऊपर दी गई व्यापार प्राप्ती कोयला गुणवत्ता के समायोजन के बाद ₹ 121.99 करोड़ (₹ -74.02 करोड़) की राशि है।

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी 14 : नकदी और नकदी समतुल्य

(₹ करोड़ में)

	31-03-2020 को	31-03-2019 को
बैंकों में जमा शेष		
i. जमा खातों में	-	-
ii. चालू खातों में		
क. ब्याज के साथ (सीएलटीडी खाते आदि) *	**77.49**	**368.90**
ख. गैर-ब्याज के साथ	**15.79**	**109.78**
iii. कैश क्रेडिट खातों में	-	-
भारत के बाहर बैंक जमा शेष	-	-
हस्तगत चेक, ड्राफ्ट और स्टांप	-	-
हस्तगत नकदी	-	-
भारत के बाहर हस्तगत नकदी	-	-
अन्य	-	-
कुल नकदी और नकदी समतुल्य	**93.28**	**478.68**

टिप्पणी:

* ब्याज वहन (सीएलटीडी खाते आदि) में बाजार कर देय i.r.o. के विरुद्ध Cr 26.20 करोड़ ((26.54 करोड़) का CLTD शामिल है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार मुगमा क्षेत्र का आदेश सं W.P. 2015 के No.8553 (डब्ल्यू) और 50.26 करोड़ ((34.46 करोड़) के CLTD ने ई-टेंड रग के खिलाफ अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के लिए एक्सिस बैंक पूल अकाउंट के साथ लिंक किया जो केवल असफल बोलीदाताओं के ऑटो रिफंड के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

टिप्पणी 15 : अन्य बैंक जमा शेष

(₹ करोड़ में)

	31-03-2020 को	31-03-2019 को
बैंकों में जमा शेष		
जमा खाते	**3,873.27**	**4,186.82**
खदान बंदी योजना	-	-
स्थानांतरण और पुनर्वास निधि योजना	-	-
अदत्त लाभांश खाते	-	-
लाभांश खाते	-	-
कुल	**3,873.27**	**4,186.82**

टिप्पणी:

1. बैंक जमाएं 3 महीने से अधिक किंतु 12 महीने से कम परिपक्वता अवधि की हैं।

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी 16 : इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

	31-03-2020 को	31-03-2019 को
Authorised		
₹ 1000/- प्रति शेयर मूल्य के 25000000 इक्विटी शेयर	2,500.00	2,500.00
	2,500.00	**2,500.00**
निर्गत, अभिगत, प्रदत्त (पेड-अप)		
₹ 1000/- प्रति शेयर मूल्य के पूर्णत : नकदी में चुकता 10390000 इक्विटी शेयर	1,039.00	1,039.00
₹ 1000/- प्रति शेयर मूल्य के नकदी के अलावा पूर्णतः भुगतान के रूप में विचारार्थ आवंटित 11794500 इक्विटी शेयर	1,179.45	1,179.45
	2,218.45	**2,218.45**

टिप्पणी:

1. कंपनी में प्रत्येक शेयर धारक के पास 5 % से अधिक शेयर

शेयर धारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या (प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 1000)
कोल इंडिया लिमिटेड - धारक कंपनी (इक्विटी शेयर)	22184500

2. वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ।
3. कंपनी के पास केवस एक ही श्राणी के शेयर अर्थात इक्विटी शेयर हैं।

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी 17 : अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

	अधिमान शेयर पूंजी का इक्विटी अंश	अन्य रिजर्व				सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	कुल अन्य व्यापक आय	कुल
		पूंजी मोचन आरक्षित	पूंजी आरक्षित	सीएसआर आरक्षित	सतत विकास आरक्षित				
01-04-2018 को शेष	**855.61**	**-**	**-**	**-**	**-**	**832.71**	**(3,751.34)**	**186.70**	**(1,876.32)**
लेखा नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पूर्व अवधि त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.2018 को पुनर्विवर्णित शेष	**855.61**	**-**	**-**	**-**	**-**	**832.71**	**(3,751.34)**	**186.70**	**(1,876.32)**
प्रतिधारित आय को स्थानांकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य आरक्षित / प्रतिधारित आय से स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	748.77	(42.39)	706.38
विनियोग									
सामान्य रिजर्व से / में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व से / में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कोई अन्य बदलाव (उल्लेख करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-03-2019 को शेष	**855.61**	**-**	**-**	**-**	**-**	**832.71**	**(3,002.57)**	**144.31**	**(1,169.94)**
01-04-2019 को शेष	**855.61**	**-**	**-**	**-**	**-**	**832.71**	**(3,002.57)**	**144.31**	**(1,169.94)**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिधारित आय को स्थानांकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य आरक्षित / प्रतिधारित आय से स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	997.65	(163.28)	834.37
विनियोग	-	-	-	-	-	-	-	-	
सामान्य रिजर्व से / में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व से / में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
इक्विटी शेयर की बायबैक कोई अन्य बदलाव (उल्लेख करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-03-2020 को शेष	**855.61**	**-**	**-**	**-**	**-**	**832.71**	**(2,004.92)**	**(18.97)**	**(335.57)**

Notes:

	31-03-2020	31-03-2019	01-04-2018
1. वरीयता शेयर पूंजी की अधिकृत शेयर पूंजी 21000000 शेयर, 6% अपरिवर्तनीय सकल, बिमोचन योग्य रू 1000/ प्रत्येक।	2,100.00	2,100.00	2,100.00

2. वर्ष के दौरान वरीयता शेयरों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
3. वित्त वर्ष 2014-15 में कोल इंडिया लिमिटेड (धारक कंपनी) को वरीयता शेयर जारी किए गए।
4. वरीयता शेयर एक मिश्रित वित्तीय साधन है और लाभांश संचयी और विवेकाधीन है। 109 इंडस्ट्रीज़ के अनुसार, इस कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट को इक्विटी और लॉन्ग टर्म बॉरोइंग में अलग किया गया है। वरीयता शेयर पूंजी नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य 8% p.a की छूट दर को लागू करके गणना की गई है। गणना की गई नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य को लॉन्ग टर्म बॉरोइंग (26.12.2014 को रु. 1195.36 करोड़) और शेष राशि अर्थात मौजूदा वरीयता शेयरों के मूल्य और लॉन्ग टर्म बॉरोइंग (रु। 2050.97 करोड़) के बीच अंतर माना गया है। करोड़ = रु. 855.61 करोड़) 2014/12/26 के रूप में नए पसंद शेयरों के रूप में माना गया है।
5. सामान्य आरक्षित एक मुक्त आरक्षित है, जिसका उपयोग आवश्यकता होने पर विनियोजन उद्देश्यों के लिए विनियोजित आय से मुनाफे के हस्तांतरण के लिए कि या जाता है।
6. रिटायर्ड कमाई कंपनी की संचित कमाई के निर्विवाद लाभ / राशि का प्रतिनिधित्व करती है।
7. अन्य व्यापक आय (ओसीआई) परिभाषित लाभ दायित्व के पुनर्भुगतान लाभ / (हानि) से संबंधित इक्विटी में संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं।

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी 18 : उधारियां

(₹ in Crore)

	31-03-2020 को	31-03-2019 को
गैर-वर्तमान		
मियादी ऋण		
बैंकों से	-	-
अन्य पक्षों से		
निर्यात विकास निगम, कनाडा	164.82	158.93
संयुक्त वित्तीय लिखत के देयता घटक (वरीयता शेयर)	1,794.99	1,662.03
अन्य ऋण	-	-
कुल	1,959.81	1,820.96
वर्गीकरण -1		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	1,959.81	1,820.96
वर्गीकरण -2		
निदेशकों एवं अन्य द्वारा ऋण गारंटी		
ऋण का विवरण	**राशि (₹ करोड़ में)**	**गारंटी की प्रकृति**
निर्यात विकास निगम, कनाडा	164.82	भारत सरकार

टिप्पणी:

1. निर्यात विकास निगम से असुरक्षित ऋण के संबंध में 13.04 करोड़ (10.93 करोड़) की विनिमय दर में कमी, कनाडा को असुरक्षित ऋण के मूल्य में समायोजित किया गया है और अन्य व्यय (नोट - 35) में दिखाया गया है।
2. पुनर्भुगतान अनुसूची- EDC कनाडा से ऋण की किस्त की चुकौती 31 जनवरी और 31 जुलाई को किया जाता है।
3. वरीयता शेयर एक मिश्रित वित्तीय साधन है और लाभांश संचयी और विवेकाधीन है। 109 इंडस्ट्रीज़ के अनुसार, इस कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट को इक्विटी और लॉन्ग टर्म बॉरोइंग में अलग किया गया है। वरीयता शेयर पूंजी नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य 8% p.a की छूट दर को लागू करके गणना की गई है। ₹ 1195.36 करोड़ = ₹ - नकदी के वर्तमान मूल्य की गणना प्रवाह के रूप में लॉन्ग टर्म (पर 2014/12/26 के रूप में ₹ 1195.36 करोड़) उधार और शेष राशि मौजूदा पसंद शेयरों मूल्य और लंबी अवधि ₹ 2050.97 उधार (करोड़ के बीच का अंतर यानी माना गया है 855.61 करोड़) को 26.12.2014 को नए वरीयता शेयरों के रूप में माना गया है। यौगिक वित्तीय साधन (पसंद शेयरों) का दायित्व घटक के मूल्य ₹ 132.96 करोड़ रुपए (₹ 124.87 करोड़ रुपए) की लागत का amortizaion तनाव मुक्त समायोजित करने के बाद प्राप्त किया गया है।

वर्तमान		
मांग पर चुकौती योग्य ऋण		
बैंकों से	-	-
अन्य पक्षों से	-	-
अन्य ऋण	368.16	-
कुल	**368.16**	**-**
वर्गीकरण		
सुरक्षित	368.16	-
असुरक्षित	-	-

टिप्पणी:

1. सावधि जमा के खिलाफ बैंक ओवरड्राफ्ट सुविधा बैंक ऑफ बड़ौदा से लाभ उठाया जा चुका है ₹ 625.00 करोड़ (शून्य) की सीमा मंजूर किया।
2. कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों भारत, कॉर्पोरेट लेखा समूह शाखा, कोलकाता में इस तरह के संघ को लीड बैंक जा रहा है स्टेट बैंक के साथ संघ व्यवस्था के तहत कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों का काम कर राजधानी उधारदाताओं से काम कर राजधानी क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाया और बनाने / व्यवस्था आदेश सुरक्षित करने के लिए पहले शुल्क के माध्यम से पूरे वर्तमान आस्तियों का दृष्टिबंधक के माध्यम से सुरक्षा के निर्माण के लिए पूंजी उधारदाताओं काम कर कहा काम कर ₹ 535.00 करोड़ की कुल द्वारा दी में पूंजी ऋण सुविधाओं कहा।

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी 19 : व्यापार देयताएं

(परिशोधन लागत पर) (₹ करोड़ में)

	31-03-2020 को	31-03-2019 को
वर्तमान		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए व्यापार प्राप्तियां	2.17	-
निम्नलिखित के लिए अन्य व्यापार देय		
भंडारण और पुर्जे	74.86	82.33
विद्युत और ईंधन	15.83	24.66
वेतन, मजदूरी और भत्ते	386.40	457.95
अन्य खर्चे	1,332.92	1,163.87
कुल	**1,812.18**	**1,728.81**

टिप्पणी:

	31-03-2020 को	31-03-2019 को
1. व्यापार भुगतान - सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया		
क. प्रधानाचार्य और ब्याज राशि बकाया नहीं है, लेकिन वर्ष के अंत के कारण	2.17	-
ख. माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में कंपनी द्वारा दिए गए भुगतान के साथ-साथ आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि और वर्ष के दौरान नियुक्त दिन के अनुसार ब्याज।	-	-
ग. भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए ब्याज देय और देय (जो भुगतान किया गया है लेकिन इस अवधि के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-
घ. साल के अंत तक ब्याज और बकाया नहीं मिला	-	-
ङ. इसके बाद के वर्षों में भी ब्याज तब तक देय और देय है, जब तक कि ब्याज की बकाया राशि वास्तव में छोटे उद्यम को देय न हो।	-	-

टिप्पणी 20 : अन्य वित्तीय देयताएं

(परिशोधित कीमत पर गए) (₹ करोड़ में)

	31-03-2020 को	31-03-2019 को
गैर-वर्तमान		
प्रतिभूति	94.46	73.40
अग्रिम धन	-	-
अन्य	1.38	1.38
कुल	**95.84**	**74.78**
वर्तमान		
अनुषंगी कंपनियों से अधिशेष कोष	-	-
निम्नलिखित के साथ चालू खाता		
सी आई एल	515.71	-
आई आई सी एम	-	-
दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं	7.16	6.62
अदत्त लाभांश	-	-
प्रतिभूति	225.31	173.47
अग्रिम धन	148.73	104.21
पंजीगत व्यय के लिए दये	118.82	67.52
अन्य	-	-
कुल	**1,015.73**	**351.82**

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी 21 : प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	31-03-2020 को	31-03-2019 को
गैर-वर्तमान		
कर्मचारी लाभ		
उपदान (ग्रेच्युटी)	(131.77)	(103.12)
छुट्टी नकदीकरण	136.10	189.49
अन्य कर्मचारी लाभ	100.27	112.27
साइट पुनरुद्धार / खदान बंदी	674.41	606.03
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	2,741.29	2,454.37
अन्य (सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ)	183.61	58.69
कुल	**3,703.91**	**3,317.73**

टिप्पणी:

1. ग्रेच्युटी की अवधि की अंतिम देयता, अवकाश नकदीकरण, कर्मचारी के लिए सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ और समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, अवकाश यात्रा रियायत, खदान दुर्घटना मृत्यु के मामले में आश्रितों को मुआवजा आदि का मूल्यांकन बीमांकिक आधार पर किया जाता हैं।
2. दीर्घकालिक ग्रेच्युटी का प्रावधान ₹ 4143.17 करोड़ (₹ 3863.43 करोड़) के ग्रेच्युटी ट्रस्ट फंड शेष के समायोजन के बाद हैं।
3. दीर्घकालिक अवकाश नकदीकरण का प्रावधान एलआईसी के साथ ₹ 568.77 करोड़ (₹ 454.34 करोड़) की अवकाश नकदीकरण निधि के समायोजन के बाद है।
4. अन्य प्रावधान (सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ) ₹ 132.91 करोड़ (₹101.97 करोड़) के सीपीआरएमएसई ट्रस्ट फंड शेष के समायोजन के बाद है।
5. अन्य प्रावधान (सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ) में चिकित्सा सुविधा के लिए सेवानिवृत्त गैर-अधि कारियों से प्राप्त गैर-वापसी योग्य शुल्क का ₹121.29 करोड़ (₹ 22.70 करोड़) राशि शामिल है।
6. भूमि/ स्थल पुनर्स्थापन/ खदान के पुनरुद्धार का मिलान:

(₹ करोड़ में)

	31-03-2020 को	31-03-2019 को
दिनांक 01.04.2019/01.04.2018 को स्थल पुनर्स्थापन परिसंपत्ति का कुल मूल्य	606.03	567.80
जोड़ें: वर्ष के दौरान जोड़	23.30	-
जोड़ें: छूट की अनदेखी	45.08	38.23
साइट की बहाली का प्रावधान	**674.41**	**606.03**
वर्तमान		
कर्मचारी लाभ		
उपदान (ग्रेच्युटी)	452.33	477.44
अवकाश नकदीकरण	66.28	72.26
अनुग्रह राशि	365.68	352.36
प्रदर्शन आधारित भुगतान	183.62	131.72
अन्य कर्मचारी लाभ	158.21	214.36
अन्य (जब्त कोयला) के लिए प्रावधान	0.96	0.84
कुल	**1,227.08**	**1,248.98**

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी 22 : अन्य गैर-वर्तमान देयताएं

(₹ करोड़ में)

	31-03-2020 को	31-03-2019 को
स्थानांतरण और पुनर्वासनिधि	-	-
आस्थगित आय	2.78	-
कुल	**2.78**	**-**

टिप्पणी:

आस्थगित आय सड़क और रेल के बुनियादी ढांचे की ओर व्यय की प्रतिपूर्ति के माध्यम से कोयला मंत्रालय से सहायता कर रहे हैं।

टिप्पणी: 23 अन्य वर्तमान देनदारियां

(₹ करोड़ में)

	31-03-2020 को	31-03-2019 को
सांविधिक बकाया	752.08	704.90
कोयला आयात के लिए अग्रिम	-	-
ग्राहकों / अन्य लोगों से अग्रिम	778.79	744.55
उपकर समानीकरण खाता	2,366.40	2,239.60
अन्य देयताएं	3.90	2.86
कुल	**3,901.17**	**3,691.91**

नोट 1: - प्रत्येक वर्ष के 1 अप्रैल को प्रचलित दर पर पूर्ववर्ती दो वर्षों के औसत उत्पा दन के आधार पर कोयला धारित भूमि के वार्षिक मूल्य तथा पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को प्रचलित बिक्री मूल्य पर विचार करते हुए कोयले के प्रेषण मूल्य पर ग्राहकों से की गयी वसूली पर उपकर का भुगतान करने की प्रक्रिया में भुगतान के लिए ₹ 2366.40 करोड़ (₹ 2239.60 करोड़) की राशि शेष है जिसे उपकर खाते के तहत दि खाया गया है।

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी 24 : परिचालनों से राजस्व

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर		वर्ष के समापन पर	
	31-03-2020		31-03-2019	
I. कोयला की बिक्री		18,192.36		18,385.03
घटाएं: वैधानिक लेवी (उत्पाद शुल्क को छोड़कर)		5,368.62		5,470.68
कोयले की बिक्री (शुद्ध) (क)		**12,823.74**		**12,914.35**
II. अन्य परिचालन राजस्व				
बालू भराई और संरक्षा कार्यों के लिए अनुदान		-		-
लदाई एवं अतिरिक्त परिवहन शुल्क	353.96		367.68	
घटाएं: वैधानिक लेवी	16.86	337.10	15.63	352.05
निकासी सुविधा शुल्क	186.47		192.06	
घटाएं: वैधानिक लेवी	8.88	177.59	9.15	182.91
अन्य परिचालन राजस्व (शुद्ध) (ख)		**514.69**		**534.96**
ग्रहकों के साथ अनुबंध से राजस्व (क + ख)		**13,338.43**		**13,449.31**

टिप्पणी:

1. बिक्री जारी / उन्नयन / ग्रेड फिसलन के लिए पार्टियों के लिए जारी किया जा रहा क्रेडिट / डेबिट नोट के कारण ₹ 108.09 करोड़ रुपए (₹ -41.27 करोड़) की वास्तविक उन्नयन / (ग्रेड स्लिपेज) के लिए समायोजन का शुद्ध है।
2. बिक्री ₹ 196.01 करोड़ रुपए (₹ -74.02 करोड़) की अनुमानित उन्नयन / (ग्रेड स्लिपेज) के लिए समायोजन का शुद्ध है।
3. बिक्री में 50.89 एलटी (34.25 एलटी) की ई-नीलामी मात्रा और ₹ 741.77 करोड़ (₹ 912.53 करोड़) का ई-नीलामी लाभ शामिल है।
4. बिक्री में 10.810 एलटी (17.02 एलटी) की एमओयू मात्रा और ₹ 18.60 करोड़ (₹ 29.19 करोड़) का एमओयू लाभ शामिल है।
5. बिक्री 7.05 एलटी (6.20 एलटी) और ₹ 25.19 करोड़ रुपए (₹ 4.14 करोड़) के संबंध नीलामी लाभ के संबंध नीलामी मात्रा भी शामिल है।
6. खदान के लिए पहले के मामलों में किए गए कोयला गुणवत्ता विश्लेषण के बारे में रिपोर्टों के ऐतिहासि क रुझान के आधार पर, कोयले की गुणवत्ता के निम्नी करण या कोयले की गुणवत्ता के उन्नयन के लिए एक प्रावधान का आकलन किया गया है और तदनुसार, कोयले की गुणवत्ता के लिए निम्नी करण के लिए प्रावधान / उन्नयन के समायोजन किया गया है। कोयला की गुणवत्ता विचलन के लिए समायोजन पर ग्रेड उन्नयन के साथ ग्रेड स्लिपेज को समायोजित करके प्राप्त की गई शुद्ध राशि पर विचार करके किया जाता है।

   पिछले तीन महीनों के लिए प्राप्त वास्तव कि रेफरी विश्लेषण रिपोर्ट को प्रवृत्ति विश्लेषण के लिए माना गया है। पिछले तीन महीनों के रेफरी परिणामों के आधार पर ऊपर बताए गए ग्रेड के वास्तव कि ग्रेड स्लिपेज / वृद्धि की गणना पहले की गई है।

   उपरोक्त ग्रेड स्लिपेज / वृद्धि की कुल राशि पर विचार किया गया है और फिर पिछले 3 महीनों के औसत रुझान की गणना उपरोक्त 3 महीने के नमूने की मात्रा से ऊपर की राशि से विभाजित करके की गई है।

   अंत में प्रवृत्ति विश्लेषण के अनुसार ग्रेड स्लिपेज / वृद्धि की प्रति टन उपरोक्त औसत लागत को मार्च 2020 तक लंबित रेफरी के परिणामों की मात्रा से अनुमानित ग्रेड स्लिपेज / वृद्धि पर पहुंचने के लिए गुणा किया गया है।
7. भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार अलग-अलग राजस्व जानकारी टिप्पणी-38 में दी गई है।

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी 25 : अन्य आय

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31-03-2020	वर्ष के समापन पर 31-03-2019
ब्याज से आय	377.27	400.14
लाभांश आय	-	-
अन्य		
शीर्ष प्रभार		
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	3.25	3.16
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर लाभ	-	-
पट्टा किराया	-	-
देयता / प्रतिलेखन प्रावधान	164.28	13.73
स्टॉक में कमी पर उत्पाद शुल्क	-	-
विविध आय	69.97	41.15
कुल	**614.77**	**458.18**

टिप्पणी - 26 : खपत की गई सामग्री की लागत

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31-03-2020	वर्ष के समापन पर 31-03-2019
विस्फोटक	210.50	213.92
टिंबर / लकड़ी	5.84	5.68
तेल और स्नेहक	230.46	239.68
भारी मशीनों (एचईएमएम) के पुर्जों	62.41	91.27
अन्य उपभोज्य सामग्री एवं पुर्जे	172.69	171.16
कुल	**681.90**	**721.71**

टिप्पणी -27 : तैयार माल, चालू कार्य एवं अंतिम रूप से तैयार माल-सूची (इन्वेंटरी) में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31-03-2020	वर्ष के समापन पर 31-03-2019
कोयले का आरम्भिक स्टॉक	237.58	332.80
कोयले का अंतिम स्टॉक	321.92	237.58
कोयले की इन्वेंटरी में परिवर्तन (क)	(84.34)	95.22
कर्मशाला में तैयार माल, चालू कार्य एवं प्रेस कार्य का आरम्भिक स्टॉक	11.36	25.64
कर्मशाला में तैयार माल, चालू कार्य एवं प्रेस कार्य का अंतिम स्टॉक	13.88	11.36
कर्मशाला की इन्वेंटरी में परिवर्तन (ख)	(2.52)	14.28
कारोबारी स्टॉक की इन्वेंटरी में परिवर्तन {कमी/(वृद्धि)} (क + ख)	**(86.86)**	**109.50**

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी - 28 : कर्मचारियों के लाभ पर व्यय

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31-03-2020	वर्ष के समापन पर 31-03-2019
वेतन एवं मजदूरी (भत्तों एवं बोनस आदि सहित)	5,832.47	5,651.13
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	1,566.99	1,532.21
कर्मचारी कल्याण व्यय	255.76	265.13
कुल	**7,655.22**	**7,448.47**

टिप्पणी - 29 : कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31-03-2020	वर्ष के समापन पर 31-03-2019
सीएसआर व्यय	11.48	16.46
कुल	**11.48**	**16.46**

टिप्पणी:

टिप्पणी- 1: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय पिछले लगातार तीन वित्तीय वर्षों के कुल औसत शुद्ध लाभ का 2 % होना चाहिए।

	31-03-2020	31-03-2019
3 वर्षों का औसत शुद्ध लाभ	(5.96)	16.01
औसत शुद्ध लाभ का 2 %	-	0.32

टिप्पणी - 30 : मरम्मत

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31-03-2020	वर्ष के समापन पर 31-03-2019
भवन	14.75	12.94
संयंत्र एवं मशीनें	117.34	126.23
अन्य	2.34	1.95
कुल	**134.43**	**141.12**

टिप्पणी - 31 : संविदात्मक व्यय

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31-03-2020	वर्ष के समापन पर 31-03-2019
परिवहन शुल्क	249.01	326.46
वैगन लदाई	24.08	26.98
संयंत्र और उपकरणों को भाड़े पर लेना	1,573.84	1,460.63
अन्य संविदात्मक कार्य	127.92	116.31
कुल	**1,974.85**	**1,930.38**

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी - 32 : वित्तीय लागतें

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31-03-2020	वर्ष के समापन पर 31-03-2019
ब्याज खर्चे		
उधारियां	0.16	-
छूट की कमी	45.08	38.23
अन्य	132.97	124.87
कुल	**178.21**	**163.10**

टिप्पणी - 33 : प्रावधान (शुद्ध परिवर्तन)

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31-03-2020	वर्ष के समापन पर 31-03-2019
(क) निम्नलिखित के लिए प्रावधान		
संदिग्ध ऋण	91.74	26.53
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	1.80	18.40
भंडार एवं पुर्जे	1.71	1.47
अन्य	0.28	59.28
कुल (क)	**95.53**	**105.68**
(ख) परिवर्तन (रिवर्सल) का प्रावधान		
संदिग्ध ऋण	14.63	85.48
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	-	-
भंडार एवं पुर्जे	0.51	0.82
अन्य	-	11.10
कुल (ख)	**15.14**	**97.40**
कुल (क - ख)	**80.39**	**8.28**

टिप्पणी - 34 : बट्टा खाता (पिछले प्रावधानों का शुद्ध)

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31-03-2020	वर्ष के समापन पर 31-03-2019
संदिग्ध ऋण	1.00	
घटाएं:- पहले प्रदान किया गया	1.00	
उप-योग (क)	-	-
संदिग्ध अग्रिम	-	-
घटाएं:- पहले प्रदान किया गया	-	-
उप-योग (ख)	-	-
कुल (क + ख)	-	-

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी 35 : अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31-03-2020	वर्ष के समापन पर 31-03-2019
यात्रा खर्च	12.74	10.63
प्रशिक्षण व्यय	5.38	5.12
टेलीफोन एवं डाक	1.66	1.52
विज्ञापन एवं प्रचार	2.34	2.54
विलम्ब शुल्क	1.43	1.02
सुरक्षा खर्च	95.65	79.98
कोल इंडिया लिमिटेड का सेवा-शुल्क	50.41	50.16
किराया प्रभार	46.78	40.57
सीएमपीडीआई खर्च	-	-
कानूनी खर्च	4.13	2.89
परामर्श शुल्क	10.60	18.66
कम भराई शुल्क	45.05	54.41
परिसंपत्तियों के विक्रय/ अमान्य/ हटाने पर हानि	-	-
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक एवं खर्च		
क. लेखा परीक्षा शुल्क	0.26	0.21
ख. कराधान संबंधी मामलों के लिए	0.14	0.09
ग. अन्य सेवाओं हतु	0.25	0.20
घ. खर्चों की प्रतिपूर्ति हेतु	0.19	0.16
आंतरिक अन्य लेखा-परीक्षा शुल्क एवं व्यय	2.63	2.56
पुनर्वास प्रभार	29.57	30.23
केंद्रीय उत्पाद कर	-	-
भाड़ा	0.09	0.01
दरें एवं कर	5.17	3.23
बीमा	0.02	0.03
विनिमय दर में अंतर के कारण घाटा	13.04	10.93
बचाव / सुरक्षा व्यय	1.28	4.65
डेड रेट/ सरफेस रेंट	7.39	7.24
साइडिंग रख-रखाव प्रभार	0.91	1.44
अनुसंधान एवं विकास व्यय	-	0.06
पर्यावरण एवं वृक्षारोपण व्यय	4.50	6.88
विविध खर्चे	293.47	307.05
कुल	**635.08**	**642.47**

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी 36 : कर व्यय

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31-03-2020	वर्ष के समापन पर 31-03-2019
वर्तमान वर्ष	426.30	301.27
आस्थगित कर	89.35	248.35
मेट क्रेडिट पात्रता	-	-
पहले के वर्ष	(11.95)	-
कुल	**503.70**	**549.62**

टिप्पणी :

1. निम्नलिखित से संबंधित आस्थगित कर परसंपत्तियां / (देयताएं):

(₹ करोड़ में)

	31-03-2020	31-03-2019
निम्नलिखित के संबंध में आस्थगित कर परसंपत्तियां / (देयताएं):		
कर्मचारी लाभ	138.25	160.53
संपत्ति, संयत्र व उपकरण तथा विकास, पूर्वेक्षण और बोरिंग	18.98	37.82
संदिग्ध वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	96.43	107.30
संदिग्ध ऋण और अग्रिमों के लिए प्रावधान	8.03	31.17
प्रावधान	97.44	111.66
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (ख)	**359.13**	**448.48**

2. Reconciliation of Tax Expenses and the Accounting Profit multiplied by India's Domestic Tax Rate

(₹ करोड़ में)

	31-03-2020	31-03-2019
कर से पहले लाभ / (हानि)	1,501.35	1,298.39
25.168% की पर आय कर की दर (P.Y. 34.944%)	377.86	453.71
कम: छूट आय पर कर	-	-
जोड़ें: गैर-कटौती योग्य व्यय पर कर (/) (शुद्ध)	126.69	186.66
कम: अतिरिक्त व्यय आयकर के अनुसार	(133.17)	(358.10)
टैक्स के सामान्य प्रावधान के अनुसार आयकर व्यय (ए)	371.38	282.27
मेट प्रोविजन यू / एस 115 जेबी (बी) के तहत आयकर	-	278.05
ए / बी की टैक्स देय उच्च	371.38	282.27
आस्थगित कर परिसंपत्ति के लिए समायोजन	89.35	248.35
पिछले वर्ष के वर्तमान आयकर के संबंध में समायोजन	(11.95)	-
अन्य व्यापक (आय) / हानि पर आयकर के संबंध में समायोजन	54.92	19.00
मेट क्रेडिट पात्रता	-	-
आयकर लाभ और हानि के विवरण में रिपोर्ट किए गए व्यय	**503.70**	**549.62**
प्रभावी आयकर दर	33.55%	42.33%

3. कंपनी को उम्मीद है कि आस्थगित कर परिसंपत्तियों के उपयोग के लिए भविष्य में कर योग्य लाभ होगा।

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी 37 : अन्य व्यापक आय

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31-03-2020	वर्ष के समापन पर 31-03-2019
i. लाभ अथवा हानि के रूप में पुनर्वर्गीकृत न किए जाने वाले मद		
परिभाषित लाभ योजना का पुनर्मूल्यांकन	(218.20)	(61.39)
उप-योग (क)	(218.20)	(61.39)
ii. लाभ अथवा हानि के रूप में पुनर्वर्गीकृत न किए जाने वाले मदों पर आयकर		
परिभाषित लाभ योजनाओ ंका पनुर्मूल्यांकन	(54.92)	(19.00)
उप-योग (ख)	(54.92)	(19.00)
कुल (ग = क - ख)	**(163.28)**	**(42.39)**
i. लाभ अथवा हानि के रूप में पुनर्वर्गीकृत किए जाने वाले मद		
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का हिस्सा	-	-
उप-योग (घ)	-	-
ii. लाभ अथवा हानि के रूप में पुनर्वर्गीकृत किए जाने वाले मदों पर आयकर		
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का हिस्सा	-	-
उप- योग (ड़)	**-**	**-**
कुल (च = घ - ड़)	**-**	**-**
सकल योग (ग + च)	**(163.28)**	**(42.39)**

टिप्पणी - 38 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी पर अतिरिक्त टिप्पणियां

1. उचित मूल्य मापन

1. [क] श्रेणी के अनुसार वित्तीय दस्तावेज (लिखत)

(₹ करोड़ में)

	31-03-2020		31-03-2019	
	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश:				
सहकारिता शेयर	-	0.08	-	0.08
ऋण	-	0.05	-	0.09
व्यापार प्राप्य	-	3,316.46	-	1,621.92
नकद और नकद समकक्ष	-	93.28	-	478.68
अन्य बैंक जमा शेष	-	3,873.27	-	4,186.82
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	1,240.23	-	805.59
कुल	**-**	**8,523.37**	**-**	**7,093.18**
वित्तीय देयताएं				
उधार:				
ईडीसी ऋण	-	171.98	-	165.55
यौगिक वित्तीय दस्तावेज (लिखत) का देयता घटक (अधिमानी शेयर)	-	1,794.99	-	1,662.03
अधिकोष अधिविकर्ष	-	368.16	-	-
व्यापार देयताएं	-	1,812.18	-	1,728.81
प्रतिभूति राशि	-	319.77	-	246.87
अग्रिम धन	-	148.73	-	104.21
अन्य वित्तीय देयताएं	-	635.91	-	68.90
कुल	-	5,251.72	-	3,976.37

1. [ख] उचित मूल्य पदानुक्रम

नीचे दी गई तालिका वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों को निर्धारित करने में लिए गए निर्णयों और अनुमानों को दर्शाती है जो (क) उचित मूल्य पर मान्य और मापित है; और (ख) को संशोधित बयानों में मापा जाता है और जि सके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों को प्रकट किया जाता है। उचित मूल्य का निर्धारण करने में प्रयुक्त सामग्री की विश्वसनीयता के बारे में इस बात का संकेत देने के लिए समूह ने अपने लेखा मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वित्तीय साधनों को वर्गीकृत किया गया है।

1. [ग] उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं

(₹ करोड़ में)

	31-03-2020		31-03-2019	
	स्तर I	स्तर III	स्तर I	स्तर III
एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश:				
सहकारिता शेयर	-	-	-	-
वित्तीय देनदारियां				
यदि कोई अन्य वस्तु	-	-	-	-

1. [घ] परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं जिस के लिए उचित मूल्यों का प्रकटीकरण कि या जाता है

(₹ करोड़ में)

	31-03-2020		31-03-2019	
	स्तर I	स्तर III	स्तर I	स्तर III
वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश:				
सहकारिता शेयर	-	0.08	-	0.08
ऋण	-	0.05	-	0.09
व्यापार प्राप्य	-	3,316.46	-	1,621.92
नकद और नकद समतुल्य	-	93.28	-	478.68
अन्य बैंक जमा शेष	-	3,873.27	-	4,186.82
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	1,240.23	-	805.59
कुल	**-**	**8,523.37**	**-**	**7,093.18**
वित्तीय देयताएं				
उधार:				
ईडीसी ऋण	-	171.98	-	165.55
यौगिक वित्तीय दस्तावेज (लिखत) का देयता घटक (अधिमानी शेयर)	-	1,794.99	-	1,662.03
अधिकोष अधिविकर्ष	-	368.16	-	-
व्यापार देयताएं	-	1,812.18	-	1,728.81
प्रतिभूति राशि	-	319.77	-	246.87
अग्रिम धन	-	148.73	-	104.21
अन्य वित्तीय देयताएं	-	635.91	-	68.90
कुल	**-**	**5,251.72**	**-**	**3,976.37**

प्रत्येक स्तर का एक संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

स्तर I: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके मापे गए वित्तीय साधन शामिल हैं।

स्तर II: एक सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं करने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य, मूल्यां कन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो कि पर्यवेक्षित बाजार डेटा के उपयोग को अधि कतम करते हैं और इकाई-विशिष्ट अनुमानों पर कम से कम आश्रित होते हैं। यदि किसी साधन के उचित मूल्य के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण आदान अवलोकन योग्य हैं, तो साधन स्तर-II में शामिल होता है।

स्तर III: यदि महत्वपूर्ण आदानों में से एक या अधिक अवलोकन योग्य बाजार डेटा पर आधारित नहीं है, तो साधन स्तर III में शामिल होता है। यह गैर-सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों, वरीयता शेयर उधारियों, प्रतिभतू जिमाओं और स्तर III में शामिल अन्य दयेताओं से संबंधित मामला होता है।

1. [ङ] उचित मूल्य निर्धारित करने में उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीक

वित्तीय साधनों को महत्व देने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीकों में साधनों (लि खतों) के उद्धृत बाजार मूल्यों का उपयोग शामिल है।

1. [च] महत्वपूर्ण गैर-अवलोकनीय आदानों का उपयोग करके उचित मूल्य मापन

वर्तमान में महत्वपूर्ण गैर-अवलोकनीय आदानों का उपयोग करके कोई उचित मूल्य मापन नहीं हैं।

1. [छ] वित्तीय परिसपंत्तियों और देयताओ ंका उचित मूल्य जो परिशोधन लागत पर मापा जाता है

- व्यापार प्राप्यों की वहन राशि, अल्पकालिक जमा, नकद और नकद समतुल्य, व्यापार देय को उनके अल्पकालिक स्वभाव के कारण उनके उचित मूल्यों के रूप में एक समान माना जाता है।
- कंपनी का मानना है कि प्रतिभूति जमा राशि में एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है। महत्वपूर्ण भुगतान (प्रतिभूति जमा) कंपनी के प्रदर्शन के साथ मेल खाते हैं और अनुबंध के लिए वित्त के प्रावधान के अलावा अन्य कारणों से राशि को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक प्रमुख भुगतान के एक निर्दिष्ट प्रतिशत की रोक कर रखने का उद्देश्य ठेकेदार से अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पर्याप्त रूप से पूरा करने में विफल होने पर कंपनी के हित की रक्षा करना है। तदनुसार, प्रतिभूति जमा की लेनदेन लागत प्रारंभि क मान्यता पर उचित मूल्य के रूप में मान्य होती है और बाद में परिशोधन लागत पर मापी जाती है।

महत्वपूर्ण अनुमान: एक सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं करने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य, मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। कंपनी एक विधि का चयन करने के लिए अपने निर्णय का उपयोग करती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयुक्त धारणा बनाती है।

2. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य और नीतियां

कंपनी की प्रमखु वित्तीय दयेताओं में व्यापार और अन्य भगुतान शामिल हैं। इन वित्तीय दयेताओं का मख्यु उद्शदे्य कं पनी के संचालन को वित्तपोषण करना और इसके संचालन का समर्थ न करने के लि ए गारंटी प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय संपत्ति यों में ऋण, व्या पार और अन्य प्राप्तियां और नकद तथा नकद समकक्ष जो सीधे इसके संचालन से प्राप्त होते हैं, शामिल हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और तरलता जोखिम के संपर्क में रहती है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करता है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन एक जोखिम समिति द्वा रा समर्थित होता है जो अन्य बातों के साथ- साथ वित्तीय जोखिमों और कंपनी के लिए उपयुक्त वित्तीय जोखिम प्रशासन ढांचे पर सलाह देती है। जोखिम समितिनि देशक मंडल को यह आश्वासन देती है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियाँ उपयक्तु नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा संचालित होती हैं और वित्तीय जोखिमों की पहचान, माप और प्रबंधन कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनसुार किया जाता है। निदेशक मंडल इनमें से प्रत्येक जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और सहमति देता है, जिन्हें नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

यह नोट जोखिम के उन स्रोतों के बारे में बताता है जिनके संपर्क में संस्था में है और यह भी बताता है कि संस्था जोखिम तथा वित्तीय विवरणों में बचाव लेखांकन के प्रभाव का कैसे प्रबंधन करती है।

जोखिम	उजागर होने का स्रोत	मापन	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकद और नकद समतुल्य, व्यापार प्राप्य, परिशोधित लागत परमापित वित्तीय परिसंपत्ति	एजिंग विश्लेषण / क्रेडिट रेटिंग	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्शदे), बैंक जमाओं, क्रेडिट सीमाओं और अन्य प्रतिभतूियों का विविधीकरण।
तरलता जोखिम	उधार और अन्य दयेताएं	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों और उधार सवुधिाओं की उपलब्धता।
बाजार जोखिम - विदेशी मुद्रा	भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन, भारतीय रुपये में न दर्शायी गयी मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं।	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा।
बाजार जोखिम -ब्याज दर	नकद और नकद समतुल्य, बैंक जमा और म्युचुअल फंड	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	सार्व जनिक उद्यम विभाग (डीपीई दि शानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधन और ऑडिट कमेटी द्वारा नियमित निगरानी तथा समीक्षा।

कंपनी का जोखिम प्रबंधन भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है।
बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के साथ-साथ अतिरिक्त तरलता के निवेश को कवर करने वाली नीतियों के लिए लिखित सिद्धांत प्रदान करता है।

2.[क] ऋण जोखिम :

2. [क] (क) ऋण जोखिम प्रबंधन :

मख्यु रूप से कोयले की बिक्री से प्राप्तियां होती हैं। कोयले की बिक्री को मोटे तौर पर ईधंन आपर्तिू समझौतों (एफएसए) और ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

समष्टि - आर्थिक जानकारी (जैसे नियामक परिवर्तन) को ईधंन आपर्तिू समझौतों (एफएसए) और ई-नीलामी शर्तों के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।

2. [क] (ख) ईधनं आपूर्ति समझौते (एफएसए)

जैसा कि नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) की शर्तों के अनसुार, कंपनी ग्राहकों के साथ या राज्य नामांकित एजेंसियों के साथ काननूी रूप से लागू करने योग्य ईधंन आपूर्ति समझौते करती है जिससे अंतिम उपयोगकर्ता ग्राहकों के साथ उचित वितरण व्यवस्था बनती है। हमारे ईधं न आपूर्ति समझौतों को मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

- राज्य विद्युत संयंत्रों, निजी विद्युत संयंत्रों (पीपीयू) और स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) सहित विद्युत उपयोगिता क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के साथ ईंधन आपूर्ति समझौता।
- गैर-बिजली उद्योगों (कैप्टिव पावर प्लांट- "सीपीपी" सहित) में ग्राहकों के साथ ईंधन आपूर्ति समझौता; तथा
- राज्य नामांकित एजेंसियों के साथ ईंधन आपूर्ति समझौता।

2. [क] (ग) ई-नीलामी योजना

कोयले की ई-नीलामी योजना उन ग्राहकों के लिए कोयले तक पहुंच प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, जो विभिन्न कारणों से एनसीडीपी के तहत उपलब्ध संस्था गततंत्र के माध्यम से अपनी कोयले की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं थे, उदाहरण के लिए, एनसीडीपी के तहत उनको आवश्यकता से कम कोयले का आवंटन, मौसम की वजह से उनकी कोयले की आवश्यकता प्रभावित होना और कोयले की सीमित आवश्यकता को दीर्घकालिक लिंकेज में शामिल नहीं किया जाना था। कोयला मंत्रालय द्वारा समय-समय पर ई-नीलामी के तहत दिए जाने वाले कोयले की मात्रा की समीक्षा की जाती है।

2. [क] (घ) अपेक्षित क्रेडिट हानि :

कंपनी आजीवन अपेक्षित क्रेडिट लॉस (सरलीकृत दृष्टिकोण) द्वा रा संदि ग्ध / अनर्ज क परिसंपत्ति यों के लि ए अपेक्षित क्रेडिट जोखिम हानि प्रदान करती है।

i. 31.03.2020 को सरलीकृत पद्धति के तहत व्यापार प्राप्तियों के लिए अपेक्षित साख हानि :

(₹ करोड़ में)

काल अवधि	2 महीने के लिए बकाया	6 महीने के लिए बकाया	1 वर्ष के लिए बकाया	2 वर्ष के लिए बकाया	3 वर्ष के लिए बकाया	3 से अधिक वर्ष के लिए बकाया	कुल
सकल वहन राशि	1,763.78	1,026.98	68.84	358.72	128.26	353.04	**3,699.62**
अनुमानित क्षति दर (%)	0.00%	0.00%	0.00%	14.36%	20.06%	86.66%	**10.36%**
अपेक्षित क्रेडिट हानि (हानि भत्ता प्रावधान)	-	-	-	51.50	25.73	305.93	**383.16**

ii. 31.03.2019 को सरलीकृत पद्धति के तहत व्यापार प्राप्तियों के लिए अपेक्षित साख हानि :

(₹ करोड़ में)

काल अवधि	2 महीने के लिए बकाया	6 महीने के लिए बकाया	1 वर्ष के लिए बकाया	2 वर्ष के लिए बकाया	3 वर्ष के लिए बकाया	3 से अधिक वर्ष के लिए बकाया	कुल
सकल वहन राशि	1,239.95	90.32	88.73	152.58	78.68	278.71	**1,928.97**
अनुमानित क्षति दर (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%	45.36%	97.35%	**15.92%**
अपेक्षित क्रेडिट हानि (हानि भत्ता प्रावधान)	-	-	-	0.04	35.69	271.32	**307.05**

iii. हानि भत्ता प्रावधान का मिलान - व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

31-03-2019 को हानि भत्ता	307.05
हानि भत्ता में परिवर्तन	76.11
31-03-2020 को हानि भत्ता	383.16

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि के लिए महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय

ऊपर बताई गई वित्तीय संपत्तियों के लिए हानि प्रावधान डिफ़ॉल्ट और अपेक्षित हानि दरों के जोखिम के बारे में मान्यताओं पर आधारित हैं। कंपनी इन मान्यताओं को बनाने और हानि की गणना के लिए इनपुट का चयन करने के लिए, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानों को देखते हुए कंपनी के पिछले इतिहास और मौजूदा बाजार की स्थितियों पर आधारित निर्णय का उपयोग करती है।

2. [ख] तरलता जोखिम

विवेकपूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन से तात्पर्य है कि देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों तथा प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं की पर्याप्त मात्रा के माध्यम से वित्तपोषण को बनाए रखना। अंतर्निहित व्यवसायों की गतिशील प्रकृति के कारण, कंपनी ट्रेजरी प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों के तहत उपलब्धता बनाए रखने के द्वारा वित्त पोषण में लचीलापन बनाए रखती है।

प्रबंधन कंपनी की तरलता स्थिति (पर्वू उधार लेने की सुविधाओं सहित) और अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर नकदी और नकदी समतुल्यों के पूर्वानुमान की निगरानी करता है। यह आम तौर पर कंपनी द्वारा निर्धारित अभ्यास और सीमाओं के अनसुार कंपनी की संचालित कंपनियों में स्थानीय स्तर पर किया जाता है।

विवरण	31-03-2020			31-03-2019		
	एक वर्ष से कम	1 से 5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक	एक वर्ष से कम	1 से 5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों						
ब्याज की अदायगी सहित उधार	375.32	1,823.63	136.18	6.62	1,688.49	132.47
व्यापार देय	1,812.18	-	-	1,728.81	-	-
अन्य वित्तीय देनदारियों	1,008.57	95.84	-	345.20	74.78	-

2. [ग] बाजार जोखिम

क. विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में रहती है। विदेशी संचालन के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम को कम महत्वपूर्ण माना जाता है। कंपनी आयात भी करती है और जोखिम का प्रबंधन नि यमित अनुवर्ती जाँच द्वारा किया जाता है। कंपनी की एक नीति है जिसे तब लागू किया जाता है जब विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण हो जाता है।

ख. नकदी प्रवाह और उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

कंपनी का मख्यु ब्याज दर जोखिम बैंक जमा से उत्पन्न होता है, ब्याज दर में परिवर्तन से कंपनी के लिए नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम उजागर होता है। कंपनी की नीति अपने ज्यादातर जमाओं को स्थिर दर पर बनाए रखने की है।

कंपनी, सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्शदों का उपयोग करते हुए बैंक जमाओं की क्रेडिट सीमाओं और अन्य प्रतिभूतियों का विविधीकरण करके जोखिम का प्रबंधन करती है।

पूंजी प्रबंधन

सरकारी संस्था होने के नाते कंपनी वित्त मत्रांलय के तहत निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशों के अनसुार अपनी पूंजी का प्रबंधन करती है।

कंपनी की पूंजी संरचना इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2020	31-03-2019
i. इक्विटी शेयर पूंजी	2,218.45	2,218.45
ii. वरियता शेयर पूंजी का इक्विटी अशं	855.61	855.61
iii. दीर्घकालिक ऋण:		
ईडीसी ऋण - गैर-वर्तमान	164.82	158.93
ईडीसी ऋण - वर्तमान	7.16	6.62
दीर्घावधि उधार [वरियता शेयर]	1,794.99	1,662.03

3. कर्मचारी लाभ: मान्यता और मापन (भारतीय लेखा मानक -19)

क. ग्रेच्युटी

ग्रेच्युटी को एक परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजना के रूप में बनाए रखा जाता है और योगदान राशि भारतीय जीवन बीमा निगम में दी जाती है। परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजनाओं के संबंध में तुलन-पत्र में मान्य देयता और परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है जो योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य कम है। परिभाषित लाभ दायित्व की गणना प्रतिवर्ष अनुमानित यनिूट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकक द्वा रा की जाती है। अनभुव समायोजन से उत्पन्न होने वाले लाभ और हानि तथा बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन को सीधे अन्य व्यापक आय में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे होते हैं।

ख. अवकाश नकदीकरण

अर्जित अवकाश के लिए दयेताओं का निपटान कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद किया जाता है। इसलिए उन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अतं तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में अनुमानित यूनि ट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके अनुमानित भविष्य के भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल का उपयोग करके लाभ-छूट दी जाती है जो संबंधित दायित्व की शर्तों से संबंधित होती है। अनुभव समायोजन और बीमांकि क मान्यताओं में परिवर्तन के परिणामस्व रूप पुनर्मापनों को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है।

ग. भविष्य निधि:

कंपनी भविष्य निधि और पेंशन निधि के लिए पूर्व -निर्धारित दरों पर एक निश्चित योगदान राशि का भुगतान कोल माइंस प्रोविडेंट फंड (सीएमपीएफ) नामक एक अलग ट्रस्ट में करती है, जो स्वीकृत प्रतिभूतियों में फंड का निवेश करती है। अवधि के दौरान इस निधि में ₹ 904.55 करोड़ (₹ 910.99 करोड़) के योगदान को लाभ-हानि विवरणी में मान्य किया गया है।

घ. कंपनी निम्नलिखित कुछ परिभाषित लाभ योजनाओं को संचालित करती है जिनका मूल्य बीमांकिक आधार होता है:

वित्तपोषित:

- ग्रेच्युटी
- अवकाश नकदीकरण

गैर-वित्तपोषित:

- जीवन कवर योजना
- समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
- खदान दुर्घटना लाभ पर आश्रित को मुआवजा
- निपटान भत्ता
- चिकित्सा लाभ
- अवकाश यात्रा रियायत

बीमांकक द्वारा किए गए मूल्यां कन के आधार पर 31-03-2020 को कुल देयता ₹ 5586.20 करोड़ है, जि सका विवरण नीचे दिया गया है:

31-03-2020 को बीमांकि क देयता:

(₹ करोड़ में)

शीर्ष / मद	01-04-2019 को आरंभिक बीमांकिक देयता	अवधि के दौरान वृद्धिशील देयता	31-03-2020 को अंतिम बीमांकिक देयता
ग्रेच्युटी	4,237.73	226.00	4,463.73
अर्जित अवकाश	653.47	51.34	704.81
आधा वेतन अवकाश	62.60	3.74	66.34
अवकाश यात्रा रियायत - अधिकारी	-	-	-
अवकाश यात्रा रियायत – कर्मचारी	56.99	0.70	57.69
जीवन कवर योजना- कार्यकारी	0.45	0.01	0.46
जीवन कवर योजना – कर्मचारी	16.17	0.60	16.77
निपटान भत्ता - अधिकारी	6.95	(0.12)	6.83
निपटान भत्ता – कर्मचारी	29.29	0.53	29.82
घातक खान दुर्घटना	36.95	(10.85)	26.10
समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना	0.12	-	0.12
अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	126.35	45.18	171.53
कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	24.24	17.76	42.00
कुल	**5,251.31**	**334.89**	**5,586.20**

ङ. बीमांकक के प्रमाण पत्र के अनुसार प्रकटीकरण

बीमांकक के प्रमाण पत्र के अनुसार कर्मचारी लाभ के लिए ग्रेच्युटी (वित्तपोषित) और अवकाश नकदीकरण (वित्तपोषित) के प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं:

31-03-2020 को प्रमाणपत्रों के अनुसार ग्रेच्युटी देयता का बीमांकिक मूल्यांकन भारतीय लेखा मानक 19 (2015) के अनुसार

तालिका 1: प्रकटीकरण मद

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्तमान मूल्य दायित्व में परिवर्तन	31-03-2020	31-03-2019
1.	पिछले मूल्यांकन के अनुसार दायित्व का वर्तमान मूल्य	4,237.73	4,089.22
2.	वर्तमान सेवा लागत	191.40	171.43
3.	ब्याज लागत	263.91	292.82
4.	प्रतिभागी योगदान	-	-
5.	योजना संशोधन: अवधि के अंत में निहित भाग (विगत सेवा)	-	-
6.	योजना संशोधन: अवधि के अंत में गैर-निहित भाग (विगत सेवा)	-	-
7.	वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / हानि	278.05	45.08
8.	जनसांख्यिकी धारणा में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / हानि	-	-
9.	अप्रत्याशित अनुभव के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / हानि	(29.07)	60.83
10.	अन्य कारणों से दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / हानि	-	-
11.	विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
12.	भुगतान किए गए लाभ	478.27	421.66
13.	अधिग्रहण समायोजन	-	-
14.	दायित्व का निपटान / स्थानांतरण	-	-
15.	कटौती लागत	-	-
16.	निपटान लागत	-	-
17.	अन्य (मूल्यांकन तारीख के अंत में अस्थिर देयता)	-	-
18.	मूल्यांकन तिथि के अनुसार दायित्व का वर्तमान मूल्य	4,463.73	4,237.73

तालिका 2: प्रकटीकरण मद

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	31-03-2020	31-03-2019
1.	अवधि की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	3,863.44	2,867.07
2.	ब्याज आय	254.99	216.46
3.	नियोक्ता योगदान	472.24	1,157.04
4.	प्रतिभागी योगदान	-	-
5.	अधिग्रहण / व्यवसाय संयोजन	-	-
6.	निपटान लागत	-	-
7.	भुगतान किए गए लाभ	478.27	421.66
8.	परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	-	-
9.	विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
10.	प्रशासनिक व्यय और बीमा प्रीमियम	-	-
11.	ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ	30.77	44.53
12.	मापन अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	4,143.17	3,863.44

तालिका 3: प्रकटीकरण मद

क्र. सं.	तुलन-पत्र में समाधान दर्शाने वाली तालिका	31-03-2020	31-03-2019
1.	वित्त पोषण की स्थिति	(320.56)	(374.29)
2.	गैर-मान्यता प्राप्त विगत सेवा लागत	-	-
3.	अवधि के अंत में गैर-मान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ / हानि	-	-
4.	मापन तिथि के बाद नियोक्ता योगदान (अपेक्षित)	-	-
5.	गैर-वित्तपोषित उपार्जित / पूर्वदत्त पेंशन लागत	N/A	N/A
6.	फंड परिसंपत्तियां	4,143.17	3,863.44
7.	फंड देयता	4,463.73	4,237.73

तालिका 4: प्रकटीकरण मद

क्र. सं.	योजना के अनुमानों को दर्शाने वाली तालिका	31-03-2020	31-03-2019
1.	छूट की दर	6.60%	7.55%
2.	योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित प्रतिलाभ	6.60%	7.55%
3.	मुआवजा वृद्धि की दर (वेतन मुद्रास्फीति)	अधिकारियों के लिए 9.00%	अधिकारियों के लिए 9.00%
		कर्मचारियों के लिए 6.25%	कर्मचारियों के लिए 6.25%
4.	पेंशन वृद्धि दर	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	औसत अपेक्षित भावी सेवा (शेष कार्यशील जीवन)	12,11	12,11
6.	दयेताओं की औसत अवधि	12,11	12,11
7.	मृत्यु दर तालिका	IALM 2006-2008 अल्टीमेट	IALM 2006-2008 अल्टीमेट
8.	आयु पर सेवा निवृत्ति - पुरुष	60	60
9.	आयु पर सेवा निवृत्ति - महिला	60	60
10.	समय पूर्व सेवानिवृत्ति और विकलांगता (सभी कारण संयुक्त)	0.30%	0.30%

तालिका 5: प्रकटीकरण मद

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लाभ / हानि विवरणी में मान्य व्यय	31-03-2020	31-03-2019
1.	वर्तमान सेवा लागत	191.40	171.43
2.	विगत सेवा लागत (निहित)	-	-
3.	विगत सेवा लागत (गैर-निहित)	-	-
4.	शुद्ध ब्याज लागत	8.92	76.35
5.	निपटान पर लागत (हानि / लाभ)	-	-
6.	कटौती पर लागत (हानि / लाभ)	-	-
7.	केवल पिछले वर्ष के लिए लागू बीमांकिक लाभ हानि	-	-
8.	कर्मचारी अपेक्षित योगदान	-	-
9.	विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का शुद्ध प्रभाव	-	-
10.	लाभ लागत (लाभ / हानि विवरणी में मान्य व्यय)	200.32	247.79

तालिका 6: प्रकटीकरण मद

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अन्य व्यापक आय	31-03-2020	31-03-2019
1.	वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / हानि	278.05	45.08
2.	जनसांख्यिकी धारणा में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / हानि	-	-
3.	अप्रत्याशित अनुभव के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / हानि	(29.07)	60.83
4.	अन्य कारणों से दायित्वों पर बीमांक क लाभ / हानि	-	-
5.	कुल बीमांकिक (लाभ) / हानि	248.97	105.91
6.	योजना परिसंपत्ति पर प्रतिलाभ, ब्याज आय को छोड़कर	30.77	44.53
7.	परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	-	-
8.	अवधि के अंत में जमा शेष	218.20	61.39
9.	ओसीआई में मान्य अवधि के लिए शुद्ध (आय) / व्यय	218.20	61.39

तालिका 7: प्रकटीकरण मद

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अंतिम मापन अवधि में योजना परिसंपत्ति के आवंटन को दर्शाने वाली तालिका	31-03-2020	31-03-2019
1.	नकद और नकद समतुल्य	-	-
2.	निवेशित राशि	-	-
3.	डेरिवेटिव	-	-
4.	संपत्ति समर्थित प्रतिभूतियां	-	-
5.	संरचित ऋण	-	-
6.	अचल सम्पदा	-	-
7.	विशेष जमा योजना	-	-
8.	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	-	-
9.	भारत सरकार की परिसंपत्तियां	-	-
10.	कॉरपोरेट बॉन्ड	-	-
11.	ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-
12.	वार्षिकी अनुबंध / बीमा निधि	-	-
13.	अन्य	-	-
	कुल	**-**	**-**

तालि का 8: प्रकटीकरण मद

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अंतिम मापन अवधि में योजना परिसंपत्ति के आवंटन को प्रतिशत (%) में दर्शाने वाली तालिका	31-03-2020	31-03-2019
1.	नकद और नकद समतुल्य	-	-
2.	निवेशित राशि	-	-
3.	डेरिवेटिव	-	-
4.	संपत्ति समर्थित प्रतिभूतियां	-	-
5.	संरचित ऋण	-	-
6.	अचल सम्पदा	-	-
7.	विशेष जमा योजना	-	-
8.	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	-	-
9.	भारत सरकार की परिसंपत्तियां	-	-
10.	कॉरपोरेट बॉन्ड	-	-
11.	ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-
12.	वार्षिकी अनुबंध / बीमा निधि	-	-
13.	अन्य	-	-
	कुल	-	-

तालिका 9: प्रकटीकरण मद

मृत्यु दर तालिका

(₹ करोड़ में)

आयु	मृत्यु दर (प्रति वर्ष)
25	0.000984
30	0.001056
35	0.001282
40	0.001803
45	0.002874
50	0.004946
55	0.007888
60	0.011534
65	0.0170085
70	0.0258545

तालिका 10: प्रकटीकरण मद

(₹ करोड़ में)

31-03-2019			31-03-2020	
वृद्धि	कमी	संवेदनशीलता विश्लेषण	वृद्धि	कमी
4,099.49	4,384.01	छूट दर (-/+ 0.5%)	4,313.62	4,622.87
-3.26%	3.45%	संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले % परिवर्तन	-3.36%	3.57%
4,318.28	4,148.99	वेतन वृद्धि (-/+ 0.5%)	4,533.90	4,386.82
1.90%	-2.09%	संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले % परिवर्तन	1.57%	-1.72%
4,241.03	4,234.42	संघर्षण दर (-/+ 0.5%)	4,467.17	4,460.30
0.08%	-0.08%	संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले % परिवर्तन	0.08%	-0.08%
4,262.64	4,212.81	मृत्यु दर (-/+ 10%)	4,490.16	4,437.31
0.59%	-0.59%	संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले % परिवर्तन	0.59%	-0.59%

तालिका 11: प्रकटीकरण मद

नकदी प्रवाह सूचना को दर्शाने वाली तालिका

(₹ करोड़ में)

अगले वर्ष कुल (अपेक्षित)	4,462.37
न्यूनतम धन की आवश्यकताएं	527.93
कंपनी का निर्णय	-

तालिका 12: प्रकटीकरण मद

भविष्य के अनुमानित भुगतानों की जानकारी (पिछली सेवा) दर्शाने वाली तालिका

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	राशि
1.	1	467.02
2.	2	465.28
3.	3	454.15
4.	4	428.63
5.	5	457.81
6.	6 से 10	2,545.66
7.	10 वर्ष से अधिक	2,871.93

क्र. सं.	वर्ष	राशि
8.	कुल अघोषित भुगतान अतीत और भविष्य की सेवा	-
9.	विगत सेवा से संबंधित कुल अघोषित भुगतान	7,690.48
10.	ब्याज के लिए कम छूट	3,226.74
11.	अनुमानित लाभ दायित्व	4,463.73

तालिका 13: प्रकटीकरण मद

आगामी अवधि की शुद्ध आवधिक लाभ लागत के आगामी वर्ष घटक परिचय को दर्शाने वाली तालिका

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	राशि
1.	वर्तमान सेवा लागत (केवल नियोक्ता का भाग) आगामी अवधि	193.15
2.	ब्याज लागत आगामी अवधि	279.19
3.	योजना परिसंपत्ति प्रतिलाभ	294.61
4.	गैर-मान्यता प्राप्त विगत सेवा लागत	-
5.	अवधि के अंत में गैर-मान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ / हानि	-
6.	निपटान लागत	-
7.	कटौती लागत	-
8.	अन्य (बीमांकिक लाभ / हानि)	-
9.	लाभ लागत	177.74

तालिका 14: शुद्ध देयता का द्विभाजन

अंतिम मापन अवधि में योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित प्रति लाभ दर्शाने वाली तालिका

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31-03-2020	31-03-2019
1.	वर्तमान देयता	452.33	477.42
2.	गैर-वर्तमान देयता	4,011.40	3,760.31
3.	शुद्ध देयता	4,463.73	4,237.73

ग्रुप ग्रेच्युटी आश्वासन योजना

कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए एलआईसी ऑफ इंडिया के साथ कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी एश्योरेंस योजना को अपनाया है और जिसके लिए वर्ष 2012-13 में एलआईसी के साथ पहले ही एक समझौता ज्ञापन दर्ज किया जा चुका है। उपरोक्त योजना का प्रबंधन करने के लिए एक कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी ट्रस्ट का गठन ट्रस्टों के साथ एक ट्रस्ट डीड में किया गया है। एलआईसी के साथ 31-03-2020 को इस प्रकार है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2020	31-03-2019
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि का उद्घाटन	3,863.43	2,867.07
जोड़ें: वर्ष के दौरान निवेश	472.24	1,157.04
जोड़ें: ब्याज वर्ष के दौरान अर्जित	285.77	260.98
कम: वर्ष के दौरान जारी फंड	478.27	421.66
वर्ष के अंत में समापन शेष	**4,143.17**	**3,863.43**

31-03-2020 को अवकाश नकदीकरण लाभ (ईएल / एचपीएल) का बीमांकिक मूल्यांकन
भारतीय लेखा मानक 19 (2015) के अनुसार प्रमाण पत्र

वर्तमान मूल्यांकन तिथि को सर्वोत्तम अनुमान धारणा के आधार पर एक नज़र में मूल्यांकन नीचे दिया गया है:

तालिका 1: प्रकटीकरण मद

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्तमान मूल्य दायित्व में परिवर्तन	31-03-2020	31-03-2019
1.	पिछले मूल्यांकन के अनुसार दायित्व का वर्तमान मूल्य	716.07	646.83
2.	वर्तमान सेवा लागत	125.61	101.14
3.	ब्याज लागत	45.09	46.22
4.	प्रतिभागी योगदान	-	-
5.	योजना संशोधन: अवधि के अंत में निहित भाग (विगत सेवा)	-	-
6.	योजना संशोधन: अवधि के अंत में गैर-निहित भाग (विगत सेवा)	-	-
7.	वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / हानि	56.95	8.77
8.	जनसांख्यिकी धारणा में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / हानि	-	-
9.	अप्रत्याशित अनुभव के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / हानि	(106.80)	(17.54)
10.	अन्य कारणों से दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / हानि	-	-
11.	विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
12.	भुगतान किए गए लाभ	65.77	69.34
13.	अधिग्रहण समायोजन	-	-
14.	दायित्व का निपटान / स्थानांतरण	-	-
15.	कटौती लागत	-	-
16.	निपटान लागत	-	-
17.	अन्य (मूल्यांकन तारीख के अंत में अस्थिर देयता)	-	-
18.	मूल्यांकन तिथि के अनुसार दायित्व का वर्तमान मूल्य	771.15	716.07

तालिका 2: प्रकटीकरण मद

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	31-03-2020	31-03-2019
1.	अवधि की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	454.34	491.73
2.	ब्याज आय	29.99	37.13
3.	नियोक्ता योगदान	145.02	-
4.	प्रतिभागी योगदान	-	-
5.	अधिग्रहण / व्यवसाय संयोजन	-	-
6.	निपटान लागत	-	-
7.	भुगतान किए गए लाभ	65.77	69.34
8.	परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	-	-
9.	विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
10.	प्रशासनिक व्यय और बीमा प्रीमियम	-	-
11.	ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ	5.19	(5.18)
12.	मापन अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	568.77	454.34

तालिका 3: प्रकटीकरण मद

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	तुलन-पत्र में समाधान दर्शाने वाली तालिका	31-03-2020	31-03-2019
1.	वित्तपोषण की स्थिति	(202.38)	(261.73)
2.	गैर-मान्यता प्राप्त विगत सेवा लागत	-	-
3.	अवधि के अंत में गैर-मान्यता प्राप्त बीमांकि क लाभ / हानि	-	-
4.	मापन तिथि के बाद नियोक्ता योगदान (अपेक्षित)	-	-
5.	गैर-वित्तपोषित उपार्जित / पूर्वदत्त पेंशन लागत	N/A	N/A
6.	फंड परिसंपत्तियां	568.77	454.34
7.	फंड देयता	771.15	716.07

तालिका 4: प्रकटीकरण मद

क्र. सं.	योजना के अनुमानों को दर्शाने वाली तालिका	31-03-2020	31-03-2019
1.	छूट की दर	6.60%	7.55%
2.	योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित प्रतिलाभ	0.066	0.0755
3.	मुआवजा वृद्धि की दर (वेतन मुद्रास्फीति)	अधि कारियों के लिए 9.00% कर्मचारियों के लिए 6.25%	अधि कारियों के लिए 9.00% कर्मचारियों के लिए 6.25%
4.	पेंशन वृद्धि दर	N/A	N/A
5.	औसत अपेक्षित भावी सेवा (शेष कार्यशील जीवन)	12,11	12
6.	मृत्यु दर तालि का	IALM 2006-2008 अल्टीमेट	IALM 2006-2008 अल्टीमेट
7.	आयु पर सेवा निवृत्ति - पुरुष	60	60
8.	आयु पर सेवा निवृत्ति - महिला	60	60
9.	समय पूर्व सेवानिवृत्ति और विकलांगता (सभी कारण संयुक्त)	0.30% प्रति वर्ष	0.30% प्रति वर्ष
10.	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति	अवहेलना करना	अवहेलना करना

तालिका 5: प्रकटीकरण मद

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लाभ / हानि विवरणी में मान्य व्यय	31-03-2020	31-03-2019
1.	वर्तमान सेवा लागत	125.61	101.14
2.	विगत सेवा लागत (निहित)	-	-
3.	विगत सेवा लागत (गैर-निहित)	-	-
4.	शुद्ध ब्याज लागत	15.10	9.09
5.	निपटान पर लागत (हानि / लाभ)	-	-
6.	कटौती पर लागत (हानि / लाभ)	-	-
7.	केवल पिछले वर्ष के लिए लागू बीमांकिक लाभ हानि	(55.04)	(3.59)
8.	कर्मचारी अपेक्षित योगदान	-	-
9.	विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का शुद्ध प्रभाव	-	-
10.	लाभ लागत (लाभ / हानि विवरणी में मान्य व्यय)	85.67	106.64

तालिका 6: प्रकटीकरण मद

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अन्य व्यापक आय	31-03-2020	31-03-2019
1.	वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / हानि	-	-
2.	जनसांख्यिकी धारणा में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / हानि	-	-
3.	अप्रत्याशित अनुभव के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / हानि	-	-
4.	अन्य कारणों से दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / हानि	-	-
5.	कुल बीमांकिक (लाभ) / हानि	-	-
6.	योजना परिसंपत्ति पर प्रतिलाभ, ब्याज आय को छोड़कर	-	-
7.	परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	-	-
8.	अवधि के अंत में जमा शेष	-	-
9.	ओसीआई में मान्य अवधि के लिए शुद्ध (आय) / व्यय	-	-

तालिका 7: प्रकटीकरण मद

मृत्यु दर तालिका

आयु	मृत्यु दर (प्रति वर्ष)
25	0.000984
30	0.001056
35	0.001282
40	0.001803
45	0.002874
50	0.004946
55	0.007888
60	0.011534
65	0.0170085
70	0.0258545

तालिका 8: प्रकटीकरण मद

(₹ करोड़ में)

31-03-2019		संवेदनशीलता विश्लेषण	31-03-2020	
वृद्धि	कमी		वृद्धि	कमी
689.30	744.78	छूट दर (-/+ 0.5%)	740.24	804.45
-3.74%	4.01%	संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले % परिवर्तन	-4.01%	4.32%
744.64	689.18	वेतन वृद्धि (-/+ 0.5%)	803.98	740.37
3.99%	-3.76%	संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले % परिवर्तन	4.26%	-3.99%
717.80	714.35	संघर्षण दर (-/+ 0.5%)	773.00	769.31
0.24%	-0.24%	संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले % परिवर्तन	0.24%	-0.24%
720.20	711.95	मृत्यु दर (-/+ 10%)	775.58	766.73
0.58%	-0.58%	संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले % परिवर्तन	0.57%	-0.57%

तालिका 9: प्रकटीकरण मद

भविष्य के अनुमानित भुगतानों की जानकारी (पिछली सेवा) दर्शाने वाली तालिका

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	राशि
1.	1	67.85
2.	2	72.38
3.	3	74.11
4.	4	70.42
5.	5	75.58
6.	6 से 10	398.15
7.	10 वर्ष से अधिक	795.72
8.	कुल अघोषित भुगतान अतीत और भविष्य की सेवा	-
9.	विगत सेवा से संबंधित कुल अघोषित भुगतान	1,554.21
10.	ब्याज के लिए कम छूट	783.06
11.	अनुमानित लाभ दायित्व	771.15

ताल का 10: शुद्ध देयता का द्विभाजन

अंतिम मापन अवधि में योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित प्रति लाभ दर्शाने वाली तालिका

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31-03-2020	31-03-2019
1.	वर्तमान देयता	65.61	72.24
2.	गैर-वर्तमान देयता	705.55	643.84
3.	शुद्ध देयता	771.15	716.07

अवकाश नकदीकरण वित्तपोषण

कोल इंडिया बोर्ड ने 13 नवंबर 2015 को आयोजित 322 वीं बैठक में अपनी मंजूरी दे दी, जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ लीव एनकैशमेंट लायबिलिटी के वित्तपोषण के लिए और IRDAI ने जीवन बीमा कंपनियों को 70:30 के अनुपात में मंजूरी दे दी। IRDAI द्वारा अनुमोदित जीवन बीमा कंपनियों का चयन CIL स्तर पर प्रक्रियाधीन है। इस दौरान, सभी सहायक कंपनियों को सीआईएल द्वारा सलाह दी गई कि वे नए ग्रुप लीव एनकैशमेंट प्लान में भारत के एलआईसी के साथ लीव एनकैशमेंट लायबिलिटी की फंडिंग शुरू करें। इसके अनुसार, कंपनी ने एलआईसी के मास्टर प्रस्ताव को अपनाने वाले न्यू ग्रुप लीव एनकैशमेंट प्लान में फंडिंग शुरू कर दी है, जिसका नाम है ash न्यू ग्रुप लीव एनकैशमेंट कैश एक्यूमुलेशन स्कीम (UIN512N282V01)। उक्त योजना के तहत एलआईसी के साथ शेष राशि इस प्रकार है:

विवरण	31-03-2020	31-03-2019
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि का उद्घाटन	454.34	491.73
जोड़ें: वर्ष के दौरान निवेश	145.02	-
जोड़ें: ब्याज वर्ष के दौरान अर्जित	35.18	31.95
कम: वर्ष के दौरान जारी फंड	65.77	69.34
वर्ष के अंत में समापन शेष	568.77	454.34

4. भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व का प्रकटीकरण

अलग- अलग राजस्व की जानकारी

(₹ करोड़ में)

माल या सेवा के प्रकार		31-03-2020	31-03-2019
• कोयला		12,823.74	12,914.35
• अन्य		-	-
ग्राहकों से अनुबंध से कुल राजस्व		**12,823.74**	**12,914.35**

(₹ करोड़ में)

ग्राहकों के प्रकार		31-03-2020	31-03-2019
• बिजली क्षेत्र		11,008.86	10,652.65
• गैर-बिजली क्षेत्र		1,814.88	2,261.70
• अन्य या सेवाएं (सीएमपीडीआईएल)		-	-
Total revenue from contract with customers		**12,823.74**	**12,914.35**

(₹ करोड़ में)

अनुबंध के प्रकार		31-03-2020	31-03-2019
• ईधंन आपूर्ति समझौता		10,229.25	10,539.10
• ई-नीलामी		2,362.37	2,010.86
• अन्य		232.12	364.39
ग्राहकों से अनुबंध से कुल राजस्व		**12,823.74**	**12,914.35**

(₹ करोड़ में)

माल या सेवा का समय		31-03-2020	31-03-2019
• एक समय में स्थानांतरित माल		-	-
• समय के साथ स्थानांतरित माल		12,823.74	12,914.35
• एक समय में स्थानांतरित सेवाएं		-	-
• समय के साथ स्थानांतरित सेवाएं		-	-
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व		**12,823.74**	**12,914.35**

(₹ करोड़ में)

अनुबंध बकाया:		31-03-2020	31-03-2019
व्यापार प्राप्य (देखें टिप्पणी - 13)		3,316.46	1,621.92
अनुबंध परिसंपत्ति		-	-
अनुबंध देयताएं (देखें टिप्पणी - 23)		778.79	744.55
समीक्षाधीन अवधि के आरंभ में अनबुंध दयेताओं से बाहर मान्य राजस्व		-	-
पिछले वर्ष के दौरान किए गए प्रदर्शन दायित्व से बाहर मान्य राजस्व		-	-

5. वरीयता शेयर पूंजी

08 नवंबर 2014 को आयोजित 310 वीं बोर्ड बैठक में CIL बोर्ड ने पिछले ऋण और CIL के ECL को चालू खाता शेष को the 2050.97 करोड़ तक पूरी तरह से 6% संचयी, गैर-परिवर्तनीय और प्रतिदेय वरीयता प्राप्त अंकित मूल्य के शेयरों में परिवर्तित करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। at 1000.00 प्रत्येक जिसे जारी करने की तिथि से 7 वर्ष की समाप्ति पर और आवंटन के लिए भुनाया जाना है यानी 26 दिसंबर 2014।

इंडस्ट्रीज़ के अनुसार 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वित्तीय विवरणों में, वरीयता शेयर कैपिटल के उपचार को वरीयता शेयर कैपिटल के रूप में संशोधित किया गया है (6% संचयी, गैर-परिवर्तनीय और रिडीमेंबल) एक कंपाउंड वित्तीय साधन है और लाभांश की घोषणा विवेकाधीन है। कंपनी।

उपरोक्त शेयर पूंजी के मूल्य के बीच का अंतर यानी .9 2050.97 करोड़ और वर्तमान मूल्य 26 दिसंबर 2014 को 8% छूट दर पर यानी, 1195.36 करोड़, 55 855.66 करोड़ के बराबर है और इसे इक्विटी भाग माना गया है और अन्य इक्विटी (नोट 17) और Cr 1794.99 करोड़ (62 1662.03 करोड़) के कर्ज वाले हिस्से को ब्याज के साथ 31 मार्च 2020 तक दिखाया गया है जो कि नॉन-करेंट बॉरोइंग (नोट 18) में दिखाया गया है।

31 मार्च को समाप्त होने वाले चालू वर्ष के लिए वरीयता शेयरों के ऋण भाग पर amount 132.96 करोड़ (7 124.87 करोड़) की 8% की छूट दर पर ब्याज, लाभ और हानि ए / सी के लिए सिर उधार लेने की लागत के तहत चार्ज किया गया है। वित्त लागत (नोट 32)।

31 मार्च, 2020 तक लाभांश 6% गैर-परिवर्तनीय संचयी रिडजेबल वरीयता शेयरों पर Cr 2050.97 करोड़ का शेयर 46 646.06 करोड़ (31 मार्च, 2019 को 523.00 करोड़) पर उपलब्ध है। कंपनी के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि कंपनी संचित घाटा उठा रही है।

6. गैर-मान्यता प्राप्त मदें (आइटम)

आकस्मिक देयताएं : कंपनी के खिलाफ दावे को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।

तालिका - I

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	केंद्र सरकार	राज्य सरकार और अन्य स्थानीय **	सीपीएसई	अन्य	कुल
1.	**01-04-2019 को खुल रहा है**	2,056.49	3,573.63	-	753.75	6,383.87
2.	अवधि के दौरान जोड़	493.36	14.87	-	32.28	540.51
3.	अवधि के दौरान बसे:					
4.	क. संतुलन खोलने से	(213.52)	(11.28)	-	(258.39)	(483.19)
	ख. अवधि के दौरान इसके अलावा	-	-	-	-	-
	ग. वर्ष के दौरान कुल बसे (क + ख)	(213.52)	(11.28)	-	(258.39)	(483.19)
	31-03-2020 को समापन	**2,336.33**	**3,577.22**	**-**	**527.64**	**6,441.19**

प्रबंधन का मानना है कि उपरोक्त के परिणाम से कंपनी पर कोई प्रमुख प्रति कूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

तालिका - II

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31-03-2020 को	31-03-2019 को
1.	**केन्द्रीय सरकार**		
	आयकर	1,320.59	1,048.61
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	880.02	794.31
	केंद्रीय बिक्री कर	135.72	110.64
	सेवा कर	-	102.93
	अन्य:	-	-
	उप-कुल (i)	**2,336.33**	**2,056.49**
2.	**राज्य सरकार**		
	रॉयल्टी	54.13	53.74
	पर्यावरण क्लीयरेंस	2,178.14	2,178.14
	बिक्री कर / वैट	40.40	29.21
	प्रवेश कर	-	-
	बिजली शुल्क	2.89	1.49
	माडा	-	-
	अन्य:		
	आरई उपकर और पीई उपकर	1,258.55	1,267.50
	अन्य:	43.11	43.55
	उप-कुल (ii)	**3,577.22**	**3,573.63**

क्र. सं.	विवरण	31-03-2020 को	31-03-2019 को
3.	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम		
	मध्यस्थता की कार्यवाही	-	-
	मुकदमे के तहत कंपनी के खिलाफ मुकदमा	-	-
	अन्य	-	-
	उप-कुल (iii)	-	-
4.	अन्य		
	विविध - भूमि	20.77	23.83
	अन्य (कर्मचारी संबंधित और आदि)	506.87	729.92
	उप-कुल (iv)	527.64	753.75
	ग्रैंड टोटल (i + ii + iii + iv)	**6,441.19**	**6,383.87**

**** माननीय सर्वो च्च न्या यालय के फैसले के आधार पर एमएमड ीआर अधिनि यम 1957 के तहत अवैध रूप से या गैरकानूनी खनन के लि ए दंड के रूप में झारखंड राज्य और जि ला खनन अधि कारी धनबाद की मांग :** झारखंड सरकार ने खान और खनि ज (विकास और विनि यमन) अधिनि यम, 1957 के तहत अवैध रूप से या गैरकानूनी रूप से खनि ज खनन के लि ए दंड के रूप में ₹ 2,178.14 करोड़ की एक मांग उठाई है। उपर्युक्त दंड का दावा करते हुए झारखंड राज्य और जि ला खनन अधि कारी, धनबाद ने राजमहल क्षेत्र, एसपी खान और मुगमा क्षेत्र को 11 मांग नोटि स जारी कि ए थे। राजमहल, एसपी माइन, मुगमा क्षेत्र, ईसीएल के मुख्य महाप्रबंधक (प्रभारी महाप्रबंधक) ने पुनरीक्षण प्राधि कारी, कोयल मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष कथित उल्लंघन के संबंध में झारखंड राज्य द्वा रा जारी किए गए डिमांड नोटि स को चुनौती देते हुए 11 पुनरीक्षण आवेदन दायर किए हैं।

कोयला मंत्रालय द्वा रा एमएमड ीआर अधिनि यम की धारा 30 के साथ पठित खनि ज रियायत नि यम 1960 के नि यम 55 (v) के अंतर्गत प्राप्त शक्ति के तहत उपरोक्त उल्लिखित 11 नोटि सों के नि ष्पा दन को स्थगित करके उपर्युक्त पुनरीक्षण आवेदन स्वी कार कर लि ए गए हैं। कोयला मंत्रालय ने यह भी निर् देश दि या था कि प्रतिवादी द्वा रा दि ए गए मांग नोटि सों के अनुसार आवेदकों के खि लाफ कोई भी कठोर कार्रव ाई नहीं की जाएगी। झारखंड सरकार को निर् देशित कि या गया था कि वह पुनरीक्षण आवेदनों के प्रस्तुत होने की तारीख से 3 महीने के निर्धा रित समय के अंदर पुनरीक्षण आवेदनों के जवाब दाखि ल करे। झारखंड सरकार द्वा रा पुनरीक्षण आवेदन का उत्तर अभी तक आवेदक यानी राजमहल क्षेत्र, ईसीएल को प्रत्युत्त र दाखि ल करने के लि ए अग्रेषित नहीं कि या गया है। उपर्युक्त के मद्देनजर में ईसीएल के राजमहल, एस. पी. माइंस मुगमा क्षेत्र ने एक प्रथम-दृष्टया मामला बनाया है और मामले का उनके पक्ष में होना पुनरीक्षण याचि का के निर्ण य के अधीन है।

6. [क] प्रतिबद्धताएं

पंज़ी खाते पर निष्पादित होने के लिए शेष अनबुंधों की अनमुानित राशि और इसके लिए प्रदान नहीं की गयी -

• पंजू ी खाते पर निष्पादित होने के लिए प्रदान न की गयी शेष राशि ₹ 573.90 करोड़ (₹ 186.27 करोड़) है।

• राजस्व खाते पर निष्पादित होने के लिए प्रदान न की गयी शेष राशि ₹ 6746.75 करोड़ (₹ 6250.05 करोड़) है।

6. [ख] साख पत्र:

31-03-2020 को ₹ 22.14 करोड़ (₹ 22.41 करोड़) साख पत्र (एलओसी) का बकाया है तथा ₹ 80.21 करोड़ (₹ 75.04 करोड़) की बैंक गारंटी जारी की गयी है।

क. प्रावधान

भारतीय लेखा मानक -37 के अनुसार, 31-03-2020 को विभिन्न प्रावधानों की स्थिति और गतिविधि नीचे दी गयी हैं: (₹ करोड़ में)

प्रावधान	01-04-2019 को आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	वर्ष के दौरान प्रतिलेखन / समायोजन/ भुगतान	छूट की अनदेखी	31-03-2020 को समापन शेष
टिप्पणी 3: - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण:					
परिसंपत्ति यों का मूल्यहास एवं हानि	1,353.83	466.80	64.70	-	1,755.93
टिप्पणी 4: - जारी पूंजीगत कार्य:					
सीडब्ल्यूआईपी के खिलाफ	3.98	7.62	(0.08)	-	11.68
टिप्पणी 5: - अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां:					
प्रावधान और हानि	-	-	-	-	-

प्रावधान	01-04-2019 को आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	वर्ष के दौरान प्रतिलेखन / समायोजन/ भुगतान	छूट की अनदेखी	31-03-2020 को समापन शेष
टिप्पणी 8: - ऋण:					
अन्य ऋण:	-	-	-	-	-
टिप्पणी 9: - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां:					
अन्य जमा और प्राप्य	21.07	-	-	-	21.07
उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा	-	-	-	-	-
अनुषंगी इकाइयों के साथ चालू खाता	-	-	-	-	-
दावे और अन्य प्राप्य	4.22	1.59	-	-	5.81
टिप्पणी 11:- अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां:					
राजस्व के लिए अग्रिम	-	0.02	-	-	0.02
वैधानिक बकाया का अग्रिम भुगतान	-	-	-	-	-
अन्य अग्रिम और कर्मचारियों के लिए जमा	1.70	0.19	-	-	1.89
टिप्पणी 13: - व्यापार प्राप्तियां:					
खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	307.05	91.74	15.63	-	383.16
टिप्पणी 21: - गैर-वर्तमान और वर्तमान प्रावधान:					
अन्य	3,960.68	295.90	-	-	4,256.58
भूमि पुनरुद्धार /खदान बंदी	606.03	606.03	-	23.30	674.41
टिप्पणी 12: वस्तु-सूची (इन्वेंटरी)					
कोयले का स्टॉक	0.38	-	0.01	-	0.37
स्टोर और पुर्जों का स्टॉक	45.14	1.71	0.51	-	46.34

7. अन्य सूचना

ख. अधिकृत वरीयता शेयर पूंजी	31-03-2020	31-03-2019
21000000, 6% गैर-परिवर्तनीय संचयी, ₹ 1000 / - प्रत्येक मूल्य के प्रतिदेय वरीयता शेयर	2,100.00	2,100.00

ग. प्रति शेयर आय

क्र. सं.	विवरण	वर्ष के समापन पर 31-03-2020	वर्ष के समापन पर 31-03-2019
i.	कर के बाद लाभ (हानि) (₹ करोड़ में)	997.65	748.77
ii.	कम: प्रीफ के कारण लाभ। शेयरधारक (करोड़ में)	123.06	123.06
iii.	**इक्विटी शेयर धारकों के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)**	874.59	625.71
iv.	भारित बकाया इक्विटी शेयरों की औसत संख्या	2,21,84,500	2,21,84,500
v.	रुपये में प्रति शेयर बेसिक और डाइल्यूटेड आय (अंकित मूल्य - ₹ 1000 / - प्रति शेयर) (₹) [iii ÷ iv]	394.24	282.05

घ. संबंधित पक्ष (पार्टी) प्रकटीकरण

(i) धारक कंपनी और उसकी सहायक कंपनियां

क. कोल इंडिया लिमिटेड (धारक कंपनी)
ख. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)
ग. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)
घ. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिम टिड (डब्ल्यूसीएल)
ङ. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)
च. नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)
छ. महानदी कोलफील्ड्स लि टिड (एमसीएल)

ज. केंद्रीय खान योजना और डिजाइन संस्थान लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल)

(ii) नियोजन उपरांत लाभ निधि:

क. भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ समूह ग्रेच्युटी नकद संचय योजना।

ख. भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ नई समूह ग्रेच्युटी नकद संचय योजना (01.04.2014 के बाद नि युक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए)।

ग. भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ नई समूह अवकाश नकदीकरण योजना।

घ. कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ)।

ङ. अधिकारी ट्रस्ट के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना

च. सीआईएल अधिकारी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना -2017

ङ. (i) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

पूर्णकालिक प्रकार्य निदेशक:

1.	श्री प्रेम सागर मिश्र	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीएल
2.	श्री जयप्रकाश गुप्ता	निदेशक (तकनीकी) परि. एवं योज.
3.	श्री विनय रंजन	निदेशक (कार्मिक)
4.	श्री बी वीरा रेड्डी	निदेशक (तकनीकी) संचालन (01.01.2020 तक)
5.	श्री गौतम चंद्र डे	निदेशक (वित्त) (03.03.2020 तक)
6.	श्री समीरन दत्ता	निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार 16.08.2019 से 02.03.2020 तक)

अंशकालिक आधिकारिक निदेशक:

1.	श्री बी पी पति	संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय (17.03.2020 तक)
2.	श्री अनिमेष भारती	आर्थिक सलाहकार, एमओसी (17.03.2020 से)
3.	श्री संजीव सोनी	निदेशक (वित्त), कोल इंडिया लिमिटेड

स्वतंत्र निदेशक:

1. श्री प्रवीण कांत
2. श्री अनिल कुमार गनेरीवाला

कंपनी सचिव :

1. श्री रामबाबू पाठक

(ii) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीएमडी, पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी सचिव को पारिश्रमिक	वर्ष के समापन पर 31-03-2020	वर्ष के समापन पर 31-03-2019
i.	अल्पकालिक कर्मचारी लाभ:		
	सकल वेतन	1.25	1.07
	चिकित्सकीय लाभ	-	0.02
	अनुलाभ और अन्य लाभ	0.70	0.43
ii.	नियुक्ति पश्चात लाभ:		
	पीएफ और अन्य निधि में योगदान	0.23	0.18
iii.	सेवा समाप्ति के बाद लाभ (सेवा से अलग होते समय भुगतान):		
	अवकाश नकदीकरण	0.04	0.20
	ग्रेच्युटी	0.20	0.40
	कुल	**2.42**	**2.30**

नोट: उपर्युक्त के अलावा, पूर्णकालिक नि देशकों को सेवा शर्तों के अनुसार ₹ 2000 / - प्रति माह के भुगतान पर 1000 कि .मी. की सीमा तक निजी यात्रा के लिए कार के उपयोग की अनुमति दी गई है।

(iii) स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान	वर्ष के समापन पर 31-03-2020	वर्ष के समापन पर 31-03-2019
i.	बैठे हुए शुल्क	0.10	0.06

(iv) मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के साथ बकाया राशि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान	वर्ष के समापन पर 31-03-2020	वर्ष के समापन पर 31-03-2019
i.	देय राशि	-	-
ii.	प्राप्य राशि	-	-

(v) समूह के अंदर संबंधित पक्ष (पार्टी) लेनदेन:

कोल इंडिया लिमिटेड के साथ एपेक्स प्रभार, अनुसंधान एवं विकास व्यय, पुनर्वास व्यय, अनुदान, ईडीसी ऋण चुकौती, सीएंडएफ शुल्क और कर्मचारी संबंधित व्यय की प्रकृति के लेनदेन हैं। भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार, महत्वपूर्ण लेनदेन की प्रकृति और मात्रा के बारे में प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं।

(₹ करोड़ में)

संबंधित पक्षों के नाम	संबंधित पक्षों को ऋण	संबंधित पक्षों से ऋण	एपेक्स प्रभार	पुनर्वास प्रभार	पट्टा किराया आय	सीआईएल के साथ रखे घन पर ब्याज	आईआईसीएम प्रभार	चालू खाता शेष (प्राप्य)
CIL	-	-	50.41	29.57	-	1.04	4.56	515.71

च. नवीनतम लेखा घोषणाएं / प्रकाशन

कंपनी एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (CPSU) है जिसे केंद्र सरकार के अधिकांश शेयर होल्डिंग कंपनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सरकारी संस्था होने के नाते कंपनी संबंधित पार्टी के लेन-देन के संबंध में सामान्य प्रकटीकरण आवश्यकताओं से मुक्त होती है और नियंत्रित सरकार और उसी सरकार के तहत एक अन्य इकाई के साथ बकाया राशि के संबंध में है। निम्नलिखित लेनदेन को एक ही सरकार के नियंत्रण में संस्थाओं के साथ हाथ की लंबाई कीमत पर दर्ज किया गया है।

(₹ करोड़ में)

संस्था का नाम	Transaction	31-03-2020	31-03-2019
एनटीपीसी	कोयले की बिक्री	5,834.09	6,123.47

छ. इंडस्ट्रीज़ 116- पट्टों के रूप में

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का वीडियो अधिसूचना 30 मार्च, 2019 भारतीय लेखा मानक (इंडस्ट्रीज़ एएस) 116 दिनांकित, कंपनी के लिए प्रभावी हो गया है 01.04.2019 से इंडस्ट्रीज़ 17, पट्टों की जगह ले। पट्टों पर लेखांकन नीति को 116 के अनुसार इंडस्ट्रीज़ के अनुसार बदल दिया गया है। 116 के रूप में इंडस्ट्रीज़ का मुख्य परिवर्तन, पट्टों के लेखांकन उपचार में पट्टों के परिवर्तन द्वारा वर्तमान में परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लीज समझौतों ने कंपनी के कम होने की स्थिति में राइट-ऑफ-यूज एसेट की मान्यता और भविष्य के लीज भुगतान के लिए लीज देनदारी को जन्म दिया है। लीज़र के लिए पट्टों के लेखांकन में कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं है। 116 ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के रूप में इंडस्ट्रीज़ पर संक्रमण का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

ज. इंडस्ट्रीज़ 02 के रूप में - सूची

उपयोगकर्ताओं को अधिक प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए FIFO विधि से आविष्कारों की लागत की गणना का तरीका भारित औसत विधि में बदल दिया गया है। हालांकि, पिछले वर्ष 2018-19 के बंद स्टॉक के मूल्यांकन पर काफी प्रभाव पड़ा है, इसलिए पिछले वर्ष के रिपोर्ट किए गए आंकड़े को बहाल नहीं किया गया है।

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा सहायक कंपनियों की ओर से खरीदा गया एच। माल

मौजूदा प्रथा के अनुसार, सहायक कंपनियों की ओर से कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा खरीदे गए सामानों को सीधे संबंधित सहायक कंपनियों की पुस्तकों में शामिल किया जाता है।

I. मास्टर प्लान के तहत फंड

कंपनी को कंपनी की लीजहोल्ड से प्रभावित कोयला क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास से निपटने के लिए मास्टर प्लान के तहत फंड प्राप्त होता है। आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (ADDA) गैर-ईसीएल घरों में रहने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है, जिसके लिए कंपनी एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। नोडल एजेंसी के रूप में प्राप्त फंड ADDA और इस तरह के एडवांस (नोट -11 में अन्य एडवांस के तहत दिखाया गया है) के साथ-साथ संबंधित फंड के लिए उन्नत है, दोनों को ADDA द्वारा प्रस्तुत उपयोग विवरण के आधार पर समायोजित किया गया है। 31 मार्च, 2020 तक 4 204.35 करोड़ का अनुपयोगी कोष है (31 मार्च 2019 को 217.05 करोड़ के रूप में) उनके समायोजन के लिए ADDA से उपयोग प्रमाण पत्र का इंतजार है।

31 मार्च, 2020 तक मास्टर प्लान के तहत अनुपयोगी निधि की स्थिति यहां दी गई है: (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2020 को	31-03-2019 को
वर्ष की शुरुआत में मास्टर प्लान के तहत अप्रयुक्त निधि का प्रारंभिक शेष	217.05	381.92
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त निधि	150.00	-
कम: वर्ष के दौरान उपयोग / समायोजन	162.70	164.87
अप्रयुक्त निधि का समापन	204.35	217.05

जे. बीमा और वृद्धि के दावे

प्रवेश / अंतिम निपटान के आधार पर बीमा और वृद्धि के दावों का हिसाब लगाया जाता है।

के. खातों में किए गए प्रावधान

धीमी गति से चलने वाले / नॉन-मूविंग / अप्रचलित स्टोर्स, दावों को प्राप्य, अग्रिमों, संदिग्ध ऋणों आदि के खिलाफ खातों में किए गए प्रावधान को संभावित नुकसान को कवर करने के लिए पर्याप्त माना जाता है।

संपत्ति कर (कानून) संशोधन अधिनियम 2019, 2019 की संख्या 15 के अनुसार, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115BAA के तहत, घरेलू कंपनी 10% की कम अधिभार दर के साथ 22% की कम कॉर्पोरेट कर दर का विकल्प चुन सकती है। द F.Y. 30% की मौजूदा कर दर और 12% के अधिभार की दर के बदले 2019-20 (A.Y. 2020-21)। स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर अपरिवर्तित रहेगी। कॉर्पोरेट टैक्स की कम दर कंपनी के लिए फायदेमंद है, इसलिए 31-03-2020 और उसके बाद समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की संशोधित दर पर विचार किया जाता है। 34.944% से 25.168% तक आयकर की दर में इस तरह के बदलाव के परिणामस्वरूप चालू वर्ष के आयकर में 144.26 करोड़ की कमी और .4 125.47 करोड़ से आस्थगित कर संपत्ति की वापसी का प्रावधान किया गया।

ईसीएल भी प्रत्यक्ष के तहत वर्ष 2007-08 और 2012-13 के लिए मूल्यांकन वर्ष 2003-04 के संबंध में ₹ 9.93 करोड़ के भुगतान के साथ प्रत्यक्ष करों विवादों के निपटारे के लिए चुना गया है Vivad Se विश्वास योजना (DTVsVs) करों।

L. करंट एसेट्स, लोन और एडवांस आदि।

प्रबंधन की राय में, अचल संपत्तियों और गैर-मौजूदा निवेशों के अलावा अन्य परिसंपत्तियों को व्यापार के साधारण पाठ्यक्रम में कम से कम उस राशि के बराबर मूल्य का एहसास होता है, जिस पर उन्हें बताया जाता है।

एम. वर्तमान देनदारियाँ

अनुमानित देयता प्रदान की गई है जहां वास्तविक देयता को मापा नहीं जा सकता है।

एन. संतुलन की पुष्टि

नकद और बैंक शेष, कुछ ऋण और अग्रिम, दीर्घकालिक देनदारियों और वर्तमान देनदारियों के लिए संतुलन की पुष्टि / सुलह किया जाता है। प्रावधान संदिग्ध अपुष्ट संतुलन के खिलाफ किया जाता है।

O. कोरोनावायरस (COVID -19) का प्रकोप भारत और दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों की महत्वपूर्ण गड़बड़ी और मंदी का कारण बन रहा है। कंपनी ने अपने व्यापार के संचालन पर इस महामारी के प्रभाव का मूल्यांकन किया है। 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इसकी वित्तीय परिणामों पर इसकी समीक्षा और इसके कोई प्रभाव नहीं होने के आधार पर, इसकी समीक्षा और मौजूदा संकेतकों के आधार पर। कंपनी भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों और इसके व्यवसाय पर प्रभाव से उत्पन्न होने वाले किसी भी भौतिक परिवर्तन की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी।

पी. महत्वपूर्ण लेखा नीति

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (नोट -2) पिछली अवधि में संशोधित / पुन: प्रारूपित की गई हैं, जैसा कि कंपनी द्वारा भारतीय लेखा मानकों (इंडस्ट्रीज़ एएस) द्वारा अधिसूचित कॉर्पोरेट नीतियों (एमसीए) द्वारा अधिसूचित लेखा नीतियों को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है। कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत।

Q. सीएसआर व्यय:

i. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक सकल राशि ₹ शून्य करोड़ (0.32 करोड़) है।

ii. वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष के समापन पर	31-03-2020			31-03-2019		
		नकद रूप में / बैंक में	अभी नकद / बैंक में भुगतान किया जाना है	कुल	नकद रूप में / बैंक में	अभी नकद / बैंक में भुगतान किया जाना है	कुल
1	किसी परिसंपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	-	-	-	-	-	-
2	उपरोक्त (1) के अलावा अन्य उद्देश्य	9.36	2.12	11.48	14.56	1.90	16.46

iii. विभिन्न शीर्ष/ मदें जिन के तहत सीएसआर व्यय किया गया, उनका विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अधिनियम की अनुसूची VII का प्रासंगिक खंड	सीएसआर गतिविधियों का विवरण	31.03.2020 को सम ाप्त वर्ष	31.03.2019 को सम ाप्त वर्ष
1	खंड (i)	भुखमरी, गरीबी और कुपोषण को दूर करना, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना	2.75	3.22
2	खंड (ii)	शिक्षा का प्रचार-प्रसार	4.20	6.70
3	खंड (iii)	लैंगिक समानता को बढ़ावा दनो और महिलाओं को सशक्त बनाना	0.11	0.06
4	खंड (iv)	पर्यावरणीय स्थिरता	1.30	-
5	खंड (vi)	सशस्त्र बलों के लाभ	0.11	0.14
6	खंड (vii)	खेल को बढ़ावा देना	-	0.17
7	खंड (x)	ग्रामीण विकास एवं अन्य	2.80	5.39
8		प्रशासनिक व्यय	0.21	0.78
कुल			**11.48**	**16.46**

R. अन्य

क. कंपनी का अनुमान है कि इसका सामान्य परिचालन चक्र बारह (12) महीने का होगा।

ख. पिछले अवधि के आंकड़ों को भारतीय लेखा मानक के अनुसार पुनः उल्लिखित किया गया है और जहां भी आवश्यक समझा गया है पुनर्समूहित और पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

ग. टिप्पणी संख्या 3 से 38 में पिछली अवधि के आंकड़े कोष्ठक में हैं।

घ. टिप्पणी- 1 और 2 क्रमशः कॉर्पोरेट सूचना और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, टिप्पणी 3 से 23 तक 31 मार्च 2020 को तुलन पत्र (बैलेंस शीट) के भाग के रूप में हैं और टिप्पणी 24 से 37 तक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरणी के भाग के रूप में हैं। टिप्पणी -38 वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त टिप्पणियों के रूप में है।

(रामबाबू पाठक)
कंपनी सचिव

मुहम्मद तसफ़ीन
प्रबंध संचालक
महाप्रबंधक (वित्त)

गौतम चंद्र डे
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-08725907

(प्रेम सागर मिश्रा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन-07379202

रिपोर्ट के अनुसार
कृते **जी.पी. अग्रवाल एंड कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन 302082E

सीए. राकेश कुमार सिंह
साझीदार
एम. सं. 066421

दिनांक: 10-06-2020
स्थान: सांकतोड़िया/ कोलकाता

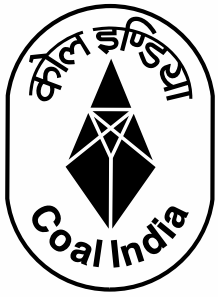

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी)

सीएमडी कार्यालय, सांकतोड़िया
पोस्ट: दिशेरगढ़
जिला: पाश्चिम बर्धमान
पिन: 713333, पश्चिम बंगाल

www.easterncoal.nic.in